पंचदश माला, खंड 29, अंक 7

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012
12 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

3 दिसम्बर 2012

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-[illegible]
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 20 July 2015

(खण्ड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 29, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 7, सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140	2-71
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	71-646
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	647-648
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	648-668
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	669-670
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	669-672

*निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् लोक सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। इसलिए इन्हें अतारांकित प्रश्न माना गया।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल नौंवी और बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पंजाब के जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह 1964 से 1976 तक तथा 1992 से 1998 तक तीन कार्यावधियों तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

एक विख्यात नेता, श्री गुजराल वर्ष 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वह वर्ष 1996 में तथा वर्ष 1997 से 1998 के दौरान राज्य सभा में सदन के नेता रहे।

एक प्रतिष्ठित सांसद, श्री गुजराल केन्द्रीय विदेश मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री रहे।

श्री गुजराल विदेशी मामले तथा वाणिज्य और वस्त्र संबंधी समितियों के अध्यक्ष भी रहे। वह अनेक संसदीय तथा परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

एक राजनयिक के रूप में, श्री गुजराल ने सात से अधिक देशों में भारत के विशेष दूत के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह वर्ष 1976 से 1980 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया तथा अंतर-संसदीय संघ में भारत के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे।

श्री गुजराल ने ग्यारह वर्ष की आयु में भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए थे।

श्री गुजराल एक विद्वान व्यक्ति थे तथा उन्होंने "ए फोरेन पॉलिसी फॉर इंडिया" तथा "मजमीन-ए-गुजराल" नामक पुस्तकें लिखी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल का निधन 92 वर्ष की आयु में 30 नवम्बर, 2012 को गुड़गांव, हरियाणा में हुआ।

हम इस अपूरणीय क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यों, आज भोपाल गैस त्रासदी की 28वीं वर्षगांठ भी है। आज ही के दिन 28 वर्ष पूर्व, देश में भयावह मानवकृत दुर्घटना घटी जिसमें हजारों लोगों की जानें गयीं तथा भारी संख्या में लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो गए।

हम इस अवसर पर इस भयावह त्रासदी का शिकार हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र में कार्यबल

***121. श्री यशवीर सिंह :**
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नियोजित कार्यबल की कुल संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पृथक-पृथक कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ग) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई; और

(घ) असंगठित कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने और कार्यबल के असंतुलन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कुल नियोजन 46.5 करोड़ था। इसमें से, लगभग 2.8 करोड़ (6%) संगठित क्षेत्र में और शेष 43.7 करोड़ (94%) असंगठित क्षेत्र में थे।

(ख) वर्ष 2009-10 में बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 51.4 लाख और शहरी क्षेत्रों में 43.6 लाख थी।

(ग) और (घ) असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने "असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008" अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा जीवन और अशक्तता छत्र, स्वास्थ्य तथा मातृत्व लाभों, वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित कामगारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किन्हीं अन्य लाभों की सिफारिश करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकार ने इन सभी सुरक्षा लाभों के संदर्भ में कदम उठाए हैं।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच की इकाई) को परिवार के फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष का स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैस स्वास्थ्य बीमा छत्र, मातृत्व लाभ सहित, प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) प्रारम्भ की थी। यह योजना दिनांक 01.04.2008 से संचालन में आई थी। वर्तमान में यह योजना 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है और दिनांक 19.11.2012 की स्थिति के अनुसार 3.30 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।

ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के परिवार के मुखिया अथवा कमाने वाले एक सदस्य को बीमा छत्र प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 02.10.2007 को आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) प्रारंभ की गई थी। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, परिवार का मुखिया अथवा परिवार का कमाने वाला एक सदस्य स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30000/- रुपये, दुर्घटनाजन्य मृत्यु के मामले में 75000/- रुपये, पूर्ण स्थायी अशक्तता के मामले में 75000/- रुपये और आंशिक स्थायी अशक्तता के लिए 37500/- रुपये प्राप्त करने का पात्र है। दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत 1.77 करोड़ से अधिक जीवन शामिल किए गए हैं।

सरकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्रियान्वित कर रही है, जिसका पात्रता संबंधी मानदंड को संशोधित करके विस्तार किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी नागरिक इस योजना के अंतर्गत लाभों के लिए पात्र हैं। 80 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन की धनराशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार 2.27 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभों से लाभान्वित हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), जिसका इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक घटक है, के अंतर्गत केन्द्रीय निधि आबंटन और व्यय निम्नवत् है:—

(करोड़ रुपयों)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13**
	1	2	3	4
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आबंटन)	350.00	548.00	984.30	1568.56
(व्यय)	264.51	511.61	925.74	545.96

	1	2	3	4
आम आदमी बीमा योजना (जीवन बीमा निगम को जारी की गई निधि)#	0.00	0.00	0.00	0.00
आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किए गए दावे	125.52	131.53	197.85	112.00
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम* (कुल निर्गम)	5155.49	5162.00	6596.46	4218.28
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (व्यय)	2903.16	3517.58	2839.41	2676.62

#पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई है तथा जीवन बीमा निगम द्वारा इसे इससे पूर्व जारी किए गए निर्गमों से उपलब्ध धनराशि से व्यय किया गया।

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से निधियां जारी की जाती हैं तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता। तथापि, केवल इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अलग से व्यय सूचित किया गया है।

**31.10.2012 तक अद्यतन किए गए आंकड़े।

सैन्यदलों के लिए उपस्कर की खरीद

***122. डॉ. थोकचोम मैन्या :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की एक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सैन्यदलों के लिए कतिपय उपस्कर की खरीद के संबंध में भारी घाटे का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उपस्कर आपात खरीद हेतु रखी गई धनराशि से खरीदे गए थे;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखा परीक्षा सामान्यत: रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा की जाती है। सैन्य कमांडरों को प्रत्यावर्तित विशेष वित्तीय शक्तियों सहित रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यावर्तित वित्तीय शक्तियों के तहत अधिप्राप्तियों की लेखा परीक्षा रक्षा लेखा विभाग द्वारा की गई थी। इस आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टों की संबंधित सेनाओं/एजेंसियों के साथ सहभागिता की गई है। प्राप्त हुए प्रत्युत्तरों की जांच की जा रही है तथा आंतरिक लेखा परीक्षा निष्कर्ष निकाले जायेंगे। आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई गंभीरतापूर्वक की जाएगी।

[हिन्दी]

विकसित देशों को निर्यात

***123. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप और अन्य विकसित देशों को किए गए कुल निर्यात का मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन देशों में आर्थिक मंदी और मांग में कमी आने से भारत में व्यापार और उद्योग दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे घरेलू क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र-वार रोज़गार के कुल कितने अवसर कम हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को इन क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूरोप और अन्य विकसित देशों को किए गए कुल निर्यात का मूल्य-वार ब्यौरा:—

(आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर)

क्र. सं.	देश	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-सितम्बर, 2012(पी)
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	19.53	25.29	34.74	19.68
2.	यूरोप	38.52	49.92	57.76	25.72
अन्य विकसित देश					
1.	आस्ट्रेलिया	1.38	1.71	2.48	1.23
2.	न्यूजीलैंड	0.25	0.19	0.25	0.17
3.	कनाडा	1.12	1.35	2.05	0.98
4.	जापान	3.63	5.09	6.34	2.61
5.	हांगकांग	7.89	10.32	12.93	6.14
6.	इजराइल	1.97	2.92	4.04	1.89
7.	कोरिया डीपी गणराज्य	0.42	0.33	0.23	0.60
8.	कोरिया गणराज्य	3.42	3.73	4.35	1.96
9.	संयुक्त अरब अमीरात	23.97	33.82	35.92	18.61
10.	सिंगापुर	7.59	9.82	16.86	6.65
	भारत का कुल निर्यात	178.75	251.13	305.96	141.81

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ख) और (ग) जी, हां। जहां तक निर्यातों का संबंध है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इंजीनियरिंग वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कॉटन यार्न/फैब्रिक्स/मेड-अप्स, हथकरघा, उत्पाद आदि, प्लास्टिक एवं लिनोलियम, मानव-निर्मित यार्न/फैब्रिक्स/मेड-अप्स, आदि, खली, कॉफी, चाय, फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्मितियां और मानव-निर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र ने गत वर्ष की संगत अवधि के दौरान 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

(घ) और (ङ) जी, हां। विविध व्यापार संगठनों/निर्यात संवर्धन परिषदों से निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिन पर विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट की घोषणा करते समय यथोचित विचार किया गया था। सरकार नियमित अंतराल पर निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन की पुनरीक्षा करती है और जब भी आवश्यक हो प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उपचारात्मक उपाय करती है। हमारे निर्यातों को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए कार्य-योजना के भाग के रूप में मई, 2011 में, 2013-14 तक हमारे निर्यातों को दुगुना करने के लिए एक रणनीति जारी की गई थी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में किए गए उपायों में 2009-10 और 2010-11 के बजट में और विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 में की गई घोषणाएं शामिल हैं। विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट के भाग के रूप में बहुत से उपायों/प्रोत्साहनों की घोषणा 5 जून, 2012 को की गई थी।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

***124. कुमारी मौसम नूर :**
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) प्रायोगिक योजना में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत गांवों के चयन संबंधी क्या मानदंड/दिशा-निर्देश हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रायोगिक योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समीक्षा के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) क्या सरकार इस योजना का अन्य राज्यों/जिलों में विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) की प्रायोगिक योजना का शुभारंभ मार्च, 2010 में किया गया था। इसका उद्देश्य 1000 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का समेकित विकास करना है:—

(i) प्रथमतः, विद्यमान केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वयन के माध्यम से; और

(ii) चयनित ग्रामों की ऐसी जरूरतों, जिन्हें उपरोक्त (i) के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता, को पूरा करने के लिए औसतन प्रति गांव 20 लाख रुपए की दर से 'अन्तराल-पूर्ति' की केन्द्रीय सहायता (राज्यों द्वारा समान योगदान किए जाने की उम्मीद के साथ) के माध्यम से। योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को 3 वर्षों के भीतर प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है।

वर्तमान में, इस योजना का कार्यान्वयन असम (100 गांव), बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु (प्रत्येक में 225 गांव) राज्यों में स्थित, 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले 1000 गांवों में किया जा रहा है।

(घ) यह योजना असम, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में लगभग ढ़ाई वर्षों तथा हिमाचल पद्रेश में डेढ़ वर्ष से क्रियाशील है। इस प्रायोगिक स्कीम की समय-सीमा तीन वर्षों की है और उसके बाद ही इसका मूल्यांकन किया जा सकता है।

(ङ) योजना का विस्तार, प्रायोगिक चरण के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।

सामरिक महत्व की रेल परियोजनाएं

*125. श्री उदय सिंह :
श्री पी. लिंगम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में उनके द्वारा पहचान किए गए 14 महत्वपूर्ण रेल सम्पर्कों के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल मंत्रालय इन परियोजनाओं के लिए सहमत नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सामरिक महत्व की इन परियोजनाओं को अविलम्ब शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय को सहमत कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) देश में सामरिक महत्व की रेलवे लाइनों से संबंधित वृहत क्षमता विकास योजना सेनाओं द्वारा संक्रियात्मक कमानों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है इसमें वे रेलवे लाइन शामिल हैं जो जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थित है तथा इनकी संक्रियात्मक तथा संभारिकी परिप्रेक्ष्य से अभिपुष्टि की गई है। निम्नलिखित 14 सामरिक महत्व की रेलवे लाइन की प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए पहचान की गई है:–

(i) मुकोंगसेलेक-पासीघाट-तेजु-परसुरामकुंड-रूपई

(ii) मिस्सामारी-तवांग

(iii) उत्तरी लखीमपुर-के साथ-सीलापत्थर

(iv) पट्टी-फिरोजपुर

(v) जोधपुर-जैसलमैर

(vi) पठानकोट-लेह

(vii) टनकपुर-बागेश्वर

(viii) जम्मू-अखनुर-पुंछ

(ix) देहरादून-उत्तरकाशी

(x) ऋषिकेश-कर्ण प्रयाग-चमोली

(xi) अनूपगढ़-छत्तरगढ़-मोतीगढ़-बीकानेर

(xii) टनकपुर-जौलजीबी

(xiii) जोधपुर-अगोलाई-शेरगढ़-फलसंद

(xiv) श्रीनगर-कारगिल-लेह

इन 14 लाइनों में से, रेलवे ने 10 लाइनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। तीन लाइनों का सर्वेक्षण चल रहा है तथा एक लाइन का सर्वेक्षण अभी शुरू किया जाना है। रेलवे ने चल रही संस्वीकृत परियोजनाओं की भारी मात्रा तथा संसाधनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन अत्यधिक पूंजी प्रधान लाइनों को निधि प्रदान करने में असमर्थता जताई है।

चार लेन वाले पूर्व-पश्चिम गलियारे का निर्माण

*126. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीरामपुर, बोडोलैंड में संकोष नदी पुल से गुवाहाटी तक एनएच-31सी और एनएच-31, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर कोकराझार, बोगईगांव, बारपेटा, नलबारी और कामरूप जिलों के मार्गों के समीप हैं, पर चार लेन वाले पूर्व-पश्चिम गलियारे (एक्सप्रेस राजमार्ग) पर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उन निर्माण कंपनियों ने, जिन्हें निर्माणकार्य सौंपे गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण कंपनियों के बीच हुए समझौतों के अनुसार उक्त एक्सप्रेस राजमार्ग के पुराने मार्गों को परिवहन योग्य बनाए रखा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन निर्माण कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने

का विचार है तथा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (घ) श्री रामपुर से गुवाहाटी तक सड़क खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31सी और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के 256.80 किमी. में 4 लेन बनाया जाना शामिल है। 10 सिविल पैकेज हैं और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अभी तक 186.5 किमी. में 4 लेन बनाए जाने का काम पूरा हुआ है जिसका अर्थ है सौंपी गई लंबाई का 72.62% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना में प्रारंभ में विलंब मुख्यत: भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण के कारण विलंब, कानूनी स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा वृक्षों की कटाई में विलंब, खराब कानून-व्यवस्था की स्थितियां, पुल बीयरिंगस का पुन: डिजाइन किया जाना तथा ठेकेदार द्वारा जनशक्ति एवं मशीनरी का अपर्याप्त संग्रहण। कुछ खंडों में सार्वजनिक सुविधाओं को स्थानांतरित किए जाने का कार्य अभी भी लंबित है। साइट पर तैनात पर्यवेक्षकों/प्रबंधकों का अपहरण और हाल में हुई हिंसा से भी कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है। असम की सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। परियोजनाओं की प्रगति को बाधित करने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों, रियायत-ग्राहियों और ठेकेदारों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई हैं। ठेकेदारों को संशोधित अनुसूची के अनुसार शेष कार्यों को पूरा करने के लिए निदेश दिए गए हैं और संशोधित अनुसूची के बाद होने वाले विलंब उन पर आरोपित किया जाएगा और उन पर उपयुक्त शास्ति उपबंध लगाए जाएंगे। विद्यमान सड़क को निर्माण के दौरान यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31सी और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को चार लेन का बनाए जाने का पैकेज-वार ब्यौरा

क्र. सं.	ठेका खंड	रारा संख्या	लंबाई (किमी.)	ठेका मूल्य (करोड़ रु.)	प्रारंभ होने की तारीख	ठेकानुसार पूरा होने की तारीख	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिजनी - असम/पश्चिम बंगाल सीमा (किमी. 30.0-0.00)	31सी	30	218.38	18.10.05	17.04.08	मई, 13
2.	बिजनी - असम/पश्चिम बंगाल सीमा (किमी. 60.0.30.00)	31सी	30	199.41	06.10.05	05.04.08	मार्च, 13
3.	बिजनी - असम/पश्चिम बंगाल सीमा (किमी. 93.0.60.00)	31सी	33	248.69	06.10.05	05.04.08	दिसम्बर, 13
4.	नलबाड़ी - बिजनी (किमी. 983.00-961.50)	31	21.5	131.23	03.11.05	02.05.08	मार्च, 13
5.	नलबाड़ी - बिजनी (किमी. 1013.00-983.00)	31	30	187.08	03.11.05	02.05.08	मार्च, 13
6.	नलबाड़ी - बिजनी (किमी. 1040.30-1013.00)	31	27.3	207.165	अक्तूबर, 05	अप्रैल, 08	दिसम्बर, 13

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	नलबाड़ी - बिजनी (किमी. 1065.00-1040.30)	31	24.7	182.48	नवम्बर, 05	जून, 08	मार्च, 13
8.	गुवाहाटी - नलबाड़ी (किमी. 1093-1065)	31	28	192.87	अक्तूबर, 05	अप्रैल-08	दिसम्बर, 13
9.	गुवाहाटी - नलबाड़ी (किमी. 1121-1093)	31	28	173.63	दिसम्बर, 05	अप्रैल-08	मार्च, 14
10.	ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल (किमी. 1121-1126)	31	4.29	238.4	अक्तूबर, 06	अप्रैल, 08	मार्च, 14

जल-मल व्ययन संयंत्र

*127. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :**
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य-योजना के अंतर्गत कुल कितने जल-मल व्ययन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे तथा अब तक वास्तव में कुल कितने संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या मौजूदा व्ययन संयंत्रों की व्ययन क्षमता पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के श्रेणी-I के शहरों और श्रेणी-II के कस्बों में प्रतिदिन, अनुमानतः कुल उत्पन्न होने वाले और व्ययन किए जाने वाले जल-मल का ब्यौरा क्या है;

(घ) नए व्ययन संयंत्रों के उन्नयन/निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) व्ययन संयंत्रों का कब तक उन्नयन कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा नदी के अभिनिर्धारित प्रदूषित भागों में प्रदूषण उपशमन कार्य करने के लिए वर्ष 1985 से कुल 83 सीवेज़ शोधन संयंत्र स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 69 सीवेज़ शोधन संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) हाल के अनुमानों के अनुसार, गंगा नदी के किनारे बसे श्रेणी-I के शहरों और श्रेणी-II के कस्बों से प्रतिदिन लगभग 2723 मिलियन लीटर मलजल सृजित होता है। गंगा कार्य योजना के अंतर्गत इन शहरों में अब तक 1091 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की शोधन क्षमता सृजित की गई है। गंगा कार्य योजना और राज्य निधि योजनाओं दोनों के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों सहित संपूर्ण राज्य-वार शोधन क्षमता निम्नलिखित है:—

राज्य	श्रेणी-I के शहर		श्रेणी-II के शहर	
	मलजल सृजन (एमएलडी)	शोधन क्षमता (एमएलडी)	मलजल सृजन (एमएलडी)	शोधन क्षमता (एमएलडी)
उत्तराखंड	39.60	18	21.70	6.30
उत्तर प्रदेश	873.90	460.80	63.50	8.10
बिहार	376.50	165.20	30.70	4.20
पश्चिम बंगाल	1311.30	548.40	6.0	—
कुल	2601.30	1192.40	122.00	16.40

(घ) और (ङ) मिशन स्वच्छ गंगा के अधीन राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2020 तक कोई अशोधित नगरीय मलजल और औद्योगिक बहिस्राव गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा। मलजल शोधन अवसंरचना की कमी को

पूरा करने के लिए, मलजल नेटवर्कों के विकास, मलजल शोधन संयंत्रों, विद्युत शवदाहगृहों, सामुदायिक शौचालयों, नदी तटाग्रों के विकास आदि के लिए एनजीआरबीए के अंतर्गत लगभग 2600 करोड़ रु. की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। 19 शहरों में नई स्वीकृत परियोजनाएं 470 एमएलडी की अतिरिक्त शोधन क्षमता सृजित करेंगी। ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत सृजित की जा रही मलजल शोधन क्षमता को भी संपूरित करेंगी। राज्य भी विभिन्न गंगा बेसिन शहरों में नए सीवेज़ शोधन संयंत्रों के सृजन और मौजूदा एसटीपी के पुनरुद्धार/उन्नयन सहित प्रदूषण उपशमन कार्य करने के लिए नए परियोजना प्रस्ताव बनाने की तैयारी में लगे हैं। गंगा नदी की जल गुणवत्ता के संरक्षण और बहाली के लिए 8 वर्षों की अवधि में राज्यों से 7000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना कार्यान्वित की जानी है और राज्यों से इस परियोजना के अंतर्गत भी मलजल शोधन क्षमता सृजित करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।

[हिन्दी]

बाल श्रम

*128. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त गैर-सरकारी संगठनों को दी गई और उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई ऐसी योजना कार्यान्वित कर रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त पोषित की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना का उद्देश्य क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि और खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) देश में बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की संख्या और ब्यौरा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जा रहा है। तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत शामिल एनजीओ को जारी निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत, **"कन्वर्जिंग अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर: सपोर्ट फॉर इन्डियाज मॉडल"** शीर्षक से बाल श्रम संबंधी एक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम (आईएलओ/आईपीईसी) के सहयोग से 5 राज्यों के 10 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। यह बिहार (सीतामढ़ी, कटिहार), झारखंड (रांची, साहिबगंज), मध्य प्रदेश (जबलपुर, उज्जैन), गुजरात (वडोदरा, सूरत) और ओडिशा (कालाहांडी एवं कटक) प्रत्येक में दो जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना औपचारिक रूप से 31 जुलाई, 2010 को शुरू की गई थी। इस परियोजना का वित्तपोषण संयुक्त राज्य के श्रम विभाग (यूएसडीओएल) द्वारा किया जा रहा है तथा दाता अंशदान 6,850,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 37 करोड़ रुपये) है, जिसमें से अब तक संवितरित कुल बजट 3,836,514 अमेरिकी डॉलर (लगभग 21 करोड़ रुपये) है। भारत सरकार का अंशदान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना और अन्य प्रतिभागी योजनाओं के रूप में वस्तुरूप में है। परियोजना का उद्देश्य, 5-14 वर्ष के आयु समूह में उन बाल श्रमिकों और बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित पाए गए व्यक्तियों के निवारण, निवर्तन और पुनर्वास हेतु संकेंद्रण को एक प्रभावी साधन बनाना है।

विवरण

2009-10 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम	जारी की गयी अनुदान राशि (रुपयों)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय विकास संस्थान, 146, विधातानगर, भटिंडी रोड नेरवाल, जम्मू	4,57,650

1	2	3
2.	ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान, 6, शुभम अपार्टमेंट, नागपुर	3,55,444
3.	सामाजिक बहु-उद्देशीय संस्था, कमल टाकीज के पास, नागपुर-440017	4,95,787
4.	सोशियो ऑरियंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (सोफिया) फाउडेन, जिला थौबल, मणिपुर-795138	6,08,382
5.	अखिल मणिपुर महिला स्वैच्छिक सेवा, सागलबंद, एनएम लेन, इम्फाल (प.), मणिपुर-1	5,72,062
6.	ग्रामीण शिक्षा एवं खेलकूद विकास संघ (आरईएसडीए), वांगबल-1, जिला-थौबल, मणिपुर	6,40,764
7.	शहरी कल्याण संघ, निकट-एमएम गैस गोदाम, इम्फाल (प.), मणिपुर	76,275
8.	हंगल संयुक्त विकास संघ (एचयूडीए) मयंग, इम्फाल, मणिपुर	4,06,800
9.	शहरी ग्रामीण विकास एजेंसी (यूआरडीए), इम्फाल, मणिपुर	6,48,336
10.	रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्था, एस-14, मंडी परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर	4,57,650
11.	महिला समाज शिक्षा समिति, थाटीपुर, जिला-ग्वालियर	1,52,550
12.	अलोंगमैन बहु-उद्देशीय सहकारी समिति, अलोंगमैन वार्ड, मोकोचुंग, नागालैंड	62,829
13.	आंचलिक युवा परिषद्, लक्ष्मीनारायण हाट, डाकघर-शंकेश्वर, जिला-जगतसिंहपुर, ओडिशा	1,52,550
14.	नारायणी महिला मंडल, मुकाम-पाडनपुर, डाकघर-भीमपुर, वाया-जाटना, जिला-खुर्दा-752050	2,41,538
15.	संचार एवं विकास कार्रवाई संस्थान (आईसीडीए) मुकाम-नारीपुर, जिला-भद्रक-756100	3,04,600
16.	स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए) जिला, ओडिशा	3,78,325
17.	स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संघ (एएचईएडी) प्लीट 216 आरीलर्न, भुवनेश्वर-751020	4,32,225
18.	प्राकृतिक ग्रामीण विकास निगम (एनआरडीसी) निदाद्री, भुवनेश्वर, ओडिशा	4,57,649
19.	एमएम मालवीय विकलांग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	1,89,902
20.	कर्म बल विद्या निकेतन समिति, 2 एफ-43, महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान	25,425
21.	अकादमी ऑफ एजूकेशन सोसायटी, नगरपालिका कॉलोनी, निकट क्लाथ माता मंदिर, जिला-बारन	3,02,700
22.	हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 1/35, बजारिया अलीगंज, फतेहगढ़, जिला-फर्रूखाबाद	3,04,791
23.	जागृति फाउन्डेशन, बंजारिया रोड, खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश)	3,05,100

1	2	3
24.	हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति, 18/32, जज कॉलोनी, इलाहाबाद	2,28,825
25.	सरदार हमीदी तालीमी व समाजी मिशन, 196, चिल्ला, अमरोहा, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	2,91,809
26.	शांति महिला एवं बाल विकास परिषद्, ग्राम-नागवाल, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश	6,86,475
27.	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	1,27,950
28.	मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	2,28,825
29.	परियोजना स्वराज्य, गणेश घाट, कटक, ओडिशा	3,30,507
30.	दयानंद सरस्वती शिक्षा समिति, सिसवाली, जिला-बारन, राजस्थान	76,275
	महायोग	1,00,00,000

2010-11 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम	जारी की गयी अनुदान राशि (रुपयों)
1	2	3
1.	सरदार हमीदी तालीमी, अमरोहा उत्तर प्रदेश	3,05,100
2.	एनआईएसएसए, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा	3,81,375
3.	वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार	50,100
4.	समाज कल्याण शिक्षण संस्था, बस्ती, उत्तर प्रदेश	1,14,413
5.	राष्ट्रीय एकीकृत विकस सहायता संस्थान, ओडिशा	1,65,262
6.	आदर्श शिक्षा केन्द्र, खुर्दा, ओडिशा	3,47,792
7.	गणपत राव निम्बालकर एस मुक्ति आश्रम, लातूर, महाराष्ट्र	2,93,100
	2010-11 में कुल योग पुन: वैधीकृत	16,57,142

1	2	3
8.	वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार	3,22,900
9.	एनआरडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा	4,85,789
10.	आरईएसडीए, मणिपुर	7,62,750
11.	सोफिया, थौबल, मणिपुर	7,64,568
12.	ब्राइटवेज, विष्णुपुर, मणिपुर	10,29,712
13.	ओआरएसएसए, नयागढ़, मणिपुर	6,86,475
14.	आदर्श शिक्षा केन्द्र, जिला-खुर्दा, ओडिशा	3,38,683
15.	बहुजन हिताय बहुजन मंडल लातूर, महाराष्ट्र	6,86,475
16.	तेराखोंग एमनिंग महिला मंडल, मणिपुर	8,50,000
17.	सीआरयूएस, थौबल, मणिपुर	6,86,475
18.	एसओआरडीईवी, थौबल, मणिपुर	2,03,401
19.	एनआईएसएसए, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा	3,05,100
20.	राष्ट्रीय विकास संस्थान, जम्मू और कश्मीर	1,14,412
	2010-11 में जारी की गयी कुल राशि	89,93,882

क्र. सं.	2011-12 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान	जारी की गई अनुदान राशि (रुपयों)
1	2	3
1.	सरदार हमीदी तालीमी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश	88,989
2.	सरजूबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर **(+ क्रम संख्या 13)**	6,10,200
3.	यूआरडीए, मणिपुर	4,95,789
4.	आजाद नवयुवक मंडल, राजस्थान	4,57,650
5.	एचयूडीए, हंगुल, मणिपुर	2,79,775
6.	मानव सेवा समिति, राजस्थान	4,50,000
7.	सीईडीओ, मणिपुर **(+ क्रम संख्या 10)**	5,33,925
	2011-12 में पुन: वैधीकृत	29,16,328
8.	रवीन्द्र समृति समाज कल्याण एवं शोध संस्थान, मंडी, विजयपुर, जिला-शिवपुर, मध्य प्रदेश	3,43,337
9.	महिला समाज शिक्षा समिति	5,33,925
10.	सीईडीओ, मणिपुर **(+ क्रम संख्या 7)**	4,95,787
11.	आरईएसडीए, मणिपुर	3,12,674
12.	पेपल डवलेपमेंट सोसायटी, मणिपुर	4,06,800
13.	सरजूबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर **(+ क्रम संख्या 2)**	3,00,000
14.	हितेष ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	79,284
15.	वैशाली जन जागरण समिति, वैशाली, बिहार	2,49,913
16.	ऑल मणिपुर विमेन्स वालंटरी सर्विसेज, मणिपुर	9,53,438
17.	जन हितकारी संस्थान, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	6,10,200
18.	टेरा खोंग, मणिपुर	1,71,712
	कुल	73,73,398

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान अब तक जारी किए गए अनुदान शून्य हैं।

[अनुवाद]

प-१० 24-25

विदेशी पोतों के प्रवेश पर प्रतिबंध

***129. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :**
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गुजरात में अलंग शिपयार्ड और अन्य पत्तनों की ओर विषैले रसायन लेकर बढ़ रहे विदेशी पोतों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन पोतों को प्रवेश की अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) पुन:चक्रीयकरण के प्रयोजनों से अलंग की ओर बढ़ने वाले पोतों के मामले में, पोतों पर ज़हरीले रसायनों की मौजूदगी की पहचान करना एक ऐसा चरण है जो पोत-भंजन की तैयारी का भाग है। गुजरात में अलंग पोत भंजन यार्ड में वर्तमान में अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार किसी पोत को भारतीय जलसीमा में प्रवेश करने की अनुमति, गुजरात समुद्री बोर्ड (जीएमबी) द्वारा यह कहते हुए अपनी सहमति दे दिए जाने के बाद दी जाती है कि पोत में रेडियोएक्टिव/न्यूक्लियर अपशिष्टों सहित कोई ख़तरनाक कार्गो मौजूद नहीं है। जीएमबी इस प्रकार की सहमति परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) और सीमा

शुल्क प्राधिकारियों के परामर्श से जारी करता है। इसके बाद गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) को यह प्रमाणित करना होता है कि पोत में कोई खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ नहीं हैं, जिसके आधार पर जीएमबी द्वारा पोत को तट पर लगाए जाने और काटने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय की जानकारी में किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से उचित पोत पुनःचक्रीयकरण के लिए विनियमों पर एक संहिता तैयार करने के अलावा, सरकार ने पोतों के सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से उचित पुनःचक्रीयकरण के हांग कांग अंतर्राष्ट्रीय समझौते 2009 को अनुसमर्थन दिए जाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब तक किसी देश ने इस समझौते का अनुसमर्थन नहीं किया है।

21-32

हथकरघा बुनकरों के ऋणों को माफ करना

***130. श्री निशिकांत दुबे :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण देश में बुनकरों के लिए ऋण के रूप में वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों के ऋणों को माफ करने हेतु किसी योजना की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य द्वारा की गई मांग की तुलना में अलग-अलग हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों पर बकाया ऋण राशि की माफी हेतु स्वीकृत किए गए वित्तीय पैकेज और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी सहकारी समितियां और कितने बुनकर लाभान्वित हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके लाभ बुनकरों तक पहुंचे; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों हेतु हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार कितने बुनकर परिवार शामिल किए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 24.11.2011 को 3884 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के ''हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज'' का अनुमोदन किया है। इस 3884 करोड़ रुपये में से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रुपये है। इस पैकेज में पात्र व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों और बुनकर सहकारी सोसाइटियों की दिनांक 31.03.2010 को अतिदेय हुई राशियों के मूलधन का 100% और ब्याज का 25% ऋण माफी का प्रावधान है।

सरकार ने नए ऋणों के लिए 'हथकरघा क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण' भी शुरू किया है जिसे एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत परिचालित किया जा रहा है। ये हस्तक्षेप हैं:- (i) बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करना (ii) मंजूर किए गए नए ऋणों पर 3 वर्ष के लिए 3% की दर से ब्याज परिदान (iii) 4200/- रुपये प्रति व्यक्तिगत बुनकर की दर से मार्जिन राशि की सहायता और (iv) 3 वर्ष के लिए ऋण गारंटी। दिनांक 24.11.2011 से पहले बुनकरों के लिए ऋण की कोई योजना नहीं थी। विभिन्न स्रोतों से बुनकरों द्वारा लिए गए ऋण संबंधी आंकड़े, हथकरघा बुनकरों की दस वर्षीय संगणना में ही एकत्र किए गए हैं।

बुनकरों को योजना के बारे में जागरुक बनाने तथा बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बुनकरों से आवेदन पत्र एकत्र करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों, अग्रणी बैंकों, बुनकर सेवा केन्द्रों को शामिल रकते हुए समूचे देश में 674 शिविर आयोजित किए गए थे। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए आकाशवाणी का भी प्रयोग किया गया था। 9 क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलगू, उड़िया, असमी, कन्नड, मलयालम, बंगाली, मणिपुरी, डोगरी) और हिन्दी में 3 स्लाटों (प्रातः 8.00 बजे, अपराह्न 2.00 बजे और सायं 800 बजे) में समूचे भारत में दिनांक 16.8.2012 से 15.9.2012 तक 3 विज्ञापनों (जिंगल) में प्रसारण किया गया था।

24 राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.10.2012 तक बैंकों द्वारा 12454 बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और 4511 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं तथा 1407.98 लाख रुपये की राशि संवितरित की गई है।

दिनांक 15.11.2012 तक नाबार्ड द्वारा विशेष लेखा परीक्षा से ऋण माफी की राशि के लिए जिन सोसाइटियों का आंकलन किया गया है वह शीर्ष सोसाइटियों के लिए 180.13 करोड़ रुपये और प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के लिए 222.88 करोड़ रुपये सूचित की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 32081 व्यक्तिगत बुनकरों और 2399 स्वयं सहायता समूहों के लिए 71.10 करोड़ रुपये की राशि की पुनरीक्षा की है। इस प्रकार दिनांक 15.11.2012 तक कुल 474.11 करोड़ रुपये की राशि का आकलन किए जाने की सूचना दी गई है।

अब तक नाबार्ड ने 209.77 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और 27.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। नाबार्ड द्वारा मंजूर किए गए ऋण और जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

दिनांक 21.11.2012 तक नाबार्ड द्वारा मंजूर और जारी की गई ऋण माफी की राशि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मंजूर की गई राशि	जारी की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	128.23	10.00
2.	गुजरात	1.35	1.15
3.	कर्नाटक	0.50	—
4.	केरल	20.85	1.76
5.	मध्य प्रदेश	0.08	0.08
6.	ओडिशा	7.65	7.65
7.	सिक्किम	0.08	0.07
8.	तमिलनाडु	33.29	—
9.	उत्तराखंड	0.28	0.26
10.	उत्तर प्रदेश	17.46	6.53
	कुल	209.77	27.50

विभिन्न राज्यों द्वारा योजना के तहत राज्य का हिस्सा अभी तक नाबार्ड को जारी न किए जाने के कारण मंजूर और जारी की गई राशि के बीच अंतर है। मंत्रालय यह मामला राज्यों के साथ हमेशा ही प्रभावशाली ढंग से उठाता रहा है।

(घ) दिनांक 21.11.2012 तक लाभार्थियों के रूप में राज्य-वार जिन सहकारी सोसाइटियों और बुनकरों की पहचान की गई है उनकी संख्या नीचे दी गई है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	शीर्ष सोसाइटी	प्राथमिक सोसाइटी	एसएचजी सहित व्यक्तिगत बुनकर
1.	आंध्र प्रदेश	1	249	4899 एवं 10 सीएचजी
2.	गुजरात	2	—	—
3.	कर्नाटक	—	—	201
4.	केरल	—	60	966
5.	मध्य प्रदेश	—	—	44
6.	ओडिशा	—	—	4104
7.	सिक्किम	—	1	—
8.	तमिलनाडु	1	—	468
9.	उत्तराखंड	—	1	42
10.	उत्तर प्रदेश	4	0	14613
	कुल	8	311	25337 एवं 10 सीएचजी

(ङ) जी, हां। सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों के लिए हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना कार्यान्वित की है। इसके ये दो घटक हैं:— (i) देश में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'स्वास्थ्य बीमा योजना' और (ii) स्वभाविक/आकस्मिक मृत्यु होने पर हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवच प्रदान करने के लिए 'महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना'। योजना के तहत दर्ज राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य-वार दर्ज ब्यौरा

राज्य का नाम	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना		स्वास्थ्य बीमा योजना	
	2011-12	2012-13 (30.9.12 तक)	बीमा वर्ष 2010-11	बीमा वर्ष 2011-12 (31.10.12 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	77378	35210	140000	103038
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1787	6015
असम	54810	19045	355322	0
बिहार	0	107	46300	45200
छत्तीसगढ़	1582	340	4900	4910
दिल्ली	3572	2758	500	0
गुजरात	5926	0	5000	4910
गोवा	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	23100	21500
हिमाचल प्रदेश	6217	1901	11900	9880
जम्मू और कश्मीर	468	318	15000	11121
झारखंड	0	0	15000	13500
कर्नाटक	41448	0	45000	41596
केरल	11263	1192	18900	14586
मध्य प्रदेश	1464	435	18030	15000
महाराष्ट्र	1086	49	1527	1147
मणिपुर	16235	0	34587	40593

1	2	3	4	5
मेघालय	14000	0	30000	31276
मिजोरम	59	0	1129	1430
नागालैंड	0	0	50000	41582
ओडिशा	33195	4774	48300	38828
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	0	0	0
राजस्थान	2986	243	4965	4150
सिक्किम	104	40	400	288
तमिलनाडु	264992	0	314253	258250
त्रिपुरा	0	490	21851	13872
उत्तर प्रदेश	11449	3757	202325	121703
उत्तराखंड	1423	340	4000	2850
पश्चिम बंगाल	41906	3432	352300	312378
कुल	591564	74458	1766377	1159020

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार

*131. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण देश में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दोषसिद्धि में कमी और मामलों के लंबित रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन और इस संबंध में लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय दंड संहिता अपराधों के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रकरणों के संबंध में न्यायालयों में दोषसिद्धि और लंबिता की दर निम्नानुसार है:—

सारणी-I

वर्ष	दोषसिद्धि दर (प्रतिशत)
2009	29.4
2010	33.7
2011	30.0

सारणी-II

वर्ष	लंबित प्रकरण (प्रतिशत)
2009	80.5
2010	79.1
2011	79.9

उक्त आंकड़ों से 2009-2011 की अवधि की तुलना में सीमान्त परिवर्तन प्रदर्शित होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के मद्देनजर, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है:—

(क) प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण;

(ख) पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास; और

(ग) जागरुकता सृजन इत्यादि।

(ii) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23.12.2011 की अधिसूचना के द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नियमों में संशोधन किए हैं और विभिन्न प्रकार के अत्याचार पीड़ितों के लिए सामान्यतया राहत के न्यूनतम पैमाने में 150% की बढ़ोत्तरी की है।

(iii) केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2006 में गठित समिति ने अभी तक 20 बैठकें संपन्न की हैं जिनमें 24 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा चुकी है। समीक्षा से उभरने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

(iv) इस मंत्रालय के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन" पर दिनांक 17.04.2012 को राज्यों के गृह और सामाजिक न्याय/कल्याण मंत्रियों, गृह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास विभागों के प्रधान सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की एक दिवसीय बैठक आयोजित की थी।

(v) अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की, अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित सामाजिक न्याय/कल्याण प्रभारी मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलन में समीक्षा की जाती है।

(vi) केन्द्रीय सरकार भी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अक्षरशः कार्यान्वयन हेतु प्रकरणों के त्वरित विचारण के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों के गठन, जांच अधिकारियों के सुग्राहीकरण, जन जागरुकता कार्यक्रम, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान पर विशेष जोर देते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक सतत् प्रक्रिया के रूप में और दोषसिद्धि में समाप्त प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए संबोधित करती रहती है।

विवरण

2009-11 के दौरान भारतीय दंड संहिता अपराधों के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत में न्यायालयों में निपटाए गए, दोषसिद्धि में समाप्त प्रकरणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	पिछले प्रकरणों सहित न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या	न्यायालयों द्वारा निपटाए गए प्रकरण				
			वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरणों की संख्या	निपटाए गए प्रकरणों के वर्ष के दौरान दोषसिद्धि में समाप्त प्रकरणों की संख्या	निपटाए गए प्रकरणों के वर्ष के दौरान दोषमुक्ति में समाप्त प्रकरणों की संख्या	समझौता किए गए अथवा वापस लिए गए प्रकरण	वर्ष की समाप्ति पर न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
			राज्य				
आंध्र प्रदेश	2009	7454	2197	291 (13.2)	1906 (86.8)	80	5177 (69.5)
	2010	7730	2171	294 (13.5)	1877 (86.5)	149	5410 (70)
	2011	7894	2697	297 (11)	2400 (89)	83	5114 (64.8)
अरुणाचल प्रदेश	2009	231	0	0	0	0	231 (100)
	2010	269	4	1 (25)	3 (75)	0	265 (98.5)
	2011	285	21	16 (76.2)	5 (23.8)	1	263 (92.3)
असम	2009	312	55	4 (7.3)	51 (92.7)	0	257 (82.4)
	2010	282	27	3 (11.1)	24 (88.9)	0	255 (90.4)

1	2	3	4	5	6	7	8
	2011	274	41	2 (4.9)	39 (95.1)	0	233 (85)
बिहार	2009	8820	1886	225 (11.9)	1661 (88.1)	62	6872 (77.9)
	2010	9235	1419	163 (11.5)	1256 (88.5)	40	7776 (84.2)
	2011	11721	1914	208 (10.9)	1706 (89.1)	0	9807 (83.7)
छत्तीसगढ़	2009	3747	690	197 (28.6)	493 (71.4)	4	3053 (81.5)
	2010	3851	845	263 (31.1)	582 (68.9)	38	2968 (77.1)
	2011	3526	825	246 (29.8)	579 (70.2)	51	2650 (75.2)
गोवा	2009	7	0	0	0	0	7 (100)
	2010	8	0	0	0	0	8 (100)
	2011	9	2	0	2 (100)	0	7 (77.8)
गुजरात	2009	10094	818	54 (6.6)	764 (93.4)	20	9256 (91.7)
	2010	10368	931	80 (8.6)	851 (91.4)	0	9437 (91)
	2011	10555	751	18 (2.4)	733 (97.6)	11	9793 (92.8)
हरियाणा	2009	852	274	50 (18.2)	224 (81.8)	2	576 (67.6)

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	858	303	70 (23.1)	233 (76.9)	0	555 (64.7)
	2011	830	262	34 (13)	228 (87)	0	568 (68.4)
हिमाचल प्रदेश	2009	230	58	12 (20.7)	46 (79.3)	20	152 (66.0)
	2010	208	25	6 (24)	19 (76)	16	167 (80.3)
	2011	230	34	2 (5.9)	32 (94.1)	2	194 (84.3)
झारखंड	2009	1770	575	165 (28.7)	410 (71.3)	2	1193 (67.4)
	2010	1769	571	146 (25.6)	425 (74.4)	3	1195 (67.4)
	2011	1640	413	104 (25.2)	309 (74.8)	2	1225 (74.7)
कर्नाटक	2009	7670	1786	37 (2.1)	1749 (97.9)	13	5871 (76.5)
	2010	7863	1812	90 (5)	1722 (95)	7	6044 (76.9)
	2011	8223	1673	112 (6.7)	1561 (93.3)	19	6531 (79.4)
केरल	2009	1546	325	32 (9.8)	293 (90.2)	7	1214 (78.5)
	2010	1629	221	23 (10.4)	198 (89.6)	10	1398 (85.8)
	2011	1822	234	23 (9.8)	211 (0.2)	2	1586 (87)

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	2009	17507	3712	1423 (38.3)	2289 (61.7)	259	13535 (77.3)
	2010	18160	4186	1454 (34.7)	2732 (65.30)	384	13590 (74.8)
	2011	17982	4020	1192 (29.7)	2828 (70.3)	176	13786 (76.7)
महाराष्ट्र	2009	8196	953	61 (6.4)	892 (93.6)	9	7234 (88.3)
	2010	8356	1079	44 (4.1)	1035 (95.9)	15	7262 (89.9)
	2011	8466	983	53 (5.4)	930 (94.6)	10	7473 (88.2)
मणिपुर	2009	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0
मेघालय	2009	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	2009	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	2009	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	2009	9195	916	75 (8.2)	841 (91.8)	0	8279 (90)

1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	10602	1776	180 (10.1)	1596 (89.9)	0	8826 (83.2)
	2011	10649	1661	148 (8.9)	1513 (91.1)	0	8988 (84.4)
पंजाब	2009	342	78	8 (10.3)	70 (89.7)	0	264 (77.2)
	2010	315	62	12 (19.4)	50 (80.6)	1	252 (80)
	2011	230	43	9 (20.9)	34 (79.1)	0	187 (81.3)
राजस्थान	2009	12868	1990	855 (43)	1135 (57)	130	10748 (83.5)
	2010	13400	1695	702 (41.4)	993 (58.6)	181	11524 (86)
	2011	14263	2186	898 (41.1)	1288 (58.9)	262	11815 (82.8)
सिक्किम	2009	38	22	18 (81.8)	4 (18.2)	0	16 (42.1)
	2010	22	0	0	0	0	22 (100)
	2011	35	18	14 (77.8)	4 (22.2)	2	15 (42.9)
तमिलनाडु	2009	3398	807	104 (12.9)	703 (87.1)	1	2590 (76.2)
	2010	3635	766	189 (24.7)	577 (75.3)	30	2839 (78.1)
	2011	3727	801	293 (36.6)	508 (63.4)	0	2926 (78.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	2009	45	34	18 (52.9)	16 (47.1)	0	11 (24.4)
	2010	51	30	8 (26.7)	22 (73.3)	0	21 (41.2)
	2011	56	17	2 (11.8)	15 (88.2)	0	39 (69.6)
उत्तर प्रदेश	2009	29751	6077	3193 (52.5)	2884 (47.5)	338	23336 (78.4)
	2010	27527	7540	4852 (64.4)	2688 (35.6)	48	19939 (72.4)
	2011	25781	6531	3854 (59)	2677 (41)	14	19236 (74.6)
उत्तराखंड	2009	274	61	30 (49.2)	31 (50.8)	4	209 (76.3)
	2010	232	78	40 (51.3)	38 (48.7)	0	154 (66.4)
	2011	175	42	26 (61.9)	16 (38.1)	0	133 (76)
पश्चिम बंगाल	2009	57	2	0	2 (100)	0	55 (96.5)
	2010	82	3	0	3 (100)	0	79 (96.3)
	2011	141	12	0	12 (100)	0	129 (91.5)
			संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2009	24	0	0	0	0	24 (100)
	2010	25	6	0	6 (100)	0	19 (76)

1	2	3	4	5	6	7	8
	2011	26	0	0	0	0	26 (100)
चंडीगढ़	2009	3	0	0	0	0	3 (100)
	2010	3	0	0	0	0	3 (100)
	2011	4	0	0	0	0	4 (100)
दादरा और नगर हवेली	2009	30	4	1 (25)	3 (75)	0	26 (86.7)
	2010	30	3	1 (33.3)	2 (66.7)	0	27 (90)
	2011	30	0	0	0	0	30 (100)
दमन और दीव	2009	2	0	0	0	0	2
	2010	2	1	0	1 (100)	0	1 (50)
	2011	1	0	0	0	0	1 (100)
दिल्ली	2009	68	3	0	3 (100)	0	65 (95.6)
	2010	68	19	7 (36.8)	12 (63.2)	0	49 (72.1)
	2011	61	14	3 (21.4)	11 (78.6)	0	47 (77)
लक्षद्वीप	2009	1	0	0	0	0	1 (100)
	2010	1	0	0	0	0	1 (100)

1	2	3	4	5	6	7	8
	2011	1	1	1 (100)	0	0	0
पुदुचेरी	2009	5	0	0	0	0	5 (100)
	2010	12	0	0	0	0	12 (100)
	2011	15	2	1 (50)	1 (50)	0	13 (86.7)
अखिल भारतीय	2009	124538	23324	6848 (29.4)	16476 (70.6)	951	100263 (80.5)
	2010	126593	25573	8628 (33.7)	16945 (66.3)	922	100098 (79.1)
	2011	128652	25200	7556 (30)	17644 (70)	635	102817 (79.9)

नोट:— (i) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है।

(ii) लघु कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

*132. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण संरक्षण और वनों के परिरक्षण से संबंधित मामलों के कारगर और शीघ्र निपटान हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसकी स्थापना से लेकर अब तक कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार कुल कितने मामलों का निपटान किया गया और कितने मामले लम्बित हैं; और

(ङ) लम्बित मामलों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरणीय सुरक्षा और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों, जिनमें पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और व्यक्तियों एवं संपत्ति की क्षति की भरपाई के लिए राहत एवं क्षतिपूर्ति देने तथा इससे जुड़े या आनुषंगिक मामले शामिल हैं, के कारगर और शीघ्र निपटान के लिए एनजीटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 18.10.2010 को 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (एनजीटी) की स्थापना की गई है।

(ग) दिनांक 23.11.2012 तक, एनजीटी में कुल 569 मामले (अपीलों, आवेदनों, एम.ए. और अंतरित मामलों सहित) दायर किए गए हैं।

(घ) दिनांक 23.11.2012 तक कुल 290 मामले निपटाए गए और 279 मामले लंबित हैं।

(ङ) मामले को उसकी सांविधिक अवधि के भीतर निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। सांविधिक अवधि की गणना एनजीटी अधिनियम में यथा उपबंधित मामले को दर्ज करने की तारीख से की जाती है। एनजीटी में मामलों का विचारण और लम्बित रहना एक सतत् प्रक्रिया है।

51-52

पर्यावरण का संरक्षण

*133. श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री नलिन कुमार कटील :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न घाट इकोलोजी एक्सपर्ट पैनल ने पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न राज्यों में खनन और औद्योगिक विकास पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है तथा देश में कृषि को बढ़ावा देने हेतु अनेक मार्गोपाय का भी सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैनल द्वारा की गई सिफारिशों/दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, (i) पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों का सीमांकन करने, (ii) इन पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी उपायों की सिफारिश करने, (iii) इस पर्यावरणीय संवेदी और पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के परिरक्षण, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए उपायों की सिफारिश करने और (iv) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश हेतु प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में दिनांक 4 मार्च, 2010 को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) का गठन किया था। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

डब्ल्यूजीईईपी ने पैनल द्वारा यथा सीमांकित तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में फैले पश्चिमी घाट क्षेत्र में विभिन्न प्रस्तावित पारिसंवेदी क्षेत्रों हेतु सामान्य क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है। इन दिशा-निर्देशों में कृषि, भूमि उपयोग, खनन, उद्योग, पर्यटन, जल संसाधन, विद्युत, सड़क और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणी/विचार मांगते हुए औपचारिक परामर्शी प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके जबाव में केरल, गोवा और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से विस्तृत टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं परन्तु कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात की तीन अन्य राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। जिन राज्यों से जबाव प्राप्त हुए हैं सभी ने इस आधार पर डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है कि यह राज्यों के विकास को प्रतिकूलत: प्रभावित करेगी। कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों ने भी डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां दी हैं।

मंत्रालय ने पणधारियों की टिप्पणियों/विचारों को 45 दिनों के अंदर मंगाने के लिए दिनांक 23 मई, 2012 को डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया था जिसकी समयावधि पहले ही 6 जुलाई, 2012 को समाप्त हो चुकी है। मंत्रालय को पणधारियों से बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों/पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों तथा बहुमूल्य जैवविविधता के परिरक्षण, स्थानीय एवं देशी लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं, क्षेत्र के सतत् विकास तथा पर्यावरणीय अखंडता, जलवायु परिवर्तन एवं केन्द्र राज्य संबंधों के संवैधानिक निहितार्थ जैसे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल रिपोर्ट के संबंध में सरकार को आगे की कार्रवाई करने की सिफारिश के आलोक में समग्र एवं बहु-आयामी रीति से वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट की जांच करने हेतु दिनांक 17.08.2012 के कार्यालय आदेश द्वारा डॉ. के. कस्तुरीरंगन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया है।

52-53

श्रीलंका में ऑटो विशेष आर्थिक जोन

*134. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंजीनियरी उत्पादों और ऑटोमोबाइल कलपुर्जों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए श्रीलंका में एक अनन्य विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने श्रीलंका में ऐसे विशेष आर्थिक जोन की स्थापना से इन वस्तुओं के निर्यात और भारतीयों के लिए रोजगार अवसरों पर भी पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) अगस्त, 2012 में वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र मंत्री के श्रीलंका दौरे के दौरान एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी कि श्रीलंका में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना में भारत सहायता करेगा, जिसका फोकस अभियांत्रिक उत्पादों और ऑटोमोबाइल संघटकों पर होगा।

(ग) श्रीलंका सरकार ने भारत से निवेश प्राप्त करने के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, श्रीलंका में परिकल्पित एसईजेड के प्रचालन के पैमाने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भेषज उत्पादों का निर्यात

***135. श्री ए. गणेशमूर्ति :**
श्री संजय भोई :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषज उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के तौर-तरीके सुझाने हेतु एक सलाहकार समूह स्थापित किया है, जिसमें सरकारी अधिकारी और उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समूह का अधिदेश क्या है;

(ग) क्या इस समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार भेषज उत्पादों के लिए नए विनियम जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विनियम विदेशों में भारतीय दवाओं की गुणवत्ता के विरुद्ध जारी प्रतिकूल अभियान को रोकने में किस हद तक सहायक होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) वहनीय, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त औषधियों के स्रोत के रूप में भारत की ब्रांड छवि के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार और भारतीय भेषज उद्योग के नेतृत्वकर्त्ताओं के बीच परामर्श के नियमित संस्थागत तंत्र हेतु दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शी समूह गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, समूह द्वारा वैश्विक भेषज बाजार में भारत के हिस्से को बढ़ाने, निर्यात हेतु दीर्घावधिक सम्पोषणीयता के लिए गुणवत्तायुक्त अवसंरचना के विकास, अभिनवीनताओं को सुदृढ़ बनाने के तरीकों तथा निर्यात हेतु भेषज क्षेत्र में निवेश के संवर्धन की दिशा में सरकार को सलाह दिया जाना अपेक्षित है।

(ग) दिनांक 3 जुलाई, 2012 को नई दिल्ली में परामर्शी समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विस्तृत विचार-विमर्श के बाद भारतीय भेषज उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों में अनुसंधान एवं विकास तथा अभिनवीनता के संवर्धन पर विशेष बल, अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा विश्व भर के विभिन्न देशों में व्यापार बाधाओं से निपटने में उद्योग जगत की सहायता संबंधी सिफारिशें शामिल हैं। ऐसे मुद्दों को, जिन्हें उठाए जाने की आवश्यकता है, सरकार द्वारा सुधारात्मक उपायों हेतु वरीयता दी गई है।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कि भारत से केवल गुणवत्तायुक्त औषधियों का निर्यात किया जाए, भारत सरकार ने देश से भेषज उत्पादों के निर्यात के संबंध में ट्रेस एवं ट्रैक विशेषताओं को अनिवार्य कर दिया है। सरकार की इस पहल से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय औषधियों की गुणवत्ता के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों से निपटने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय औषधियों की गुणवत्ता के संबंध में किसी शंका के समाधान हेतु अपने प्रयास जारी रखे हैं।

54-57

चाय बोर्ड के विकासात्मक कार्य

***136. श्री महेन्द्र कुमार राय :**
शेख सैदुल हक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान चाय बोर्ड द्वारा शुरू किए गए विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इनका देश में चाय की उत्पादकता बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में क्या प्रभाव रहा है;

(ख) विश्व बाजार और घरेलू बाजार में अपनी स्थिति में सुधार लाने हेतु चाय बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय बोर्ड अपनी मूल विनियामक भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या अनेक छोटे चाय उत्पादक चाय बोर्ड के विनियम की परिधि से अभी भी बाहर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) पिछले 3 वर्षों में चाय बोर्ड द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यकलापों में पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय की पुरानी तथा अलाभकारी झाड़ियों का पुनर्रोपण/पुनरुज्जीवन, सिंचाई तथा परिवहन सुविधा का सृजन, लघु एवं सीमांत जोतों का सामूहिकीकरण, गुणवत्ता उन्नयन, मूल्यवर्धन, उत्पाद प्रमाणन, परंपरागत तथा हरी चाय के उत्पाद एवं नवरोपण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

उपर्युक्त कार्यकलापों के प्रभावस्वरूप उत्पाद, गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि और चाय की कीमतों में सुधार हुआ है जैसाकि नीचे तालिका-1 और 2 में पिछले तीन वर्षों के साथ तुलना करने से प्रदर्शित होता है:—

तालिका-1 मिलियन किग्रा. में उत्पादन — वर्ष 2006-07 से पंचवर्षीय चल औसत

	क. 2006-09 के दौरान उत्पादन			ख. 2009-12 के दौरान उत्पादन		
वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन	911	939	958	975	978	979

तालिका-2 भारत में निर्मित चाय के प्रति किग्रा. हेतु सार्वजनिक नीलामी में चाय की कीमतें

	क. 2006-08 के दौरान कीमतें			ख. 2009-11 के दौरान कीमतें		
वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010	2011
कीमतें	66.01	67.27	86.99	105.60	104.66	104.06

(ख) चाय बोर्ड कारखाना आधुनिकीकरण जिसमें पुरानी तथा जीर्ण प्रसंस्करण मशीनों का प्रतिस्थापन, पैकेजिंग, ब्लेंडिंग तथा टी बैगिंग द्वारा मूल्यवर्धन, कारखानों का गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन शामिल हैं, के माध्यम से गुणवत्ता सुधार हेतु पहलें कर रहा है। इसके अतिरिक्त निर्यातित चाय के साथ-साथ पुनर्निर्यात हेतु आयातित चाय का प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उत्तर तथा दक्षिण भारत में एक-एक निर्यात परिषद् की स्थापना की जा रही है। 12वीं योजना अवधि के पांच वर्षों में पांच विशिष्ट कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से पांच संभावनापूर्ण बाजारों अर्थात् यूएसए, रूस, कजाकिस्तान, ईरान और मिस्र को होने वाले निर्यात पर फोकस करने के लिए एक विशेष संवर्धनात्मक परियोजना "प्रोजेक्ट 5-5-5" तैयार की गई है।

(ग) और (घ) चाय बोर्ड, चाय अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत जारी आदेशों के अनुसार विनियामक की अपनी मूलभूत भूमिका का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सफल रहा है। चाय उद्योग के विनियमन हेतु निष्पादित विशिष्ट कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:—

- चाय की खेती के लिए अनुमति प्रदान करना;
- निर्यातकों, चाय वितरक को लाइसेंस जारी करना;

(ग) अनुमोदित सड़क अपेक्षा योजना में से तीन प्रस्तावों के लिए संशोधित/अध्यतन परियोजना लागत प्राक्कलन छत्तीसगढ़ सरकार से अभी प्राप्त होने बाकी हैं।

(घ) गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (अक्तूबर, 2012 तक) अभिनिर्धारित सड़क लंबाई, संस्वीकृत कार्यों, पूर्ण कर ली गई लंबाई, आबंटित निधियों तथा व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

राज्य	अभिनिर्धारित लंबाई (किमी.)	संस्वीकृत कार्य (किमी.)	पूर्ण कर ली गई लंबाई (किमी.)	व्यय किए जाने हेतु संस्वीकृत/ आबंटित निधियां (करोड़ रु.)	किया गया व्यय (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	620	620	428	751	521
बिहार	674	674	543	558	444
छत्तीसगढ़	2092	1968	452	740	549
झारखंड	753	760	64	345	225
मध्य प्रदेश	237	237	72	126	54
महाराष्ट्र	420	470	209	400	220
ओडिशा	614	614	104	549	304
उत्तर प्रदेश	67	74	19	54	29
जोड़	5477	5417	1891	3523	2346

(ङ) छत्तीसगढ़ में 229 किमी. लंबाई के सात कार्य ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण विलंबित हुए हैं। सभी परियोजनाओं को मार्च, 2015 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

59-61

इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण मोड के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं का कार्य दिया जाना

*138. श्री जोस के. मणि :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.के. चतुर्वेदी समिति ने अपने वाटरफॉल मैकेनिज्म कन्सेप्ट के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और अंतरण मोड के स्थान पर इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण मोड की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण मोड के अंतर्गत परियोजनाएं देने हेतु अपनी स्वीकृति देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क)

और (ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 3000 किमी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से इतर, के अंतर्गत 1592 किमी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए एक लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) सरकार ने बी.के. चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अनुमोदित किया था कि परियोजनाओं को पहले बीओटी (पथकर) पर परखा जाएगा और गैर-व्यवहार्यता/अल्प प्रतिक्रिया के मामले में उनको बीओटी (वार्षिकी) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ऐसा न होने पर उनको इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) विधि पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि यातायात 5000 यात्री कार यूनिटों से कम है तो परियोजनाओं को सीधे ईपीसी पर शुरू किया जाएगा।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने 100% वित्त पोषण पर ईपीसी विधि से कुछ सड़क परियोजनाओं जो निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (बीओटी) (पथकर/वार्षिकी) विधि पर व्यवहार्य नहीं है, को शुरू करने का निर्णय लिया है।

विभिन्न राज्यों में अनुमानत: 32 खंडों को ईपीसी विधि पर शुरू करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

रोजगार वृद्धि

***139. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
श्री एंटो एंटोनी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी की राज्य-वार वृद्धि दर क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार वृद्धि के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रोजगार वृद्धि दर में गिरावट, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में, विशेषकर आरक्षित श्रेणियों में रोजगार वृद्धि में सुधार करने तथा बेरोजगारी में वृद्धि दर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि वर्ष 2007 में 272.76 लाख से बढ़कर वर्ष 2010 में 287.08 लाख हो गई है और इस प्रकार प्रति वर्ष 1.75 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर दर्ज हुई है। इसमें निजी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 5.65 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मुख्यत: सही आकार करने के कारण 0.26 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज हुई है। वर्ष 2007, 2008, 2009 और 2010 की अवधि के लिए संगठित क्षेत्र में राज्य-वार रोजगार संलग्न विवरण-I में दिया गया है। तथापि, रोजगार वृद्धि हेतु राज्य-वार लक्ष्य केन्द्रीय रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कराए जाने वाले पंचवार्षिक श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। पिछली दो सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर 2004-05 के दौरान 2.3 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 के दौरान 2.0 प्रतिशत थी। राज्य-वार बेरोजगारी दरें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) सरकार ने देश में बेरोजगारी कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनता के जीवनयापन की परिस्थितियों में सामान्य सुधार लाने के लिए उसकी आय में वृद्धि हेतु तीव्र गति से उत्पादक रोजगार के सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। भारत सरकार अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणियों सहित विभिन्न समूहों के बीच बेरोजगारी कम करने के लिए स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करती रही है।

विवरण-I

2007 से 2010 तक संगठित क्षेत्र में राज्य-वार रोजगार

रोजगार (लाख)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार			31.3.2008 की स्थिति के अनुसार			31.3.2009 की स्थिति के अनुसार			31.3.2010 की स्थिति के अनुसार		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.36	0.03	0.38	0.35	0.02	0.37	0.36	0.02	0.38	0.36	0.02	0.38
आंध्र प्रदेश	13.77	6.49	20.26	13.66	7.25	20.91	13.52	7.25	20.76	14.46	7.36	21.82
असम	5.20	6.01	11.21	5.25	6.47	11.73	5.27	5.62	10.89	5.31	5.83	11.14
बिहार	3.90	0.23	4.13	3.70	0.24	3.93	4.04	0.26	4.30	3.96	0.26	4.23
चंडीगढ़	0.58	0.30	0.88	0.58	0.43	1.01	0.57	0.47	1.04	0.54	0.45	1.00
छत्तीसगढ़	2.98	0.32	3.30	3.07	0.35	3.42	3.09	0.35	3.44	2.93	0.36	3.29
दमन और दीव	0.02	0.13	0.15	0.02	0.13	0.15	0.01	0.14	0.15	0.01	0.14	0.15
दिल्ली	6.01	2.29	8.30	5.55	2.36	7.91	5.92	2.51	8.43	5.96	2.65	8.61
गोवा	0.80	0.52	1.32	0.80	0.53	1.33	0.81	0.57	1.38	0.82	0.58	1.40
गुजरात	7.96	10.14	18.09	7.86	10.53	18.39	7.98	11.06	19.05	7.86	11.96	19.82
हरियाणा	3.83	2.84	6.67	3.81	2.86	6.67	3.79	2.90	6.70	3.78	2.89	6.67
हिमाचल प्रदेश	2.55	0.84	3.38	2.61	1.05	3.65	2.58	1.14	3.72	2.68	1.20	3.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर	2.00	0.11	2.10	2.00	0.11	2.10	2.00	0.11	2.10	2.00	0.11	2.10
झारखंड	12.43	2.90	15.33	12.43	3.12	15.55	12.43	3.12	15.55	12.71	3.37	16.08
कर्नाटक	10.46	10.35	20.81	10.53	10.94	21.47	10.52	11.82	22.34	10.62	12.23	22.85
केरल	6.03	5.03	11.06	6.10	5.08	11.18	6.13	5.18	11.32	6.13	4.98	11.11
मध्य प्रदेश	8.91	1.51	10.43	8.56	1.38	9.95	8.61	1.47	10.08	8.47	1.48	9.94
महाराष्ट्र	21.81	15.66	37.46	19.80	17.03	36.82	21.19	20.02	41.22	20.78	21.77	42.55
मणिपुर	0.76	0.03	0.79	0.76	0.03	0.79	0.76	0.03	0.79	0.76	0.03	0.79
मेघालय	0.73	0.09	0.82	0.73	0.09	0.82	0.36	0.04	0.41	0.37	0.06	0.43
मिजोरम	0.40	0.01	0.42	0.40	0.01	0.42	0.40	0.01	0.42	0.40	0.01	0.42
नागालैंड	0.71	0.05	0.76	0.71	0.06	0.77	0.72	0.04	0.76	0.74	0.04	0.79
ओडिशा	6.16	0.86	7.03	5.77	0.88	6.64	6.11	1.04	7.15	6.08	1.19	7.27
पुदुचेरी	0.41	0.25	0.66	0.40	0.29	0.69	0.41	0.29	0.69	0.41	0.29	0.69
पंजाब	4.97	3.11	8.08	5.20	3.25	8.44	4.56	3.32	7.88	4.88	3.38	8.26
राजस्थान	9.52	2.49	12.01	9.48	2.73	12.21	9.60	2.97	12.57	9.57	3.12	12.69
तमिलनाडु	14.92	7.57	22.49	15.01	8.40	23.41	14.97	8.65	23.62	14.80	8.85	23.65
त्रिपुरा	1.33	0.13	1.45	1.47	0.13	1.60	1.39	0.05	1.44	1.37	0.04	1.41
उत्तर प्रदेश	16.30	4.83	21.13	16.19	4.95	21.14	16.15	5.06	21.21	16.32	5.21	21.53
उत्तराखंड	2.10	0.44	2.54	2.17	0.49	2.66	2.07	0.54	2.61	2.11	0.78	2.88
पश्चिम बंगाल	12.14	7.18	19.32	11.80	7.58	19.37	11.61	7.72	19.34	11.44	7.83	19.27
अखिल-भारत	180.02	92.74	272.76	176.74	98.75	275.49	177.95	103.77	281.72	178.62	108.46	287.08

विवरण-II

वर्ष 2004-05 और 2009-10 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर राज्य-वार (ग्रामीण एवं शहरी) बेरोजगारी दरें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2009-10	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.7	3.6	1.2	3.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.9	1.2	1.3	3.4
3.	असम	2.6	7.2	3.9	5.2
4.	बिहार	1.5	6.4	2.0	7.3
5.	छत्तीसगढ़	0.6	3.5	0.6	2.9
6.	दिल्ली	1.9	4.8	1.7	2.6
7.	गोवा	11.1	8.7	4.7	4.1
8.	गुजरात	0.5	2.4	0.8	1.8
9.	हरियाणा	2.2	4.0	1.8	2.5
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	3.8	1.6	4.9
11.	जम्मू और कश्मीर	1.5	4.9	2.5	6.0
12.	झारखंड	1.4	6.5	3.9	6.3
13.	कर्नाटक	0.7	2.8	0.5	2.7
14.	केरल	10.7	15.6	7.5	7.3
15.	मध्य प्रदेश	0.5	2.8	0.7	2.9
16.	महाराष्ट्र	1.0	3.6	0.6	3.2
17.	मणिपुर	1.1	5.5	3.8	4.8
18.	मेघालय	0.3	3.5	0.4	5.1
19.	मिजोरम	0.3	1.9	1.3	2.8

1	2	3	4	5	6
20.	नागालैंड	1.8	5.5	10.6	9.2
21.	ओडिशा	5.0	13.4	3.0	4.2
22.	पंजाब	3.8	5.0	2.6	4.8
23.	राजस्थान	0.7	2.9	0.4	2.2
24.	सिक्किम*	2.4	3.7	4.3	0
25.	तमिलनाडु	1.2	3.5	1.5	3.2
26.	त्रिपुरा	13.3	28	9.2	17.1
27.	उत्तराखंड	1.3	5.4	1.6	2.9
28.	उत्तर प्रदेश	0.6	3.3	1.0	2.9
29.	पश्चिम बंगाल	2.5	6.2	1.9	4.0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.2	8.8	8.0	8.4
31.	चंडीगढ़	2.6	4.0	24.7	3.4
32.	दादरा और नगर हवेली	3.3	3.0	4.8	5.3
33.	दमन और दीव	0.3	3.0	4.0	2.4
34.	लक्षद्वीप	7.5	25.0	9.7	5.7
35.	पुदुचेरी	7.0	8.1	3.0	3.1
	अखिल-भारत	1.7	4.5	1.6	3.4

[अनुवाद]

हिमालययी क्षेत्र हेतु पर्यावरणीय नीति

***140. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालययी पर्यावरणीय अध्ययन और संरक्षण संगठन ने यह विचार व्यक्त किया है कि हिमालय की पारिस्थितिकीय प्रणाली इस क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के कारण खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक स्वैच्छिक संगठनों और कार्यकर्त्ताओं ने हिमालययी क्षेत्र हेतु एक व्यवहार्य पर्यावरणीय नीति बनाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय को कुछ पक्षों से ऐसे सुझाव प्राप्त होते रहे हैं कि इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि वैश्विक उष्णता (ग्लोबल वार्मिंग) तथा जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय पारि-प्रणाली, वनों तथा ग्लेशियरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, हिमालयन क्षेत्र के लिए एक व्यवहार्य पर्यावरणीय नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय भी इस पक्ष के प्रति सजग है। इस दिशा में, क्षेत्र विशिष्ट पर्यावरणीय एवं विकासात्मक मुद्दों एवं सरोकारां पर ध्यान देने और उनके स्थल विशिष्ट समाधान मुहैया कराने के उद्देश्य से एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में वर्ष 1988 में जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (जीबीपीआईएचईडी) की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त, विकासात्मक परियोजनाओं हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किए जाते हैं और विभिन्न पर्यावरणीय चिन्ताओं का समाधान करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं। एक्शन प्लान फॉर हिमालय (1988) और गोवर्नेंस फॉर सस्टेनिंग हिमालयन ईको-सिस्टम्स — गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस (2009) जीबीपीआईएचईडी द्वारा प्रकाशित दो प्रमुख दस्तावेज हैं, जिनका संबंध हिमालय की व्यवहार्य पर्यावरणीय नीति से है।

[हिन्दी] 71-74

फसलों की हानि

1381. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों से हाथियों, भालूओं सहित वन्य जीवों द्वारा फसलों को हानि पहुंचाने और लोगों को मारने की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फसलों और मानव जीवन की हानि का क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भालूओं, नील गायों, हाथियों, तेंदुओं, बंदरों, बाघों, जंगली सूअरों इत्यादि जैसे वन्य पशुओं द्वारा फसलों तथा लोगों को हानि पहुंचाने की घटनाओं की सूचनाएं मंत्रालय में समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। तथापि ऐसी घटनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा मंत्रालय में समेकित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार, 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना', 'हाथी परियोजना' नामक केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ वन्य पशुओं के हमलों में हुई मौतों/उनसे हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए अनुग्रह राहत भी प्रदान करती है। वन्य पशुओं के हमलों में हुई मौतों/उनसे हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राहत को मंत्रालय ने बढ़ाकर निम्नानुसार कर दिया है:—

क्र. सं.	वन्य पशुओं द्वारा किए गए नुकसान का स्वरूप	अनुग्रह राहत की राशि
(क)	मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता	2,00,000/- रु.
(ख)	गंभीर चोट	(क) का 30%
(ग)	छोटी-मोटी चोट	उपचार की लागत
(घ)	सम्पत्ति की हानि	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए आकलन के अनुसार हानि/नुकसान का मूल्य

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा मानव-वन्यपशु संघर्ष के उपशमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

1. मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता दिए जाने के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:—

(क) वनों से मानव बस्तियों में पशुओं की आवाजाही कम करने के लिए वन क्षेत्रों में भोजन और पानी की उपलब्धता में वृद्धि करके वन्य पशुओं के पर्यावासों में सुधार।

(ख) वन्य पशुओं के हमलों को रोकने हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा दीवारों और सौर विद्युत बाड़ों जैसे भौतिक अवरोधकों का निर्माण।

(ग) वन्य पशुओं के हमलों और उनके कारण हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को अनुग्रह राहत की अदायगी।

(घ) अभिज्ञात समस्याकारक पशुओं को तितर-बितर करने और उनको पुन: प्राकृतिक पर्यावासों में वापिस छोड़ने अथवा उनका बचाव केन्द्रों में पुनर्वास करने हेतु आवश्यक अवसंरचना और सहायक सुविधाओं का विकास।

(ङ) समस्याकारक पशुओं को दूर भगाने के लिए एंटी-डीप्रिडेशन दस्तों का गठन।

(च) वन्य पशुओं विशेषकर हाथियों की आवाजाही का पता लगाने के लिए गश्त-दस्तों का गठन और स्थानीय निवासियों को उनकी उपस्थिति के बारे में सूचित करना।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को आवश्यकता पड़ने पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत समस्या पैदा करने वाले पशुओं के शिकार की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है।

3. वन्य पशुओं के आतंक और हमलों की स्थिति में करने योग्य और न करने योग्य बातों के बारे में लोगों को समझाने और उनमें जागरुकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम चलाने के लिए भी सहायता दी जाती है।

4. संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों का सहयोग प्राप्त करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास के गांवों में पारि-विकास गतिविधियां चलाई जाती हैं जिनमें मानव-पशु संघर्षों के बारे में लोगों की समस्याओं के निराकरण संबंधी कार्यवाईयां शामिल हैं।

5. मानव-पशु संघर्ष की समस्याओं के समाधान हेतु वन और पुलिस स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड

1382. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड ने देश में ऊन बैंकों का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के पास ऊन और ऊनी उत्पादों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:

(i) एकीकृत ऊन सुधार और विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूआईडीपी):

- भेड़ और ऊन सुधार योजना
- अंगोरा ऊन विकास योजना
- पश्मीना ऊन विकास योजना
- मानव संसाधन विकास एवं संवर्धन कार्यकलाप।

(ii) ऊन और वूलन की गुणवत्ता प्रसंस्करण योजना:

- सभी प्रकार के ऊन और वूलन प्रौसेसिंग कार्यकलापों के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना।

(iii) सामाजिक सुरक्षा योजना:

- भेड़ पालक बीमा योजना
- भेड़ बीमा योजना

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा ऊन बैंकों का गठन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

75-76

जैव संक्षेपक शौचालय

1383. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लक्षद्वीप सहित संघ राज्य क्षेत्रों और तटवर्ती क्षेत्रों के लिए मानव मल के शोधन के लिए प्रयोक्ता द्वारा अपनी सुविधानुसार परिवर्तनीय जैव संक्षेपक शौचालयों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासन द्वारा 12,000 जैव शौचालयों के लिए दिए गए आदेश को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो किए गए व्यय और इन शौचालयों के रख-रखाव का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) आदेश अभी निष्पादित किए जाने हैं।

(ग) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 12,000 जैव शौचालयों के संस्थापन की संपूर्ण लागत को पूरी तरह से संघ शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा यूटीएल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मांग हेतु अनुदानों में दर्शाये गये उनके बजट प्रावधान योजना के अंतर्गत पूरा किया जायेगा। इसका अनुरक्षण मै. मोहन रेल कम्पोनेंटस प्रा.लि., रेल कोच फैक्ट्री के सामने, हुसैनपुर, कपूरथला द्वारा किया जायेगा।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

आँ.पत्रि. 76-77

जेनेरिक दवाओं का निर्यात

1384. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश से विशेषकर जापान को निर्यात की गई जेनेरिक दवाइयों सहित कुल भेषज वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जापान की सरकार ने जेनेरिक दवाइयों के आयात को अनुमति प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भेषज उद्योग से जापान को किए जाने वाले निर्यात में बढ़ोत्तरी की अत्यधिक संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे निर्यात की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्यात में इस प्रकार होने वाली बढ़ोत्तरी से घरेलू भेषज उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (सितम्बर, 2012 तक) के दौरान भारत से जेनेरिक औषधियों सहित औषधियों एवं भेषजों के कुल निर्यात और जापान को निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

	सभी आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर			
	2009-10	2010-11	2011-12	चालू वर्ष सितम्बर, 2012 तक
औषधियों एवं भेषजों का वैश्विक निर्यात	8,955.00	10,711.05	13,211.12	7,026
जापान को औषधियों एवं भेषजों के निर्यात	79	79	150	85.4

(ख) और (ग) जापान सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए जापान में जेनेरिक औषधियों के आयात की अनुमति दी थी। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में भारत से जापान को किए गए औषधियों एवं भेषजों के निर्यात में लगभग 89% तक वृद्धि हुई है।

(घ) से (च) हाल ही में भारत सरकार एवं जापान सरकार के बीच किए गए व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) में पंजीयन एवं अनुमोदन हेतु आवेदन के संबंध में राष्ट्रीय संव्यवहार सहित जेनेरिक औषधियों से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के संबंध में अनुच्छेद 54 के तहत एक सहमती हुई है। सीईपीए में अनुच्छेद 129 के तहत दोनों सरकारों के बीच सहयोग हेतु महत्त्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों में से एक क्षेत्र स्वास्थ्य है। यह आशा की जा रही है कि इन प्रावधानों से जापान के जेनेरिक औषधि बाजार में भारतीय भेषज कंपनियों के लिए बेहतर पहुंच बन सकेगी।

खनन सुरक्षा नियम

77-82

1385. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यवेक्षक स्टाफ की कमी के कारण महानिदेशक-खान सुरक्षा (डीजीएमएस) कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) भारतीय खानों में विद्यमान सुरक्षा मानकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय खनन कानूनों की तर्ज पर वर्तमान सुरक्षा मानकों के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ माइन्स सेफ्टी प्रोफेशनल्स (आईएसएमएसपी) के अंग हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने एक कार्य अध्ययन किया था और निरीक्षण अधिकारियों के 105 पदों सहित 196 नए पद सृजित किए गए हैं। पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के साथ कार्रवाइयां पहले ही प्रारंभ कर दी गयी हैं तथा हाल ही में 32 निरीक्षण अधिकारियों ने कार्य भार ग्रहण कर लिया है। निरीक्षण, जांच-पड़तालों, अनुमतियों, अनुमोदन आदि के बारे में प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी के लिए निर्धारित मानकों और लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राप्त कर लिया जाता है।

(ग) भारतीय खानों में वर्तमान सुरक्षा संबंधी मानकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) खान अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ऐसे सांविधिक उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सुरक्षा संबंधी मानकों में अंतर्राष्ट्रीय खनन कानूनों की तर्ज पर सुधार लाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

(च) केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना रखी जाती।

विवरण

घातक दुर्घटनाओं और हताहत दरों की प्रवृत्ति नियोजित प्रति 1000 व्यक्ति (दस वर्षीय औसत)

दशक	कोयला खानें				गैर-कोयला खानें			
	दुर्घटनाओं की औसत संख्या	दुर्घटना दर	हताहतों की औसत संख्या	हताहत दर	दुर्घटनाओं की औसत संख्या	दुर्घटना दर	हताहतों की औसत संख्या	हताहत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1901-10	74	0.76	92	0.93	16	0.47	23	0.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1911-20	139	0.94	176	1.29	29	0.57	37	0.73
1921-30	174	0.99	219	1.24	43	0.54	50	0.66
1931-40	172	0.98	228	1.33	35	0.41	43	0.51
1941-50	226	0.87	273	1.01	26	0.24	31	0.29
1951-60	223	0.61	295	0.82	64	0.27	81	0.34
1961-70	202	0.49	259	0.62	72	0.28	85	0.33
1971-80	187	0.40	264	0.55	66	0.27	74	0.30
1981-90	162	0.30	185	0.34	65	0.27	73	0.31
1991-00	140	0.27	170	0.33	65	0.31	77	0.36
2001-10	87	0.22	109	0.28	49	0.30	58	0.35
2011-11	65	0.17	67	0.18	47	0.25	53	0.29

टिप्पणी: अवधि 2011 के आंकड़े अनंतिम हैं।

खानों में दुर्घटनाओं की घटना की प्रवृत्ति

वर्ष	कोयला दुर्घटनाओं की संख्या			धातु दुर्घटनाओं की संख्या			तेल दुर्घटनाओं की संख्या		
	घातक	गंभीर	कुल	घातक	गंभीर	कुल	घातक	गंभीर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999	127	595	722	59	207	266	2	23	25
2000	117	661	778	50	160	210	1	27	28
2001	105	667	772	62	178	240	9	21	30
2002	81	629	710	50	174	224	2	31	33
2003	83	563	646	51	147	198	1	21	22
2004	87	962	1049	55	150	205	2	38	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005	96	1106	1202	47	93	140	1	15	16
2006	78	861	939	54	63	117	4	15	19
2007	76	923	999	53	63	116	3	16	19
2008	80	686	766	49	63	112	5	20	25
2009	83	636	719	33	76	109	3	18	21
2010	97	479	576	56	46	112	4	16	20
2011	65	490	555	42	65	107	5	19	24
2012	81	368	449	28	29	57	2	7	9

टिप्पणी: वर्ष 2011 से 2012 तक के आंकड़े अनंतिम हैं तथा वर्ष 2012 के आंकड़ें 30.09.2012 तक अनंतिम हैं।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार 81-83

1386. श्रीमती मेनका गांधी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा क्षेत्र द्वारा रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए; और

(ख) इनका वर्ष-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना तथा उसे चालू करने के दौरान रोजगार अवसर ऊर्जा संयंत्र के संचालन तथा अनुरक्षण की तुलना में अत्यधिक उच्च है। ऐसी 1-2 एमडब्ल्यूपीवी परियोजना की स्थापना तथा उसे चालू करने के दौरान लगभग 40 जनशक्ति की आवश्यकता होती है जोकि लगभग साढ़े चार माह की अवधि तक फैली होती है। यह प्रत्येक अतिरिक्त 1 एमडब्ल्यू हेतु लगभग 15 जनशक्ति द्वारा बढ़ती है। व्यक्तियों का रोजगार सौर थर्मल ऊर्जा परियोजना की स्थिति में अत्यधिक उच्च है जिसमें लगभग 12 माह की अवधि में फैली एक 20 एमडब्ल्यू क्षमता वाली सौर थर्मल ऊर्जा विद्युत परियोजना की स्थापना तथा उसे चालू करने के दौरान 500 व्यक्ति नियोजित होते हैं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण अर्थात् 2012-13 के दौरान ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना में सृजित कुल रोजगार अवसर लगभग 21,000 हैं। प्रचालन एवं रखरखाव स्तर पर मोटे अनुमान के अनुसार, परियोजना आकार के आधार पर प्रति एमडब्ल्यू एक से दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अतः, 1000 एमडब्ल्यू हेतु रोजगार लगभग 1500 होगा। ऑफ ग्रिड तथा विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोगों में सृजित रोजगार अवसर लगभग 15,000 हैं तथा विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 12,000 हैं। इस प्रकार सृजित कुल रोजगार अवसर 47,000 के लगभग हैं। अप्रत्यक्ष रोजगार संभाव्यता भी है जो कि और भी अधिक है।

(ख) 2011-12 के दौरान ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना तथा उनका चालू होना आरंभ हो गया है। राज्य-वार सृजित रोजगार अवसर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में सृजित राज्य-वार रोजगार अवसर

क्र. सं.	राज्य	सृजित किए गए रोजगार अवसरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1710

1	2	3
2.	छत्तीसगढ़	70
3.	हरियाणा	130
4.	महाराष्ट्र	625
5.	ओडिशा	190
6.	पंजाब	130
7.	राजस्थान	15375
8.	तमिलनाडु	160
9.	उत्तराखंड	85
10.	उत्तर प्रदेश	190
11.	झारखंड	250
12.	मध्य प्रदेश	85
13.	गुजरात	10000
	कुल	29000

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का निर्यात

1387. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रेनाइट की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में ग्रेनाइट का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) ग्रेनाइट के निर्यात में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित ग्रेनाइट की मात्रा निम्नानुसार है:—

(मात्रा टन)

	2009-10	2010-11	2011-12
ग्रेनाइट	3827668	4500050	4605075

पेंट्स में जहरीला सीसा

1388. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जहरीले सीसे वाले पेंट्स के उत्पादन और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न पेंट कम्पनियों द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात किए गए जहरीले सीसे वाले पेंट्स का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रतिबंधित उत्पादों के निर्यात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जहरीले सीसे वाले पेंटों के निर्यात के संबंध में सूचना नहीं रखी जाती क्योंकि पेंटों में सीसे की मात्रा को विनियमित करने के कोई अनिवार्य मानक नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सर्विस सेलेक्शन बोर्ड

1389. श्री के. सुगुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त सर्विस सेलेक्शन बोर्डों को स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर सघन प्रचार अभियान चलाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सरकार ने सात (07) अतिरिक्त सेना चयन बोर्ड अर्थात् 02 सेना के लिए 03 नौसेना के लिए तथा 02 वायु सेना के लिए स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग) और (घ) सेना ने युवाओं में चुनौतीपूर्ण तथा संतोषप्रद जीवनवृत्ति अपनाने के लाभों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए सतत् छवि निर्माण तथा प्रचार अभियान शुरू किया है। जागरुकता अभियान आजीविका मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देना, स्कूलों और कॉलेजों में प्रेरणादायक व्याख्यान देना आदि भी इस दिशा में किए जा रहे कुछ अन्य उपाय हैं।

तटीय सुरक्षा

1390. श्री निलेश नारायण राणे :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तटीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सहित देश में तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त उपाय कारगर सिद्ध हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो चौबीसों घंटे कार्य करने वाली तटवर्ती निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र सहित देश में तटीय सुरक्षा उपकरणों की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समुद्री पुलिस, भारतीय तटरक्षक बल तथा भारतीय नौसेना द्वारा महाराष्ट्र के तट सहित हमारे तटीय क्षेत्र के साथ-साथ एक तीन स्तरीय तटीय सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किये हैं जिसमें एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाकर निगरानी तंत्र में सुधार तथा गश्त में बढ़ोत्तरी शामिल है। द्वीपीय प्रदेशों सहित तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क और अन्यों के बीच नियमित तौर पर संयुक्त संक्रियात्मक अभ्यास संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों जिसमें राज्य/संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारी शामिल हैं, को शामिल करते हुए विभिन्न तंत्रों की निरंतर समीक्षा तथा मानीटरिंग स्थापित की गई है आसूचना तंत्र को भी संयुक्त ऑपरेशन केंद्रों तथा बहु-एजेंसी समन्वय तंत्र के गठन के द्वारा कारगर एवं सुचारू बनाया गया है। देश के समस्त तटीय क्षेत्र तथा द्वीपों को शामिल करते हुए रडारों का संस्थापन भी इस प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है।

[हिन्दी]

स्वीकृति प्रदान करने संबंधी मानकों का उल्लंघन

1391. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वीकृति प्रदान करने संबंधी मानकों के बढ़ते उल्लंघन को ध्यान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उल्लंघन को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने और राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय उचित पद्धतियां अपनाने और विभिन्न सुरक्षा उपाय सुझाने के उपरांत विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करता है। निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के अनुपालन का मॉनीटरन पर्यावरण और वन मंत्रालय के छह क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ शासित प्रदूषण नियंत्रण समितियों के द्वारा किया जाता है। स्वीकृति मानदंडों के बढ़ते उल्लंघनों की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। तथापि, यदि स्थल निरीक्षण के दौरान उल्लंघन का कोई मामला पाया जाता है तो दोषी इकाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

[अनुवाद]

रक्षा कार्मिकों को पेंशन

1392. श्री जयंत चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के पेंशन भुगतान में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के विलंब को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सैनिकों के परिवारों को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऐसा तंत्र बनाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा पेंशन को अधिसूचित करने में कोई अनावश्यक विलंब नहीं किया गया है तथा पेंशन संवितरण एजेंसियों अर्थात् बैंकों, कोषागारों तथा रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों द्वारा पेंशन के भुगतान में किसी प्रकार के असामान्य विलंबों की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) से (ङ) अगर बैंक द्वारा पीपीओ की प्राप्ति पर भुगतान/पेंशन का संवितरण नहीं किया गया है तो भारत के रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जहां कहीं विलंब हुआ है, भुगतानकर्त्ता बैंक द्वारा पेंशनकर्त्ताओं को देय राशि पर प्रति माह 2% @ की दर पर ब्याज का संवितरण किया जाएगा।

दलितों का सामाजिक सशक्तिकरण

1393. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दलितों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) जी, हां। यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों के विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का नाम तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी ये योजनाएं जारी रहेंगी। "कक्षा IX और X में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अनुसूचित जाति विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति" नामक एक नई योजना का शुभारंभ वर्ष 2012-13 में किया गया है।

विवरण

योजनाओं के नाम और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन पर किया गया व्यय

क्र. सं.	योजना का नाम	XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	7344.93
2.	अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	

1	2	3
3.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	201.00
4.	पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा पीओए अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन	292.26
5.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) – बालिका छात्रावास	196.86
6.	बीजेआरसीवाई-बालक छात्रावास	130.59
7.	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	112.51
8.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	264.25
9.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) के लिए इक्विटी सहायता	94.00
10.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का योग्यता उन्नयन	10.74
11.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)	293.00
12.	अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2805.19
13.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	5.00
14.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)	165.65
15.	अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	518.98
16.	हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)	175.00
17.	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	18.32
18.	अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	44.36

एएफएमसी में प्रवेश 89-91

1394. श्री तथागत सत्पथी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2012 में सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (एएफएमसी), पूना में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) पड़ोसी मित्र देशों से प्रायोजित प्रवेश पाए हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में पाठ्यक्रम संरचना को अद्यतन बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी), पुणे में एएफएमसी एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा, 2012 के द्वारा 105 लड़कों और 25 लड़कियों को प्रवेश दिया गया था।

(ख) निम्नलिखित बाहरी देशों के 6 अभ्यर्थियों को प्रायोजित अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेश दिया गया था:–

(i)	नेपाल	-	02
(ii)	भूटान	-	03
(iii)	मालदीव	-	01

(ग) और (घ) एमबीबीएस कोर्स के पाठ्यक्रम तथा ढांचे को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार संशोधित तथा अद्यतन किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 3 वर्षों से कोर्स ढांचे में कोई भारी परिवर्तन नहीं किया गया है।

91-92

काजू प्रसंस्करण और निर्यात

1395. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास काजू प्रसंस्करण इकाइयों की प्रक्रिया यांत्रिकीकरण और स्वचलयंत्रीकरण, गुणवत्ता उन्नयन, खाद्य सुरक्षा उन्नयन एवं विदेशों में भारतीय काजू के जेनेरिक प्रमोशन के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद् ने सरकार से नई स्टेट्स होल्डर्स प्रोत्साहन फसल योजना में पात्र वस्तुओं में काजू को भी शामिल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) केरल, गोवा एवं ओडिशा में काजू के उत्पादन में हो रही कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। काजू निर्यात संवर्धन परिषद् ने XII योजना स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:–

1. प्रक्रिया मशीनीकरण एवं काजू प्रसंस्करण इकाइयों का स्वत: चालन
2. गुणवत्ता उन्नयन एवं खाद्य सुरक्षा प्रमाणन
3. जेनेरिक संवर्धन (जीसीटीएफ वैश्विक काजू कार्यबल, सीईपीसीआई पहलें एवं विदेशों में "भारतीय काजू" का संवर्धन)।

(ग) विदेश व्यापार नीति में "स्टेट्स होल्डर्स इन्सेंटिव क्राप स्कीम" नामक कोई स्कीम नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में काजू सहित बागान फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित स्कीमों यथा-पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। इन स्कीमों के अंतर्गत काजू प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना सहित बागवानी के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

92-93

वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा

1396. **श्री एल. राजगोपाल : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रॉ) के वर्गीकृत नोट्स चीन द्वारा अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) पर कतिपय गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना की ओर इशारा करते हैं;

(ख) क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ती हुई गतिविधियां किसी बड़ी घटना की तैयारी है;

(ग) क्या तिब्बत के गोंगा एयरफील्ड में लड़ाकू विमानों की तैनाती "रॉ" की टिप्पणी की पुष्टि करती है; और

(घ) यदि हां, तो उनका मंत्रालय इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बना रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सरकार, सीमा पर हो रही चीन की गतिविधियों के बारे में अवगत है और देश की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से पूरी तरह से वाकिफ है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपेक्षित आधारभूत अवसंरचनाओं को विकसित करने की

आवश्यकता सहित खतरे की अवधारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राष्ट्र के सुरक्षा संबंधी अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आधारभूत अवसंरचना और सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक क्षमताओं का विकास करते हुए यथापेक्षित आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर में कैंसर केयर

1397. श्री पी. कुमार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने जम्मू और कश्मीर में कैंसर केयर को ले जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना ने कैंसर संबंधी कार्यकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अपने साथ संबद्ध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में सेना अस्पतालों का एक सुस्थापित नेटवर्क है जिसमें 01 कमान अस्पताल (650 बिस्तर वाला), 02 जोनल अस्पताल (550-600 बिस्तर वाला) तथा 07 सैन्य अस्पताल (49-300 बिस्तर वाला) हैं तथा उनमें कैंसर की जांच करने, अनुमान लगाने तथा रोग निदान करने के लिए विशेषज्ञों तथा उपस्करों के संदर्भ में पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। एक बार किसी भी तरह के कैंसर का संदेह/रोग-निदान होने पर, मरीज को सेना अस्पताल (आर एण्ड आर), नई दिल्ली तथा कमान अस्पताल (दक्षिण कमान), पुणे में सांघातिक रोग इलाज केन्द्र (एमडीटीसी) में उसकी पात्रतानुसार तत्काल भेजा जाता है, जहां पर कैंसर के लिए अत्याधुनिक रोग-निदान, इलाज तथा अनुवर्ती इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टोल प्रचालकों के संबंध में शिकायतें

1398. श्री रतन सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्थानीय जनता से भरतपुर-महुआ, आगरा-भरतपुर एवं महुआ-जयपुर के टोल चालकों और उत्तर प्रदेश के संजय सेतु/घाघरा घाट के टोल प्रचालकों के विरुद्ध भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के भरतपुर-महुआ, आगरा-भरतपुर एवं महुआ-जयपुर मार्ग पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उत्तर प्रदेश संजय सेतु घाघरा घाट के प्रचालकों के विरुद्ध कोई शिकायतें नहीं मिली।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:—

मार्ग	शिकायतों की संख्या			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भरतपुर-महुआ	16	11	19	25
आगरा-भरतपुर	3	2	4	3
महुआ-जयपुर	7	10	12	14

प्राप्त शिकायतों की प्रकृति सामान्यत: निम्नानुसार होती है:—

(i) पथकर संग्रहण कार्मिक का दुर्व्यवहार।

(ii) पात्रता रहित सड़क प्रयोक्ताओं द्वारा छूट की मांग करना।

(iii) पथकर प्लाजा पर शुल्क संग्रहण में देरी करना।

(ग) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:—

(i) इन शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई है और शिकायतों की जांच के बाद पथकर प्रचालक द्वारा, गलती करने वालों को हटा दिया गया।

(ii) प्रणाली की विफलता के कारण होने वाली देरी को रोकने

के लिए तुरंत संग्रहण हेतु सक्षम स्टाफ को तैनात किया गया है।

(iii) सदव्यवहार के लिए लोगों और कार्मिकों को नियमित रूप से समझाया जाता है।

[हिन्दी]

सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन समिति

1399. **श्री राम सुन्दर दास :**
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस. सुंदर की अध्यक्षता में गठित समिति ने संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन की सिफारिश की है। इस समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बोर्ड के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए मानक, सड़क सुरक्षा संबंधी अनेक मुद्दों पर दिशा-निर्देश जारी किए जाने की शक्तियों के अलावा मोटर यानों के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित करने की शक्तियां होंगी। तद्नुसार, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए एक विधेयक लोक सभा में दिनांक 4.5.2010 को पेश किया गया जिसे बाद में संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए अग्रेषित कर दिया गया। इस समिति ने अपनी सिफारिशें दिनांक 21.7.2010 को प्रस्तुत कर दी हैं। सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है और संसद के विचारार्थ समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधेयक में कतिपय संशोधन समाविष्ट किए जाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा नदी प्रदूषण

1400. **श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री समीर भुजबल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्र, संयंत्रों के आस-पास स्थित झीलों, धाराओं, कुओं, नदियों और जल निकायों को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विद्युत संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) 2010-12 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अपने पर्यावरण निगरानी दस्ता कार्यक्रम के अंतर्गत थर्मल विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण किया और इनमें से आठ संयंत्रों को बहिस्राव डिस्चार्ज सीमाओं का उल्लंघन करते हुए पाया। सीपीसीबी द्वारा समयबद्ध तरीके से बहिस्राव डिस्चार्ज सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत इन आठ विद्युत संयंत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन विद्युत संयंत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2010-12 के दौरान पर्यावरण निगरानी दस्ता (ईएसएस) कार्यक्रम के अंतर्गत सीपीसीबी द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार बहिस्राव डिस्चार्ज की सीमाओं का अनुपालन न करने वाले विद्युत संयंत्र

क्र.सं.	विद्युत संयंत्र का नाम
1	2
1.	परीछा थर्मल विद्युत स्टेशन यूपीआरवीयूएनएल, उत्तर प्रदेश

1	2
2.	ओबरा, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूपीआरवीयूएनएल) उत्तर प्रदेश
3.	अमरकंटक थर्मल विद्युत स्टेशन, (एटीपीएस) लैंको पावर, छत्तीसगढ़
4.	मुजफ्फरपुर थर्मल विद्युत स्टेशन, कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. बिहार
5.	कोलाघाट थर्मल विद्युत स्टेशन, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम, लि. पश्चिम बंगाल
6.	तेनुघाट थर्मल विद्युत संयंत्र, टीवीयूएनएल, झारखंड
7.	चंद्रपुरा थर्मल विद्युत संयंत्र, डीवीसी, झारखंड
8.	तलचेर थर्मल विद्युत संयंत्र एनटीपीसी, अंगुल, ओडिशा

[हिन्दी]

सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग

1401. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के निर्माण/विकास के संबंध में डेवलपर्स की जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सभी राज्य सरकारों से आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक के प्रयोग और निर्माण के अद्यतन मॉडलों के द्वारा सड़क निर्माण हेतु आग्रह करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हस्ताक्षरित सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में मानक आदर्श रियायत करार में राजमार्ग परियोजना के निर्माण और विकास और अनुरक्षण के संबंध में रियायतग्राही के दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। रियायतग्राही की ओर से होने वाले संविदा दायित्वों के उल्लंघन के लिए रियायतग्राही पर/शास्तिओं/दंडात्मक कार्रवाईयों के भी स्पष्ट प्रावधान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत सभी खंडों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पर्यवेक्षण/स्वतंत्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है जो नियमित जांच एवं परिक्षणों द्वारा निर्माण की गुणता पर निगरानी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के फील्ड अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर भी निर्माण कार्य पर निगरानी रखी जाती है।

(ग) से (च) आयोजना, डिजाइन, सामग्री, मशीनरी, निर्माण कार्यविधि की दृष्टि से आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग करते हुए सड़क निर्माण की पद्धति में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसी प्रकार, निर्माण और अनुरक्षण की नई विधियां जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), इंजीनियरी अधिप्राप्ति प्रमाण (ईपीसी), प्रचालन अनुरक्षण एवं हस्तांतरण (ओएमटी) की विभिन्न विधियां सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने नवीन प्रौद्योगिकी एवं कौशल का उपयोग करने, जोखिम प्रबंधन को युक्तियुक्त बनाए जाने और निष्पादन आधारित अनुरक्षण आदि सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई हैं। निर्माण और अनुरक्षण तकनीकों की इन नई विधियों का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर और राज्य लोक निर्माण विभागों, राज्य सड़क निर्माण निगम तथा अन्य केंद्रीय रूप से प्रायोजित सड़क कार्यों के लिए किया जा रहा है।

सिंहों की सुरक्षा के लिए निधियां

1402. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सिंहों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अभ्यारण्य-वार/चिड़िया घर-वार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निधियों के दुरुपयोग की कोई सूचना सरकार की जानकारी में आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) एशियाई सिंह केवल गुजरात राज्य में गीर के वनों में पाए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सिंहों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु गुजरात राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंहों एवं उनके पर्यावास की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के अभ्यारण्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार को गीर के वनों में सिंहों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सर्कसों से प्राप्त तथा बचाव केन्द्रों में रखे गए सिंहों सहित उनके भोजन एवं रख-रखाव हेतु जारी की गई राशि के चिड़ियाघर-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सहायता के संबंध में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों से अनुरोध की प्राप्ति पर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुपूरक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिसका उपयोग सिंहों सहित चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं की देखभाल हेतु किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंहों तथा उनके पर्यावास की सुरक्षा हेतु 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों के अभ्यारण्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	अभ्यारण्य का नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	गीर वन्यजीव अभ्यारण्य	78.46	64.48	00
2.	पनिया वन्यजीव अभ्यारण्य	11.45	5.76	00
3.	मितियाला वन्यजीव अभ्यारण्य	18.61	5.76	00
4.	गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य	00	14.00	00
	सिंह परियोजना	00	674.541	675.859
	कुल	108.52	764.541	675.859

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चिड़ियाघरों में सिंहों की सुरक्षा के लिए जारी की गई निधियों के चिड़ियाघर-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	चिड़ियाघर का नाम	अवस्थिति	राज्य	उद्देश्य	धनराशि (रु.)
1	2	3	4	5	6
2009-10	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	सोलापुर	महाराष्ट्र	सिंहों हेतु बाड़े का निर्माण	4684000
	इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	बचाव केन्द्र का रखरखाव आदि	4000000
	श्री वैंकटेश्वर प्राणि उद्यान	तिरुपति	आन्ध्र प्रदेश	बचाव केन्द्र का रखरखाव आदि	7900000

1	2	3	4	5	6
	बचाव केन्द्र, अरीगनर अन्ना प्राणि उद्यान	वनदालूर, चैन्नई	तमिलनाडु	बचाव केन्द्र का रखरखाव आदि	202000
	बचाव केन्द्र, बनेरघट्टा	बंगलुरु	कर्नाटक	बचाव केन्द्र का रखरखाव आदि	9550000
	साउथ खैरबारी लैपर्ड सफारी	मदारीहाट	पश्चिम बंगाल	बचाव केन्द्र का रखरखाव आदि	3100000
	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल	मध्य प्रदेश	बचाव केन्द्र का रखरखाव आदि	2500000
	नाहरगढ़ जैविक उद्यान	जयपुर	राजस्थान	बचाव केन्द्र का रखरखाव आदि	7800000
2009-10 कुल					39736000
2010-11	इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	9055000
	नाहरगढ़ जैविक उद्यान	जयपुर	राजस्थान	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	6400000
	बचाव केन्द्र, अरीगनर अन्ना प्राणि उद्यान	वनदालूर, चैन्नई	तमिलनाडु	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	7122000
	बचाव केन्द्र, बनेरघट्टा	बंगलुरु	कर्नाटक	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	16375000
	साउथ खैरबरी लैपर्ड सफारी और रीहेब्लीटेशन सेंटर	मदारीहाट	पश्चिम बंगाल	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	2800000
	श्री वेंकटेश्वर प्राणि उद्यान	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	4900000
	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल	मध्य प्रदेश	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	2300000
2010-11 कुल					48952000

1	2	3	4	5	6
2011-2012	इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	2903000
				बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	3086000
	जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर	राजस्थान	बचाए गए पशुओं के भोजन एवं अनुपूरण की लागत	3370000
				बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	3370000
	नेहरू प्राणि उद्यान	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	291000
	बचाव केन्द्र, अरीगनर अन्ना प्राणि उद्यान	वनदालूर, चैन्नई	तमिलनाडु	बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	2452000
	बचाव केन्द्र, बनेरघट्टा	बंगलुरु	कर्नाटक	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	9650000
	साउथ खैरबरी लैपर्ड सफारी और रीहेब्लीटेशन सेंटर	मदारीहाट	पश्चिम बंगाल	बचाए गए पशुओं के भोजन एवं अनुपूरण की लागत	1985000
	श्री वेंकटेश्वर प्राणि उद्यान	तिरुपति	आंध्र प्रदेश	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	3096000
				बचाए गए पशुओं के भोजन की लागत	2930200
	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल	मध्य प्रदेश	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	2386000
2011-12 कुल					35519200
2012-13	नाहरगढ़ बचाव केन्द्र	जयपुर	राजस्थान	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	2000000
	अरीगनर अन्ना प्राणि उद्यान	वनदालूर	तमिलनाडु	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	2172000

1	2	3	4	5	6
	बचाव केन्द्र, बनेरघट्टा	बंगलुरु	कर्नाटक	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	3676000
	इंदिरा गांधी प्राणि उद्यान	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	1331000
	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल	मध्य प्रदेश	सिंह, बाघ और भालू का भोजन/देखरेख	725000
2012-2013 कुल					9904000
कुल योग					134111200

[अनुवाद]

एमडीएल की 15बी और 17ए परियोजनाएं

1403. **श्री ए.टी. नाना पाटील** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2012 से अक्तूबर, 2012 तक मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा 15बी और 17ए परियोजनाओं के लिए आमंत्रित की गई सीमित निविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आमंत्रित पार्टियों और सीमित निविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमित निविदा के लिए विक्रेताओं के चयन हेतु क्या कारण हैं;

(घ) पोत निर्माण में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की कमीशनिंग को पूरा करने हेतु अनुमानित आइटम शिड्यूल का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 15वीं परियोजना के लिए जनवरी, 2012 से अक्तूबर, 2012 के दौरान आमंत्रित की गई सीमित निविदाओं का ब्यौरा (10 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित मूल्य) संलग्न विवरण के अनुसार है।

17ए परियोजना के लिए एमडीएल द्वारा अभी तक कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है।

(घ) संविदा के अनुसार 15बी परियोजना का पोत निर्माण-कार्य अगस्त, 2012 में शुरू हो चुका है।

(ङ) इस परियोजना की कमीशनिंग को पूरा करने की अनुमानित समय-सारणी नीचे दी गई है:—

परियोजना	प्रथम पोत	द्वितीय पोत	तृतीय पोत	चतुर्थ पोत
15बी	जुलाई, 2018	जुलाई, 2020	जुलाई, 2022	जुलाई, 2024

विवरण

क्र. सं.	आमंत्रित पार्टियों का विवरण	मद का विवरण	निविदा संख्या तथा तारीख	सीमित निविदा के लिए इस विक्रेता के चयन का कारण	निविदाओं की संख्या	सुपुर्दगी के पूरा होने की तिथि (प्रथम पोत)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लि., नई दिल्ली	एसएसएम ब्रह्मोस-यूवीएलएम और एफसीएस	1600000033 26.03.2012	एकीकृत मुख्यालय/एमओडी (एन) डीएनडी द्वारा फैक्स से नामित संदर्भ संख्या सीडी/15002 दिनांक 07.03.2012	1	सितम्बर, 2015
2.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि., बंगलूरु	रडार एमएफ स्टार	1600000039 18.05.2012	एकीकृत मुख्यालय/एमओडी (एन) डीएनडी द्वारा फैक्स से नामित संदर्भ संख्या सीडी/158002 दिनांक 27.09.2011	1	सितम्बर, 2016
3.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि., हैदराबाद	ईडब्ल्यू वरुण एमके-II	1600000047 20.06.2012	एकीकृत मुख्यालय/एमओडी (एन) डीएनडी द्वारा फैक्स से नामित संदर्भ संख्या सीडी/158002 दिनांक 27.09.2011	1	अप्रैल, 2016
4.	एसयू मोटर्स, मुंबई जॉन्सन पंप्स, अहमदाबाद किर्लोस्कर ब्रदर्स लि., पुणे डार्लिंग पंप्स, इंदौर	310 टीपीएच सालवेज पंप	1600000054 19.07.2012	एकीकृत मुख्यालय/एमओडी (एन) डीएनडी द्वारा फैक्स से नामित संदर्भ संख्या सीडी/158002 दिनांक 18.06.2012	1	जुलाई, 2013
5.	कुमिंस इंडिया लि., पुणे मान डीजल, नई दिल्ली वारसिला, मुंबई कैटरपिल्लर एसएआरएल, सिंगापुर एमटीयू, जर्मनी	डीजल अल्टरनेटर	1600000021 23.07.2012	एकीकृत मुख्यालय/एमओडी (एन) डीएनडी द्वारा फैक्स से नामित संदर्भ संख्या सीडी/158002 दिनांक 15.09.2012	1	मई, 2013

1	2	3	4	5	6	7
6.	किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स कंपनी लि., पुणे एसीसीईएल, अहमदाबाद जॉहन्सन कंट्रोल्स प्रा.लि., पुणे नोसकी केसर इंडिया प्रा.लि. नई दिल्ली हेयिन एवं होपमैन इंजीनियरिंग प्रा.लि., कोलकाता इमटेक, जर्मनी	एसी प्लांट	1600000055 20.07.2012	एकीकृत मुख्यालय/एमओडी (एन) डीएनडी द्वारा फैक्स से नामित संदर्भ संख्या सीडी/158002 दिनांक 19.09.2011	1	मई, 2013
7.	एचआई प्वाईट, मुंबई वारसिला इंडिया लि., मुंबई हेमवर्थी इंडिया प्रा.लि. मुंबई ईवीएसी, फिनलैंड	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	1600000057 12.10.2012	एकीकृत मुख्यालय/एमओडी (एन) डीएनडी द्वारा फैक्स से नामित संदर्भ संख्या सीडी/158184 दिनांक 16.05.2012	1	अगस्त, 2013

111 - 13

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर

1404. श्री इज्यराज सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) के संबंध में भारत और जापान के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) डीएमआईसी परियोजनाओं में अनुमति प्रदान किया गया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कितना प्रतिशत है;

(ग) इस कॉरीडोर में जापान द्वारा निवेश किये गये शेयर कितने प्रतिशत हैं और इस जोन में भारत में जिन विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है, उनके नाम क्या हैं; और

(घ) डीएमआईसी के विकास निकाय की संरचना का ब्यौरा क्या है और इस स्वायत्त निकाय में कितने प्रतिशत निजी भागीदार हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना के तहत भारत और जापान के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:—

(1) दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर की स्थापना के लिए 13, दिसंबर, 2006 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, जापान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(2) डीएमआईसी परियोजना विकास निधि के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर/अथवा समान मुद्रा के बराबर ऋण जुटाने हेतु सहयोग करने के लिए 21 अक्तूबर, 2008 को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) तथा डीएमआईसी विकास निगम लिमिटेड डीएमआईसीडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद दिनांक 28 दिसंबर, 2009 को जेबीआईसी और आईआईएफसीएल के बीच एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(3) डीएमआईसी क्षेत्र में स्मार्ट कम्युनिटी और पर्यावरण अनुकूल शहरों के विकास हेतु 28 दिसंबर, 2009 को डीएमआईसीडीसी और जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाईजेशन (जेट्रो) के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद डीएमआईसी क्षेत्र में स्मार्ट कम्युनिटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डीएमआईसीडीसी, राज्य नोडल एजेंसियों और जापानी संघों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(4) बड़े पैमाने के पीवी विद्युत उत्पादन तथा संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके माइक्रोग्रिड सिस्टम हेतु आदर्श परियोजना के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को डीएमआईसीडीसी, नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर्गनाईजेशन, जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) मौजूदा एफडीआई नीति इस विभाग के '2012 का परिपत्र 1 — समेकित एफडीआई नीति' में दी गई है। क्षेत्र-विशिष्ट नीति उपर्युक्त परिपत्र के अध्याय 6 (एफडीआई पर क्षेत्र-विशिष्ट शर्तें) में दी गई है। लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन, विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति परिपत्र के पैरा 6.2 के तहत प्रत्येक क्षेत्र/कार्यकलाप के सामने दर्शायी गई सीमा के अनुसार दी जाती है। जो क्षेत्र/कार्यकलाप पैरा 6.2 में नहीं दिए गए हैं, उनमें लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन स्वतः मार्ग तहत 100% तक एफडीआई के अनुमति दी जाती है। इस प्रकार, डीएमआईसी के तहत प्रत्येक परियोजना को एफडीआई की क्षेत्रीय अधिकतम सीमाओं तथा लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अनुसार होना आवश्यक है।

(ग) डीएमआईसीडीसी में 26% इक्विटी भागीदारी के लिए जापान सरकार का अनुरोध दिनांक 23 अगस्त, 2012 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। उपर्युक्त अनुमोदन के अनुसरण में, डीएमआईसीडीसी की इक्विटी संरचना निम्न प्रकार है:—

1.	भारत सरकार	:	49%
2.	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन	:	26%
3.	सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं	:	25%

(घ) डीएमआईसीडीसी, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ख के तहत एक कंपनी है, की वर्तमान शेयरधारिता है, निम्न प्रकार है:–

1.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के जरिए भारत सरकार	:	49%
2.	सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं	:	51%
	[इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) तथा	:	49%
	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)]	:	10%

प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग

1405. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश में प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वार्षिक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके भविष्य में इस उपयोग में कमी करने के क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश में प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग का आकलन नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय प्लास्टिक और अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) की रिपोर्ट (2008) में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख प्लास्टिक उत्पादों में पैकेजिंग फिल्म्स, कैरी बैग्स, कन्टेनर्स, कप, प्लेटें, चम्मचें, ट्रे इत्यादि शामिल हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओइएफ) ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रावधान हैं, जिनमें नगरीय प्राधिकरण अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने, प्रचालित करने और समन्वय करने और प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान जैसे सम्बद्ध कार्य निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां पंजीकरण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण से संबंधित उपबंधों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ कैरी बैग्स की कीमत तय करने के लिए प्रावधान हैं अर्थात् नगरीय प्राधिकरण प्लास्टिक कैरी बैग्स हेतु न्यूनतम कीमत निर्धारित कर सकता है तथा उपभोक्ताओं का कोई भी कैरी बैग्स निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इन नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पत्र लिखा है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1406. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार मंत्रालय की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान योजना-वार और वर्ष-वार आबंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) इस संबंध में क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) गैर-सरकारी संगठनों की संख्या का और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें आवंटित राशियों का राज्य-वार, योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियों का सही उपयोग निम्नलिखित तरीकों से सुनिश्चित करता है:—

(i) वर्ष के दौरान एनजीओ को नया/अनुवर्ती अनुदान पिछले स्वीकृत अनुदान जो देय बन गए हैं के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्त पर ही जारी किया जाता है।

(ii) योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों में उनके दौरों के दौरान की जाती है।

(iii) मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों के उचित उपयोग की जांच करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है।

(iv) मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा निरीक्षण।

(v) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का मॉनीटर करने की आशा की जाती है।

(vi) किसी एनजीओ द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन सिद्ध होने पर मंत्रालय एनजीओ को वर्जित करने की कार्रवाई शुरू करता है।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध 67 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों को जांच और पूछताछ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए भेजा जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त पूछताछ रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और राज्य सरकार से संतोषजनक पूछताछ रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आगे सहायता अनुदान जारी किए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार जारी की गई निधि

(i) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	114.71	163.1	123.5
2.	बिहार	6.32	0	0
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0
4.	गोवा	0	0	0
5.	गुजरात	39.75	13.18	81.83
6.	हरियाणा	17.34	17.62	34.11
7.	हिमाचल प्रदेश	3.14	12.84	6.53
8.	जम्मू और कश्मीर	0	25.71	11
9.	झारखंड	0	0	0
10.	कर्नाटक	150.6	359.99	251.3
11.	केरल	1.37	2.04	2.86
12.	मध्य प्रदेश	31.15	126.75	69.04
13.	महाराष्ट्र	194.08	560.1	315.85
14.	ओडिशा	155.59	392.61	240.88
15.	पंजाब	0	0	0

1	2	3	4	5
16.	राजस्थान	100.19	300.81	101.31
17.	तमिलनाडु	0	7.79	0
18.	उत्तर प्रदेश	107.09	401.5	183.21
19.	उत्तराखंड	5.16	18.19	36.35
20.	पश्चिम बंगाल	63.66	93.98	76.81
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
22.	चंडीगढ़	0	0	0
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
24.	दमन और दीव	0	0	0
25.	रा. राजधानी क्षेत्र दिल्ली	80.68	334.02	329.37
26.	लक्षद्वीप	0	0	0
27.	पुदुचेरी	0	0	0
28.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
29.	असम	18.68	66.79	28.15
30.	मणिपुर	33.28	43.16	41.59
31.	मेघालय	0	0	0
32.	मिजोरम	0	0	0
33.	नागालैंड	0	0	0
34.	सिक्किम	0	0	0
35.	त्रिपुरा	0	3.11	1.71
	कुल योग	1122.8	2943.3	1935.4

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1.	असम	0.01	0.11	0.12
2.	बिहार	—	0.01	—
3.	गुजरात	0.08	0.05	0.02
4.	हरियाणा	0.02	0.11	0.05
5.	मध्य प्रदेश	0.02	0.20	—
6.	महाराष्ट्र	0.44	0.27	0.27
7.	मणिपुर	—	0.38	0.46
8.	ओडिशा	0.05	0.08	0.04
9.	राजस्थान	0.22	0.05	—
10.	उत्तराखंड	—	0.07	—
11.	उत्तर प्रदेश	0.12	0.10	—
12.	पश्चिम बंगाल	—	—	0.04
13.	दिल्ली	—	0.21	0.02
	कुल	0.96	1.65	1.02

(iii) वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	454.26	423.82	478.74

1	2	3	4	5
2.	बिहार	4.88	1.73	2.44
3.	छत्तीसगढ़	5.08	7.76	9.03
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	74.40	56.73	50.73
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	9.51	4.99
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	213.10	233.40	237.03
11.	केरल	0.00	21.07	6.90
12.	मध्य प्रदेश	13.20	7.25	14.79
13.	महाराष्ट्र	47.07	99.05	133.32
14.	ओडिशा	330.19	355.50	356.90
15.	पंजाब	17.47	15.87	31.62
16.	राजस्थान	16.66	14.89	8.89
17.	तमिलनाडु	260.32	263.80	242.14
18.	उत्तर प्रदेश	87.09	118.68	39.29
19.	उत्तराखंड	0.00	12.01	5.87
20.	पश्चिम बंगाल	205.04	142.82	141.43
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
22.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
24.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
25.	रा. राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00
26.	लक्षद्वीप	17.88	25.29	18.76
27.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.49	0.00
29.	असम	94.58	102.32	77.48
30.	मणिपुर	118.74	140.73	121.67
31.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
32.	मिजोरम	1.29	0.00	6.18
33.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
34.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
35.	त्रिपुरा	10.85	13.75	10.81
	कुल	1972.10	2067.47	1999.01

(iv) मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	76.82	133.63	156.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.19	105.37	150.10
3.	असम	12.66	7.80	35.61
4.	बिहार	8.89	7.50	10.46
5.	चंडीगढ़	37.21	22.66	55.45

1	2	3	4	5
6.	छत्तीसगढ़	90.76	98.34	92.26
7.	दिल्ली	14.19	4.35	37.36
8.	गोवा	8.89	0.00	20.00
9.	गुजरात	0	1.40	4.90
10.	हरियाणा	274.67	246.50	270.28
11.	हिमाचल प्रदेश	176.44	190.73	164.10
12.	जम्मू और कश्मीर	66.28	38.60	143.72
13.	झारखंड	327	398.35	401.86
14.	कर्नाटक	233.74	226.18	260.54
15.	केरल	53.4	283.12	151.04
16.	मध्य प्रदेश	64.32	124.65	103.79
17.	महाराष्ट्र	279	253.12	234.55
18.	मणिपुर	61	188.85	264.77
19.	मेघालय	31.26	43.38	30.16
20.	मिजोरम	65.09	62.42	160.75
21.	ओडिशा	0	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.77	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	60.55	80.91	140.43
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00
27.	उत्तराखंड	0	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	9.32	9.78	9.95
29.	पुदुचेरी	25.07	33.55	128.86
30.	दादरा और नगर हवेली	172.39	238.76	250.45
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.35	11.25	20.06
32.	दमन और दीव	43.77	65.75	145.79
33.	लक्षद्वीप	21.94	48.97	74.99
34.	नागालैंड	0	0.00	0.00
35.	सिक्किम	9.95	4.98	14.92
	कुल	2278.92	2930.90	3533.95

(v) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	43.00	—	126.00
2.	बिहार	16.99	41.00	77.25
3.	छत्तीसगढ़	7.50	—	—
4.	गोवा	—	—	3.00
5.	गुजरात	49.45	101.70	103.80
6.	हरियाणा	5.00	14.00	8.50
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	4.00	—
9.	झारखंड	—	17.00	—

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	6.00	21.00	31.00
11.	केरल	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	3.00	6.71	—
13.	महाराष्ट्र	111.25	179.34	115.75
14.	ओडिशा	100.75	198.79	124.00
15.	पंजाब	5.50	8.33	21.88
16.	राजस्थान	331.83	309.00	302.00
17.	तमिलनाडु	58.09	98.00	94.36
18.	उत्तर प्रदेश	156.65	333.01	280.67
19.	उत्तराखंड	3.75	14.00	23.00
20.	पश्चिम बंगाल	21.55	46.36	23.33
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
22.	चंडीगढ़	—	—	—
23.	दादरा और नगर हवेली	—	3.00	3.00
24.	दमन और दीव	—	—	—
25.	रा. राजधानी क्षेत्र दिल्ली	91.10	19.00	16.65
26.	लक्षद्वीप	—	—	—
27.	पुदुचेरी	—	—	—
28.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
29.	असम	317.50	337.48	180.25
30.	मणिपुर	—	—	—
31.	मेघालय	—	—	—
32.	मिजोरम	—	—	—
33.	नागालैंड	—	—	—
34.	सिक्किम	—	—	—
35.	त्रिपुरा	—	—	—
	कुल	1328.91	1751.72	1534.44

(vi) दीन दयाल विक्लांगजन पुनर्वास योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15.87	20.64	25.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.07	0.03	0.10
3.	असम	0.87	1.85	1.74
4.	बिहार	0.45	1.01	1.38
5.	चंडीगढ़	0.10	0.00	0.00
6.	छत्तीसगढ़	0.32	0.20	0.55
7.	दिल्ली	1.70	2.50	1.89
8.	गोवा	0.18	0.14	0.00
9.	गुजरात	0.57	0.51	0.50
10.	हरियाणा	0.78	1.08	1.59
11.	हिमाचल प्रदेश	0.18	0.52	0.38
12.	जम्मू और कश्मीर	0.07	0.22	0.16
13.	झारखंड	0.12	0.24	0.00

1	2	3	4	5
14.	कर्नाटक	8.57	10.58	11.47
15.	केरल	3.87	7.90	10.06
16.	मध्य प्रदेश	1.00	1.76	1.59
17.	महाराष्ट्र	1.51	2.18	2.29
18.	मणिपुर	1.30	3.06	1.91
19.	मेघालय	0.26	0.74	0.64
20.	मिजोरम	0.07	0.40	0.22
21.	ओडिशा	4.49	5.91	6.05
22.	पंजाब	0.35	1.30	0.97
23.	राजस्थान	1.69	1.79	1.44
24.	तमिलनाडु	3.66	4.21	4.05
25.	त्रिपुरा	0.21	0.06	0.11
26.	उत्तर प्रदेश	7.19	6.12	5.97
27.	उत्तराखंड	0.54	1.33	0.64
28.	पश्चिम बंगाल	5.43	5.92	5.44
29.	पुदुचेरी	0.13	0.07	0.12
30.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–
33.	लक्षद्वीप	–	–	–
34.	नागालैंड	–	–	–
35.	सिक्किम	–	–	–
	कुल	61.55	82.27	86.27

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र की भागीदारी

1407. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र को शामिल करके सरकार के युद्धपोत निर्माण को तीव्र गति से करने के प्रयास में देरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। ज्यादातर युद्धपोत भारत में ही निर्मित किए जा रहे हैं जिसमें निजी क्षेत्र को भी उसकी क्षमताओं के अनुसार सम्बद्ध किया जाता है। पोत निर्माण की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए पोत निर्माण से संबंधित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को भी व्यापक रूप से संशोधित किया गया है तथा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2011 में एक नई धारा जोड़ी गई है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर पोत निर्माण हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है। सरकार ने जनवरी, 2011 में एक रक्षा उत्पादन नीति भी प्रख्यापित की है। इस नीति के उद्देश्य स्वदेशी सार्वजनिक और निजी उद्योग के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं के लिए वांछित हथियार प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपकरण के डिजाइन, विकास तथा उत्पादन में काफी आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। इसके अलावा, समग्र स्वदेशी पोत निर्माण क्षमता का इस्तेमाल करने तथा नौसेना की आवश्कताओं की पूर्ति करने के लिए निजी शिपयार्डों में भी उनकी क्षमताओं के अनुसार पोतों का निर्माण किया जा रहा है।

प्लास्टिक के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध

1408. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में प्लास्टिक के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में किस सीमा तक इसका प्रभाव देखा गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 23 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग्स (पोलिप्रोपिलीन गैर-बुने हुए फेब्रिक प्रकार के कैरी बैग्स सहित) का विनिर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री अथवा परिवहन नहीं करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के संघ राज्य क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, केरल, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित कुछ तीर्थ स्थानों, पर्यटन, ऐतिहासिक स्थलों तथा पारि-संवेदी क्षेत्रों में भी प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग पर रोक लगा दी गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग्स की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन्स होनी चाहिए, पुनर्चक्रित प्लास्टिकों या कम्पोस्टेबल प्लास्टिकों में भोज्य पदार्थों को पैक नहीं किया जा सकता तथा उपभोक्ताओं को कोई भी कैरी बैग्स नि:शुल्क उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इन नियमों के अंतर्गत नगरीय प्राधिकरण प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने, प्रचालित करने और समन्वय करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां पंजीकरण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण से संबंधित उपबंधों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इन नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पत्र लिखा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित नगरीय ठोस अपशिष्ट से संबंधित विभिन्न स्टेकहोल्डरों हेतु प्रशिक्षण तथा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

[हिन्दी]

127-29

एनसीसी यूनिट

1409. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में देश में कितनी एनसीसी यूनिट सशस्त्र बलों में संलग्न हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में इन यूनिटों के कितने कैडिटों को सशस्त्र बलों में कार्य करने का अवसर मिला है;

(ग) एनसीसी में वर्तमान समय में रिफ्रेशमेंट के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान आबंटित राशि में किन-किन तारीखों को कितनी-कितनी वृद्धि की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) वर्तमान में, देश भर में फैली 800 एनसीसी यूनिटें हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हुए कैडेटों (एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	सेना	नौसेना	वायुसेना	कुल
2009	111	03	02	116
2010	129	28	02	159
2011	111	04	11	126

(ग) और (घ) एनसीसी कैडिटों के लिए जलपान के प्रावधान हेतु व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना होता है सिवाए जम्मू और कश्मीर राज्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जहां इस व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना होता है। गत पांच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में जलपान भत्ते के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (करोड़ रुपए) (लगभग)	जम्मू और कश्मीर (लाख रुपए) (लगभग)
1	2	3
2008-09	2.06	58.18

1	2	3
2009-10	1.93	59.22
2010-11	1.97	60.49
2011-12	2.05	62.62
2012-13	2.07	62.59

[अनुवाद]

वन्यजीव पर्यावासों के लिए निधियां

1410. श्री एस. अलागिरी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन्यजीव पर्यावासों के समेकित विकास के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना हेतु निधियों को कम करने की स्थिति में बाघों के संरक्षण की किस तरीके से जांच-पड़ताल किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये सुधारात्मक कदम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 70.00 करोड़ रु. के बजटीय आबंटन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 73.50 करोड़ रु. के बजट का आबंटन किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कार्मिकों को पेंशन

1411. श्री ए.साई. प्रताप : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षाकार्मिकों के पेंशन संबंधी अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से रक्षा-कार्मिकों के लाभ के लिए पेंशन पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को लाभ हो रहा है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के वेतन एवं पेंशन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में जुलाई, 2012 में एक समिति का गठन किया। समिति ने पेंशन संबंधी मामलों पर दिनांक 17.08.2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) से संबंधित हैं जिनमें पेंशन में अंतर को कम करना, परिवार पेंशन में वृद्धि, दोहरी परिवार पेंशन और सशस्त्र बल-कार्मिकों के मानसिक/शारीरिक रूप से अशक्त पुत्र/पुत्री का विवाह होने पर परिवार पेंशन, आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन से प्रतिवर्ष 2300 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा तथा इससे 13 लाख पेंशनभोगियों को लाभ प्राप्त होगा।

जीएम आर्गेनिज्म का प्रभाव

1412. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जेनेटिकली मोडीफाइड (जीएम) आर्गेनिज्म के दीर्घकालीन प्रभाव पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या अनुसंधान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) भारत सरकार आनुवंशिक रूप से आशोधित (जीएम) फसलों के मामला दर मामला आकलन की नीति का अनुपालन कर रही है। जीएम बीजों की सुरक्षा, प्रभावोत्पादकता और एग्रोनोमिक निष्पादन से सम्बद्ध विभिन्न चिंताओं को देखते हुए किसी भी जीएम

पौधे की वाणिज्यिक खेती का अनुमोदन करने से पहले गहन मूल्यांकन तथा विनियामक अनुमोदन की प्रक्रिया चलाई जाती है। तदनुसार, बीटी कॉटन जो वाणिज्यिक खेती हेतु अनुमोदित की गई एक मात्र फसल है, को विद्यमान विनियामक फ्रेमवर्क और जैवसुरक्षा दिशा-निर्देशों, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमानकों के समकक्ष हैं, का पूर्ण अनुपालन करते हुए विकसित किया गया है। इसमें संगत जैवसुरक्षा सूचना का सृजन और भोजन, पोषण तथा पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका विस्तृत विश्लेषण शामिल है। पर्यावरणीय सुरक्षा आकलन में पॉलन एस्केप आउटक्रॉसिंग, आक्रामकता तथा खरपतवार गुण संबंधी अध्ययन, गैर-लक्षित ऑर्गेनिज्म पर जीन का प्रभाव, मृदा में प्रोटीन की उपस्थिति और मृदा माइक्रो-फ्लोरा पर इसका प्रभाव, टर्मिनेटर जीन की अनुपस्थिति तथा बेसलाइन संवेदनशीलता अध्ययन शामिल हैं। भोजन तथा पोषण सुरक्षा अध्ययनों में संघटन विश्लेषण संबंधी आकलन, एलर्जीनिसिटि तथा विषविज्ञान संबंधी अध्ययन और मछली, मुर्गे, गायों तथा भैंसों पर भरणपोषण संबंधी अध्ययन शामिल हैं। बीटी कॉटन के सुरक्षित उपयोग का एक इतिहास है क्योंकि इसकी खेती अनेक देशों में लगभग दो दशकों से की जा रही है; और यह 2002 में भारत में आने से पहले वैश्विक रूप से प्रयोग में लाया जा चुका था। इस निष्कर्ष का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बीटी कॉटन से पर्यावरण या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी] 131-34

प्रदूषण नियंत्रण हेतु महाराष्ट्र को जारी की गई निधियां

1413. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु महाराष्ट्र को कोई निधियां जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन निधियों की सहायता से किए गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु महाराष्ट्र को निधियां जारी की थी। जो निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों को औद्योगिक और साथ ही पर्यावरणीय प्रदूषण उपशमन हेतु विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने उपस्करों की खरीद हेतु उपयोग में लायी गई हैं। सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी), साझा बहिस्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) तथा साझा उपचार भंडारण और निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) की स्थापना से संबंधित कार्य को भी पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषित किया गया था। उक्त अवधि के दौरान राज्यों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए एसपीसीबी और साझा उपचार सुविधाओं की क्षमताओं में वृद्धि की गई है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जारी निधियों और किए गए कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

योजना-वार, जारी की गई निधियों और किए गए कार्य का विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/स्कीम	2009-10 जारी	2010-11 जारी	2011-12 जारी	किया गया कार्य
1	2	3	4	5	6
1.	प्रदूषण उपशमन हेतु सहायता	शून्य	0.21	शून्य	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु प्रयोगशाला उपस्करों की अधिप्राप्ति।

1	2	3	4	5	6
2.	साझा बहिस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी)	0.50	1.51	0.70	अपशिष्ट जल के उपचार हेतु 4 सीईटीपी की स्थापना/क्षमता के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
3.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	7.38	11.82	शून्य	सीवेज के उपचार हेतु 155 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
4.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3.77	2.75	0.50	14 झीलों की जल गुणवत्ता बहाल करने तथा संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
5.	उपचार, भंडारण तथा निपटान सुविधाएं	2.40	0.04	1.20	परिसंकटमय अपशिष्ट के उपचार हेतु 3 टीएसडीएफ को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

कारखानों को बंद करने के कारण नौकरियों की क्षति

1414. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में कारखानों को बंद कर दिये जाने के कारण बेरोजगार हो जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बंद कारखानों के पुनरुद्धार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार, ऐसा कोई पक्का स्पष्ट रुझान नहीं है जो देश के विभिन्न राज्यों में कारखानों को बंद किए जाने के कारण बेरोजगार हो गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि दर्शाता हो। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान बंद की गयी औद्योगिक इकाइयों की संख्या और प्रभावित कामगारों की संख्या के संबंध में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किए गए राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरुज्जीवन के लिए निधियों के सम्मिश्रण के रूप में नकद तथा ब्याज/ऋणों की माफी/बट्टे-खाते में डालने के रूप में अनकद सहायता प्रदान करती है। राज्य के अंतर्गत आने वाले अन्य उद्योगों के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं।

(ङ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और जनशक्ति पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप बेशी माने गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पृथक्कृत कर्मचारियों को परामर्श और पुन:प्रशिक्षण द्वारा पुनर्नियोजन के अवसर प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2001-02 में परामर्श, पुन:प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन्हें ऐसे कौशल/विशेषज्ञता से सुसज्जित करना है जो उन्हें मुख्य रूप से स्व-नियोजन संबंधी क्रियाकलापों में नियोजित होने में समर्थ बना सके।

विवरण

देश के विभिन्न भागों में वर्ष 2011 से 2012 (जनवरी से सितम्बर) के दौरान स्थायी रूप से बंदियों और प्रभावित कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011 (अ)		2012 (अ) (जनवरी-सितम्बर)	
	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	—	—	1	65
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
असम	—	—	—	—
बिहार	—	—	—	—
छत्तीसगढ़	—	—	—	—
गोवा	3	81	6	108
गुजरात	1	18	—	—
हरियाणा	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	4	313	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
झारखंड	—	—	—	—
कर्नाटक	1	75	—	—
केरल	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	—
महाराष्ट्र	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—
ओडिशा	—	—	—	—
पंजाब	—	—	—	—
राजस्थान	—	—	—	—
सिक्किम	—	—	—	—
तमिलनाडु	1	73	—	—
त्रिपुरा	72	2384	21	114
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—
उत्तराखंड	1	660	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
चंडीगढ़	—	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
दमन और दीव	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—
पुदुचेरी	—	—	1	22
कुल योग	83	3604	29	309

क : बंद की गयी इकाइयों की संख्या।

ख : प्रभावित कामगार।

(अ) अनंतिम

— = शून्य या सूचित नहीं किए गए।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, शिमला।

[अनुवाद]

एकीकृत शिपयार्ड-सह-पत्तन

1415. **श्री रामसिंह राठवा : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तटवर्ती राज्यों से एकीकृत शिपयार्ड-सह-पत्तनों की स्थापना करने के लिए कहा है ताकि देश में प्रमुख पत्तनों पर अत्यधिक यातायात को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तटवर्ती राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु स्थानों का पता लगाने/चयन करने के लिए तटवर्ती राज्यों में एक केन्द्रीय दल भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) सरकार ने तटीय राज्यों को अपने-अपने राज्यों में एक नया महापत्तन अथवा एक नया शिपयार्ड अथवा एक समेकित पत्तन-सह-पोत निर्माण यार्ड स्थापित किए जाने के लिए अपेक्षित भूमि अभिज्ञात करने और मुहैया करवाए जाने के लिए लिखा है।

(ख) आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल कर्नाटक और गुजरात राज्यों से जबाव मिल गए हैं जिनमें उनके राज्य में एक नया महापत्तन स्थापित करने के लिए सहायता देने की उनकी इचछा जताई गई है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तकनीकी समितियां पहले ही भेज दी गई हैं ताकि वे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए स्थलों का मूल्यांकन कर सकें। पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप में प्रस्तावित पत्तन के मामले में, मै. राइट्स ने व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है। गुजरात के मामले में, एक नया महापत्तन स्थापित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए स्थल की जांच-पड़ताल के लिए गुजरात समुद्रीय बोर्ड के उपाध्यक्ष और सीईओ से युक्त एक तकनीकी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजना को मंजूरी

1416. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को उत्तर प्रदेश में बिल्हौर में एनटीपीसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की अनुमानित क्षमता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड से उत्तर प्रदेश में बिल्हौर में बिजली परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वाहन पंजीकरण कर

1417. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकरण के समय वाहनों पर लगने वाले कर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मोटर वाहनों पर लगने वाले करों में एकरूपता लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से भी उनकी राय मांगी है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पूरे देश में एक समान वाहन कर ढांचा नीति लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) सरकार को पता है कि विभिन्न राज्यों में वाहनों पर कर लगाने में कोई एकरूपता नहीं है। मोटर वाहनों का 'कराधान' राज्य सूची का विषय है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वाहनों की श्रेणी अर्थात् बस, ट्रक/माल वाहक वाहन, ट्रेलर, दुपहिया, कार/जीप, टैक्सी/कैब के अनुसार और माल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) के आधा पर भी कर लगाते हैं। कुछ राज्य मोटर वाहनों पर आजीवन कर लगाते हैं जबकि कुछ अन्य राज्य वार्षिक/तिमाही/मासिक कर वसूलते हैं। बैठने की क्षमता, वाहन लागत/मूल्य आदि के अनुसार भी कुछ राज्यों में वाहनों पर कर भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ख) से (ङ) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूप पंजीकरण कर व्यवस्था के कार्यान्वियन के लिए उनके बीच सहमति की आवश्यकता होगी क्योंकि यह विषय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले करों में एकरूपता लाने के मुद्दे पर, नई दिल्ली में 13 फरवरी, 2012 को आयोजित परिवहन विकास परिषद् की 34वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। परिवहन विकास परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, मोटर वाहन करों की तर्कसंगतता के मुद्दे पर राज्य परिवहन मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया गया है। राज्य परिवहन मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की सहायता करने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों के प्रतिनिधियों की एक अधिकारी समिति भी गठित की गई है।

एनएच-98 को चार लेन का बनाना

1418. श्री कामेश्वर बैठा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-98 (पाटन से डाल्टनगंज) को चार लेन में करने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) एनएच-98 के उक्त खंड को चार लेन वाला मार्ग बनाने का कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क सुरक्षा के मुद्दे

1419. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विविध सुरक्षा मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। ताकि सड़क दुर्घटनाओं की समस्या को कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सड़क सुरक्षा मंच द्वारा दिए गए सुझाव और की गई मांगें काफी लम्बे समय से लंबित पड़ी हुई हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने सुरक्षा और गरीब लोगों के विस्थापन से जुड़े सभी मुद्दों की जांच करने के लिए सड़क सुरक्षा मंच के साथ बैठकें की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक सड़क ठेकेदारों ने यह मांग की है कि विशेषज्ञ समिति भंग कर दी जाए; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अनेक सुरक्षा मामलों के अध्ययन हेतु कोई विशेषज्ञ समिति नहीं है। तथापि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की दिनांक 25 मार्च, 2011 को आयोजित 12वीं बैठक में हुई चर्चा के अनुसार मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं के बचाव के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन उपायों को तत्काल लागू करने के लिए विस्तार से चर्चा करने और अपनी संस्तुति देने के लिए (i) एड्यूकेशन (शिक्षा) (ii) एनफोर्समेंट (प्रवर्तन) (iii) इंजीनियरी (सड़क एवं वाहन) और (iv) एमरजेंसी (आपातकालीन) उपचार हेतु चार 'ई' के रूप में अलग से पांच कार्य समूह बनाएं है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की 29 फरवरी, 2012 को आयोजित 13वीं बैठक में सभी पांच कार्य समूहों की

सिफारिशों पर चर्चा हुई। पांच कार्य समूहों की सभी मुख्य सिफारिशों की संश्लेषण रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर लोड कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त श्री एस. सुंदर, पूर्व सचिव, सड़क परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश की है कि संसदीय अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड का सृजन किया जाए। तदनुसार लोक सभा में दिनांक 4.5.2010 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के लिए एक बिल रखा गया था जिसे बाद में जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने दिनांक 21.7.2010 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की और संसदी के विचारार्थ समिति की सिफारिशों के अनुरूप बिल में कतिपय संशोधनों को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की।

(ख) जी, नहीं। सड़क सुरक्षा फोरम ने समय-समय पर सड़क सुरक्षा के संबंध में सुझाव दिए हैं। यथासंभव उन सुझावों पर कार्रवाई की गई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

एनसीपीईडीपी के अंतर्गत लाभ

1420. श्री कमलेश पासवान :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल सेन्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्पलायमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल (एनसीपीईडीपी) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या एनसीपीईडीपी ने अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन केन्द्र (एनसीपीईडीपी) पंजीकृत ट्रस्ट है जिसके प्रबंधन मंडल में उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों, नि:शक्त व्यक्तियों एवं नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के प्रतिनिधि शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कार्यरत किसी ट्रस्ट/गैर-सरकारी संगठन से संबद्ध सूचना का रखरखाव नहीं करता है।

(घ) देश में नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं यथा नि:शक्त व्यक्तियों (एक समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में सरकारी प्रतिष्ठानों में अभिज्ञात पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण, प्रोत्साहन योजनाओं आदि के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराने हेतु निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने इत्यादि का प्रावधान है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के माध्यम से स्व-रोजगार हेतु विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) विकलांग व्यक्तियों सहित ग्रामीण गृहस्थ व्यस्कों को रोजगार की गारंटी देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत, नि:शक्त व्यक्तियों की श्रेणी हेतु कुल लाभार्थियों के 3% का प्रावधान किया गया है।

नॉटीकल सर्वेयर की नियुक्ति

1421. श्रीमती रमादेवी :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 50 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्तियों को नॉटीकल सर्वेयर के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महानिदेशक, पोत परिवहन को यह आदेश/अनुदेश दिये हैं कि 50 वर्ष की आयु पार कर चुके किसी भी उम्मीदवार/मौजूदा नॉटीकल सर्वेयर को समय-विस्तार/नवीकरण न दिया जाये अथवा तदर्थ आधार पर नयी नियुक्ति न दी जाये;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और अवैध नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित दो नॉटिकल सर्वेक्षकों, जो 50 वर्ष से अधिक की आयु के थे, को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था:—

1. कैप्टन डी.एफ. वाज़

2. कैप्टन एस.के. सिंघल

(ख) किसी उम्मीदवार/मौजूदा नॉटिकल सर्वेक्षक, जो 50 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, को विस्तार/नवीनीकरण करने अथवा तदर्थ आधार पर नई नियुक्ति नहीं करने के लिए नौवहन महानिदेशालय को कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए थे।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

143 - 148

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन लाभ न देना

1422. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि भूतपूर्व सैनिकों का एक वर्ग पेंशन लाभ से वंचित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 15 वर्ष से कम सेवा वाले भूतपूर्व सैनिक पेंशन के हकदार नहीं हैं क्योंकि अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक के लिए 15 वर्ष की और कमीशनप्राप्त अधिकारियों के लिए 20 वर्ष की अर्हक सेवा पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक सेवा सरकार में पेंशन के लिए अनिवार्य मानदंड है।

अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी जो पेंशनभोगी नहीं हैं, डीजीआर की कतिपय योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, सुरक्षा एजेंसियों और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के लिए पात्र हैं। 5 वर्ष से कम सेवा वाले भूतपूर्व रक्षा कार्मिक सुरक्षा गार्डों के रूप में नौकरी पर रखे जाने के अतिरिक्त यूनिटों/स्थापनाओं में उपलब्ध सीएसडी कैंटीन सुविधाओं के हकदार हैं। हवलदार के रैंक तक पेंशन प्राप्त न करने वाले पूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष से कुछ अनुदान भी दिए जाते हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रशासित कल्याण योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा कल्याण योजनाएं

युद्ध स्मारक छात्रावास : युद्ध स्मारक छात्रावासों का निर्माण युद्ध विधवाओं, युद्ध निशक्त, आरोप्य मामलों (एट्रीब्यूटेबल केसज) के बच्चों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। रक्षा कार्मिकों के प्रतिपाल्यों को 35 युद्ध स्मारक छात्रावासों में आरोप्य तथा गैर-आरोप्य मामलों में क्रमश: 900/- रुपये तथा 450/-रुपये प्रतिमाह की दर पर आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। युद्ध स्मारक छात्रावासों में नौसेना तथा वायुसेना के कार्मिकों सहित सभी रक्षा कार्मिकों के प्रतिपाल्यों को निम्नलिखित प्राथमिकता के अंतर्गत प्रवेश खुला है:—

(क) युद्ध विधवाओं के प्रतिपाल्य	1350/- रुपये प्रतिमाह
(ख) युद्ध निशक्तों के प्रतिपाल्य	
(ग) आरोप्य मामलों के प्रतिपाल्य	

(घ) गैर-आरोप्य मामलों के प्रतिपाल्य (सेवा में ड्यूटी के दौरान मृत्यु) 675/- रुपये प्रतिमाह

रक्षा मंत्री के विवेकाधीन निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता

क्र. सं.	अनुदान	राशि (रु.)
1	2	3
1.	दरिद्रता अनुदान (65 वर्ष) (हवलदार रैंक तथा गैर-पेंशनभोगी)	1,000/- प्रतिमाह

1	2	3
2.	शिक्षा अनुदान	
	I. स्नातक तक बालिका/बालक	1,000/- प्रतिमाह
	II. विधवाएं स्नातकोत्तर	
3.	अफसर कैडेट अनुदान (केवल एनडी कैडेटों के लिए) (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	1,000/- प्रतिमाह
4.	निशक्त संतान अनुदान (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	1,000/- प्रतिमाह
5.	मकान मरम्मत अनुदान (पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी हवलदार रैंक तक)	
	• 100% निशक्त भूतपूर्व सैनिक	20,000/-
	• शरणार्थी पुत्री (सभी रैंकों की)	(एक बार)
6.	विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	16,000/- (हर बार)
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तथा पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	
7.	अंतिम संस्कार अनुदान (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	5,000/- (एक बार)
8.	चिकित्सा अनुदान (हवलदार रैंक तक गैर-पेंशनभोगी)	30,000/- (अधिकतम) (प्रति वर्ष)
	चिकित्सा अनुदान (नेपाल के हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	

1	2	3
9.	अनाथ अनुदान (सभी रैंकों के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	1,000/- प्रतिमाह
	• भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के लिए उनके विवाह होने तक	
	• भूतपूर्व सैनिक का 21 वर्ष की आयु तक का एक पुत्र	
10.	विधावाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	20,000/- (एक बार)

2. **सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि**

• गंभीर बीमारी अनुदान (केवल सूचीबद्ध)	कुल व्यय का 75%/90% (क्रमशः अफसर तथा अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक)। अधिकतम 1.25 लाख रु. तक।
• एंजियोप्लास्टी	
• एंजियोग्राफी	
• सीएबीजी	
• ओपन हार्ट सर्जरी	
• वाल्व प्रतिस्थापन	
• पेसमेकर लगाना	
• रीनल इंप्लांट	
• प्रोस्टेट सर्जरी	
• ज्वाइंट रिप्लेसमेंट	
• सेरीब्रल स्टोक	

अन्य बीमारियां : जिनमें उपचार पर 1.00 लाख रु. से अधिक खर्च किया गया हो।

- डायलिसिस — कुल व्यय का 75%/90% (क्रमशः अफसर तथा अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक)। अधिकतम 75,000/-रु. तक प्रति वित्तीय वर्ष केवल
- कैंसर

3. **प्रधानमंत्री की योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** विधवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों तथा सशस्त्र सेनाओं के आश्रितों को उच्चतर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कि शैक्षणिक वर्ष 2006-07 से प्रधानमंत्री की योग्यता छात्रवृत्ति योजना के रूप में जानी जाने वाली एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए। किसी भी समय इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं की कुल संख्या 4000 तक सीमित होगी। छात्रवृत्ति की अवधि एक से पांच वर्ष की होगी जैसाकि संबंधित विनियामक निकाय द्वारा उस कार्यक्रम हेतु अनुमोदित हो। छात्रवृत्ति इस प्रकार दी जाएगी:–

(क) लड़कों के लिए 1250/- रुपये प्रतिमाह

(ख) लड़कियों के लिए 1500/- रुपये प्रतिमाह

युद्ध विधवाओं/युद्ध निशक्त सैनिकों के प्रतिपाल्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

4. **रक्षा कार्मिकों के प्रतिपाल्यों हेतु भारत सरकार नामिती के रूप में चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में रक्षा कोटे की सीटों का आरक्षण:–**

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार नामिती के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सैन्य कार्मिकों के प्रतिपाल्यों को एमबीबीएस/बीडीएस की सीटों के आबंटन के मामलों को देखता है। निम्नलिखित श्रेणियों के रक्षा कार्मिकों के प्रतिपाल्य अर्हक परीक्षा में एमबीबीएस/बीडीएस हेतु 50 प्रतिशत अंकों सहित आरक्षित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र होते हैं।

क्र. सं.	श्रेणी प्राथमिकता	प्राथमिकता
1	2	3
1.	कार्रवाई में मारे गए	1
2.	कार्रवाई में निशक्त तथा सेवा में बोर्डिड आउट	2
3.	सेवा के दौरान दिवंगत, सैन्य सेवा की वजह से मृत्यु	3
4.	सेवा में निशक्त तथा सैन्य सेवा की वजह से निशक्तता के कारण बोर्डिड आउट	4
5.	वीरता पुरस्कार विजेता (सेवा/सेवानिवृत्त) (सेवा मेडल शामिल नहीं)	5

[अनुवाद]

148-49

ईपीएफ के अंतर्गत ठेकेदार

1423. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सरकारी ठेकेदारों को भविष्य निधि दायरे के अंतर्गत लाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ सांविधिक बचतों को अधिशासित करने वाले कानून में प्रमुख संशोधन करने पर भी विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, 20 अथवा अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान की ऐसी श्रेणियों पर लागू होता है जिन्हें भारत सरकार द्वारा धारा 1(3)(ख) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित किया गया हो।

उपर्युक्त उपबंधों के दृष्टिगत, पात्र मामलों में यह अधिनियम सरकारी प्रतिष्ठान में लगे ठेकेदारों पर भी लागू होगा।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने संबंधी मामला विचाराधीन है।

ई-कचरे का निपटान

1424. श्री समीर भुजबल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कितनी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है;

(ख) देश में ई-कचरे का मुख्य रूप से सृजन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) देश में ई-कचरे का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) वर्ष 2005 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि देश में 1.47 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ई-अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके वर्ष 2012 तक बढ़कर लगभग 8.0 लाख मीट्रिक टन हो जाने की संभावना है। कुल ई-अपशिष्ट का लगभग 70% ई-अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले मुख्य दस राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं।

(ग) केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किये हैं। ये नियम दिनांक 01.05.2012 से लागू हुए हैं। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:–

(i) ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार उपस्करों और उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात् टेलीविजन सेटो (एलसीडी और एलईडी सहित), रेफिजरेटर, वाशिंग मशीन और एयरकंडीशनरों से उत्पन्न ई-अपशिष्ट पर लागू हैं।

(ii) विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) को इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादन से जुड़ी एक अनिवार्य गतिविधि बनाने के लिए इन नियमों में ईपीआर की संकल्पना शामिल की गई हैं। इसका अर्थ यह हे कि उत्पादक संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से या वापसी प्रणालियों के जरिए अपने उत्पादों की समाप्ति पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट के संग्रहण के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

(iii) उत्पादकों से उनके अपने उत्पादों के 'उपयोग की समाप्ति' पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट और इन नियमों के लागू होने की तिथि को उपलब्ध ऐतिहासिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन संबंधी लागतों को पूरा करने के लिए एक प्रणाली का वित्त पोषण और स्थापना किया जाना अपेक्षित है। उत्पादक ऐसी प्रणाली की स्थापना, वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक स्कीम से जुड़कर कर सकते हैं।

(iv) ई-अपशिष्ट को एकत्रित करने के प्रयोजन से एकत्रण केन्द्रों की स्थापना किसी उत्पादक या व्यक्ति अथवा अभिकरण अथवा संघ द्वारा की जा सकती है। इन केन्द्रों को एकत्रित अपशिष्ट और इसके निपटान के संबंध में एसपीसीबी/पीसीसी से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा और उन्हें वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

(v) वैश्विक रूप से स्वीकृत मानकों के आधार पर इन नियमों में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण में प्रयुक्त छः खतरनाक पदार्थों हेतु न्यूनतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन नियमों के लागू होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के अंदर खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी करेंगे।

(vi) शहरी स्थानीय निकायों (नगर समितियों/परिषदों/निगमों) से अपेक्षित है कि यदि ई-अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया जाए तो वे उसका समुचित प्रथक्कीकरण, संग्रहण और किसी प्राधिकृत एकत्रण केंद्र अथवा विखण्डकों अथवा पुनर्चक्रकों को चैनेलाइज करेंगे। इन अभिकरणों को अदावाकृत उत्पादों से उत्सर्जित ई-अपशिष्ट को एकत्रित करना भी अपेक्षित है।

(vii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा विखण्डकों को पुनर्चक्रकों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

एसपीसीबी, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ई-अपशिष्ट का पुन:संसाधन करने के लिए पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है, प्रारंभ में दो वर्षों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और उसके पश्चात् निष्पादन के आधार पर इसका पांच वर्षों की और अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है।

(viii) ई-अपशिष्ट के कुछ घटकों की जमाखोरी को प्रतिबांधित करने हेतु ई-अपशिष्ट की अधिकतम भंडारण अवधि को 180 दिनों तक सीमित किया गया है।

(ix) इन नियमों में, एकत्रण, पृथक्करण, विखंडन और पुनर्चक्रण जैसी ई-अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी संगत गतिविधियों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और विनियमन करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को अधिकार प्रदान किये गये हैं।

(x) उत्पादकों, एकत्रण केन्द्रों, विखण्डकों और पुनर्चक्रकों के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तद्नन्तंर, एसपीसीबी/पीसीसी को सीपीसीबी को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत होंगी।

151-54

विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजनाएं

1425. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही भारतीय राजमार्ग परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इसमें से इन परियोजनाओं पर वास्तव में व्यय की गई धनराशि क्या है;

(ख) क्या इनमें से अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषित राजमार्ग परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं में समय और लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में निर्धारित संशोधित समय-सीमा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान कर रही हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोई बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना नहीं सौंपी गई है। तथापि, इन परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि के साथ-साथ कार्यान्वयन के अधीन बाह्य सहायता प्राप्त योजना का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित कार्यान्वयन के अधीन कुछ परियोजनाएं ठेकेदारों के अल्प निष्पादन, सड़क ऊपरी पुलों के लिए रेलवे से स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण एवं सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब आदि के कारण अपने नियत समय से पीछे चल रही हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति में वृद्धि करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। परियोजना का निर्माण झंझटमुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय में क्षेत्रीय अधिकारियों, रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के साथ नियमित सुरक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

विवरण

कार्यान्वियन के अधीन बाह्य सहायता प्राप्त योजना का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	खंड	राज्य	रारा संख्या	कुल लंबाई (किमी.)	पूर्ण कर ली गई लंबाई (किमी.)	प्रारंभ होने की तारीख	ठेकानुसार पूरा होने की तारीख	पूरा होने की अनुमानित तारीख	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान अक्तूबर, 2012 तक व्यय की कुल राशि
एशियाई विकास बैंक										
1.	ओरई से झांसी (यूपी-5)	उत्तर प्रदेश	25	50	49.85	सितम्बर-2005	मार्च-2008	मार्च-13	340.68	254.8
2.	राजमार्ग चौराहा से लखनदान (एडीबी-II/सी-8)	मध्य प्रदेश	26	54	46	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	दिसम्बर-12	251.03	250.63
3.	राजमार्ग चौराहा से लखनदान (एडीबी-II/सी-9)	मध्य प्रदेश	26	54.7	51.06	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	दिसम्बर-12	229.91	238.32
4.	सागर-राजमार्ग चौराहा से लखनदान (एडीबी-II/सी-6)	मध्य प्रदेश	26	44	40.84	अप्रैल-2006	अक्तूबर-2008	दिसम्बर-12	203.43	176.84
विश्व बैंक										
1.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/I-A)	उत्तर प्रदेश	2	50.83	50.76	मार्च-2002	मार्च-2005	दिसम्बर-12	367.49	41.14
2.	दीवापुर से यूपी/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	बिहार	28	41.085	29.78	नवम्बर-2005	अक्तूबर-2008	मार्च-14	300	46.29
3.	कोटवा से दीवापुर (एलएमएनएचपी-10)	बिहार	28	38	37.5	नवम्बर-2005	नवम्बर-2008	मार्च-13	240	203.19

यातायात की भीड़भाड़ कम करना

1426. श्री ओ.एस. मणियन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरकली से करीकल और नागपट्टीनम तक निजी पत्तन के मार्ग पर भारी यातायात भीड़भाड़ होती है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर यातयात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या उक्त मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) सिरकली से करीकल और नागपट्टीनम तक सड़क खंड, विल्लुपुरम से नागपट्टीनम तक वाया पुदुचेरी, राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। इस सड़क खंड का अभिनिर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत विकास किए जाने के लिए किया गया है। अर्हता हेतु अनुरोध जारी किया जा चुका है।

लखनपुर-जमुरे राष्ट्रीय राजमार्ग

1427. श्री कीर्ति आजाद : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लखनपुर-जमुरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए पुल का निर्माण करने अथवा उक्त राजमार्ग को चार लेन वाला करते समय मौजूदा पुल की मरम्मत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) मौजूदा 2 लेन पुलों की मरम्मत और पुनर्वास के अलावा, रारा-1ए के लखनपुर-जमुरे खंड को 4 लेन का बनाने के अंतर्गत 2 लेन के नए निम्नलिखित अतिरिक्त पुलों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है:—

क्र.सं.	रारा-1 पर चैनेज
1.	20.657
2.	27.171
3.	27.770
4.	36.584
5.	46.584
6.	55.341
7.	69.626
8.	77.197
9.	81.454
10.	86.783
11.	89.310
12.	94.420

वर्ष 2011 में अचानक आई बाढ़ के दौरान देवेक नदी (किमी. 77.197) पर मौजूदा 2 लेन का पुल ढह गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देवेक पुल के तल संरक्षण सहित क्षतिग्रस्त स्पैनों के निर्माण के लिए 3.67 करोड़ रु. की लागत के लिए अनुमान संस्वीकृत किया गया है और इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

धर्मान्तिरित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा

1428. श्री बाल कुमार पटेल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दू मूल के धर्मान्तिरित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए राज्यों द्वारा क्या कारण प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से यह मांग/अनुरोध प्राप्त हुआ है कि ऐसे धर्मान्तरित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाए जो मूलतः उस जाति के हैं जो वर्तमान में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट हैं।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें ऐसे धर्मान्तरित ईसाइयों के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है जो मूलतः उस जाति के हैं जो वर्तमान में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट हैं। वर्तमान में यह मामला निर्णयाधीन हैं।

फलों का निर्यात

1429. श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विश्व में फलों के सबसे बड़े उत्पादकों में होने के बावजूद, यहां से फलों का निर्यात नगण्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश से फलों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम हुआ तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में फलों का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या सरकार का फलों के निर्यात की गई संभावनाएं तलाशने और भारत से ताजे फलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कोई वित्तीय पैकेज तैयार करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत चीन के बाद विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित भारतीय बागवानी डाटाबेस 2011 के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान देश में फलों का समग्र उत्पादन 74.87 मिलियन टन था। फलों के निर्यात का हिस्सा वर्ष 2010-11 में इसके कुल उत्पादन का केवल 0.55% था। कम हिस्सा होने का संबंध प्राथमिक तौर पर (i) कम उत्पादन तथा उत्पादों की खराब गुणवत्ता (ii) अत्यधिक घरेलू खपत और उच्च कीमतें (iii) उचित कीमतों पर वाणिज्यिक मात्रा में फलों की उपलब्धता में कमी (iv) आपूर्ति चेन तथा बाजार संबंद्धता में अवरोध तथा (v) भंडारण सुविधा तथा फसलोत्तर प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी के अभाव से है।

(ग) और (घ) निर्यात प्रोत्साहन एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार वस्तुबोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषदों की योजनागत स्कीम के अंतर्गत उपायों एवं प्रोत्साहनों के जरिए फलों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) समग्र कृषि निर्यात में तेजी लाने के लिए अपने पास पंजीकृत पात्र निर्यातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए विभिन्न स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रहा है। इन उपायों के अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसके स्थान पर विभिन्न स्कीमों नामतः बाजार विकास सहायता (एमडीए), बाजार सहायता पहल (एमएआई), निर्यात विकास अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलाप के लिए राज्यों को सहायता (एसाईड), विशेष कृषि एवं ग्राम उपज योजना, फोकस उत्पाद स्कीमें, फोकस बाजार स्कीम, निर्यात उत्कृष्टता का शहर इत्यादि स्कीमों निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु चला रहा है। विदेश बाजार में पैठ बनाने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं तथा भावी निर्यात की संभावनाओं में सहायता हेतु क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुल निर्यातित फलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

मात्रा: मी.टन, मूल्य: डॉलर

उत्पाद	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 अप्रैल-जुलाई	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अन्य ताजे फल	260675	110302	254899	108815	271329	153470	89956	45605
ताजे अंगूर	131154	115050	98005	93967	108585	125743	60258	80185
अखरोट	9073	41750	5762	36484	5842	48197	1404	9846
ताजे आम	74461	42308	58863	36164	63441	43746	47690	41758
कुल	475363	309410	417529	275430	449197	371156	199308	177394

स्रोत: एपीडा

(ङ) और (च) सरकार समय-समय पर भारतीय ताजे फलों के लिए नए बाजार खोलने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निर्यातक भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए बाजार विकास सहायता का लाभ उठा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय आम के लिए चीन, जापान, यूएसए, आस्ट्रेलिया, चिली, न्यूजीलैंड आदि स्थानों पर बाजार खुले हैं। इसके अलावा सरकार बागवानी उत्पादों के फसलोत्तर निस्तारण के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट अवसंरचना सुविधाओं के विकास, निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता हेतु गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वियन को सुगम बना रही है।

[हिन्दी]

159-60

रक्षा-तैयारियां

1430. **श्री राधे मोहन सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अचानक युद्ध की स्थिति के मद्देनजर हमारी रक्षा-तैयारियां कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस सिलसिले में होने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) रक्षा तैयारी एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की प्रादेशिक अखंडता को खतरे की बदलती हुई अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा तैयारी को इष्टतम करने हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं।

160-61

जाति प्रमाण-पत्र जारी करना और अभिप्रमाणन

1431. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सरकार ने अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने और उनके अभिप्रमाणन के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सन् 1950 अथवा उससे पूर्व का कोई दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने

माधुरी पाटिल (1994 की सिविल अपील सं. 5854) मामले में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक स्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने एवं इनके सत्यापन के लिए एक प्रक्रिया बनाने की सिफारिश की थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आलोक में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 01.01.2003 के पत्र के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अति-शीघ्र जाति की हैसियत का सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है।

जाति प्रमाण-पत्रों को जारी करने एवं उनके सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 22.03.1977 के पत्र के तहत जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए व्यक्ति या उसके माता-पिता के मामले में लागू राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तिथि पर उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।

[अनुवाद]

161 - 911

रक्षा — ऑफसेट नीति

1432. श्री आधि शंकर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने प्रति वर्ष लगभग 8300 करोड़ रुपए की लागत वाले ऑफसेट कार्य की निगरानी और लेखापरीक्षा के लिए रक्षा ऑफसेट निगरानी स्कंध (डीओएमडब्ल्यू) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में यह अधिदेश है कि उन विदेशी हथियार-विक्रेताओं, जिन्हें ठेका दिया गया है, को ठेका-लागत की 30 प्रतिशत राशि रक्षा-उद्योग के निर्माण में निवेश करनी होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने अगस्त, 2012 में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत एक 'रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग' (डीओएमडब्ल्यू) की स्थापना की है और इसे निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी हैं:—

(क) रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देश तैयार करना;

(ख) लेखा परीक्षा सहित ऑफसेट वचनबद्धताओं के निर्वहन की मॉनीटरी तथा विक्रेता से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की पुनरीक्षा;

(ग) टीओईसी और सीएनसी के सदस्यों के रूप में ऑफसेट प्रस्तावों में तकनीकी तथा वाणिज्यिक मूल्यांकन में सहभागिता;

(घ) ऑफसेट बैंकिंग दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन;

(ङ) अधिग्रहण विंग के साथ परामर्श करके ऑफसेट संविदाओं के तहत शास्तियां लगाना;

(च) भारतीय उद्योग के साथ विचार-विमर्श करने में विक्रेताओं की सहायता करना; और

(छ) ऑफसेट दिशा-निर्देशों के तहत सौंपी गई अथवा सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियां।

ऑफसेटों की मॉनीटरी और निवर्हन संगत ऑफसेट दिशा-निर्देशों और हस्ताक्षरित ऑफसेट संविदा के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। अतः एक सही-सही वित्तीय आंकड़ा दिया जाना संभव नहीं हो सकता। संशोधित ऑफसेट दिशा-निर्देश (रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2011 के अध्याय-I का परिशिष्ट-घ) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

परिशिष्ट-घ

(अध्याय-1 के पैरा 22 का संदर्भ लें)

रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देश

ऑफसेट संबंधी रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निहित प्रावधानों को आगामी पैराग्राफों में निर्धारित तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

1. रक्षा ऑफसेट का लक्ष्य

1.1 रक्षा ऑफसेट नीति का मुख्य लक्ष्य भारतीय रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए पूंजी अधिग्रहण निम्न द्वारा प्राप्त करना है:— (i) अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना, (ii) रक्षा उत्पादों और सेवाओं संबंधी अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए क्षमता संवर्धन करना तथा सिविल एरोस्पेस और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देना।

2. **ऑफसेट की मात्रा और क्षेत्र**

2.1 ये प्रावधान 'खरीदो (वैश्विक)', के रूप में वर्गीकृत सभी पूंजीगत अधिग्रहणों पर लागू होंगे अर्थात् विदेशी/भारतीय विक्रेता से सीधी खरीद, अथवा 'प्रोद्योगिकी के अंतरण के साथ खरीदों और बनाओ', अर्थात् विदेशी विक्रेता से खरीद के पश्चात् लाइसेंसीकृत उत्पादन जहां अधिग्रहण प्रस्ताव की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक हो। ये पैरा 5.10 में यथा-उल्लिखित 'खरीदो (वैश्विक)' अधिप्राप्ति के अंतर्गत भारतीय फर्मों अथवा उनके संयुक्त उद्यमों पर लागू होंगे।

2.2 'खरीदो (वैश्विक)' वर्ग अधिग्रहण में अधिग्रहण की 30 प्रतिशत अनुमानित लागत तथा 'प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ खरीदो और बनाओ' वर्ग अधिग्रहण में विदेशी विनिमय अवयव का 30 प्रतिशत ऑफसेट दायित्वों का अपेक्षित मूल्य होगा। अनुबंध छह से परिशिष्ट-घ में यथा-उल्लिखित पात्र उत्पादों और पात्र सेवाओं के संदर्भ में ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है।

2.3 रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) एससीएपीसीएचसी के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् 30 प्रतिशत से ऊपर भिन्न ऑफसेट दायित्व निर्धारित कर सकती है अथवा विशेष मामलों में ऑफसेट दायित्वों की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। ऐसे दिशा-निर्देश किसी एक वर्ग के मामलों अथवा निहित तथ्यों पर निर्भर करते हुए किसी व्यक्तिगत मामले पर लागू किये जा सकते हैं जैसे अधिग्रहण का प्रकार, अधिग्रहण का सामरिक महत्व अथवा तात्कालिता, ऑफसेट को समाहित करने की भारतीय रक्षा उद्योग की समर्थता और कुल अन्य संबंधित कारक।

2.4 ऑफसेट संबंधी शर्त प्रस्ताव हेतु अनुरोध तथा तदंतर मुख्य संविदा का भाग होगी। मुख्य संविदा के साथ एक अलग से ऑफसेट संविदा भी निष्पादित की जाएगी।

2.5 ये उपबंध निम्न पर लागू नहीं होंगे (i) त्वरित प्रक्रिया के अंतर्गत अधिप्राप्ति, तथा (ii) 'विकल्प' अनुच्छेद के अंतर्गत अधिप्राप्ति जहां ऑफसेट दायित्व को मूल संविदा में शामिल नहीं किया गया था। 'विकल्प' अनुच्छेद के अंतर्गत अधिप्राप्तियों के संदर्भ में जहां ऑफसेट दायित्व को मूल संविदा में शामिल किया गया था, वहां मूल संविदा पर हस्ताक्षर करते समय प्रचलित ऑफसेट दिशा-निर्देश लागू होंगे।

3. **ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन हेतु अवसर**

3.1 रक्षा पूंजी अधिग्रहणों के उद्देश्य हेतु ऑफसेट दायित्वों का निम्नलिखित किसी एक तरीके अथवा उससे अधिक से निर्वहन किया जा सकता है:—

(क) भारतीय उद्यमों अर्थात् रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय उद्यमों द्वारा निर्मित पात्र उत्पादों अथवा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं हेतु प्रत्यक्ष खरीद अथवा निर्यात आदेशों को निष्पादित करना। ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन हेतु पात्र उत्पादों और सेवाओं की सूची अनुबंध-छह से परिशिष्ट-घ में दी गई है।

(ख) पात्र सेवाओं के प्रावधान तथा पात्र उत्पादों के निर्माण और/अथवा अनुरक्षण हेतु भारतीय उद्यमों (इक्विटी निवेश) के साथ संयुक्त उद्यमों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ऐसा निवेश औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/लाइसेंस संबंधी आवश्यकताओं की शर्त पर होगा।

(ग) पात्र उत्पादों के निर्माण और/अथवा अनुरक्षण तथा पात्र सेवाओं के प्रावधान हेतु भारतीय उद्यमों को प्रौद्योगिकी अंतरण के संदर्भ में 'अनुग्रहपूर्वक' निवेश। यह पात्र उत्पादों और पात्र सेवाओं के सह-उत्पादन, सह-विकास तथा उत्पादन अथवा लाइसेंसीकृत उत्पाद हेतु संयुक्त उद्यमों अथवा गैर-इक्विटी मार्ग के जरिये किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी अंतरण के संदर्भ में अनुग्रहपूर्वक निवेश में समग्र प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु अपेक्षित (सिविल आधारभूत संरचना और उपस्कर शामिल नहीं है। सभी प्रलेखन, प्रशिक्षण और परामर्श शामिल किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी अंतरण बिना लाइसेंस शुल्क के उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा घरेलू उत्पादन, बिक्री अथवा निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

(घ) पात्र उत्पादों के निर्माण और/अथवा अनुरक्षण तथा पात्र सेवाओं के प्रावधान (प्रौद्योगिकी अंतरण, सिविल आधारभूत संरचना और पुराने उपस्करों को छोड़कर) हेतु गैर-इक्विटी मार्ग के जरिये उपस्कर के प्रावधान के संदर्भ में भारतीय उद्यमों में 'अनुग्रहपूर्वक' निवेश।

(ङ) डीआरडीओ (भारतीय उद्यमों से भिन्न) सहित पात्र उत्पादों के निर्माण और/अथवा अनुरक्षण तथा पात्र सेवाओं के प्रावधान में संलग्न सरकारी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को उपस्कर और/अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण का प्रावधान। इसमें

अनुसंधान, डिजाइन और विकास, प्रशिक्षण तथा शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन शामिल होगा परंतु इसमें सिविल आधारभूत संरचना शामिल नहीं होगी।

(च) उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी अंतरण को अनुबंध-आठ से परिशिष्ट-घ तक दर्शाया गया है।

3.2 विदेशी विक्रेता पैरा-5.8 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑफसेट बैंकिंग के माध्यम से भविष्य के दायित्वों के पूर्वानुमान से ऑफसेट कार्यक्रमों के सृजन के बारे में विचार कर सकते हैं।

4. भारतीय ऑफसेट सहभागी

4.1 भारतीय उद्यमियों तथा संस्थानों और स्थापनाओं को, जो पात्र उत्पादों के विनिर्माण में और/अथवा पात्र सेवाओं का प्रबंध करने में संबद्ध हैं जिसमें डीआरडीओ भी शामिल है, को भारतीय ऑफसेट सहभागी (आईओपी) कहा गया है।

4.2 भारतीय ऑफसेट सहभागी भी, प्रख्यापित किसी अन्य विनियमों के अतिरिक्त, औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग द्वारा यथा-अनुप्रयोज्य उपबंधित की गई दिशा-निर्देशों/लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का अनुसरण करेंगे।

4.3 मूल उपस्कर विनिर्माता/विक्रेता/टायर-I उप-विक्रेता भारतीय ऑफसेट सहभागी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑफसेट दायित्वों का कार्यान्वयन करने के लिए भारतीय ऑफसेट सहभागी का चयन करने हेतु फ्री होंगे जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यापार करने के लिए विवर्जित नहीं किया गया है।

4.4 मूल उपस्कर विनिर्माता/विक्रेता/टायर-I उप-विक्रेता तथा भारतीय ऑफसेट सहभागी के बीच करार भारत के कानूनों के अध्यधीन होगा।

5. ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन

विक्रेता का उत्तरदायित्व

5.1 मुख्य अधिप्राप्ति संविदा के तहत उपकरण का विक्रेता ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। विक्रेता अपने टायर-I उप-विक्रेताओं को मुख्य अधिप्राप्ति संविदा के तहत ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए अनुमति दे सकता है जो मुख्य/प्राथमिक विक्रेता की ओर से उनके सांझा कार्य (मूल्य द्वारा) की सीमा तक होगा। तथापि, ऑफसेट दायित्वों के पूर्ण निर्वहन हेतु समग्र जिम्मेदारी तथा देयता मुख्य/प्राथमिक विक्रेता की ही रहेगी। टायर-I उप-विक्रेता) द्वारा की गई किसी भी गलती को मुख्य/प्राथमिक विक्रेता द्वारा ठीक किया जाएगा, ऐसा न होने की स्थिति में विक्रेता शास्ति तथा विवर्जन का पात्र होगा जैसा कि ऑफसेट दिशा-निर्देशों में उपबंधित है।

निर्वहन की अवधि

5.2 ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन एक ऐसी समय-सीमा के अंतर्गत किया जाएगा जो मुख्य अधिप्राप्ति की अवधि से ज्यादा हो सकती है और जिसकी अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी। मुख्य संविदा की अवधि में मुख्य संविदा के अंतर्गत अधिप्राप्त किए जा रहे उपकरण की वारंटी की अवधि शामिल है।

निष्पादन बंध-पत्र

5.3 जहां ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन हेतु अवधि मुख्य अधिप्राप्ति की संविदा की अवधि से ज्यादा हो जाती है तो विक्रेता को एक बैंक गारंटी के रूप में रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग को एक अतिरिक्त निष्पादन बंध-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिसमें मुख्य अधिप्राप्ति संविदा की अवधि से ज्यादा की निर्वहन न किए गए ऑफसेट दायित्वों का पूर्ण मूल्य शामिल होगा। इस निष्पादन बंध-पत्र को वार्षिक रूप से कम किया जाएगा जब तक कि यह रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग (डीओएमडब्ल्यू) द्वारा स्वीकार निर्वहन किए जा चुके ऑफसेट दायित्वों के यथा-समानुपात मूल्य के आधार पर आधारित निर्वापित नहीं हो जाता। अतिरिक्त निष्पादन बंध-पत्र को मुख्य निष्पादन-सह-वारंटी बंध-पत्र के समाप्त होने से छह महीने पूर्व जमा किया जाएगा।

5.4 उन मामलों में जहां मुख्य अधिप्राप्ति संविदा पर हस्ताक्षर यूएस सरकार द्वारा विदेशी सैन्य बिक्रियों (एफएमएस) के माध्यम से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के पैरा-71 के तहत एक अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) के आधार पर किए गए हैं परंतु ऑफसेट संविदा पर हस्ताक्षर मूल उपस्कर विनिर्माता/विक्रेता के साथ हुए हैं तो मूल उपस्कर विनिर्माता/विक्रेता को ऑफसेट दायित्वों के 5 प्रतिशत के समान एक निष्पादन बंध-पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय होगा जो मुख्य अधिप्राप्ति संविदा की अवधि के दौरान पूरा किया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त निष्पादन बंध-पत्र उस स्थिति में वांछनीय होगा जब ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन की अवधि मुख्य अधिप्राप्ति संविदा की अवधि से ज्यादा हो जाती है जैसाकि उपर्युक्त पैरा-5.3 में बताया गया है।

अनिवार्य ऑफसेट

5.5 ऑफसेट दायित्वों के निम्नतम 70 प्रतिशत का निर्वहन किसी एक द्वारा अथवा पैरा-3.1(क), (ख), (ग) तथा (घ) के संयोजनों द्वारा किया जाना अति आवश्यक है।

5.6 जहां ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन पैरा-3.1(घ) के संबंध में प्रस्तावित है तो विक्रेता द्वारा ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए अनुमेय अवधि के अंतर्गत पात्र उत्पादों और/अथवा सेवाओं (मूल्य द्वारा) का निम्नतम 40 प्रतिशत वापिस खरीदा जाना वांछनीय होगा।

प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए ऑफसेट क्रेडिट

5.7 जहां ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन पैरा-3.1(ग) के संदर्भ में प्रस्तावित है तो प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए ऑफसेट क्रेडिट ऑफसेट संविदा की अवधि के दौरान वापिस खरीद किए गए मूल्य का 10 प्रतिशत होगा जो भारत में अतिरिक्त मूल्य की सीमा तक होगा।

ऑफसेट बैंकिंग

5.8 केवल पात्र उत्पादों अथवा सेनाओं में किए गए निवेश अथवा पात्र उत्पादों अथवा सेवाओं के आयात अथवा सीधी खरीद के लिए संविदाओं की संगणना ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन हेतु मुख्य अधिप्राप्ति संविदा पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् की जाएगी। तथापि, पूर्व अनुमोदित बैंक ऑफसेट क्रेडिटों पर ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन हेतु विचार किया जाएगा जो प्रत्येक अधिप्राप्ति संविदा के तहत कुल ऑफसेट दायित्वों के अधिकतम 50 प्रतिशत के अध्यधीन होगा। बैंक ऑफसेट क्रेडिट रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग द्वारा स्वीकार की गई तारीख से 7 वर्षों की एक अवधि के लिए वैध होंगे। बैंक ऑफसेट क्रेडिट इसी अधिप्राप्ति संविदा के अंतर्गत मुख्य विक्रेता तथा उसके टायर-I उप-विक्रेताओं के बीच अंतरण को छोड़कर अस्थानांतरणीय होंगे। मुख्य विक्रेता को इस प्रकार के टायर-I उप-विक्रेताओं की एक तालिका को तकनीकी तथा वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्ताव सहित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऑफसेट क्रेडिटों की बैंकिंग केवल रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1(क), (ख), (ग) तथा (घ) में उपबंधित ऑफसेटों के संबंध में ही अनुमेय होगी। बैंकिंग ऑफसेट क्रेडिटों के लिए दिशा-निर्देश परिशिष्ट-घ के अनुबंध-सात पर हैं।

मूल्य संवर्धन

5.9 मूल्य संवर्धन की संकल्पना केवल पात्र उत्पादों की सीधी खरीद/निर्यात पर लागू होगी। मूल्य संवर्धन का निर्धारण (I) आयातित संघटकों के मूल्य (अर्थात्) उत्पाद के आयात अंश तथा (II) भुगतान किया गया कोई शुल्क/रायल्टी को घटाकर किया जाएगा।

'खरीदो (वैश्विक)' अधिप्राप्तियां

5.10 'खरीदो (वैश्विक)' श्रेणी की अधिप्राप्तियों के लिए, यदि प्रस्ताव के लिए एक भारतीय कंपनी तथा इसके विदेशी हिस्सेदार सहित एक भारतीय फर्म बोली लगा रही है तो यदि उत्पाद में स्वदेशी हिस्सा 50% अथवा अधिक (मूल्यानुसार) है तो ऑफसेट दायित्व संबंधी खंड लागू नहीं होगा। यदि उत्पाद में स्वदेशी अंश 50% से कम है तो भारतीय फर्म अथवा संयुक्त उद्यम को यह सुनिश्चित करना है कि संविदागत मूल्य के विदेशी विनिमय संघटक संबंधी ऑफसेट दायित्वों को पूरा किया गया है। यदि स्वदेशी अंश 50% से कम है तो भारतीय फर्म अथवा संयुक्त उद्यम मुख्य तकनीकी बोली के साथ ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने का एक वचनबंध प्रस्तुत करेंगे। उस चरण में वचनबंध प्रस्तुत करने में विफल रहने पर बोली को निष्क्रिय समझा जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। वचनबंध परिशिष्ट-घ के अनुबंध-एक पर सलंग्न प्रारुप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। स्वदेशी अंश (मूल्यानुसार) मुख्य तकनीकी बोली के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को मौजूद विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए गुणक

5.11 पैरा 3.1(क), (ख), (ग) तथा (घ) के अंतर्गत ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन में, जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आईओपी हैं, वहां 1.50 गुणक होगा। ऑफसेट के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया गया है:—

(क) सामानों के विनिर्माण करने वाले उद्यमों के मामले में:—

(I) एक सूक्ष्म उद्यम वह है जहां संयंत्र तथा मशीनरी में अधिकतम 2.5 मिलियन रु. का निवेश किया गया हो;

(II) एक लघु उद्यम वह है जहां संयंत्र तथा मशीनरी में 2.5 मिलियन रु. से अधिक परंतु 50 मिलियन रु. तक का निवेश किया गया हो; और

(III) एक मध्यम उद्यम वह है जहां संयंत्र तथा मशीनरी में 50 मिलियन रु. से अधिकतम 100 मिलियन रु. तक का निवेश किया गया हो।

(ख) ऐसे उद्यमों के मामले में जो सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं:—

(I) एक सूक्ष्म उद्यम वह है जहां उपकरणों में अधिकतम 1 मिलियन रु. का निवेश किया गया हो;

(II) एक लघु उद्यम वह है जहां उपकरणों में 1 मिलियन रु. से अधिकतम 20 मिलियन रु. तक का निवेश किया गया हो; और

(III) एक मध्यम उद्यम वह है जहां उपकरणों में 20 मिलियन रु. से अधिकतम 50 मिलियन रु. तक का निवेश किया गया हो।

टिप्पणी: उपर्युक्त वित्तीय सीमाएं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परिवर्तनों के अध्यधीन होंगी।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा प्रौद्योगिकी अर्जन के लिए गुणक

5.12 डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी अर्जन से संबंधित पैरा 3.1(च) के अंतर्गत ऑफसेट दायित्वों के निवर्हन में 3 तक गुणक अनुमेय हैं। इस प्रयोजन के लिए परिशिष्ट-घ के अनुबंध-नौ पर दिशा-निर्देश संलग्न हैं। डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए गुणक इस प्रकार दिए जाएंगे:—

(I) जब प्रौद्योगिकी को केवल भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए ऑफर किया जाए तो गुणक 2.0 होगा परंतु उन संख्याओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है।

(II) जब प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल केवल भारतीय बाजार में परंतु सैन्य तथा सिविल अनुप्रयोजन के लिए ही हो तो गुणक 2.5 होगा तथा उन संख्याओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है।

(III) जब प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव बिना प्रतिबंध के तथा पूर्ण और मुक्त अधिकारों के साथ, जिसमें निर्यात का अधिकार शामिल है, किया जाए तो गुणक 3.0 होगा।

ऑफसेटों का मूल्यांकन

5.13 इन ऑफसेट दिशा-निर्देशों के प्रयोजन से, पैरा 3.1(क) के अंतर्गत ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन की तारीख की गणना, बीजक की तारीख, जो भी बाद में हो, की जाएगी। पैरा 3.1(ख) के अंतर्गत इक्विटी निवेश अथवा पैरा 3.1(ग), (घ), (ङ) तथा (च) के अंतर्गत आने वाले अन्य निवेश अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा प्रौद्योगिकी अर्जन के मामले में कागजी प्रमाण के आधार पर लेनदेन पूरा होने की तारीख की गणना ऑफसेट दायित्व के निर्वहन की तारीख के रूप में की जाएगी। ऑफसेट संघटकों का मूल्य जिनके लिए ऑफसेट क्रेडिट मांगे गए हैं, को कागजी साक्ष्य को अभिपुष्ट किया जाना होगा। ऑफसेट संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद केवल किए गए लेनदेन ही को ऑफसेट दायित्व के निर्वहन के लिए गणना में लिया जाएगा (ऑफसेट बैंकिंग को छोड़कर)।

6. ऑफसेटों का प्रबंधन

अर्जन विंग

6.1 रक्षा विभाग में अर्जन विंग (I) प्रस्ताव हेतु अनुरोधों (आरएफपी) के प्रत्युत्तर में प्राप्त ऑफसेट प्रस्तावों के तकनीकी तथा वाणिज्यिक मूल्यांकन तथा (II) ऑफसेट संविदाएं किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग

6.2 रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग (डीओएमडब्ल्यू) रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देश तैयार करने तथा संविदा के बाद प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। डीओएमडब्ल्यू के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(क) रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देश तैयार करना;

(ख) विक्रेताओं से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की लेखापरीक्षा तथा समीक्षा सहित ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन की मॉनीटरी करना;

(ग) टीओईसी तथा सीएनसी के सदस्यों के रूप में ऑफसेट

प्रस्तावों के तकनीकी तथा वाणिज्यिक मूल्यांकन में भाग लेना;

(घ) ऑफसेट बैंकिंग दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन;

(ङ) अर्जन विंग से परामर्श से ऑफसेट संविदाओं के अंतर्गत शास्त्रियों का प्रशासन;

(च) भारतीय उद्योग के साथ कार्रवाई में विक्रेताओं को सहयोग देना; और

(छ) ऑफसेट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सौंपी गई अथवा सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियां।

6.3 रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग अपने कार्यों के निर्वहन के लिए किसी उपर्युक्त संस्था की सहायता ले सकता है।

6.4 ऑफसेट दिशा-निर्देशों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग अर्जन विंग के निकट सहयोग से कार्य करेगा।

7. ऑफसेट प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

7.1 अध्याय 1 के पैरा 26, जिसे डीपीपी 2011 की अनुसूची-I के साथ पढ़ा जाए, में मानक आरएफपी दस्तावेज विहित किए गए हैं। आरएफपी का पैरा 6 तब लागू होगा जब ऑफसेट लगाई जाएं। तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने के चरण में विक्रेता परिशिष्ट-घ के अनुबंध-एक में संलग्न प्रारुप में इस आशय का एक लिखित वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि वह ऑफसेट दायित्वों को रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों के अनुसार आरएफपी में निर्धारित किए गए रूप में पूरा करेगा। यह वचनबंध उस लिफाफे में शामिल किया जाएगा जिसमें विक्रेता की तकनीकी बोली होगी। यह विक्रेता पर बाध्यकारी होगा और इसमें साथ-साथ उल्लेख होगा कि किसी भी चरण में विक्रेता द्वारा ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पालन में विफल रहने पर विक्रेता को निविदा/संविदा में किसी अगली भागीदारी के आयोग्य कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप पैरा 8.13 में निर्दिष्ट शास्तियां भी लगाई जाएंगी और विक्रेता को पैरा 8.14 में दर्शाए अनुसार भावी अधिप्राप्त संविदाओं में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए भागीदारी से विवर्जित कर दिया जाएगा। परिशिष्ट-घ के अनुबंध-एक में उल्लिखित वचनबंध प्रस्तुत करने में विफल रहने से बोली निष्क्रिय रहेगी और उसे रद्द कर दिया जाएगा।

7.2 विक्रेता द्वारा तकनीकी तथा वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्ताव आरएफपी में विनिर्दिष्ट तारीख तक, जो सामान्यतः मुख्य तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रस्तावों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने होगी, प्रस्तुत किए जाने होंगे। तकनीकी तथा वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्ताव तकनीकी प्रबंधक, अर्जन विंग को दो अलग-अलग मुहरबंद कवरों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तकनीकी ऑफसेट प्रस्ताव तथा वाणिज्यिक प्रस्ताव परिशिष्ट 'घ' के क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III पर संलग्न प्रारुप के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्ताव में ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1(ग) और (घ) से संबंधित प्रस्तावों के लिए व्यवसाय मॉडल के विवरण दिए जाने चाहिए यदि ऑफसेट क्रेडिट इन विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत मांगे जा रहे हों। ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1(च) के अंतर्गत डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी अर्जन के लिए तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रस्ताव को तकनीकी प्रबंधक द्वारा डीआरडीओ को भेजा जाएगा। यदि ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1(च) के अंतर्गत कोई ऑफसेट क्रेडिट का दावा किया जाता है तो तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रस्तावों को परिशिष्ट-'घ' के अनुबंध-नो पर संलग्न प्रारुप के अनुसार एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑफसेट प्रस्तावों को प्रस्तुत न कर पाने से बोली का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तकनीकी और वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्ताव तकनीकी प्रबंधक द्वारा क्रमशः संबंधित सेना मुख्यालयों और अधिग्रहण प्रबंधक को अग्रेषित किया जाएगा।

8. ऑफसेट प्रस्तावों पर कार्रवाई करना

तकनीकी मूल्यांकन

8.1 तकनीकी ऑफसेट मूल्यांकन समिति (टीओईसी) का गठन तकनीकी प्रबंधक द्वारा महानिदेशक (अधिग्रहण) द्वारा किया जाएगा। टीओईसी में सेना मुख्यालयों, रक्षा वित्त, डीआरडीओ और डीओएमडब्ल्यू के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति में महानिदेशक (अधिग्रहण) के अनुमोदन से विशेषज्ञ, जैसा आवश्यक समझा जाए, भी शामिल किए जा सकते हैं। टीओईसी की अध्यक्षता सेना मुख्यालयों के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। सदस्य सचिव सेना मुख्यालयों द्वारा नामित किया जाएगा। टीओईसी की रिपोर्ट सेना मुख्यालयों के संबंधित प्रधान स्टाफ अधिकारी के अनुमोदन से तकनीकी प्रबंधक को अग्रेषित की जाएगी। तकनीकी प्रबंधक टीओईसी रिपोर्ट पर महानिदेशक (अधिग्रहण) द्वारा स्वीकृति के किए कार्रवाई की जाएगी।

8.2 टीओईसी तकनीकी ऑफसेट प्रस्तावों (डीआरडीओ द्वारा पैरा 8.3 के अनुसार प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के प्रस्तावों को छोड़कर) की ऑफसेट दिशा-निर्देशों से समरुपता सुनिश्चित करने के लिए उनकी संवीक्षा करेगा। इस प्रयोजन हेतु विक्रेता को अपने ऑफसेट प्रस्तावों में ऑफसेट दिशा-निर्देशों से अनुरुपता लाने हेतु परिवर्तन करने की सलाह दी जा सकती है। टीओईसी से इसके गठन के 4-8 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जाएगी।

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण

8.3 पैरा 3.1(च) से संबंधित ऑफसेट प्रस्तावों का मूल्यांकन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अनुमोदन से गठित की जाने वाली प्रौद्योगिकी अधिग्रहण समिति (टीएसी) द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन सहित तकनीकी तथा वित्तीय पैरामीटरों को शामिल किया जाएगा और इसमें प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए समय-सीमा और रणनीति को दर्शाया जाएगा। टीएसी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित अपनी सिफारिशें, टीओईसी रिपोर्ट में समावेश किए जाने, के लिए अपने गठन के 4-8 सप्ताह की अवधि के भीतर तकनीकी प्रबंधक को भेजेगी। प्रौद्योगिकी अधिग्रहण प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश परिशिष्ट-घ के अनुबंध-नौ पर हैं।

वाणिज्यिक मूल्यांकन

8.4 वाणिज्यिक ऑफसेट पेशकश में विस्तृत पेशकश समाहित होगी जिसमें ऑफसेट घटकों का मूल्य विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें ब्यौरों, अवस्थाबद्धकरण, भारतीय ऑफसेट भागीदार और इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रस्तावित बैंकशुदा ऑफसेट क्रेडिट का अलग-अलग विवरण होगा। महानिदेशक (अधिग्रहण) द्वारा टीओईसी रिपोर्ट स्वीकृत किए जाने के बाद मुख्य वाणिज्यिक पेशकश के साथ वाणिज्यिक ऑफसेट पेशकश खोली जाएगी। वाणिज्यिक ऑफसेट पेशकश का एल-1 विक्रेता के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

8.5 मुख्य अधिप्राप्ति मामले के लिए सीएनसी में यह सत्यापित किया जाएगा कि वाणिज्यिक ऑफसेट पेशकश में निर्धारित ऑफसेट दायित्वों को पूरा किया गया है। मुख्य अधिप्राप्ति प्रस्ताव में सीएनसी द्वारा केवल एल-1 विक्रेता के वाणिज्यिक ऑफसेट पेशकश का मूल्यांकन किया जाएगा। एल-1 विक्रेता, इस अवस्था में, यदि आवश्यक हो, तो प्रस्ताव का तकनीकी ऑफसेट प्रस्ताव के साथ सामंजस्य करने के लिए वाणिज्यिक ऑफसेट पेशकश में संशोधन कर सकता है। वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु, सीएनसी में डीओएमडब्ल्यू का प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होगा। महानिदेशक (अधिग्रहण) के अनुमोदन से डीआरडीओ, डीपीएसयू, ओएफबी या अन्य सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, यथापेक्षित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा। टीएसी द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण का वाणिज्यिक मूल्यांकन (देखें पैरा 8.3) सीएनसी रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाएगा।

अनुमोदन प्राधिकारी

8.6 सभी ऑफसेट प्रस्तावों पर अधिग्रहण प्रबंधक द्वारा कार्रवाई की जाएगी और रक्षा मंत्री द्वारा उनका अनुमोदन किया जाएगा, चाहे उनका मूल्य कितना ही हो, ऑफसेट प्रस्तावों को सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सीएफए) के सूचनार्थ मुख्य अधिप्राप्ति प्रस्तावों के लिए सीएफए का अनुमोदन मांगने वाले नोट में भी समाविष्ट किया जाएगा। ऑफसेट संविदा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद अधिग्रहण प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ऑफसेट संविदा की एक प्रति डीओएमडब्ल्यू को उपलब्ध कराई जाएगी।

मॉडल ऑफसेट संविदा

8.7 एक मॉडल ऑफसेट संविदा परिशिष्ट-घ के अनुबंध-IV पर है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। तथापि, सीएनसी द्वारा आवश्यक समझी गई मानक शर्तों से किसी विचलन को रक्षा मंत्री का अनुमोदन मांगते समय अधिग्रहण प्रबंधक द्वारा बताया जाना चाहिए। ऑफसेट संविदा भारत के कानूनों के अध्यधीन होगी।

छमाही रिपोर्टें

8.8 विक्रेता रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग को अनुबंध-पांच में दिए गए प्रारुप में छमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। डीओएमडब्ल्यू कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए किसी नामोदृष्टि अधिकारी या एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा करा सकता है।

ऑफसेट क्रेडिटों का हस्तांतरण

8.9 डीओएमडब्ल्यू द्वारा ऑफसेट क्रेडिटों का हस्तांतरण छमाही रिपोर्टों की संवीक्षा के बाद किया जाएगा।

ऑफसेट देयताओं का पुनः अवस्थाबद्ध करना

8.10 विक्रेता, कारण बताते हुए, ऑफसेट संविदा की अवधि के भीतर ऑफसेट देनदारियों को पुनः अवस्थाबद्ध करने का अनुरोध कर सकता है। संयुक्त सचिव (डीओएमडब्ल्यू), यदि औचित्यपूर्ण हो, तो सचिव, रक्षा उत्पादन के अनुमोदन से इस अनुरोध को मान सकता है। पुनः अवस्थाबद्धकरण की अनुमति दिशा-निर्देशों के पैरा 5.2 में निर्धारित अवधि के बाद नहीं दी जाएगी।

आईओपी या ऑफसेट घटक में परिवर्तन

8.11 आपवादिक मामलों में, डीओएमडब्ल्यू यह आश्वस्त होने पर कि परिवर्तन ऑफसेट देयताओं को पूरा करने में विक्रेता को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है, ऑफसेट भागीदार या ऑफसेट घटक में परिवर्तन की सिफारिश कर सकता है। टियर-1 उप-विक्रेता के आईओपी/ऑफसेट घटक में कोई परिवर्तन मुख्य/प्रधान विक्रेता के माध्यम से डीओएमडब्ल्यू को अग्रेषित किया जाना होगा। तथापि, ऑफसेट देयताओं का समग्र मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। आईओपी में कोई परिवर्तन सचिव (रक्षा उत्पादन) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऑफसेट घटक में किसी परिवर्तन के लिए रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड (डीपीबी) की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्री के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ऑफसेट संविदा संशोधन

8.12 पैरा 8.10 और 8.11 में परिवर्तनों के कारण ऑफसेट संविदा में कोई संशोधन संयुक्त सचिव, डीओएमडब्ल्यू द्वारा पूरक संविदा के जरिए ऑफसेट संविदा में समाविष्ट किया जाएगा। संयुक्त सचिव (डीओएमडब्ल्यू) इस प्रकार के परिवर्तनों को उनके अनुमोदित हो जाने पर तत्काल संबंधित अधिग्रहण प्रबंधकों को सूचित करेंगे।

दंड

8.13 यदि कोई विक्रेता ऑफसेट संविदा में यथा सहमत वार्षिक चरण के अनुसार किसी विशेष वर्ष में ऑफसेट दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो विक्रेता पर पूरे न किए गए ऑफसेट दायित्वों के पांच प्रतिशत का दंड लगाया जाएगा। पूरी न किए गए ऑफसेट मूल्य को इसके बाद ऑफसेट संविदा की शेष अवधि के लिए फिर से अवस्थाबद्ध (रिफेज) किया जाएगा। यह दंड या तो विक्रेता द्वारा अदा किया जाएगा अथवा मुख्य अधिग्रहण संविदा की बैंक गारंटी से वसूल किया जाएगा अथवा ऑफसेट संविदा के निष्पादन बांड से वसूल किया जाएगा, इस दंड की उच्चतम सीमा मुख्य अधिग्रहण संविदा की अवधि के दौरान कुल ऑफसेट संविदा की अवधि के बाद के दौरान ऑफसेट दायित्वों को कार्यान्वित करने में असफल रहने के लिए दंड पर कोई सीमा नहीं होगी। ये दंड, यथापेक्षित अर्जन स्कंध के परामर्श से डीओएमयू द्वारा लगाए जाएंगे।

रोक लगाना

8.14 कोई भी विक्रेता जो ऑफसेट दायित्वों को कार्यान्वित करने में असफल रहता है, वह अपने पर पांच वर्ष की अवधि तक के लिए भावी रक्षा संविदा में भागीदारी करने में रोक लगाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस रोक का निर्णय विक्रेता को अपना मामला प्रस्तुत करने का एक अवसर दिए जाने के बाद महानिदेशक (अधिग्रहण) द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण

8.15 संविदा पूर्व चरण में ऑफसेट प्रस्तावों से संबंधित कोई भी स्पष्टीकरण यथापेक्षित डीओएमयू के परामर्श में अधिग्रहण स्कंध द्वारा दिया जाएगा। संविदा बाद के चरण में कोई भी स्पष्टीकरण यथापेक्षित अधिग्रहण स्कंध के परामर्श में डीओएमयू द्वारा दिया जाएगा।

8.16 विक्रेता के साथ कोई भी मतान्तर अथवा विवाद का समाधान विचार-विमर्श द्वारा किया जाएगा। अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों के संबंध में अधिग्रहण स्कंध और रक्षा ऑफसेट प्रबंध स्कंध का निर्णय अंतिम होगा।

रक्षा अर्जन परिषद् को वार्षिक सूचना देना

8.17 एक्वीजिशन विंग पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हस्ताक्षर किए गए ऑफसेट संविदाओं के विवरणों के बारे में प्रत्येक वर्ष जून में रक्षा अधिग्रहण में परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। डीओएमयू पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सभी चालू ऑफसेट संविदाओं के कार्यान्वियन की स्थिति के बारे में प्रत्येक वर्ष जून में रक्षा अधिग्रहण परिषद् को भी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8.18 यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई सामान्य शर्त/धारा जिसे ऑफसेट संविदा में शामिल नहीं किया जाता हो लेकिन उसे मुख्य संविदा (फोर्स मज्यूर) आर्बिटेशन, भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, अनुचित प्रभाव का उपयोग, एजेंटों और एजेंसी का कमीशन आदि) में शामिल किया जाता हो, वे स्वतः ही ऑफसेट संविदा के लिए लागू होंगी।

8.19 रक्षा ऑफसेट मार्ग निर्देश, औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय और वित्त मंत्रालय, आदि सहित भारत सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा निर्धारित किन्हीं भी

नियमों और विनियमों में कमी के साथ नहीं अपितु उनकी सुसंगता के साथ लागू होंगे।

8.20 ये रक्षा ऑफसेट मार्ग निर्देश 1 अगस्त, 2012 से प्रभावी होंगे।

अनुबंध-एक

(पैरा 5.10 और 7.1 के संदर्भ में)

ऑफसेट दायित्वों के अनुसरण का वचनबद्ध

1. बोलीदाता .... (कंपनी का नाम) एतद्द्वारा

(i) प्रस्ताव हेतु अनुरोध तथा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अध्याय-I के परिशिष्ट-घ में वर्णित रक्षा ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने का वचन देता हूं।

(ii) ऑफसेट दायित्वों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने का वचन देता हूं, जिसके न होने पर विक्रेता रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों के अनुसार दंड का पात्र होगा।

(iii) यह स्वीकार करता हूं कि ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में किसी तरह की असफलता के कारण भावी अधिग्रहण संबंधी संविदाओं में भाग लेने से 5 वर्ष की अवधि के लिए, जैसाकि महानिदेशक (अधिग्रहण) द्वारा निर्णय किया जाए, विवर्जित किया जा सकता है।

(iv) मैं परिशिष्ट-घ में दिए गए अनुबंध-दो और तीन के अनुसार तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव हेतु अनुरोध में दिए गए समय-सीमा में प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

नोट: मुख्य तकनीकी बोली के साथ वचनबद्ध संलग्न करने में असफल रहने पर बोली को गैर-प्रति-उत्तरदायी बनाएगा और उसे निरस्त माना जा सकता है।

अनुबंध-दो

(परिशिष्ट 'घ' के पैरा 7.2 के संदर्भ में)

तकनीकी ऑफसेट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रारुप

1. बोलीदाता .... एतद्-द्वारा तकनीकी ऑफसेट दायित्वों के अनुपालन में निम्नलिखित ऑफसेटों को प्रस्ताव करता है:—

क्र. सं.	पात्र ऑफसेट उत्पाद/सेवाएं जिनकी पेशकश की गई	निर्वहन के लिए एवेन्यू (3.1 के उप-पैरा को उद्धृत करें)	प्रयोज्य गुणक (लागू होने वाले पैरा को उद्धृत करें)	कुल ऑफसेटों की प्रतिशतता	ऑफसेट का मूल्य	निर्वहन हेतु आईओपी/एजेंसी	ऑफसेट के निर्वहन के लिए समय-सीमा	क्या आपूरित मुख्य उपस्कर से संबंधित है (हां/नहीं)	टिप्पणियां
1.									
2.									

टिप्पणी: विक्रेता को तकनीकी ऑफसेट प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित उपलब्ध करवाने हैं:—

(क) वचन पत्र की आईओपी लागू मार्ग-निर्देशों के अनुसार एक पात्र ऑफसेट साझेदार है।

(ख) आईओपी/एजेंसी का कम्पनी प्रोफाइल।

(ग) प्रस्तावित ऑफसेट की प्रमात्रा का ब्यौरा।

(घ) सीधी खरीद या निवेश के मामले में ऑफसेट परियोजना की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए आईओपी/एजेंसी का पत्र।

(ङ) बैंकीकृत ऑफसेट्स को उपयोग में लाए जाने की योजना के मामले में डीओएमडब्ल्यू द्वारा उनके ब्यौरों का प्रमाणीकरण।

(च) ऐसे टियर-1 उप-संविदाकारों, यदि कोई हों तो, जिनके माध्यम से ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन किया जाना है, निर्वहन की प्रतिशतता के साथ, की सूची।

(छ) परिशिष्ट-घ के पैरा 3.1 (च) के तहत डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रस्तावों को परिशिष्ट 'घ' के अनुबंध नौ के प्रारुप में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध-तीन

(परिशिष्ट 'घ' के पैरा 7.2 के संदर्भ में)

वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रारुप

1. बोलीदाता .... एतद्-द्वारा वाणिज्यिक ऑफसेट दायित्वों के अनुपालन में निम्नलिखित ऑफसेटों का प्रस्ताव करता है:—

क्र. सं.	पात्र ऑफसेट उत्पाद/सेवाएं जिनकी पेशकश की गई	निर्वहन के लिए एवेन्यू (3.1 के उप-पैरा को उद्धृत करें)	प्रयोज्य गुणक (लागू होने वाले पैरा को उद्धृत करें)	कुल ऑफसेटों की प्रतिशतता	ऑफसेट का मूल्य	निर्वहन हेतु आईओपी/एजेंसी	ऑफसेट के निर्वहन के लिए समय-सीमा	क्या आपूरित मुख्य उपस्कर से संबंधित है (हां/नहीं)	टिप्पणियां
1.									
2.									

टिप्पणी: विक्रेता को वाणिज्यिक ऑफसेट प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित उपलब्ध करवाने हैं:—

(क) वचन पत्र की आईओपी लागू मार्ग-निर्देशों के अनुसार एक पात्र ऑफसेट साझेदार है।

(ख) आईओपी/एजेंसी का कम्पनी प्रोफाइल।

(ग) टियर-1 उप-संविदा के विवरण, यदि कोई हो तो, सहित प्रस्तावित ऑफसेट के मूल्य का विवरण।

(घ) सीधी खरीद या निवेश के मामले में ऑफसेट परियोजना की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए आईओपी/एजेंसी का पत्र।

(ङ) बैंकीकृत ऑफसेट्स को उपयोग में लाए जाने की योजना के मामले में डीओएमडब्ल्यू द्वारा उनके ब्यौरों का प्रमाणीकरण।

(च) 'इन काइंड' (वस्तु) निवेश के मूल्य के समर्थन में लिखित साक्ष्य।

(छ) ऑफसेट मार्ग-निर्देशों के पैरा 3.1(ग) तथा (घ) से संबंधित प्रस्तावों के लिए यथाप्रयोज्य बिजनेस मॉडल का विवरण।

2. यह अनुबंध विक्रेता द्वारा ऑफसेट्स की बैंकिंग के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। (परिशिष्ट-घ के अनुबंध-सात के पैरा 2) ऐसे मामलों में उपर्युक्त टिप्पणी (ङ) लागू नहीं होगी।

अनुबंध-चार

(परिशिष्ट-घ के पैरा 8.7 के संदर्भ में)

ऑफसेट संविदा

संविदा .... दिनांक ....

यह ऑफसेट संविदा .... के दिन की गई है जिसका इसके बाद 'प्रभाव की तारीख' के रूप में उल्लेख किया गया है, जो निम्न पक्षकारों के बीच हुई है:—

(क) जिनमें एक पक्षकार भारत के राष्ट्रपति हैं, जिनके प्रतिनिधि संयुक्त सचिव और अधिग्रहण प्रबंधक (भू प्रणालियां/सामुद्रिक प्रणालियां/वायु) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जिन्हें इसके बाद 'क्रेता' कहा गया है;

(ख) दूसरे पक्षकार, ... की विधि के तहत निगमित मैसर्स (विक्रेता का नाम) हैं, जिनका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है और जिनके

.... विधिवत् प्रतिनिधि हैं, जिन्हें इसके बाद 'विक्रेता' कहा गया है।

चूंकि विक्रेता को .... नामक परियोजना के लिए एक संविदा प्रदान की गई है, संविदा संख्या .... दिनांक .... और अधिप्राप्ति संविदा में विक्रेता की वस्तुओं और/अथवा सेवाओं के लिए .... कुल धनराशि का रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भुगतान किए जाने के लिए कहा गया है; और

विक्रेता, आरएफपी में दिए गए ऑफसेट खंड और रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2011 के अध्याय-1 के परिशिष्ट 'घ' में उल्लिखित रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों, जिनका रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देश के रूप में उल्लेख किया गया है, को स्पष्ट रूप से समतुल्य है और उनसे सहमत है।

अत: अब क्रेता और विक्रेता निम्नलिखित के लिए सहमत होते हैं:—

(1) विक्रेता इस बात को समझता है और सहमत होता है कि अधिप्राप्ति संविदा सं. .... दिनांक .... आरएफपी में निर्धारित ऑफसेट दायित्वों को पूरा किए जाने की शर्त के अधीन है। इस ऑफसेट दायित्व की कुल राशि .... है जो आपूर्ति संविदा मूल्य का .... (विनिर्दिष्ट) प्रतिशत (#%) है।

(2) अधिप्राप्ति संविदा मूल्य को बढ़ाए अथवा घटाए जाने की स्थिति में, विक्रेता के ऑफसेट दायित्व को आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

(3) इसके बाद ऑफसेट दायित्वों पर लागू ऑफसेट शुरू होने की तारीख अधिग्रहण संविदा संख्या .... दिनांक .... की प्रभावी तारीख होगी।

(4) विक्रेता इस संविदा के संबद्ध ऑफसेट कार्यक्रम के अनुसार अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार है और वह ऐसा करने का वचन देता है। ऑफसेट संबंधी कार्यक्रम में किसी भी तरह रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग के साथ बिना पूर्व लिखित करार के परिवर्तन अथवा संशोधित नहीं किया जाए।

(5) इस संविदा के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे (90) कैलेंडर दिनों के भीतर विक्रेता इस करार से संबंधित सभी मामलों तथा विक्रेता के ऑफसेट दायित्वों के कार्य-निष्पादन के लिए भारतीय ऑफसेट भागीदार के साथ हुए ऑफसेट कार्यक्रम संविदा की एक प्रति तथा कंपनी ने अधिकाधिक रूप से संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्तियों की सूची लिखित रूप से रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग, रक्षा उत्पादन विभाग को उपलब्ध कराएगा। इस सूची में अधिकाधिक रूप से संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्तियों के नाम, डाक पते, घर का पता, टेलीफोन नं. तथा प्रतिकृति संख्या दी गई होगी तथा यह तीन संपर्क अधिकारियों तक सीमित होगी। रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग द्वारा उक्त संपर्क अधिकारियों में से किसी के साथ भी किया गया कोई या सभी सम्प्रेषण तथा पत्राचार, मंत्रालय और विक्रेता के बीच किया गया माना जाएगा।

(6) अपरिहार्य घटना की स्थिति में, रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग के प्रतिनिधि तथा बिक्रीकर्त्ताओं के प्रतिनिधि अपरिहार्य घटना की तारीख पूर्व के कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा बिक्रीकर्त्ताओं के बाकी बचे हुए ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत तरीके तथा कार्यक्रम बनाने के लिए मुलाकात करेंगे।

(7) इस संविदा तथा कोई अन्य और इस कार्यक्रम के तहत बिक्रीकर्त्ता के ऑफसेट दायित्वों तथा निष्पादन को पूरा करने से संबंधित समस्त मामलों का निर्वचन किया जायेगा तथा जो भारत गणराज्य के कानूनों के अध्यधीन होगा।

(8) मुख्य अधिप्राप्ति संविदा संख्या .... दिनांक .... के उपबंध विवाचन के संबंध में ऑफसेट संविदा पर लागू होंगे

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई सामान्य शर्त/खंड जो ऑफसेट संविदा में शामिल नहीं है परन्तु मुख्य अधिप्राप्ति संविदा (जैसे अपरिहार्य घटना और भारतीय न्यायालयों का न्यायाधिकार क्षेत्र है, एजेंटों तथा एजेंसी कमीशन इत्यादि के अनुचित प्रभाव का प्रयोग) में शामिल है तो स्वयंमेव ही ऑफसेट संविदा पर अनुप्रयोज्य होगी।

अनुबंध-पांच

(परिशिष्ट 'घ' के पैरा 8.8 के संदर्भ में)

ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने के बारे में छमाही रिपोर्ट

31 दिसंबर/30 जून को समाप्त अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट
(प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 30 जनवरी और 30 जुलाई तक भेजी जाने वाली)

1. मुख्य संविदा संख्या तथा प्रभावी तारीख ....

2. बैंकिंग प्रोजेक्ट पहचान संख्या (बैंकिंग के मामले में) ....

3. भारतीय ऑफसेट साझेदार ....

4. ऑफसेट संविदा संख्या (बैंकिंग के मामले में अपेक्षित नहीं) ....

5. उत्पाद संख्या तथा नाम ....

6. **ऑफसेट दायित्वों का कार्यक्रम तथा उन्हें पूरा करना**

संख्या	पात्र उत्पाद/सेवाएं जिनकी पेशकश की गई	प्रतिबद्ध ऑफसेट का मूल्य	तारीख जिस तक पूरा किया जाएगा	रिपोर्ट करने की तारीख तक पूरा किया गया वास्तविक मूल्य	शास्तियों, यदि कोई हों तो, सहित टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7. स्पष्टीकरण टिप्पणियां, यदि कोई हों तो।

8. पूरे किए गए वास्तविक मूल्य के बारे में उपर्युक्त कालम 5 के बारे में सहायक संलग्नक।

9. उपयोग में लाया गया बैंक ऑफसेट क्रेडिट, यदि कोई हो तो, को विशेष रूप से कालम 5 के तहत दर्शाया जाएगा।

10. 'इन काइंड' (वस्तु) में निवेश के मूल्य के समर्थन में कागजी साक्ष्य भी होना चाहिए।

11. रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1(च) के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण प्रस्तावों के बारे में इस रिपोर्ट की एक प्रति डीआईआईटीएम/डीआरडीओ को भी भेजी जाए।

परिशिष्ट 'घ' का अनुबंध-छह
(परिशिष्ट-घ के पैरा 2.2 तथा 3.1(क) के संदर्भ में)

ऑफसेट दायित्वों के निर्वहन के लिए पात्र उत्पादों और सेवाओं की सूची

1. **रक्षा उत्पाद**

(क) लघु शस्त्र, मोर्टार, तोप, बंदूक हावित्जर, टैंक रोधी हथियार तथा फ्यूज सहित उनका गोला-बारुद।

(ख) बम, टोरपेडो, रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र, अन्य विस्फोटक साधन तथा चार्ज, सम्बद्ध उपस्कर एवं हिस्से पुर्जे, विशेषकर सैन्य प्रयोग के लिए अभिकल्पित सहायक पुर्जे, साज-संभाल, नियंत्रण, प्रचालन, जैमिंग तथा पता लगाने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित उपस्कर।

(ग) ऊर्जापूर्ण सामग्री, विस्फोटक, प्रौपेलेंट तथा पाइरोटेक्निक।

(घ) कर्षित तथा पहिएदार कवचित वाहन, सैन्य अनुप्रयोगों

के लिए अभिकल्पित बैलिस्टिक सुरक्षायुक्त वाहन, कवचित या सुरक्षित उपकरण।

(ङ) निम्नलिखित को शामिल करने हेतु युद्ध यान, विशेष नौसेना प्रणालियां, उपस्कर तथा सहायक पुर्जे:—

(i) शस्त्र, सेंसर, शस्त्रास्त्र, प्रणोदन प्रणालियां, मशीनरी नियंत्रक प्रणालियां नौवहन उपस्कर/उपकरण, अन्य नौवहन उपस्कर तथा युद्धपोतों की पूरी किस्मों, प्रक्षेपास्त्रों तथा सहायक उपकरणों के डिजाइन, विनिर्माण तथा उन्नयन।

(ii) युद्धपोतों, प्रक्षेपास्त्रों तथा सहायक उपकरणों के लिए दुरावपूर्ण (स्टील्थ) विशेषताओं में वृद्धि तथा ईएमआई/ईएससी अध्ययन सहित सभी किस्मों, प्लेटफार्म, प्रणोदन तथा मशीनरी नियंत्रण प्रणालियों, शस्त्रों, सेंसरों तथा संबंधित उपस्करों के परीक्षण, प्रभावीकरण, योग्यता एवं अंशाकन के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा उपस्कर।

(iii) सभी तरह के युद्धपोतों, पनडुब्बियों तथा सहायक उपकरणों अथवा उनकी ढांचागत संरचनाओं के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित, विकसित तथा आशोधित सॉफ्टवेयर।

(iv) सम्बद्ध तकनीकी सिविल कार्यों सहित उपस्करों/शस्त्रों तथा सेंसरों तथा अन्य समुद्री प्रणालियों के लिए अनुरक्षण तथा मरम्मत सुविधाएं स्थापित करना।

(च) विमान, मानवरहित वायुवाहित विमान, एरो इंजन तथा विमान उपस्कर, सैन्य प्रयोग के लिए विशेष तौर पर अभिकल्पित अथवा आशोधित सम्बद्ध उपस्कर, पैराशूट तथा सम्बद्ध उपस्कर।

(छ) विशेष रूप से सैन्य उपयोग के लिए अभिकल्पित इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक रोधी उपाय तथा रोधी उपाय संबंधी उपस्कर, चौकसी तथा मॉनीटरी, डाटा प्रसंस्करण तथा सिगनलिंग, निर्देशन तथा नौवहन उपस्कर, इमेजिंग उपस्कर तथा रात्रिदर्शी यंत्र, सेंसर।

(ज) सैन्य प्रशिक्षण या सिम्युलेटिंग सैन्य परिदृश्यों के लिए विशेषीकृत उपस्कर, शस्त्रास्त्रों तथा प्रशिक्षकों और सिम्युलेटरों, सम्बद्ध उपस्करों, सॉफ्टवेयर आदि जैसे प्रशिक्षण साधनों के उपयोग हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित सिमुलेटर ओर कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल।

(झ) सैन्य अनुप्रयोगों तथा सेना सहायक उपस्करों के लिए उत्पादों हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित फोर्जिंग, कास्टिंग तथा अन्य पूरी तरह से तैयार न किए गए उत्पाद।

(ञ) सैन्य अनुप्रयोगों के लिए अभिकल्पित विविध उपस्कर तथा सामग्रियां, प्रणामन, गुणांकन, परीक्षण के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित परीक्षण सुविधाएं अथवा उक्त उत्पादों का उत्पादन।

(ट) उक्त मदों के विकास, उत्पादन तथा प्रयोग हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित अथवा आशोधित सॉफ्टवेयर। इसमें सैन्य शस्त्र प्रणालियों की मॉडलिंग, सिम्युलेशन या मूल्यांकन हेतु विशेष रूप से अभिकल्पित सॉफ्टवेयर, सैन्य प्रचालन परिदृश्यों की मॉडलिंग अथवा सिमुलेशन तथा कमान, संचार नियंत्रण, कम्प्यूटर तथा आसूचना अनुप्रयोग।

(ठ) उच्च गतिक गजित ऊर्जा शस्त्र प्रणालियां तथा सम्बद्ध उपस्कर।

(ड) सीधी ऊर्जागत शस्त्र प्रणालियां, संबंधित अथवा अंतर्रोधी उपस्कर, सुपर कंडकटिव उपकरण तथा विशेष रूप से संघटकों तथा सहायक उपकरणों के लिए अभिकल्पित उपकरण।

2. **अंतर्देशीय/तटीय सुरक्षा के लिए उत्पाद**

(क) सभी प्रकार के नजदीक में प्रयुक्त होने वाले हथियारों सहित हथियार और उनका गोलाबारुद।

(ख) शरीर के रक्षा कवच और हैलमेटों सहित रक्षा कार्मिकों के लिए विशेषीकृत बचाव उपकरण।

(ग) कवचित वाहनों, बुलेट प्रूफ वाहनों और सुरंग संरक्षी वाहनों सहित आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वाहन।

(घ) दंगा नियंत्रण उपकरण और रक्षा उपकरण और रक्षा नियंत्रण वाहन।

(ङ) हस्तधारित उपकरणों और मानव रहित हवाई वाहनों सहित निगरानी के लिए विशेषीकृत उपकरण।

(च) रात्रि में देख सकने वाले उपकरणों सहित रात्रि में युद्ध कर सकने की क्षमता के लिए उपकरण और यंत्र।

(छ) सुरक्षित संचार सहित नेवीगेशनल और संचार उपकरण।

(ज) विशेषीकृत आंतकरोधी उपकरण और गियर, असाल्ट प्लेटफार्म, डिटेक्शन उपकरण, ब्रीचिंग गियर आदि।

(झ) सीबेड/मैरीटाइम सर्विलेन्स सेंसर चेन्स, सोनार, रडार, ऑप्टीकल डिवाइसेज, एआईएस (AIS) सहित बन्दरगाह सुरक्षा और तटीय रक्षा के लिए विशेषीकृत उपकरण।

(ञ) वैसेल (वाहन) ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स (वीटीएमएस/वीएटीएमएस) और उचित वाहन/क्राफ्ट/बोटें।

(ट) जलयानों/वाहनों (शिपों/वैसल्स) की जांच बोर्डिंग, तलाशी और जब्ती के लिए विविध समुद्री उपकरण।

(ठ) सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से सभी प्रकार की तटीय और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र की जागरुकता, प्रचालनों और आंकड़ों के विनिमय के लिए डिजायन विकसित और संशोधित किए गए हों।

(ड) प्रशिक्षण उपकरण अर्थात् सिमुलेटर्स, सहायक उपकरण, सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स।

3. **सिविल एरोस्पेस उत्पाद**

(क) सभी प्रकार के फिक्सड विंग और रोटरी विंग विमान अथवा उनके एयरफ्रेमों, ऐरो इंजनों, एवीओनिक्स, इंस्ट्रूमेन्टस और संबंधित उपकरणों (कंपोटेनेन्टस) का डिजायन, विकास, विनिर्माण और अपग्रेड्स।

(ख) इन उत्पादों के कंपोजिट्स, फार्जिंग्स और कास्टिंग्स।

(ग) प्रशिक्षण उपकरण अर्थात् सिमुलेटर्स, सहबद्ध उपकरण सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स।

(घ) गाइडेन्स और नेवीगेशन उपकरण।

(ङ) उपर्युक्त उत्पादों के परीक्षण, प्रमाणीकरण, क्वालीफिकेशन और कैलीब्रेशन के लिए परीक्षण सुविधाएं और उपकरण।

(च) सॉफ्टवेयर जिन्हें उपयुक्त उत्पादों के लिए विशेष रूप से डिजायन, विकसित और संशोधित किया गया हो।

4. **सेवाएं (पात्र उत्पादों से संबंधित)**

(क) अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल

(ख) अपग्रेडेशन/जीवन विस्तार

(ग) इंजीनियरिंग, डिज़ायन और परीक्षण

(घ) सॉफ्टवेयर विकास

(ङ) गुणता आश्वासन

(च) प्रशिक्षण

(छ) अनुसंधान और विकास सेवाएं (सरकार की मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास सुविधाओं से)

टिप्पणी: सिविल आधारभूत संरचना में निवेश को पात्र उत्पादों और सेवाओं से बाहर रखा जाता है बशर्ते कि विशेष रूप से निर्दिष्ट न किया गया है।

परिशिष्ट 'घ' का अनुबंध-सात

(परिशिष्ट-घ के पैरा संख्या 3.2 तथा 5.8 के संदर्भ में)

ऑफसेट बैंकिंग के लिए दिशा-निर्देश

1. ऑफसेट क्रेडिटों की बैंकिंग केवल परिशिष्ट-घ के पैरा 3.1(क), (ख), (ग) और (घ) में अनुबंधित ऑफसेटों के संबंध में अनुज्ञेय होगी।

2. ऑफसेटों की बैंकिंग के लिए प्रस्ताव विक्रेताओं द्वारा डीओएमडब्ल्यू को परिशिष्ट-घ के अनुबंध-तीन में दिए गए प्रारुप में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑफसेट बैंकिंग के लिए क्रेटिड केवल 1.8.2008 को या उसके बाद की गई संविदाओं के लिए ही दिए जाएंगे। 1.9.2008 तथा 31.3.2013 तक आवेदन करना क्रेडिट्स के लिए 31.3.2012 के बाद की गई संविदाओं के संबंध में, विक्रेता को ऑफसेट बैंकिंग क्रेडिट्स के लिए लेन-देन पूरा होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

3. प्रत्येक प्रस्ताव के लिए डीओएमडब्ल्यू द्वारा एक विशिष्ट परियोजना पहचान संख्या आबंटित की जायेगी।

4. बैंकीकृत ऑफसेट क्रेडिट्स मुख्य संविदाकार तथा उसके टायर-I

उप-संविदाकार के बीच उसी अधिप्राप्ति संविदा के मध्य को छोड़कर अहस्तांतरणीय होंगे।

5. ऑफसेट क्रेडिट्स केवल लेन-देन पूरा होने के बाद ऑफसेटों की बैंकिंग के लिए दिए जाएंगे। लेन-देन के पूरा होने की तिथि, वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के मामले में बीजक की तिथि या भुगतान की तिथि जो भी बाद में हो, होंगी। एक्विटी निवेश के मामले में, वित्तीय लेन-देन की तिथि; तथा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित "वस्तु" में निवेश के मामले में भारत में उपस्कर/प्रौद्योगिकी के चालू होने की तारीख होगी। बैंकीकृत ऑफसेट लेन-देन पूरा होने के समय पर विदेशी मुद्रा मूल्य के आधार पर क्रेडिट किए जाएंगे।

6. बैंक ऑफसेट क्रेडिट डीओएमडब्ल्यू द्वारा स्वीकृति की तिथि से 07 (सात) वर्षों की अवधि तक मान्य होंगे।

7. अगर एक विक्रेता किसी विशेष संविदा के अधीन अपने दायित्व से अधिक ऑफसेट सृजित करने में समर्थ होता है तो, उसके अधिशेष ऑफसेट क्रेडिटों को बैंक में जमा किया जा सकता है और यह अधिशेष क्रेडिटों को डीओएमडब्ल्यू द्वारा मान्यता देने और स्वीकृत किए जाने के समय से सात वर्षों की अवधि तक वैध रहेंगे।

8. ऑफसेट क्रेडिटों के लिए बैंकिंग हेतु आवेदन डीएमओडब्ल्यू द्वारा सामान्यत: 8 सप्ताह के अंदर निपटाए जाएंगे।

परिशिष्ट 'घ' का अनुबंध-आठ

(परिशिष्ट-घ के पैरा 3.1(च) के संदर्भ में)

डीआरडीओ द्वारा ऑफसेट के माध्यम से अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और जांच सुविधाओं की सूची

(समय-समय पर पुनरीक्षा की जानी है)

महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र*

1. एमईएम आधारित सेंसर्स, एक्च्यूएटर्स, आरएफ डिवाइसिस, फोकल प्लेन एरेज।

2. नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित सेंसर्स तथा डिस्प्लेज।

3. मिनिएचर एसएआर तथा आईएसएआर प्रौद्योगिकियां।

4. फाइबर लेजर्स प्रौद्योगिकी।

5. ईएम रेल गन प्रौद्योगिकी।

6. शेयर्ड तथा कंफर्मल अपर्चर्स।

7. हाई एफिसिएंसी फ्लेक्सिबल सोलर सैल्स टेक्नोलॉजी।

8. सुपर कैविटेशन्स प्रौद्योगिकी।

9. मोलीक्यूलरली इम्प्रिन्टिड पोलीमर्स।

10. हाइपरसोनिक उड़ानों के लिए प्रौद्योगिकियां (प्रॉपल्सन, एयरोडायनामिक्स तथा स्ट्रक्चर्स)।

11. लो ऑब्जर्वेबल प्रौद्योगिकियां।

12. हाई पावर लेजर्स पैदा करने के लिए प्रौद्योगिकियां।

13. हाई स्ट्रेन्थ, हाई-मोडूलस, कार्बन फाईबर्स, मैसोफेस पिच-बेस्ड फाइबर, कार्बन फाइबर उत्पादन सुविधा।

14. पल्स पावर नेटवर्क प्रौद्योगिकियां।

15. टीएचजैड प्रौद्योगिकियां।

*अधिक जानकारी के लिए डीआरडीओ वेबसाइट *(www.drdo.org)* देखें।

परिशिष्ट 'घ' का अनुबंध-नौ

(परिशिष्ट-घ के पैरा 5.12 तथा 8.5 के संदर्भ में)

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण (टी.ए.) प्रस्ताव परिशिष्ट-घ के पैरा 3.1(च) के तहत ऑफसेट अनुबंध पत्रों को निर्वहन करने का एक वैध तरीका है।

2. रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा 7.2 के अनुसार अधिग्रहण स्कंध में संबंधित तकनीकी प्रबंधक को विक्रेताओं द्वारा सभी ऑफसेट प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे। परिशिष्ट-घ के पैरा 3.1 (च) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव ओईएम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा इस अनुबंध के साथ संलग्न प्रारुप में अलग लिफाफे में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. डीआरडीओ में औद्योगिक अंतरापृष्ठ तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण संबंधी सभी मामलों हेतु नोडल एजेंसी होगा। सभी टी.ए. प्रस्ताव तकनीकी प्रबंधन द्वारा डीआईआईटीएम/डीआरडीओ को अग्रेषित किये जायेंगे। इस वर्ग के अंतर्गत प्रत्येक प्रस्ताव को डीआईआईटीएम/डीआरडीओ द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जायेगी जिसके आगे "टी.ए." इंगित होगा जो प्रौद्योगिकी अधिग्रहण को विनिर्दिष्ट करेगा।

4. डीआरडीओ प्रौद्योगिकी अधिग्रहण समिति स्थापित करेगा जिसका कार्य डीआईआईटीएम द्वारा देखा जायेगा। टीएसी एक बहु-विषयक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति होगी जिसमें संबंधित प्रयोगशालाओं, अन्य राष्ट्रीय एसएनटी प्रयोगशालाओं, सेना मुख्यालयों, मुख्यालय आईडीएस से विषय-विशेषज्ञ शिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों के सदस्य, अपर वित्तीय सलाहकार (डीआरडीओ) तथा प्रत्येक प्रस्ताव के लिए विशिष्ट यथा आवश्यक अन्य संगठनों के गणमान्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। यदि आवश्यक हो तो टीएसी प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए व्यावसायिक निकायों की सेवायें प्राप्त कर सकती हैं।

5. प्रारंभिक संवीक्षा के पश्चात् वैध ऑफसेट प्रस्तावों के रूप में स्वीकृत मामलों पर टीएसी कार्रवाई करेगी। यदि टीएसी अपने मूल्यांकन में यह अनुभव करती है कि यथा विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी यदि पहले से उपलब्ध है तथा अथवा इसका डीआरडीओ द्वारा भविष्य में कोई उपयोग नहीं है तो यह प्रस्ताव को रद्द कर सकती है और तकनीकी प्रबंधक को सूचित कर सकती है। ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा 8.1 के अंतर्गत टीओएसी रिपोर्ट में टीएसी की सिफारिशों को समाविष्ट किया जायेगा।

6. प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए टीएसी ओईएम/विक्रेता के साथ प्रस्तुतीकरण तथा व्यापक तकनीकी चर्चा के लिए अनुरोध कर सकती है। जहां आवश्यक होगा टीएसी प्रस्तावित प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने के लिए विक्रेता के परिसर का दौरा भी कर सकती है।

7. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण समिति प्रस्ताव की व्यवहार्यता, प्रौद्योगिकी के निहितार्थ, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के विकल्प इंगित अधिग्रहण की रेंज और गहराई में क्षमता का समामेलन, अधिग्रहण से पूर्व, उस तारीख को बाद में आईपी की स्थिति और प्रौद्योगिकी की लागत के सही मूल्यांकन के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी। टीएसी 3 तक एक गुणक की सिफारिश, विस्तृत औचित्य सहित करेगी, जैसाकि ऑफसेट दिशा-निर्देशों के पैरा-5.12 में दर्शाया गया है।

8. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा:—

(i) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण प्रस्ताव के गुणावगुण, अवस्थबद्धता के साथ समामेलन के लिए समय-सीमा सहित।

(ii) विस्तृत औचित्य के साथ प्रस्ताव के लिए समानुदेशित ऑफसेट क्रेडिटों का मूल्य।

(iii) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए समय-सीमा, रूपात्मकता और संभाव्यता दर्शाएं।

9. ऑफसेट क्रेडिट का समानुदेशन डीआरडीओ द्वारा यथाप्रमाणित टीए के पूर्ण होने के उपरांत डीओएमडब्ल्यू द्वारा किया जाएगा।

10. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण समिति अपनी सिफारिशें अपनी स्थापना के 4-8 सप्ताह के अंदर रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात् तकनीकी प्रबंधक को अग्रेषित करेगी।

अनुबंध-दस

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण प्रस्तावों हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला प्रारुप

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण प्रस्तावों हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारुप में निम्नलिखित पहलुओं को दर्शाया जाना चाहिए:—

- प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि यह प्रौद्योगिकी अधिग्रहण श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- प्रस्ताव की पृष्ठभूमि।
- निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों सहित पेश की गई प्रौद्योगिकी।
- प्रौद्योगिकी के संघटक और हस्तांतरण की प्रकृति।
- तकनीकी जनशक्ति सहित आमेलन के लिए वांछित मूलभूत अवसंरचना।

- धारित पेटेंट तथा आईपी की स्थिति।
- प्रौद्योगिकी के विकास की स्थिति तथा समसामयिक प्रकृति।
- अपेक्षित सरकारी अनुमोदन की स्थिति।
- अपने ही देश में और अपनी सशस्त्र सेनाओं में उक्त प्रौद्योगिकी का मौजूदा इस्तेमाल।
- संभावित अनुप्रयोग।
- ऑफसेट क्रेडिट जिनका दावा किया गया।
- अन्य कोई सम्बद्ध पहलू।

संक्षिप्तियां

सीसीएस	–	सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीएनसी	–	संविदा वार्ता समिति
डीएसी	–	रक्षा अधिग्रहण परिषद्
डीडीपी	–	रक्षा उत्पादन विभाग
जीआईआईटीएम	–	उद्योग अंतरा पृष्ठ निदेशालय और प्रौद्योगिकी प्रबंधन डीआरडीओ
डीओएफए	–	रक्षा ऑफसेट सूचना एवं सुविधा एजेंसी
डीओजी	–	रक्षा ऑफसेट दिशा-निर्देश
डीओएमडब्ल्यू	–	रक्षा ऑफसेट प्रबंधन विंग
डीपीबी	–	रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड
डीपीपी	–	रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया
डीपीएसयू	–	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम
डीआरडीओ	–	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
एफडीआई	–	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
आईडीएस	–	एकीकृत रक्षा स्टाफ
आईओपी	–	भारतीय ऑफसेट साझेदार
एमओडी	–	रक्षा मंत्रालय
एमएसएमई	–	मध्यम, लघु और मध्यम उद्यम
एमटीओटी	–	टीओटी अनुरक्षण
ओईएम	–	मूल उपस्कर विनिर्माता
ओएफबी	–	आयुध निर्माणी बोर्ड
आरएफपी	–	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
एसएटूआरएम	–	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
एससीएपीसीएचसी	–	सेवा पूंजीगत अधिग्रहण श्रेणीकरण उच्च समिति
टीए	–	डीआरडीओ द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण
टीएसी	–	प्रौद्योगिकी अधिग्रहण समिति
टीईसी	–	तकनीकी मूल्यांकन समिति
टीओसी	–	तकनीकी निरीक्षण समिति
टीओईसी	–	तकनीकी ऑफसेट मूल्यांकन समिति
टीओटी	–	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

शहीदों के परिवारों को मुआवजा 1९५ -

1433. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने सैनिक शहीद हुए;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों परिवारजनों को पूरा मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

195-97

ईएसआई औषधालयों का स्तरोन्नयन

1434. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों सहित देश में कितने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पताल/औषधालय हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों की बड़ी संख्या को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत नोएडा में स्थित ईएसआई औषधालय की क्षमता अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त ईएसआई औषधालय का स्तरोन्नयन करने और वहां अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों/औषधालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों में स्थान-वार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत नोएडा में बीमित व्यक्तियों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नोएडा/ग्रेटर नौएडा में पहले से ही विद्यमान चार कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा में 5-डॉक्टरों के दूसरे औषधालय की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) और (घ) नोएडा/ग्रेटर नोएडा के कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में पर्याप्त आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त, सूरजपुर में विद्यमान कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय को नए परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर के दृष्टिगत लागू नहीं होता।

विवरण-I

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	142
2.	असम	1	26
3.	बिहार	3	19
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	02
5.	छत्तीसगढ़	—	16
6.	दिल्ली	4	33
7.	गोवा	1	10
8.	गुजरात	12	103
9.	हरियाणा	06	58
10.	हिमाचल प्रदेश	02	10
11.	जम्मू और कश्मीर	01	08
12.	झारखंड	03	22
13.	कर्नाटक	10	118
14.	केरल	13	137
15.	मध्य प्रदेश	07	42
16.	महाराष्ट्र	14	72
17.	मेघालय	—	02
18.	ओडिशा	06	44
19.	पुदुचेरी	01	14

1	2	3	4
20.	पंजाब	08	70
21.	राजस्थान	06	73
22.	तमिलनाडु	09	191
23.	उत्तर प्रदेश	16	99
24.	उत्तराखंड	—	15
25.	पश्चिम बंगाल	14	44
26.	त्रिपुरा	—	01
27.	नागालैंड	—	01

विवरण-II

नोएडा/ग्रेटर नोएडा तथा बुलंदशहर जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थान-वार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	स्थान
1.	नोएडा	सेक्टर 12, नोएडा
2.	नोएडा	सेक्टर 57, नोएडा
3.	नोएडा फेज-II	विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
4.	ग्रेटर नोएडा	सूरजपुर
5.	बुलंदशहर	बुलंदशहर
6.	बुलंदशहर	खुर्जा
7.	बुलंदशहर	जोकाबाद

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना 197-202

1435. श्री देवजी एम. पटेल : क्या सामाजिक न्याय और **अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के विद्यार्थियों को मैट्रिक स्तर तक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो वितरित की गई राशि का राज्य-वार, श्रेणी-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मैट्रिक स्तर तक निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है:—

(i) कक्षा IX-X में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य कक्षा IX एवं X में अध्ययन करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति बच्चों के माता-पिता को सहायता प्रदान करना है ताकि विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर से माध्यमिक स्तर में पहुंचने के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने की घटना को कम किया जा सके और अनुसूचित जाति के बच्चों की मैट्रिक-पूर्व स्तर की कक्षा IX एवं X में सहभागिता में सुधार किया जा सके जिससे कि वे बेहतर निष्पादन कर सकें तथा शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर में प्रगति करने के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

(ii) भारत में अध्ययन हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों में कमजोर वर्गों के बच्चों के लाभार्थ छात्रवृत्ति प्रदान करना है।

(ग) और (घ) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, श्रेणी-वार संवितरित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष (26.11.2012 तक) के दौरान कक्षा IX और X में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत संवितरित राशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कक्षा IX और X में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना		
		2012-13*	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	0.00	32.65	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	131.67	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	0.00	0.00	59.06	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	227.00	288.00	113.50
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	862.44	25.25	103.00	13.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	31.45	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	4781.30	238.00	115.00	115.00
13.	केरल	0.00	0.00	125.00	125.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	9.11	68.36	17.00	0.00

1	2	3	4	5	6
17.	ओडिशा	4068.60	140.00	157.00	137.46
18.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	100.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	245.00	309.65	0.00
21.	सिक्किम	8.02	0.00	12.75	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	846.00	135.00	135.50
23.	त्रिपुरा	0.00	49.00	167.75	23.50
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	2241.00	2237.00	750.00
25.	उत्तराखंड	0.00	117.00	113.00	38.00
26.	पश्चिम बंगाल	5160.00	88.64	86.91	0.00
27.	दमन और दीव	0.00	21.69	11.00	0.00
	कुल	14889.47	4471.04	4068.79	1450.96

*यह एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और इसे 01.07.2012 से ही कार्यान्वित किया गया है।

[अनुवाद]

201- 53

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

1436. श्री एम.बी. राजेश : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों की राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया;

(ख) विगत पांच वर्षों में कितने विद्यार्थियों ने यह अध्येतावृत्ति प्राप्त की;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना पर कुल व्यय की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति, विगत पांच वर्षों के दौरान एवं अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने संबंधित योजनाओं के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन किया है, क्रमशः 27,981 तथा 6,696 थी।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के 8,041 तथा अनुसूचित जनजाति के 3,370 विद्यार्थियों को नई अध्येतावृत्ति प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) वर्तमान में, इन दो योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए पुरस्कृत किए जाने वाले नए स्लाटों की अधिकतम संख्या इस प्रकार है:—

क्र.सं.	योजना का नाम	स्लाट
1.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2000*
2.	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	667

*अकादमी सत्र 2010-11 से इसे 1333 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया था।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्यय की गई राशि इस प्रकार है:—

वर्ष	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (करोड़ रुपए)	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (करोड़ रुपए)
2009-10	62.66	30.71
2010-11	141.71	70.35
2011-12	59.38	26.41

अंडमान समुद्री परियोजना

1437. श्री विष्णु पद राय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने हड्डो जेट्टी से डुंडूज पाइंट तक अंडमान मेरीन-ड्राइव बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंडमान और निकोबार कमान की इस पर क्या आपत्ति है;

(ग) क्या नौसेना का लोकहित में हड्डो से प्रेमनगर तक कार्गो-परिवहन के लिए अंडमान मेरीन परियोजना को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने अंडमान मेरीन ड्राइव का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो हड्डो और मिनी खाड़ी क्षेत्र में रक्षा भूमि से होकर गुजरता है। अंडमान और निकोबार कमान द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि इस क्षेत्र में अतिरिक्त अवसंरचना हेतु नौसेना और तटरक्षक बल की योजनाओं पर विचार करते हुए रक्षा क्षेत्र को इससे बाहर रखे और अंडमान मेरीन-ड्राइव का पुन: सुरेखण करें।

(ग) और (घ) अंडमान और निकोबार कमान की टिप्पणियों सहित प्रस्ताव पर नौसेना मुख्यालय में विचार किया गया है और संवेदनशील रक्षा स्थापना से सटे होने के कारण हड्डो क्षेत्र से होकर अंडमान मेरीन-ड्राइव के निर्माण की संस्तुति नहीं की गई है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिसूचना

1438. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात राज्य सरकार से परामर्श किए बिना ही वहां कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव में परिवर्तन करने हेतु कोई अभ्यावेदन किया है क्योंकि इनमें से कुछ खण्डों का राज्य सरकार द्वारा बीओटी परियोजना/वार्षिक शुल्क योजना के अंतर्गत पहले ही विकास किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित प्रस्तावों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार से पूर्व में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय ने गुजरात राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए थे। तद्नंतर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध पर, मंत्रालय ने कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को अनाधिसूचित किया हैं और गुजरात राज्य में कुछ नई सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा की है।

[हिन्दी]

खनन के कारण नदी प्रदूषण

1439. श्री मधु कोड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान झारखंड की कारो, कोयना और कोयल नदियों में खनन और अनियोजित औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये नदियां लुप्त होने की कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कारो, कोयना और कोयल नदियों का प्रदूषण स्तर अनियंत्रित खनन और औद्योगिक बहिस्रावों के निस्सारण के कारण नहीं बढ़ा है। जेएसपीसीबी भौतिकी-रासायनिक (फिजिको-केमिकल) जांच हेतु विभिन्न स्थलों पर इन नदियों की जल गुणवत्ता की मॉनीटरी कर रहा है।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को सम्मानित करना

1440. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रख्यात खिलाड़ियों को रक्षा बलों में मानद पद देने की पेशकश करती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से पद प्रदान करने का प्रयोजन क्या है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार प्रदान किए गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त खिलाड़ी उन्हें प्रदान किए गए ऐसे पदों का दायित्व पूरा करते हैं;

(ङ) क्या सरकार की इस संबंध में कोई प्रक्रिया है और क्या उसका इस प्रथा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) ये रैंक प्रख्यात खिलाड़ियों को भारतीय संघ के प्रति उच्च कोटि की सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें सम्मानित करने हेतु प्रदान किए जाते हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रख्यात खिलाड़ियों को दिए गए रैंकों का विवरण निम्न प्रकार है:—

(i) सचिन तेंदुलकर, भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन

(ii) अभिनव बिंद्रा, प्रादेशिक सेना में लेफ्टि. कर्नल

(iii) एम.एस. धोनी, प्रादेशिक सेना में लेफ्टि. कर्नल

(घ) ऐसे मानद रैंक प्राप्त व्यक्तियों के लिए कोई निर्धारित दायित्व नहीं है।

(ङ) प्रख्यात खिलाड़ियों को मानद रैंक देने हेतु इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। इस समय, इस प्रथा को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) लागू नहीं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर पथकर भुगतान से छूट

1441. श्री कादिर राणा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर स्थित शिवाय टोल प्लाजा के 60 किमी. के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को पथकर भुगतान के छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त टोल-प्लाजा पर वसूले जा रहे पथकर की राशि में कमी करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

207-08

राजमार्ग-निर्माण रणनीति

1442. श्री पी. विश्वनाथन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपनी राजमार्ग निर्माण रणनीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या नई नीति में सरकार द्वारा परियोजनाओं का शत-प्रतिशत वित्त पोषण करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कितनी परियोजनाएं निजी विकासकर्त्ताओं को सौंपी गईं और इससे सरकार को कितना अधिमूल्य प्राप्त हुआ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (च) निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शुरू किए जाने के अलावा इस मंत्रालय ने कतिपय सड़क विकास परियोजनाएं शुरू किए जाने का निर्णय लिया है, जो सौ प्रतिशत सरकारी वित्त पोषण के आधार पर निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण आधार पर, इंजीनियरी, अधिप्राप्ति एवं निर्माण आधार पर व्यवहार्य नहीं हैं। अभी तक ईपीसी विधि में शुरू किए जाने वाले 32 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क खंड अनंतिम रूप से अभिनिर्धारित किए गए हैं।

साध्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) के रूप में कुल 14,363.20 करोड़ रु. की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न रियायतग्राहियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल 140 परियोजनाएं निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सौंपी गई हैं। इन 140 परियोजनाओं में से 55 परियोजनाओं से कुल 4,186.81 करोड़ रु. का वार्षिक प्रीमियम अर्जित हुआ है।

208-14

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन

1443. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अपने कब्जे में ली गई भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भू-अर्जन में विलंब के कारण कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं रुक गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के समय और लागत में हुई बढ़ोत्तरी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आवश्यक भू-अर्जन और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजनाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या कुछ राज्यों में भू-अर्जन में विलंब होने के कारण उनकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से वंचित होने की संभावना है और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) पिछले 3 वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कब्जे में ली गई भूमि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। भूमि अधिग्रहण में विलंब की वजह से केरल में 6 परियोजनाएं, गोवा में 2 परियोजनाएं, पश्चिम बंगाल में 7 परियोजनाएं और तमिलनाडु में 1 परियोजना प्रभावित हो रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। लागत लंघन केवल ईपीसी ठेकों पर लागू होता है। ऐसे ठेकों में, विलंब की वजह से मूल्य वृद्धि की अदायगी के लिए प्रावधान होता है। यदि परियोजना में विलंब ठेकेदार को आरोप्य कारणों की वजह से होता है, तो परिसमापन क्षति आरोपित की जाती है और कोई मूल्य वृद्धि अदा नहीं की जाती। विलंब अथवा लागत लंघन की वजह से वास्तविक मूल्य वृद्धि का पता केवल परियोजना के पूरा होने और बिलों के अंतिम निपटान के बाद ही पता चलता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अल्प भूमि अधिग्रहण की वजह से केरल में 2 परियोजनाएं और गोवा में 2 परियोजनाएं वापस ले ली गईं।

विवरण-I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कब्जे में ली गई भूमि

क्र. सं.	राज्य	पिछले 3 वर्ष के दौरान कब्जे में ली गई भूमि (हैक्टेयर)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	325	664	1176	169
2.	असम	260	294	223	41
3.	बिहार	376	332	1621	271
4.	छत्तीसगढ़	10	302	11	195
5.	दिल्ली	0	0	—	—
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	98	464	383
8.	हरियाणा	13	111	690	227
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	71	150	74
11.	जम्मू और कश्मीर	488	221	430	15

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	122	586	549	108
13.	केरल	169	32	0	0
14.	मध्य प्रदेश	396	597	1001	258
15.	छत्तीसगढ़	545	568	273	395
16.	मेघालय	0	182	0	0
17.	ओडिशा	1013	920	548	121
18.	पंजाब	64	345	74	0
19.	राजस्थान	402	1011	255	851
20.	तमिलनाडु	1168	849	1221	361
21.	उत्तर प्रदेश	810	1328	998	277
22.	उत्तराखंड	0	0	96	0
23.	पश्चिम बंगाल	83	26	21	34
	कुल	6224	8577	9801	3780

विवरण-II

भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण प्रभावित परियोजनाओं के नाम

राज्य		परियोजना का नाम	टिप्पणी
1		2	3
गोवा	(i)	गोवा/कर्नाटक सीमा-पणजी	एलओए वापस लिया गया।
	(ii)	महाराष्ट्र/गोवा सीमा-पणजी	एलओए वापस लिया गया।
केरल	(i)	चरथलाई से ओचिरा	एलओए वापस लिया गया।
	(ii)	ओचिरा-तिरुवनंतपुरम	निविदाएं रद्द की गईं।
	(iii)	केरल/कर्नाटक सीमा-कन्नूर	भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित तारीख घोषित नहीं की जा सकी।

1	2		3
	(iv)	कन्नूर-कुट्टीपुरम	
	(v)	तिरुवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा	
	(vi)	वडक्कनचेरी-त्रिशूर (केरल-3)	
पश्चिम बंगाल	(i)	डलकोला बाइपास	परिसमापन प्रक्रियाधीन है।
	(ii)	सिलीगुड़ी-इस्लामपुर	परियोजना ठहर गई है। परियोजना का भाग पूरा नहीं किया जा सका।
	(iii)	बहरामपुर-फरक्का	अवार्ड सौंपने की घोषणा और संवितरण बहुत धीमा है और भूमिका का कब्जा सौंपने की प्रक्रिया को विलंबित कर रहा है।
	(iv)	फरक्का-रायगंज	
	(v)	रायगंज-डलकोला	
	(vi)	बारासात-कृष्णानगर	
	(vii)	कृष्णानगर-बहरामपुर	
तमिलनाडु	(i)	चेन्नै पत्तन-मदुरोवोयल को जोड़ने के लिए नई उत्थापित सड़क	परियोजना ठहर गई है।

सड़क पुनः बनाने का कार्य 213-14

1444. श्री एस. सेम्मलई : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पोरलंपट्टी और सेलम इस्पात-संयंत्र के बीच सड़क पुनः बनाने संबंधी कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु कुल कितना आबंटन किया गया है और इस पर कितना वास्तविक व्यय हुआ है;

(घ) क्या इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं। यह सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी] 214-15

जलवायु-परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजना

1445. श्री लालजी टंडन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलवायु-परिवर्तन के संबंध में कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश सहित उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां यह कार्ययोजना कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) भारत सरकार ने दिनांक 30 जून, 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की है।

(ख) एनएपीसीसी में आठ राष्ट्रीय मिशनों और अन्य पहलों को शामिल किया गया है। आठ राष्ट्रीय मिशनों का संबंध सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, सतत् पर्यावास, जल, हिमालय पारिप्रणाली को कायम रखने, हरित भारत, सतत् कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से हैं। राज्य सरकारों ने एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरुप राज्य जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अभी तक 21 राज्यों ने एसएपीसीसी बनायी हैं तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत की हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश ने अभी तक अपनी एसएपीसीसी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एनएपीसीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशनों का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एसएपीसीसी के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान शामिल किए गए हैं।

फ्लाई-ऐश का उपयोग 2।।-।६

1446. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में ताप-विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई-ऐश के उपयोग के संबंध में एक तकनीकी परियोजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके सभी निर्माण-कार्यों में फ्लाई-ऐश के प्रयोग को अनिवार्य बनाया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना सफल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने फ्लाई-ऐश के उपयोग के संबंध में कोई तकनीकी परियोजना तैयार नहीं की है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने फ्लाई-ऐश के उपयोग हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (V) के उप-खंड (1) और धारा 5 के अंतर्गत एक अधिसूचना और तदुपरान्त उसमें संशोधन जारी किए हैं। दिनांक 3 नवम्बर, 2009 के सांविधिक आदेश 2804(अ) के द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार किसी कोयला अथवा लिग्नाईट आधारित ताप-विद्युत संयंत्र के सौ किलोमीटर की परिधि के अंदर भवन-निर्माण में लगी हर निर्माण एजेंसी निर्माण कार्य हेतु केवल फ्लाई-ऐश आधारित उत्पादों का उपयोगी करेगी। अधिसूचना में ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा फ्लाई-ऐश के चरणबद्ध रीति से उपयोग के लक्ष्य भी पारिभाषित किए गए हैं।

(ङ) और (च) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहीदों के परिवार 2।6-17

1447. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है जो सैन्य अभियानों में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिवारों की दशा की नियमित अंतराल पर खबर लेता हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कार्य के दौरान मारे गए कुल सैनिकों में से तमिलनाडु राज्य के सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में इस राज्य में शहीद कर्मियों के परिवारों को प्रदान की गई अनुग्रह राशि/मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण केन्द्र को स्वीकृति

1448. श्री के.पी. धनपालन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से वहां एक राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण केन्द्र की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त केन्द्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) केरल राज्य सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय में कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

1449. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-स्वरूप प्रदान की जाने वाली निधि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यक समुदायों को छात्रवृत्ति-स्वरूप प्रदान की जाने वाली निधि की तुलना में काफी कम है;

(ख) क्या सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने और छात्रावास-भवनों के निर्माण की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष के दौरान मंत्रालय को आबंटित निधियों के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र. सं.	योजना का नाम	करोड़ रुपए
1.	अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	527.99
2.	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2711.34
3.	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	865.65
4.	अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	362.99

(ख) और (ग) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट आबंटन, 2009-10 के 135.00 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 2012-13 में 625.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वर्तमान में, अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट आबंटन पर्याप्त है।

[अनुवाद]

वृद्धों के लिए सामाजिक कार्यक्रम

1450. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीओपी) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के तहत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा में संबंधित कार्यक्रमों को चलाने के लिए दी जा रही राशि में लगातार कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "वृद्धजन के लिए समेकित कार्यक्रम" (आईपीओपी) की योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें वृद्धजन के लिए वृद्धाश्रम दिवा-देखभाल केन्द्र, सचल चिकित्सा इकाइयों, अल्जाइमर रोग/डिमैन्सिया मरीजों के लिए दिवा-देखभाल केन्द्रों, वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिक, परामर्श केन्द्र एवं हेल्प-लाइनों, विशेषकर स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ रहे बच्चों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रमों, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के संचालन एवं उनके रख-रखाव के लिए सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थानों/स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना कार्यान्वित करता है, जो कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक अंग है, जिसमें बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रतिमाह एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपए प्रतिमाह की केन्द्रीय सहायता दी जाती है, इस राशि की समान धनराशि राज्यों द्वारा अनुपूरित की जानी है।

(ग) से (ङ) वृद्धजन के लिए समेकित कार्यक्रम (आईपीओपी) की योजना का बजट-आबंटन 2009-10 में 22 करोड़ रुपए था, जो 2010-11 में बढ़कर 40 करोड़ रुपए हो गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का बजट आबंटन 2007-08 में 2891.48 करोड़ रुपए था, जो 2012-13 तक बढ़कर 8447.29 करोड़ रुपए हो गया है।

[हिन्दी]

219-20

स्पीड गवर्नर्स

1451. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के प्रावधान के तहत कतिपय श्रेणियों के परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर्स (गति सीमा यंत्र) या गति सीमा संबंधी फंक्शन लगाने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (4) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर्स (गति सीमा यंत्र) लगाने के लिए केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 118 में संशोधन के संबंध में आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हैं, आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना सा.का.नि. 631(अ) दिनांक 19 अगस्त, 2011 प्रकाशित की गई थी। मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रारुप नियमों में आपत्तियों और सुझावों को देखते हुए संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

220-22

नौवहन उद्योग में निम्न विकास दर

1452. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन उद्योग में पिछले एक दशक की तुलना में पिछले दो वर्षों में बहुत ही निम्न विकास दर रिकॉर्ड की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निम्न कार्यकुशलता और उच्च-करारोपण निम्न विकास दर का एक कारण है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन उद्योग ने वर्ष 2004 में टनभार कर योजना लागू होने के पश्चात् वर्ष 2004-05 में 15.3% की विकास दर दर्ज की थी। तथापि, उसके बाद वर्ष 2006-07 में विकास दर धीमी पड़ गई और उद्योग में हाल के वर्षों में टनभार की निम्नलिखित विकास दर रही है:-

भारतीय टनभार का विकास

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)	जलयानों की संख्या	सकल टनभार (जीटी)	बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
2006-07	787	8595185	1.5
2007-08	867	899059	4.6
2008-09	925	9283139	3.3
2009-10	998	9613242	3.6
2010-11	1071	10450305	8.7
2011-12	1135	11030751	5.6

मौजूदा विश्वस्तरीय उधार की कमी नौवहन कंपनियों के जलयान अधिग्रहण कार्यक्रम को प्रभावित करती आ रही है क्योंकि पोत अधिग्रहण के लिए वित्त की व्यवस्था करना लगातार कठिन होता जा रहा है।

(ग) हालांकि भारतीय पताका वाले जलयान सामान्यत: कार्यकुशल होते हैं, भारतीय पताका वाले पोतों का विकास हाल ही के वर्षों में कम रहा है। तथापि टनभार कर पद्धति ने निगमित कर से राहत पहुंचाई है, फिर भी, तत्पश्चात् प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान में कुछ परिवर्तनों ने उन फायदों को कम कर दिया है जिन्हें वर्ष 2004 में टनभार कर पद्धति लागू करके नौवहन उद्योग को दिया गया था।

(घ) सरकार ने वर्ष 2004 में नौवहन क्षेत्र के लिए टनभार कर पद्धति लागू की थी। इसके अलावा, भारतीय नौवहन उद्योग को प्राथमिकता दिए जाने के अधिकार के माध्यम से कार्गो समर्थन दिया जाता रहा है और सरकार के स्वामित्व वाले/सरकारी नियंत्रण वाले कार्गो के लिए एफओबी आयात की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। इसके अलावा, गैर-सरकारी पक्ष से कार्गो के संचलन के लिए जलयानों को चार्टर पर लिए जाने को भारतीय पताका वाले जलयानों की उपलब्धता को देखते हुए नौवहन महानिदेशक द्वारा विनियमित किया जाता है।

इस्पात क्षेत्र में विदेशी सहयोग

1453. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात क्षेत्र में संयुक्त संयंत्र लगाने के लिए विदेशी इस्पात कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) इन संयुक्त उद्यमों से इस्पात क्षेत्र को क्या लाभ होने की संभावना है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा विदेशी कंपनियों के साथ स्टील क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी कंपनी का नाम	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने की तिथि	एमओयू के ब्यौरे/वर्तमान स्थिति	संभावित लाभ
1	2	3	4	5	6
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	कोबे स्टील, जापान	30.03.2010	सेल और कोबे की 50:50 के अनुपात में हिस्सेदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी सेल-कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट	आईटीएमके3 लोहा निर्माण की नवीनतम प्रौद्योगिकी है। इस प्रौद्योगिकी का विकास कोबे स्टील, जापान द्वारा किया

1	2	3	4	5	6
				लिमिटेड को दिनांक 25.5.2012 को निगमित किया गया है। वर्तमान में सेल और कोबे स्टील द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संयुक्त रूप से तैयार की जा रही है।	गया था और यह लोहा निर्माण के बीएफ-बीओएफ रूट का एक विकल्प है। आईटीएमके3 प्रौद्योगिकी के जरिए लौह अयस्क फाईंस और नॉन-कोकिंग कोल का इस्तेमाल आयरन नगेट उत्पादन के लिए किया जा सकता है। आईटीएमके3 प्रौद्योगिकी से कोक ओवन और सिंटरिंग प्लांट की स्थापना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
2.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	पोस्को लिमिटेड, साउथ कोरिया	27.08.2009	बोकारो में फिनेक्स प्रौद्योगिकी आधारित स्टील प्लांट और महाराष्ट्र में एक कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटिड (सीआरएनओ) स्टील यूनिट की स्थापना के लिए संभावित संयुक्त उद्यम पहल करने हेतु सेल और पोस्को ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल और पोस्को द्वारा संयुक्त रूप से एक डीपीआर तैयार की गई है जिसमें बोकारो में 3 एमटीपीए क्षमता के फिनेक्स प्रौद्योगिकी आधारित एक स्टील प्लांट और महाराष्ट्र के विले भगद इंडस्ट्रियल एरिया में 3,00,000 टन क्षमता की एक सीआरएनओ यूनिट की स्थापना की परिकल्पना की गई है।	फिनेक्स प्रौद्योगिकी जोकि स्टील निर्माण के बीएफ-बीओएफ रूट का एक विकल्प है, का प्रचालन केवल पोस्को संयंत्र, दक्षिण कोरिया में होता है। फिनेक्स लोहा निर्माण की एक नवीन प्रक्रिया है जोकि नॉन-कोकिंग कोल और लौह अयस्क फाईंस के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित हॉट मेटल उत्पादन हेतु पोस्को और सीमेंस वीएआई द्वारा विकसित की गई है। फिनेक्स प्रौद्योगिकी से कोक ओवन और सिंटरिंग प्लांट की स्थापना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यह कम लागत के लौह अयस्क चूरे और कोयले के प्रत्यक्ष उपयोग को संभव बनाती है जिससे संयंत्र स्थापना और प्रचालनगत लागतें कम होती हैं। फिनेक्स प्रौद्योगिकी का दूसरा फायदा प्रदूषण में कमी होना और वर्तमान फर्नेसों की तुलना में कम सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का पैदा होना है।
3.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	कोबे स्टील लिमिटेड, जापान	30.11.2010		मुख्यतया ऑटोमोबाइल, रेलवे और विद्युत क्षेत्र के लिए उच्च मूल्य वाली स्टील मदों के उत्पादन के लिए जगदीशपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए।

1	2	3	4	5	6
4.	एनएमडीसी लिमिटेड	कोबे स्टील लिमिटेड, जापान	19.4.2010	कोबे स्टील और टीबीडीएल ने कोयले के इस्तेमाल से लोहा निर्माण की नई आईटीएमके3 प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।	यदि कोबे स्टील के साथ हस्ताक्षरित एमओयू से संयुक्त उद्यम की स्थापना फलित होती है तो नॉन कोकिंग कोल के इस्तेमाल से लो ग्रेड के लौह अयस्क में कमी करने के नए आयाम खुल जाएंगें जोकि भारत के लिए अधिक लाभदायी होगा।
5.	एनएमडीसी लिमिटेड	ओजेएससी सेवरस्टाल, रूस	10.12.2010	50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम के तहत कर्नाटक में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले स्टील संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करना।	इसके परिणामस्वरूप उच्च ग्रेड/ऑटो ग्रेड के स्टील और लम्बे उत्पादों का उत्पादन हो सकेगा।

पनडुब्बी का विनिर्माण

1454. श्रीमती ज्योति धुर्वे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन छह पारंपरिक किन्तु अत्याधुनिक पनडुब्बियों के विनिर्माण की स्थिति क्या है जो जल से भूमि पर आक्रमण करने वाली प्रक्षेपास्त्र-क्षमता और जल के भीतर अधिक देर तक रह सकने की दृष्टि से वायुमुक्त प्रणोदन (एआईपी) की सुविधा से लैस हैं;

(ख) क्या पनडुब्बी विनिर्माण योजनाओं के सफल और तत्काल कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) परियोजना-75 (I) के तहत छह पनडुब्बियों के विनिर्माण के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद् (डीएसी) ने आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की हैं ये पनडुब्बियां भूमि पर आक्रमण करने वाली प्रक्षेपास्त्र क्षमता और वायुमुक्त प्रणोदन (एआईपी) की सुविधा से लैस हैं।

(ख) और (ग) रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रख्यापित संयुक्त उद्यम नीति के अनुसार तथा उनकी क्षमतानुसार निजी क्षेत्र को सम्बद्ध किया जा रहा है।

डोर्नियर विमान का क्रय

1455. श्री पी.आर. नटराजन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डोर्नियर परिवहन विमान खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमानों का ब्यौरा क्या है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान इनकी लागत क्या रही तथा इन्हें किन देशों से खरीदा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास हल्के डोर्नियर परिवहन विमान का उत्पादन स्वदेश में करने संबंधी कोई व्यापक प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) भारतीय वायु सेना के पायलटों के प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 14 डोर्नियर की अधिप्राप्ति का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स एचएएल से भारतीय वायुसेना एयरफील्डो नौवहन संबंधी साधनों के अंशाकन के लिए परिशोधित दो और डोर्नियर विमानों की अधिप्राप्ति का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना का मैसर्स एचएएल से 12 डोर्नियर विमान खरीदने की योजना है।

(ख) और (ग) चूंकि डोर्नियर विमानों का विनिर्माण मैसर्स एचएएल द्वारा देश में ही किया जा रहा है, अत: पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी अन्य देश से इनकी खरीद नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) डोर्नियर परिवहन विमानों का मैसर्स एचएएल द्वारा 1983-84 से देश में पहले से ही विनिर्माण किया जा रहा है।

विश्व विरासत का दर्जा 227-32

1456. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पश्चिमी घाट स्थलों को 'विश्व विरासत' के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ राज्यों ने आपत्ति उठाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां। विश्व विरासत समिति ने जुलाई, 2012 के दौरान पश्चिमी घाटों को विश्व विरासत सूची पर अंकित किया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित पश्चिमी घाटों में 39 स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने पुष्पागिरि वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभ्यारण्य, तालाकावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पाडीनाल्कनाड, रिजर्व वनों, कुदरेमुख राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोमेश्वरा रिजर्व वनों, अगुम्बे रिजर्व वनों और बालाहल्ली रिजर्व वनों को 'विश्व विरासत स्थलों' की सूची से हटाने और यूनेस्कों को प्रस्तुत इन स्थलों के नामांकनों को वापस लेने के लिए इस मंत्रालय से अनुरोध किया था।

भारत सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में कर्नाटक सरकार को यह स्पष्ट किय है कि कर्नाटक राज्य सरकार को हर स्तर पर अर्थात् 39 स्थलों को अभिज्ञात करने और यूनेस्को को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में अवगत करा दिया गया था। राज्य सरकार को पुन: यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट स्थलों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देने का मतलब इन प्राचीन भूदृश्यों के संरक्षण एवं सुरक्षा में स्थानीय समुदायों और कर्नाटक राज्य सरकार के प्रयासों को उचित मान्यता देना है और इसका आशय या इससे किसी भी तरह से हमारी राज्य नीतियों अथवा विधायी ढांचे के कार्यान्वयन के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। यूनेस्को-विश्व विरासत कन्वेंशन संबंधित राष्ट्रीय विधानों द्वारा निर्धारित सम्पत्ति अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस राज्य की संप्रभुता को उचित सम्मान देता है जिसके क्षेत्र में विरासत स्थल स्थित है। राज्य सरकार को यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित स्थल को विश्व रूप से वित्तीय, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग मिलेगा।

(घ) इस मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों के प्राकृतिक विरासत स्थलों के प्रभावी संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन हेतु 'पश्चिमी घाट प्राकृतिक विरासत प्रबंधन समिति गठित की है साथ ही इस मंत्रालय ने एक 'उच्च स्तरीय कार्यदल' का भी गठन किया है जो पश्चिमी घाटों की समृद्ध और अद्भूत जैव-विविधता के आलोक में इनकी पारिस्थितिकी के परिरक्षण, पर्यावरणीय स्थायित्व और समग्र विकास का तथा यूनेस्को विरासत सूची में पश्चिमी घाटों की मान्यता के निहितार्थों का अध्ययन करेगा।

विवरण

यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल पश्चिमी घाटों में स्थित स्थल

क्र.सं.	स्थल का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	राज्य
1	2	3	4
1.	कालाकड-मुंडनथुरुई बाघ रिजर्व	895.00	तमिलनाडु
2.	शेंडुरुनी अभ्यारण्य	171.00	केरल

1	2	3	4
3.	नेय्यार वन्यजीव अभ्यारण्य	128.00	केरल
4.	पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य	53.00	केरल
5.	कुलाथुपुजा रेंज	200.00	केरल
6.	पलोड रेंज	165.00	केरल
7.	पेरियर बाघ रिजर्व	777.00	केरल
8.	रन्नी वन प्रभाग	828.53	केरल
9.	कोन्नी वन प्रभाग	261.43	केरल
10.	अचानकोविल वन प्रभाग	219.90	केरल
11.	श्रीविल्लीपुट्टुर वन्यजीव अभ्यारण्य	485.00	तमिलनाडु
12.	तिरुनेलवेली (उत्तर) वन प्रभाग (आंशिक)	234.67	तमिलनाडु
13.	ऐराबीकुलम राष्ट्रीय उद्यान (और प्रस्तावित विस्तार)	127.00	केरल
14.	ग्रास हिल्स राष्ट्रीय उद्यान	31.23	तमिलनाडु
15.	करीयन शोला राष्ट्रीय उद्यान	5.03	तमिलनाडु
16.	करीयन शोला (परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग)	3.77	केरल
17.	मनकुलम रेंज	52.84	केरल
18.	चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य	90.44	केरल
19.	मन्नावन शोला	11.26	केरल
20.	साईलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान	89.52	केरल
21.	न्यू अमरमबलम आरक्षित उद्यान	246.97	केरल
22.	मुकरुती राष्ट्रीय उद्यान	78.50	तमिलनाडु
23.	कलीकावू रेंज	117.05	केरल
24.	अटापाडी आरक्षित वन	65.75	केरल
25.	पुष्पागिरि वन्यजीव अभ्यारण्य	102.59	कर्नाटक

1	2	3	4
26.	ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभ्यारण्य	181.29	कर्नाटक
27.	तलाकावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य	105.00	कर्नाटक
28.	पाडीनालकाड आरक्षित वन	184.76	कर्नाटक
29.	केर्ती आरक्षित वन	79.04	कर्नाटक
30.	अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य	55.00	केरल
31.	कुदरेमुख राष्ट्रीय उद्यान	600.32	कर्नाटक
32.	सोमेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य	88.40	कर्नाटक
33.	सोमेश्वरा आरक्षित वन	112.92	कर्नाटक
34.	अगुम्बे आरक्षित वन	57.09	कर्नाटक
35.	बालाहल्ली आरक्षित वन	22.63	कर्नाटक
36.	कास प्लेटयू	11.42	महाराष्ट्र
37.	कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य	423.55	महाराष्ट्र
38.	चंदोली राष्ट्रीय उद्यान	308.90	महाराष्ट्र
39.	राधानगरी वन्यजीव अभ्यारण्य	282.35	महाराष्ट्र
	कुल योग	7,953.15	

[हिन्दी] 23-33

सैन्य अभियंता सेवा का निर्माण संबंधी लक्ष्य

1457. श्री प्रवीण सिंह ऐरन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य अभियंता सेवा (एम.ई.एस.) विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित मानक और अनुसूची के अनुसार अपने निर्माण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसके उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सैनिकों के लिए बनाए जा रहे अपार्टमेंट नई प्रौद्योगिकी के अनुसार हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) एमईएस विगत तीन

वर्षों में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के निर्माण कार्यों के लिए किए गए बजटीय आवंटनों का पर्याप्त रूप से उपयोग कर सका है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एमईएस अपनी परियोजनाओं को रक्षा निर्माण कार्य प्रक्रिया-2007, एमईएस के विनियम और संविदा नियम पुस्तिका के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निष्पादित करता है, जिनका उद्देश्य सुस्थापित मानकों और कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करना है।

(ङ) और (च) नए आवासीय अपार्टमेंटों का निर्माण आधुनिक प्रौद्योगिकी और निर्माण प्रक्रियाओं का प्रयोग करके किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रक्षा परियोजनाओं के लिए उपयुक्तता के अध्यधीन और दूरस्थ स्थानों में सामग्री और रख-रखाव सेवाओं की आसानी से उपलब्धता पर विचार करते हुए आधुनिक इंजीनियरिंग निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है।

विवरण

सैन्य अभियंता सेवा के निर्माण कार्यों के लिए बजट का उपयोग

वित्तीय वर्ष	निधि (करोड़ रुपए)		उपयोग का प्रतिशत
	आवंटन	व्यय	
2009-10	8386.10	8320.56	99.22
2010-11	9558.16	9512.45	99.52
2011-12	10259.05	10323.10	100.62

[अनुवाद]

213-34

सड़कों के निर्माण हेतु कचरों का इस्तेमाल

1458. **श्री सी. शिवासामी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कचरे का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने सड़क निर्माण में कचरे के इस्तेमाल में विशेषज्ञता हासिल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे राख और ब्लास्ट फर्नेस लावा की पहले ही अनुमति दे दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट पदार्थों जैसे राख, स्टील लावा, कॉपर और जिंक लावा, खनन अपशिष्ट, भवनों और ढांचों से विध्वंस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट आदि के उपयोग के लिए व्यापक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

जैव-विविधता वाले स्थलों की घोषणा 234-35

1459. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों में जैव-विविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) की घोषणा करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या जेनेटिक संसाधनों की महत्ता के संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए जैव-विविधता साक्षरता आंदोलन हेतु सरकार को विशेषज्ञों से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी अधिनियम) की धारा 37 के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों के साथ परामर्श करके, इस अधिनियम के अंतर्गत जैव-विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव-विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं, केन्द्र सरकार से परामर्श करके, इन स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए नियम बना सकती हैं, और ऐसी अधिसूचना से आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति देने या उनके पुनर्वास के

लिए योजनाएं भी बना सकती हैं। अत: जैव-विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव-विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। तद्नुसार, सरकार ने अपने-अपने राज्यों में जैव-विविधता स्थलों के रूप में क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा है। जैव-विविधता विरासत स्थलों की पहचान, चयन और प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए), की वेबसाइट पर भी डाले गए हैं जो कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक और स्वायत्त संगठन है।

(घ) और (ङ) मैसर्स सेंटर फॉर इकोलॉजिकल एंड रिसर्च, थंजावर द्वारा "जैव-विविधता संरक्षण हेतु जैव-साक्षरता" संबंधी एक प्रस्ताव एनबीए को प्रस्तुत किया गया था। एनबीए द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे बी.डी. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, यथोचित कार्रवाई के लिए तमिलनाडु राज्य जैव-विविधता बार्ड को अग्रेषित कर दिया गया था।

[हिन्दी] 235-38

खान मजदूरों के लिए आवास सुविधा

1460. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड सहित देश में खान मजदूरों को आवास सुविधा देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में राज्य-वार कितनी आवास इकाइयां बनाने का प्रस्ताव है और खान मजदूरों को कितना आवास ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) जी, हां। खान कामगारों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना तैयार कर ली गयी है।

(ख) खान कामगारों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गयी है:—

(i) **टाइप-I आवास योजना** — इस योजना के अंतर्गत खान प्रबंधन को खान कामगारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु 40,000 रुपये प्रति इकाई आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) **टाइप-II आवास योजना** — इस योजना के अंतर्गत खान प्रबंधन को खान कामगारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु 50,000 रुपये प्रति इकाई आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) **संशोधित एकीकृत आवास योजना** — इस योजना के अंतर्गत खान कामगारों को व्यक्तिगत रूप से 40,000 रुपये प्रति इकाई आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) 40,000/50,000 रुपये प्रति इकाई धनराशि ऋण न होकर आर्थिक सहायता के रूप में संस्वीकृत की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए मकानों की इकाईयां और धनराशि क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होगी। वर्ष 2011-12 और 2012-13 (आदिनांक) के लिए राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

खान मजदूरों के लिए आवास सुविधा हेतु आर्थिक सहायता

राज्य का नाम	2011-12 (आर्थिक सहायता प्रदान किए गए मकानों की संख्या)	धनराशि (लाख रुपयों)	2012-13 (आर्थिक सहायता प्रदान किए गए मकानों की संख्या) (आदिनांक)	धनराशि (लाख रुपयों)
1	2	3	4	5
राजस्थान	69	13.80	—	—

1	2	3	4	5
ओडिशा	344	68.80	62	12.40
कर्नाटक			72 टाइप-II	28.80
मध्य प्रदेश	02	0.40	48 टाइप-II	7.20
हिमाचल प्रदेश			03	0.60

छह-लेन वाली बाइपास सड़कें 237-

1461. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में छह-लेन वाली बाइपास सड़कों का निर्माण मास्टर प्लान की स्वीकृति में बाधा डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। किसी शहर विशेष के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, संबंधित स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

237-39

निर्यात में कमी

1462. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित और आयातित प्रमुख मदों का मात्रा-वार, देश-वार, मद-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विकासशील राष्ट्रों के साथ व्यापार में कुल कितनी कमी आई है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत को अपना व्यापार लक्ष्य पूरा करने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन देशों में निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या विभिन्न व्यापार निकायों ने निर्यात की प्रवृत्ति में कमी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपाय सुझाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा चालू वर्ष में निर्यातकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) आयातित और निर्यातित प्रमुख मदों सहित वस्तुओं के ब्यौरे, डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशन में सीडी के रूप में 'भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े' खंड-I (निर्यात) और खंड-II (आयात) नाम से उपलब्ध हैं जिसे डीजीसीआई एंड एस द्वारा संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजा जाता है।

(ख) वर्ष 2012-13 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान विकासशील देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा - 80.7 बिलियन (अनंतिम) अमेरिकी डॉलर है। निर्यात का देश-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(ग) और (घ) सभी हितधारियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, वाणिज्य विभाग ने व्यापार घाटे को पाटने के एक साधन के रूप में वर्ष 2013-14 तक वाणिज्य-वस्तु के निर्यात को दुगुना करने की योजना के एक भाग के रूप में मई, 2011 में एक कार्यनीति दस्तावेज जारी किया है।

(ङ) और (च) निर्यात क्षेत्रों के कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने

तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य व्यापार निकायों के परामर्श के साथ निर्यात क्षेत्रों के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करती है और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर प्रोत्साहन देने के लिए उपचारी उपाय करती है। विदेश व्यापार नीति की योजनाओं जैसे फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम और विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं के ब्यौरे विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट *www.dgft.gov.in* पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद] 239-

आंध्र प्रदेश में एककों की स्थापना

1463. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (पीएसयूज) का विचार आंध्र प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ एकक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे सृजित होने वाले संभावित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत डाइनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) की आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम में 2500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक मिसाइल उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना है।

(ग) इसमें लगभग 700 कार्मिकों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार तथा लगभग 2000 कार्मिकों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है।

239-40

ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु नियम और विनियम

1464. **श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय सरकारी कर्मचारियों के लापरवाहीपूर्ण निरीक्षण के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए कठोर नियम और विनियम बनाने हेतु राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस मामले में राज्य सरकारों के विचार/मत मांगे गये हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं। यह मंत्रालय ड्राइविंग लाइसें जारी करते समय मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुसरण किए जाने के लिए समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराता रहा है। राज्य सभा द्वारा यथा पारित मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012 और जो वर्तमान में लोक सभा में विचाराधीन है, मोटर यान अधिनियम, 1988 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन किए जाने के लिए है ताकि ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान और विभिन्न अपराधों के लिए शास्तियां निर्धारित/बढ़ाई जा सकें।

240-41

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में विनिवेश

1465. **श्री मानिक टैगोर : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में सरकारी शेयरों में विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एचएएल में विनिवेश करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार

ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपनी इक्विटी के 10% के विनिवेश का प्रस्ताव किया है।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विनिवेश का प्रस्ताव विनिवेश संबंधी सरकार की नीति के अनुसार किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे सभी सूची में शामिल न किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो, कोई संचित हानि न हो और जिन्होंने पिछले लगातार तीन वर्षों से निवल लाभ अर्जित किया हो।

(घ) इस प्रस्ताव को कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के गठन से संबंधित सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की तारीख से छह महीने के भीतर कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80

1466. श्री महाबली सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर के रास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग-80 माता मोड़ से फरक्का के निर्माण में उन तकनीकी मानकों और मापदंडों जिनका अनुपालन किया जाना था, की अनदेखी की गई है जिसके परिणामस्वरूप इस राजमार्ग पर ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाते हैं। विकास कार्यों को मंत्रालय की विशिष्टताओं में निर्धारित तकनीकी मानकों और भारतीय सड़क कांग्रेस कोडल उपबंधों के अनुसार संस्वीकृत और शुरू किया जाता है।

बिहार में राजमार्गों का निर्माण

1467. श्री महेश्वर हजारी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मथुरापुर-इस्लामनगर, सिंधिया-कुशेश्वर स्थान-फुलतोड़ा घाट के रास्ते मुसरी घरारी से समस्तीपुर से खगड़िया तक राजमार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कितने जन प्रतिनिधियों ने उक्त राजमार्ग के निर्माण की मांग की है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वनरोपण परियोजनाओं हेतु धनराशि

1468. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनरोपण परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक ने कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में नियत और प्राप्त वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं। देश में बाह्य सहायता से चल रही किसी भी वनीकरण परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातोन्मुखी योजना

1469. श्री हरिभाऊ जावले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातोन्मुखी (ईओयू) योजना के तहत प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यातोन्मुखी इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विगत अवधि के दौरान इन इकाइयों में लगे लोगों की संख्या में कमी आयी है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ईओयू में पर्याप्त संख्या में रोजगार पैदा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1981 में शुरू की गई ईओयू स्कीम पूर्ववर्ती ईपीजेड स्कीम की अनुपूरक स्कीम है। इसकी उत्पादन प्रणाली पूर्ववर्ती स्कीम के तरह है परंतु इसमें कच्ची सामग्री के स्रोत, निर्यात के पत्तन, दूरवर्ती क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकी कौशल की उपलब्धता, औद्योगिक आधार की मौजूदगी तथा परियोजना के लिए एक बड़े भू-क्षेत्र की आवश्यकता जैसे कारकों के संदर्भ में उस स्थल पर व्यापक विकल्पों की पेशकश की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी जाती है जो एग्जिम नीति/विदेश व्यापार नीति के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में अनुमत्य बिक्री को छोड़कर वस्तु के समग्र उत्पादन के निर्यात के लिए वचनबद्ध हों। ये इकाइयां विनिर्माण, सेवाओं, सॉफ्टवेयर के विकास, कृषि प्रसंस्करण सहित कृषि, जलकृषि, पशु पालन, जैव-प्रौद्योगिकी, पुष्पकृषि, बागवानी, मत्स्यकृषि, अंगूरोत्पादन, कुक्कुट और रेशम-उत्पादन आदि कार्य में संलग्न हो सकती हैं। निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) को उपलब्ध सुविधाओं/प्रोत्साहनों में पूंजीगत वस्तुओं सहित निविष्टियों की शुल्क मुक्त सोर्सिंग, केन्द्रीय उत्पादशुल्क के भुगतान के बिना डीटीए से वस्तुओं की अधिप्राप्ति, केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति, रियायती शुल्क दर के भुगतान पर अनुमत्य वास्तविक निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50% तक डीटीए बिक्री (अग्रिम डीटीए बिक्री सहित) तथा दिनांक 31.03.2011 तक ईओयू की आय को आयकर के भुगतान से छूट प्रदान करना शामिल है।

(ग) से (च) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान ईओयू में इकाइयों एवं नियोजित व्यक्तियों के संख्या निम्नानुसार हैं:—

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
ईओयू की संख्या	2556	2578	2446	2311
रोजगार	313003	300831	220435	236892

*अनंतिम आंकड़े।

[हिन्दी]

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट डिपो

1470. श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में कोई कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) डिपो नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में सीएसडी डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राज्य में रह रहे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक सीएसडी डिपो स्थापित किया जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 188 कनाल भूमि प्रस्तावित की थी। तथापि, वह भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई थी क्योंकि उसमें कुछ भूमि में खड/नाले थे। सीएसडी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि उक्त भूमि को जलमार्ग/तटबंध बनाकर विकसित किया जाए तथा उपयुक्त वैकल्पिक भूमि आबंटित की जाए।

इस चरण में ऊना में डिपो स्थापित करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का उल्लंघन

1471. श्री प्रबोध पांडा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वालमार्ट कम्पनी और अन्य कंपनियों के विरुद्ध खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन के कुछ मामलों की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा चूककर्त्ता कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) कुछ कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाले मामले संज्ञान में आए हैं।

एफडीआई विनियमों का उल्लंघन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के दंडात्मक प्रावधानों के तहत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्रमशः भारती वॉल मार्ट/सेडार सपोर्ट सर्विसिस लि. और मै. फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसिस लि. से संबंधित मामले आगे की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

245

मराठों को ओबीसी आरक्षण

1472. श्री राजू शेट्टी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मराठों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एनसीबीसी अधिनियम, 1993 की धारा 9(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा दी गई सलाह के आधार पर अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों को अधिसूचित करता है।

सरकार को अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में मराठा के सम्मिलन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय वर्ग आयोग को उनकी सलाह हेतु 27.04.2012 को भेजा गया था।

245-46

गौ-शालाओं की स्थापना

1473. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में गौ-शालाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार देश में गायों सहित आवारा/लावारिस पशुओं के लिए आश्रय स्थलों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 600 संगठनों ने आश्रय स्थल स्थापित किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

246-47

बंधुआ बाल मजदूर

1474. श्री बिभू प्रसाद तराई :
श्री प्रबोध पांडा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उद्योगों में बंधुआ बाल मजदूरों की पहचान बेहद लापरवाही से की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप बच्चों को उन क्षेत्रों में काम पर लगाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार मुक्त कराए गए बंधुआ बाल मजदूरों जो अभी भी पुनर्वास और मुआवजा प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं से संबंधित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से अवगत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुक्त कराए गए बाल मजदूरों की त्वरित पहचान और पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, जिले बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के अंतर्गत 25 अक्तूबर, 1975 से पूरे देश में बंधुआ श्रम प्रथा समाप्त कर दी गयी है। जब कभी बंधुआ मजदूरों की विद्यमानता का पता चलता है, ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास के लिए पहचान की जाती है। बंधुआ मजदूरों की पहचान करने और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है।

(ख) पहचान किए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य

से, बधुंआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम मई, 1978 से प्रचलन में है। इस योजना के अंतर्गत, प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/- रुपये की दर से पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकार समान रूप से वहन करती है। केन्द्रीय सरकार इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए बचाए गए बंधुआ मजदूरों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों अथवा संदर्भों पर समुचित कार्रवाई करती है।

(ग) सरकार वर्ष 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य सर्व प्रथम जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एक अनुक्रमिक दृष्टिकोण अंगीकार करना है। इस योजना के अंतर्गत जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं। पहचान किए गए बच्चों में से 5-8 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा से सीधे ही जोड़ दिया जाता है, 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को विशेष स्कूलों के माध्यम से पुनर्वासित किया जाता है। कार्य से बचाए गए/हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किए जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि उपलब्ध कराया जाता है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। यह अधिनियम जहां बच्चों का कार्य करना प्रतिषिद्ध नहीं है वहां उनकी कामकाजी दशाएं विनियमित करता है। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यवसाय अथवा प्रक्रिया, जिसमें बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, में किसी बच्चे को नियोजित करता है वह कारावास अथवा जुर्माने के दंड का भागी है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय केन्द्र तथा जिला स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम की बुराइयों के विरुद्ध जागरुकता सृजन तथा बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन संबंधी अभियान चलाता है।

247-48

अमोनियम नाइट्रेट की निगरानी

1475. श्री संजय निरुपम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों से प्रतिवर्ष कई टन अमोनियम नाइट्रेट गुम होने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत में अमोनियम नाइट्रेट का कितना आयात किया गया है;

(ङ) क्या भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का पता लगाने के लिए कोई तंत्र है ताकि इसे गलत हाथों में जाने से रोका जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) से (घ) पत्तनों से गायब हुए अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में रिपोर्टें केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं। कानून एवं व्यवस्था के उल्लंघन के कुछ विशिष्ट मामलों, विस्फोटकों को जब्त करने, बम विस्फोट आदि के संबंध में राज्य के कानूनी प्राधिकरणों/खुफिया एजेंसियों से समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ने 11 जुलाई, 2012 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553(अ) के जरिए प्रकाशित अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 तैयार की है। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि इन नियमों के तहत प्राधिकृत या लाइसेंस धारक व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बिक्री या इस्तेमाल के लिए अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, परिवर्तन, लदान, आयात, निर्यात, परिवहन या भंडारण नहीं करेगा।

[हिन्दी] 248-49

विमुक्त और अर्द्ध-विमुक्त जनजातियां

1476. श्री जगदानंद सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर आदिम जनजातियों की जनगणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमुक्त, अर्द्ध-विमुक्त और बंजारा जनजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बेहतर जीवनयापन हेतु उक्त जनजातियों को आवास, शिक्षा, रोजगार, इत्यादि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) प्राचीन जनजातियां, जो या तो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, को जनगणना में कवर किया गया है। जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) अधिक संख्या में खानाबदोश एवं अर्ध खानाबदोश जनजातियों को या तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में या विभिन्न राज्यों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है जो उन्हें शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं सहित संबंधित श्रेणियों में उपलब्ध विभिन्न संवैधानिक अधिकारों तथा अन्य लाभों के लिए हकदार बनाती हैं।

कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी

1477. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर कृषि क्षेत्र सहित मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है; और

(घ) देश में कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी में कितना अंतर है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) महंगाई की तुलना में न्यूनतम मजदूरी को संरक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने परिवर्ती महंगाई भत्ता (वीडीए) पद्धति को अंगीकार किया है जिसके माध्यम से औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि के आधार पर बुनियादी न्यूनतम मजदूरी को संशोधित/बढ़ाया जाता है। वीडीए को सामान्यतः वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है और यह कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न अनुसूचित नियोजनों पर लागू है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत इनका प्रवर्तन केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है जबकि राज्य क्षेत्र में संबंधित राज्य के प्रवर्तन तंत्र पर इसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी होती है।

(घ) अधिनियम के अंतर्गत, केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें देश में कामगारों की विभिन्न श्रेणियों (कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल आदि) के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण, समीक्षा एवं संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्र-वार दरें

(01.10.2012 की स्थिति के अनुसार)

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन (रुपये)		
		क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख	क्षेत्र-ग
1	2	3	4	5
1. कृषि	अकुशल	185.00	168.00	166.00

1	2	3	4	5
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	202.00	187.00	171.00
	कुशल/लिपिकीय	220.00	202.00	186.00
	अतिकुशल	245.00	225.00	202.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में संलग्न कामगार	1. उत्खनन एवं 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार को हटाने में:			
	(क) मुलायम मिट्टी		186.08	
	(ख) कंकड़ सहित मुलायम मिट्टी		281.58	
	(ग) कंकड़		373.19	
	2. हटाने एवं 50 मीटर लीड/ 1.5 मीटर ऊंचाई सहित छाटे गये पत्थरों को जमा करने में:		148.48	
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच		1158.25	
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर		989.62	
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर		578.58	
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर		474.97	
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	279.00	231.00	186.00
4. पहरा-निगरानी	बिना शस्त्र के	279.00	231.00	186.00
	शस्त्र सहित	308.00	262.00	217.00
5. लादना एवं उतारना	अकुशल	279.00	231.00	186.00
6. निर्माण	अकुशल	279.00	231.00	186.00
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	308.00	262.00	217.00

1	2	3	4	5
	कुशल/लिपिकीय	339.00	308.00	262.00
	अति कुशल	369.00	339.00	308.00
7. गैर-कोयला खानें		भूमि के ऊपर	भूमि के नीचे	
	अकुशल	186.00	231.00	
	अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षण	231.00	279.00	
	कुशल/लिपिकीय	279.00	324.00	
	अति कुशल	324.00	369.00	

अनुसूचित नियोजन का नाम	नामावली
1. कृषि	कृषि
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में संलग्न कामगार
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	हाथ से मल साफ करने और सूखे शौच का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4. पहरा-निगरानी	पहरा-निगरानी संबंधी नियोजन
5. लादने एवं उतारने	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुड्स-शेड्स, गोदामों, वेयर हाउसों आदि और (iii) गोदी एवं पत्तनों में नियोजन
6. निर्माण	निर्माण अथवा सड़कों का अनुरक्षण अथवा रनवे अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य
7. गैर-कोयला खानें	जिप्सम खान, बेराइटस खान, बाक्साइड खान, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंग्नेसाइट, व्हाईट क्ले, पत्थर, स्टीएटाइट खान (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ऑशर, एसबेसटस, फायर क्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेड ऑक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान

क्षेत्र का वर्गीकरण

क्षेत्र - 'क'

अहमदाबाद	(यू.ए.)	हैदराबाद	(यू.ए.)	फरीदाबाद काम्प्लैक्स	
बंगलूरु	(यू.ए.)	कानपुर	(यू.ए.)	गाजियाबाद	(यू.ए.)
कोलकाता	(यू.ए.)	लखनऊ	(यू.ए.)	गुड़गांव	
दिल्ली	(यू.ए.)	चैन्नई	(यू.ए.)	नोएडा	
वृहन मुम्बई	(यू.ए.)	नागपुर	(यू.ए.)	सिकन्दराबाद	
नवी मुम्बई					

क्षेत्र - 'ख'

आगरा	(यू.ए.)	जोधपुर		जबलपुर	(यू.ए.)
अजमेर		कोच्चि	(यू.ए.)	जयपुर	(यू.ए.)
अलीगढ़		कोल्हापुर	(यू.ए.)	जालंधर	(यू.ए.)
इलाहाबाद	(यू.ए.)	कोझीकोड	(यू.ए.)	जमशेदपुर	(यू.ए.)
अमरावती		कोटा		पुदुचेरी	(यू.ए.)
औरंगाबाद	(यू.ए.)	लुधियाना		जालंधर-कैंट	(यू.ए.)
बरेली	(यू.ए.)	मदुरै	(यू.ए.)	धनबाद	(यू.ए.)
भावनगर		मेरठ	(यू.ए.)	देहरादून	(यू.ए.)
बीकानेर		मुरादाबाद	(यू.ए.)	दुर्ग-भिलाई नगर	(यू.ए.)
भोपाल	(यू.ए.)	मैसूर	(यू.ए.)	जम्मू	(यू.ए.)
भुवनेश्वर	(यू.ए.)	नासिक	(यू.ए.)	जामनगर	(यू.ए.)
अमृतसर	(यू.ए.)	पुणे	(यू.ए.)	विजयवाड़ा	(यू.ए.)
चंडीगढ़	(यू.ए.)	पटना	(यू.ए.)	विशाखापत्तनम	(यू.ए.)
कोयम्बटूर	(यू.ए.)	रायपुर	(यू.ए.)	वारंगल	(यू.ए.)
कटक	(यू.ए.)	राजकोट		मंगलौर	(यू.ए.)

दुर्गापुर	(यू.ए.)	रांची	(यू.ए.)	सलेम	(यू.ए.)
गोरखपुर	(यू.ए.)	शोलापुर	(यू.ए.)	तिरुपुर	(यू.ए.)
गुवाहाटी	(यू.ए.)	श्रीनगर	(यू.ए.)	तिरुचिरापल्ली	(यू.ए.)
गुन्टूर	(यू.ए.)	सूरत	(यू.ए.)	आसनसोल	(यू.ए.)
ग्वालियर	(यू.ए.)	तिरुवनन्तपुरम	(यू.ए.)	बेलगाम	(यू.ए.)
इंदौर	(यू.ए.)	वडोदरा	(यू.ए.)	भिवंडी	(यू.ए.)
हुबली-धारवाड	(यू.ए.)	वाराणसी	(यू.ए.)		

क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

द्रष्टव्यः यू.ए. शहरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

[अनुवाद]

2 5 7 . 58

पर्यावरण अनुकूल परियोजनाएं

1478. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्यमान प्रौद्योगिकियों को अधिक पर्यावरण हितैषी से बदलने के लिए अनुसंधान और विकास से संबंधित परियोजनाओं और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना में चिन्हित मिशन परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निधि की स्थापना के क्या मापदंड हैं;

(ग) आज की तिथि अनुसार उक्त निधि के अंतर्गत कुल कितना राजस्व संग्रहित किया गया है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ङ) अंतर-मंत्रालीय समूह (आईएमजी) द्वारा कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ये इस समय कार्यान्वयन के किस चरण में हैं; और

(च) देश में स्वच्छ ऊर्जा संबंधी अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए किए गए आबंटनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

258-12

बालश्रम

1479. श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू, दवा, बीड़ी, गुटखा और जर्दा आदि जैसे खतरनाक उद्योगों से बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न खतरनाक उद्योगों में राज्य-वार कितने बाल मजदूरों की मौतें हुई एवं कितने बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया तथा उनका पुनर्वास किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे खतरनाक कारखानों के मालिकों की संख्या कितनी है जिन्हें अभियोजित किया गया तथा उनसे कितना अर्थदंड वसूल किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर ऐसे खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरों को रखने के चलन को रोकने तथा इसके लिए जिला प्रशासनों को और अधिक जबाव देह बनाने के लिहाज से विभिन्न अधिनियमित कानूनों को क्रियान्वित करने के संबंध में क्या तंत्र बनाया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में निषिद्ध करता है जिसमें तम्बाकू, नशीले पदार्थ, बीड़ी, गुटखा एवं जर्दा, ईंट के भट्ठे आदि शामिल हैं। कोई व्यक्ति जो किसी बच्चे को बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध किए गए किसी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में नियोजित करता है वह कैद की सजा अथवा जुर्माने का भागी होगा। सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्रियान्वयन भी वर्ष 1988 से कर रही है। यह योजना प्रथम दृष्टया जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में संलग्न बच्चों के पुनर्वास पर शृंखलाबद्ध रुख अपनाना चाहती है। परियोजना के अंतर्गत कार्य से बचाए गए/हटाए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया गया है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षण पद्धति की मुख्य धारा में शामिल करने से पूर्व समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वृत्तिका, स्वास्थ्य देख-रेख इत्यादि प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह योजना देश के 20 राज्यों के 266 जिलों में प्रचालन में है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की संकल्पना से अब तक लगभग 9 लाख बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जा चुका है। राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पिछले तीन वर्षों के दौरान जोखिमकारी उद्योगों में किसी बाल श्रमिक की मृत्यु की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कार्य से मुक्त कराए गए, पुनर्वासित तथा मुख्य धारा में शामिल किए गए बच्चों का राज्य-वार विवरण ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बाल श्रम के कुपरिणामों के विरुद्ध जागरुकता सृजन अभियानों को शुरू किया है और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम कानूनों का प्रवर्तन केन्द्रीय स्तर तथा जिला स्तर पर करने का अभियान शुरू किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार किए गए निरीक्षणों, दायर किए गए अभियोजनों, दोष सिद्धियों तथा जमा की गई निधियों का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	दायर अभियोजनों की संख्या	सिद्ध दोषों की संख्या	जमा की गई निधि (लाख रुपयों)
2009	317083	11418	1312	44.93
2010	239612	8998	1308	40.40
2011	84935	4590	774	83.76
2012**	25040	589	167	11.15

(घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे खान अधिनियम, 1952, कारखाना अधिनियम, 1948, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, विस्फोटक अधिनियम, 1984, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951 इत्यादि में कार्य करने से प्रतिषिद्ध हैं। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों अथवा रेलवे प्रशासन अथवा प्रमुख पत्तन अथवा खान अथवा तेल क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन के लिए समुचित प्राधिकारी है तथा अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के माध्यम से बचाए गए, पुनर्वासित एवं मुख्य धारा में शामिल किए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	मुख्य धारा में शामिल किए गए बच्चों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 सितम्बर, 2012 तक
1	2	3	4	5	6
1.	असम	3685	274	227	10749

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	13,689	1,858	13,202	6,949
3.	बिहार	7,998	8,552	19,673	968
4.	छत्तीसगढ़	1,063	5,164	4,914	2,004
5.	गुजरात	1,437	2,129	609	494
6.	हरियाणा	1,354	1,293	1,895	1,722
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	43	184	132
8.	झारखंड	1,816	1,015	2,216	1,989
9.	कर्नाटक	3,217	135	3,761	722
10.	महाराष्ट्र	5,150	5,113	4,532	2,335
11.	मध्य प्रदेश	9,692	13,344	17,589	4,700
12.	ओडिशा	10,585	14,416	13,196	10,209
13.	पंजाब	1,023	123	168	0
14.	राजस्थान	12,326	4,415	1,020	0
15.	तमिलनाडु	6,321	6,325	5,127	3,405
16.	उत्तर प्रदेश	40,297	28,243	29,947	3,021
17.	पश्चिम बंगाल	13,187	2,215	7,456	3,117
	कुल	1,32,840	94,657	1,25,716	53,416

लड़कियों का दुर्व्यापार

261-66

1480. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलालों द्वारा झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों से गरीब लड़कियों को दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में लाकर इन्हें घरेलू नौकरानी के रूप में रोजगार प्रदान करने हेतु प्लेसमेंट एजेंसियों को सौंपा जाता है, जबकि इनमें से अधिकतर युवा लड़कियां और सोलह वर्ष से कम आयु की होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे दुर्व्यापारियों, प्लेसमेंट एजेंसियों और व्यक्तियों, जो यह जानते हुए भी उन्हें रोजगार प्रदान करते हैं कि यह बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन है, के विरुद्ध कोई निवारक कदम उठाने के साथ-साथ कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) जब कभी प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा मानव दुर्व्यापार

की घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, इन मामलों को कानून के अनुसार पंजीकृत किया जाता है एवं जांच की जाती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारियों के अनुसार कानून के विभिन्न उपबंधों के मुताबिक पंजीकृत मामलों की कुल संख्या जो वर्ष 2009, 2010 और 2011 की अवधि में क्रमश: 2848, 3422 और 3517 है जो मानव दुर्व्यापार के जेनेरिक उल्लेख के अंतर्गत आते हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा इन दुर्व्यापारों को रोकने के लिए उठाए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा इन दुर्व्यापारों को रोकने के लिए उठाए गए उपचारात्मक उपाय

भारत में दुर्व्यापार संबंधी संवैधानिक एवं विधायी उपबंध

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत मानव अथवा मानव समूहों का दुर्व्यापार प्रतिषिद्ध है।

- व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के लिए दुर्व्यापार को रोकने के लिए अनैतिक दुर्व्यापार (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) एक प्रमुख विधान है। अनैतिक दुर्व्यापार (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है ताकि इसके दायरे को बढ़ाया जा सके, दुर्व्यापार करने वालों पर ध्यान आकर्षित किया जाए और शिकार व्यक्तियों के पुन: शिकार होने पर नियंत्रण हो एवं इसके क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

- महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक दुर्व्यापार (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में, भारतीय दंड संहिता की विशिष्ट धाराओं यथा धारा 372 एवं 373 जो वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद-बिक्री से संबंधित है के अतिरिक्त, विशिष्ट विधानों को अधिनियमित किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन कर रहा है जो 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। इस अधिनियम के अनुसार अक्तूबर, 2006 से घरेलू सहायक के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। मार्च, 2008 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक नयाचार जारी किया है जो दुर्व्यापार किए गए एवं प्रवासी बाल श्रमिकों के बचाव, संरक्षण, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वर्ष 2010 में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किया है। कई राज्य सरकारों ने निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत उपबंध बनाए हैं।

गृह मंत्रालय

मानव दुर्व्यापार के संकट को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं जो निम्नवत् हैं:—

- गृह मंत्रालय ने दुर्व्यापार-रोधी नोडल प्रकोष्ठ का गठन किया था ताकि वह विभिन्न निर्णयों और उस पर राज्य सरकारों द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई से अवगत कराने के लिए एक केन्द्रक बिन्दु के तौर पर कार्य करें। यह अन्य मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के बीच सूचना एकत्रित करने और इसके आदान-प्रदान के लिए धुरी के रूप में भी कार्य करता है। सभी राज्य/संघ राज्य प्रशासनों ने दुर्व्यापार मामलों में आपस में समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक इसी प्रकार, जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में दुर्व्यापार-रोधी नोडल प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। गृह मंत्रालय में आवधिक रूप से राज्य दुर्व्यापार-रोधी नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की जाती हैं।

- सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने एवं इससे लड़ने के लिए व्यापक परामर्श जारी किए गए हैं।

- "भारत में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव दुर्व्यापार के विरोध में कानून के प्रवर्तन प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण" विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार और नशीले पदार्थ एवं अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ संयुक्त पहल के रूप में एक परियोजना शुरू की गई है।

- गृह मंत्रालय ने "भारत में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव दुर्व्यापार के विरोध में कानून के प्रवर्तन प्रत्युत्तर का सुदृढ़ीकरण" नामक एक व्यापार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें देश भर में 330 मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयां स्थापित करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कारक के माध्यम से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने "मानव दुर्व्यापार – अनुवीक्षकों के लिए हैंड बुक" नामक एक प्रशिक्षण नियमावली तैयार की है ताकि पुलिस कार्मिकों को संवेदनशील बनाया जा सके और इन हैंड बुकों का उपयोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है।

- यूएनओडीसी के साथ प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशालाएं शुरू की गई हैं ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण में वृद्धि और उनमें जागरुकता का सृजन किया जा सके। गृह मंत्रालय/बीपीआरएंडडी एवं यूएनओडीसी ने "मानव दुर्व्यापार से लड़ाई" अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है।

- भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार से होने वाले दुर्व्यापार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, एमडब्ल्यूसीडी और यूनीसेफ ने एक मसौदा नयाचार और एसओपी तैयार किया है जो दुर्व्यापार को रोकने, शिकार लोगों की पहचान करने और उनके प्रत्यर्पण संबंधी विभिन्न मामलों को देखेगा और इस प्रक्रिया को तीव्र एवं सुलभ बनाया गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी)

मानव दुर्व्यापार के खतरे को कम करने के लिए एमडब्ल्यूसीडी निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है:—

- **उज्जवला:** एमडब्ल्यूसीडी "उज्जवला" नामक एक व्यापक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि व्यापारिक यौन उत्पीड़न के लिए महिलाओं के दुर्व्यापार को रोकने, उनके बचाव, पुनर्वास, समायोजन एवं शिकार लोगों का प्रत्यर्पण किया जा सके। 31 अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार 21 राज्यों में 201 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है जिनमें 101 पुनर्वास भवनों को मंजूरी दी गई है जिसमें लगभग 4650 शिकार लोगों को रखा जा सकता है। इन योजनाओं में आश्रय, भोजन, शिकार लोगों के लिए कपड़े, परामर्श, चिकित्सा देख-रेख, कानूनी एवं अन्य सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आय सृजन गतिविधियां शामिल हैं। यह योजना समुदाय आधारित पद्धतियों का संवर्धन भी करती है ताकि स्रोत क्षेत्र से दुर्व्यापार को रोका जा सके। आदिनांक स्रोत क्षेत्रों में लगभग 530 समुदाय सतर्कता समूह और 700 किशोर समूह तैयार किए गए हैं ताकि दुर्व्यापार रोका जा सके।

- **स्वाधार एवं अल्प आवधिक आवास:** इसके अतिरिक्त, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं एवं दुर्व्यापार के शिकार लोगों को भी अल्प आवधिक आवासों एवं स्वाधार भवनों में आश्रय दिया जाता है। यह योजना महिलाओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आश्रय, भोजन एवं कपड़ों के साथ-साथ परामर्श, नैदानिक, चिकित्सकीय, कानूनी एवं अन्य सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास तथा हेल्पलाइन सुविधाएं प्रदान करता है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के लिए दुर्व्यापार के शिकार बच्चों के पूर्व बचाव, बचाव एवं बचाव उपरांत कार्यों के लिए एक नयाचार भी तैयार किया है। यह नयाचार सभी संबंधित मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को क्रियान्वयन हेतु व्यापक रूप से प्रचालित किया गया है।

टाट्रा ट्रक सौदा

1481. **श्री यशवीर सिंह :**
श्री के. सुगुमार :
श्री नीरज शेखर :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने हाल ही में टाट्रा ट्रकों में नए लॉट की खरीद हेतु आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जब मामले में सीबीआई की जांच चल रही है तो खरीद हेतु आदेश जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने चेतावनी दी है कि टाट्रा ट्रकों की खरीद के निर्णय में विलंब से रक्षा आधुनिकीकरण परियोजनाएं कई वर्षों तक लंबित हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों में विलंब की संभावना के बारे में सूचित किया है जो प्लेटफार्म के रूप में टाट्रा वाहनों पर आधारित है।

उद्योग **कच्चे माल का व्यापार** 267-68

1482. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति आयातों द्वारा पूरी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कच्चे मालों और खनिजों के नाम क्या हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इनके निर्यात/आयात की मात्रा तथा मूल्य क्या रहा;

(ग) क्या सरकार का विचार देश से कच्चे माल और खनिजों के निर्यात को विनियमित/हतोत्साहित करने के लिए कोई विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल और खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और सरकार द्वारा किए गए उक्त प्रयासों के परिणाम क्या रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) किसी देश में कच्चे माल सहित, किसी वस्तु का आयात, तभी होता है जब या तो उस देश में उसकी कमी है या उसकी घरेलू कीमत अधिक है। आयातित और निर्यातित कच्चे माल और खनिजों सहित वस्तुओं का ब्यौरा 'भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी' खंड-I (निर्यात) और खंड-II (निर्यात) नाम से सीडी के रूप में डीजीसीआई एण्ड एस प्रकाशन में उपलब्ध है, जिसे नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय में भेजा जाता है।

(ग) और (घ) देश से, कच्चे माल और खनिजों सहित सभी निर्यात, समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के द्वारा विनियमित होते हैं।

(ङ) घरेलू उद्योग निर्यातों के लिए मदों के उत्पादन हेतु शुल्क मुक्त आधार पर अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत कच्चे माल, अन्तर्वर्ती वस्तुओं तथा संघटक का आयात कर सकते हैं। अधिकतर कच्चे माल का आयात मुक्त रूप से अनुमत है।

[हिन्दी] 268-69

नौकरियों में आरक्षण

1483. **श्रीमती भावना पाटील गवली :**
श्री बलीराम जाधव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालयाधीन सभी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) में अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का गैर-सरकारी संगठनों में आरक्षण के नियमों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु केन्द्रीय सेल को स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उद्योगों की स्थापना 269–74

1484. श्री संजय धोत्रे :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री राम सिंह कस्वां :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री कादिर राणा :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर नवसृजित राज्यों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थापित/स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की संख्या क्या है और प्रत्येक राज्य के ग्रामीण/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/विशेष पैकेज, मुहैया कराया गया है/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन करवाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सरकार के संज्ञान में विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताओं के मामले आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के सभी भागों में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में गैर-एमएसएमई श्रेणी के उद्योगों द्वारा दायर किए गए औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों (आईईएम) तथा आशय-पत्रों/जारी किए गए प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की दृष्टि से निवेश के आशयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। उद्यमियों द्वारा दायर आईईएम के भाग-ख के आधार पर कार्यान्वित आईईएम का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

ग्रामीण/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पैकेज हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्र सरकार जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए विशेष श्रेणी के राज्य पैकेज योजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों (सिक्किम सहित) के लिए इन राज्यों की प्रतिकूल पहाड़ी भू-भाग तथा अन्य विशिष्टताओं को देखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति, 2007 के तहत प्रोत्साहन पैकेज कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, कच्ची सामग्रियों तथा तैयार माल को लाने-लेजाने संबंधी परिवहन लागत पर राजसहायता प्रदान करने के लिए इन सभी राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले के लिए परिवहन राजसहायता लागू है।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं हैं:—

- औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)।
- एकीकृत चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)।
- निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलापों (एएसआईडीई) को विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता हेतु स्कीम।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम — क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)
- एकीकृत वस्त्र पार्क स्कीम (एसआईटीपी)
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

विवरण-I

दायर किए गए आईईएम/जारी किए गए एलओआई/ डीआईएल की दृष्टि से औद्योगिक निवेश आशयों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
आंध्र प्रदेश	319	519	392	271
अरुणाचल प्रदेश	4	5	7	3
असम	45	37	32	33
बिहार	32	46	31	19
चंडीगढ़	0	1	1	1
छत्तीसगढ़	293	256	114	73
दादरा और नगर हवेली	50	63	55	26
दमन और दीव	39	35	21	5
दिल्ली	21	19	12	6
गोवा	46	39	23	19
गुजरात	376	497	544	414
हरियाणा	85	141	118	95
हिमाचल प्रदेश	41	54	36	45
जम्मू और कश्मीर	23	23	21	23
झारखंड	65	53	25	27
कर्नाटक	179	269	217	143
केरल	8	8	12	3
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	182	226	191	112
महाराष्ट्र	594	759	975	457
मणिपुर	0	1	1	1
मेघालय	10	14	6	3
मिजोरम	0	0	1	0
नागालैंड	0	0	1	0
ओडिशा	99	179	119	54
पुदुचेरी	14	14	8	4
पंजाब	68	103	113	71
राजस्थान	88	125	166	149
सिक्किम	8	13	15	8
तमिलनाडु	236	237	258	167
त्रिपुरा	2	1	3	3
उत्तर प्रदेश	176	172	165	113
उत्तराखंड	165	217	80	39
पश्चिम बंगाल	206	209	136	71
एक से अधिक राज्य में अवस्थित	0	1	1	0
योग	3475	4336	3900	2459

नोट: आईईएम: गैर-एमएसएमई श्रेणी के तहत आने वाले गैर-लाइसेंसीकृत क्षेत्र के लिए दायर औद्योगिक उद्यम ज्ञापन; एलओआई: जारी किए गए आशय पत्र; डीआईएल: प्रदान किए गए प्रत्यक्ष औद्योगिकी लाइसेंस।

विवरण-II

उद्यमियों द्वारा दायर आईईएम प्रपत्र के भाग-ख के आधार पर कार्यान्वित आईईएम का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
आंध्र प्रदेश	82	86	86	70
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1
असम	10	9	13	13
बिहार	1	0	2	9
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	6	10	0	0
दादरा और नगर हवेली	9	7	6	3
दमन और दीव	3	13	1	1
दिल्ली	2	0	1	0
गोवा	5	6	7	5
गुजरात	76	56	50	80
हरियाणा	21	13	7	16
हिमाचल प्रदेश	7	7	3	6
जम्मू और कश्मीर	3	3	0	0
झारखंड	0	2	5	3
कर्नाटक	31	19	22	9
केरल	1	0	0	0
1	2	3	4	
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	30	12	11	14
महाराष्ट्र	289	87	120	72
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	2	3
मिजोरम	0	0	0	1
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	1	6	5	2
पुदुचेरी	2	2	2	0
पंजाब	16	7	2	5
राजस्थान	10	27	14	18
सिक्किम	4	4	3	5
तमिलनाडु	39	27	28	9
त्रिपुरा	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	18	24	20	18
उत्तराखंड	68	159	31	49
पश्चिम बंगाल	68	50	33	23
कुल	804	636	474	435

वन्यजीवों की मौतों को रोकना 274-82

1485. **श्री भक्त चरण दास :**
श्रीमती मेनका गांधी :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री हमदुल्लाह सईद :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में शेरों, बाघों, हाथियों और गैंडों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़ें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में जंगली जानवरों की अप्राकृतिक मौतों/हत्याओं का कोई रिकॉर्ड है; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभ्यारण्य-वार और जानवर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में जंगली जानवरों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, शेरों, बाघों, हाथियों और गैंडों की पिछली गणना में अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:—

प्रजातियां	पिछली गणना के अनुसार अनुमानित संख्या	वर्ष के दौरान की गई पिछली गणना
बाघ	1706	2010
शेर	411	2010
गैंडे	2414	2009
हाथी	27694	2007-08

(ग) और (घ) मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बाघों, हाथियों, शेरों और गैंडों की मृत्यु का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I, II, III और IV में दिया गया है। उनका अभ्यारण्य-वार ब्यौरा मंत्रालय में समेकित नहीं किया जाता है।

देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) वन्य पशुओं को शिकार और वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है तथा इसे और अधिक सख्त बनाया गया है। अपराधों के मामलों में दी जाने वाली सजाओं में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध हेतु किया गया है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(iii) वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देश भर के महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करके संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का सृजन किया गया है।

(iv) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावासों के सुधार हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(v) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं।

(vi) राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और उनके आस-पास क्षेत्रीय संरचना को सुदृढ़ बनाने और गश्त में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया हैं।

(vii) वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु कानून के प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(viii) राज्य वन और वन्यजीव विभागों के अधिकारियों द्वारा कठोर निगरानी बनाए रखी जाती है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बाघों की मौतों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009		2010		2011		2012 (22.11.2012 के अनुसार)	
		जब्ती सहित अवैध शिकार	प्राकृतिक और अन्य कारण	जब्ती सहित अवैध शिकार	प्राकृतिक और अन्य कारण	जब्ती सहित अवैध शिकार	प्राकृतिक और अन्य कारण	जब्ती सहित अवैध शिकार	प्राकृतिक और अन्य कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	9	2	6	3	3	1	3
4.	बिहार	0	0	1	0	0	1	0	1
5.	छत्तीसगढ़	0	0	2	0	2	0	1	0
6.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	कर्नाटक	2	9	5	2	3	3	9	4
8.	केरल	0	1	2	1	1	3	3	0
9.	मध्य प्रदेश	4	11	3	5	0	5	8	5
10.	महाराष्ट्र	4	1	5	3	4	2	10	4
11.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	ओडिशा	1	0	0	0	0	1	1	0
13.	राजस्थान	0	3	3	1	0	1	0	0
14.	तमिलनाडु	1	0	2	2	0	3	4	2
15.	उत्तराखंड	1	8	1	4	2	0	6	6
16.	उत्तर प्रदेश	1	2	1	1	1	15	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	0	0	0	1	2
18.	हरियाणा	0	0	0	0	0	3	1	0
19.	दिल्ली	2	0	0	0	0	0	0	0
20.	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	21	45	28	25	16	40	50	28

विवरण-II

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान हाथियों की मौतों का ब्यौरा

रेल दुर्घटनाओं में मारे गए हाथियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	असम	8	2	0
2.	पश्चिम बंगाल	1	13	2
3.	तमिलनाडु	1	0	0
4.	झारखंड	0	1	1
5.	केरल	3	0	0
6.	ओडिशा	0	0	1
7.	त्रिपुरा	0	1	0
	कुल	13	17	4
	अवैध शिकार के कारण मारे गए हाथियों की संख्या			
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	4	2	0
4.	पश्चिम बंगाल	1	0	0
5.	उत्तराखंड	0	0	0
6.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
7.	तमिलनाडु	3	0	1
8.	झारखंड	0	0	1
9.	केरल	4	0	0
10.	ओडिशा	3	17	8
11.	कर्नाटक	3	7	3
12.	नागालैंड	0	0	0
13.	मेघालय		0	0
	कुल	18	26	13

नोट: वर्ष 2012-13 में रेल दुर्घटना में मारे गए और अवैध शिकार से मारे गए हाथियों की संख्या का विवरण एकत्र नहीं किया गया है।

विवरण-III

राज्य (गुजरात) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मारे गए शेरों की संख्या

वर्ष	प्राकृतिक मौत से	दुर्घटनाओं से	करंट लगने से	अवैध शिकार से	कुंए में गिरने से	आत्मरक्षा में	कुल
2009-10	42	2	1	0	1	2	48
2010-11	37	0	1	0	4	0	42
2011-12	41	0	2	0	3	0	46
2012-13 (अक्तूबर तक)	34	1	1	1	1	0	38

विवरण-IV

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मारे गए गैंडों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009		2010		2011		2012 (22.11.2012 तक)	
		प्राकृतिक और अन्य कारणों से	अवैध शिकार से	प्राकृतिक और अन्य कारणों से	अवैध शिकार से	प्राकृतिक और अन्य कारणों से	अवैध शिकार से	प्राकृतिक और अन्य कारणों से	अवैध शिकार से
1.	असम	64	14	75	8	69	7	96	13
2.	पश्चिम बंगाल	3	1	2	0	7	0	1	0
3.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	0	शून्य	शून्य

नर्सों हेतु एक समान कानून

1486. श्री एंटो एंटोनी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नर्सों के वेतन और कार्य स्थितियों को मानकीकृत करने के लिए एकसमान कानून शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि प्रशासनिक मंत्रालय है, ने रिपोर्ट दी है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और निजी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों की कार्य दशाओं में सुधार लाने और विनियमित करने का मामला उन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसके अंतर्गत वे निजी अस्पताल स्थित हैं।

जैसाकि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने दिनांक 7 जुलाई, 2010 एवं 24 फरवरी, 2012 के पत्रों के माध्यम से निजी क्षेत्र में कार्यरत नर्सों की कार्य दशाओं में सुधार के लिए एक विधान को अधिनियमित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

[हिन्दी]

283 283

आवासीय क्षेत्रों में उद्योग

1487. श्री सुदर्शन भगत :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्रीमती रमा देवी :
श्री कादिर राणा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में अनेक कारखाने चल रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विद्यमान उपबंध क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार इन प्रदूषणकारी कारखानों को अन्य स्थानों पर अंतरित करने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) उद्योगों की स्थापना एवं संचालन संबंधित राज्य की औद्योगिक नीतियों और बड़े शहरों की मास्टर प्लान द्वारा शासित होते हैं। कुल मिलाकर, आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध है। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और प्रचालन हेतु सहमति देने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को अधिकृत किया गया है और निर्धारित सहमति-शर्तों का विनियमन किया गया है। दिल्ली के मामले में और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, 'एच' श्रेणी के अंतर्गत आने वाली इकाइयां भारी संख्या में बंद कर दी गई हैं/अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

284

ईपीएफ पर ब्याज

1488. डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदानों पर लगभग 8.6 प्रतिशत ब्याज देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज की दर की घोषणा हेतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

284-88

अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्ती योजना

1489. श्री गणेश सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्ता (आईएससी एंड ईसाई) योजना के अंतर्गत सड़कों और पुलों के विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों के आवंटन संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित योजना के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित और जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले विभिन्न राजमार्गों पर निर्मित पुलों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष के दौरान संस्वीकृत कार्यों के लिए प्रायोजित धनराशि आवश्यकताओं और संस्वीकृति

के लिए प्रस्तावित नए कार्यों, धनराशि की समग्र उपलब्धता आदि के आधार पर प्रत्येक वर्ष अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आवंटित की जाती है। 50% वित्त पोषित कार्यों (अर्थात् आर्थिक महत्व की परियोजनाओं) के लिए धनराशि की निर्मुक्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों से वहन किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय के अनुरूप होती है।

(ख) पिछले 3 वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहित अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले 3 वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले विभिन्न राजमार्गों पर किसी भी पुल का निर्माण नहीं किया गया है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहित अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

(अक्तूबर, 2012 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों का ब्यौरा	
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	201	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	3
3.	असम	2	0
4.	बिहार	1	0
5.	छत्तीसगढ़	10	0
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	0	0
8.	हरियाणा	9	9
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	4	3
12.	कर्नाटक	12	11
13.	केरल	5	1
14.	मध्य प्रदेश	38	15
15.	महाराष्ट्र	74	5
16.	मणिपुर	4	0
17.	मेघालय	6	1
18.	मिजोरम	6	0
19.	नागालैंड	16	3
20.	ओडिशा	9	2
21.	पंजाब	1	1
22.	राजस्थान	11	10
23.	सिक्किम	6	4
24.	तमिलनाडु	26	3
25.	त्रिपुरा	2	1
26.	उत्तर प्रदेश	5	0
27.	उत्तराखंड	6	3
28.	पश्चिम बंगाल	3	1

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अंतर-राज्य सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(अक्तूबर, 2012 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	व्यय
1	2	3	4
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	81.82	61.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	26.21	21.06
3.	असम	4.32	4.22
4.	बिहार	12.57	3.36
5.	छत्तीसगढ़	6.79	4.39
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	63.26	22.62
8.	हरियाणा	29.72	8.70
9.	हिमाचल प्रदेश	15.19	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	26.01	25.72
11.	झारखंड	46.55	30.53
12.	कर्नाटक	34.88	29.66
13.	केरल	20.76	16.13
14.	मध्य प्रदेश	74.23	41.28
15.	महाराष्ट्र	8.51	0.00
16.	मणिपुर	13.01	6.31
17.	मेघालय	1.76	0.00
18.	मिजोरम	8.80	9.86
19.	नागालैंड	50.30	42.51
20.	ओडिशा	26.09	15.20
21.	पंजाब	10.06	14.22
22.	राजस्थान	51.02	30.74
23.	सिक्किम	35.76	35.09
24.	तमिलनाडु	47.47	32.66
25.	त्रिपुरा	0.38	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	5.63	0.00
27.	उत्तराखंड	42.49	43.82
28.	पश्चिम बंगाल	11.72	2.10
संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.11	0.00
30.	चंडीगढ़	10.50	1.72
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	2.50	0.00
33.	दिल्ली	3.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	4.00	0.00

[अनुवाद] 286-89

पत्तनों में अपशिष्ट तेल कंटेनर

1490. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न पत्तनों में बड़ी संख्या में अदावाकृत अपशिष्ट तेल कंटेनर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पत्तनों में ऐसी स्थिति की जांच के लिए कोई दिशा-निर्देश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अपशिष्ट तेल सहित अनिष्टकारी कचरे के आयात/निर्यात/उपचार/भंडारण/निकासी/परिवहन और संचलन संभालने के लिए पर्यावरण संरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनिष्टकारी कचरा (प्रबंधन, संभलाई और सीमा के आर-पार संचलन) नियम, 2008 को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर आदेश भी जारी किए थे और आदेश के अनुपालन की देखरेख के लिए उनके द्वारा एक मॉनीटरिंग समिति भी गठित कर दी गई थी।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

289-303

नि:शक्त लोगों का पुनर्वास

1491. योगी आदित्यनाथ :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशाखोरों और नि:शक्त लोगों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में राज्य-वार कुल कितने जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र हैं और ये किन स्थानों पर हैं;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित राज्यों से नि:शक्त पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में ऐसे एक केन्द्र की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्रों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई है तथा सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों को प्रदत्त उपकरणों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण के लिए सहायता की एक केन्द्रीय योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें व्यसनियों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन एवं उनके अनुरक्षण के लिए कार्यान्वयन-एजेंसियों यथा गैर-सरकारी संगठनों पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

नि:शक्तता कार्य विभाग निम्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:—

(i) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना, इससे कार्यान्वयन अभिकरणों को विभिन्न परियोजनाओं यथा विकलांगों के लिए विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, हाफ-वे होम्स, समुदाय आधारित पुनर्वास केन्द्रों, शीघ्र-हस्तक्षेप केन्द्र, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों एवं ठीक हुए कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास आदि हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ii) नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना (एसआईपीडीए) जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों में जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाती है और पहले 3 वर्षों तक धनराशि दी जाती है। जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना को पहले पांच वर्ष के

लिए धन दिया जाता है। तत्पश्चात् डीडीआरएस के अंतर्गत डीडीआरसी निधियां प्राप्त करते हैं।

(iii) यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्तजन को सहायता की योजना, जिसमें ऐसे जरूरतमंद नि:शक्तजनों को सहायता एवं उपकरण के वितरण हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे नि:शक्तता का प्रभाव कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास का संवर्धन किया जा सके और आर्थिक क्षमता में वृद्धि की जा सके।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र समेत राज्यों से डीडीआरसी की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में देश में 221 डीडीआरसी कार्यरत हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। डीडीआरसी की स्थापना के 17 अनुमोदित प्रस्तावों में से 9 डीडीआरसी पहले से ही महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत हैं।

(च) डीडीआरसी को पिछले 3 वर्ष में स्वीकृत निधियों की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। एसआईपीडीए योजना के अंतर्गत डीडीआरसी की स्थापना के लिए प्रथम वर्ष के अनुदान में उपकरणों के लिए 7 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

विवरण-I

राज्यों में स्थापित 221 डीडीआरसी की सूची

राज्य	क्र.सं.	डीडीआरसी का स्थान
1	2	3
बिहार	1.	दरभंगा
	2.	गया
	3.	बांका
	4.	मुजफ्फरपुर
	5.	छपरा
	6.	किशनगंज
	7.	नवादा
	8.	जहानाबाद
	9.	समस्तीपुर
	10.	बेगूसराय
	11.	पूर्व चम्पारन
	12.	कैमूर
	13.	मधुबनी
	14.	भोजपुर
	15.	अररिया
	16.	औरंगाबाद
	17.	वैशाली (हाजीपुर)
	18.	पूर्णिया
	19.	सुपौल
	20.	पश्चिम चम्पारन
	21.	सीतामढ़ी
छत्तीसगढ़	22.	रायपुर
	23.	रायगढ़
	24.	दुर्ग
	25.	राजनन्दगांव
	26.	जसपुर
	27.	बस्तर
झारखंड	28.	रांची
	29.	हजारीबाग
	30.	दुमका
	31.	जमशेदपुर

1	2	3
	32.	धनबाद
	33.	पलामू
ओडिशा	34.	कालाहाड़ी
	35.	सम्बलपुर
	36.	मयूरभंज
	37.	कोरापुट
	38.	फुलबनी
	39.	गंजम
	40.	नौरंगपुर
	41.	कियोंझार
पश्चिम बंगाल	42.	जलपाईगुड़ी
	43.	मुर्शीदाबाद
	44.	दक्षिण दीनाजपुर
	45.	24 परगना नार्थ
	46.	बीरभूम
	47.	कूच बिहार
	48.	बर्धमान
	49.	पुरुलिया
	50.	बंकुरा
	51.	हावड़ा
अरुणाचल प्रदेश	52.	ईटानगर
	53.	तवांग
	54.	ईस्ट कमांग
असम	55.	तेजपुर
	56.	डिब्रूगढ़
	57.	सिल्चर
	58.	करीमगंज
	59.	ढुबरी
	60.	नागांव
	61.	जोरहट
	62.	बारपेटा
	63.	शिवसागर
मणिपुर	64.	इम्फाल
	65.	थाउबल
	66.	चुराचंदपुर
मेघालय	67.	शिलांग
	68.	ईस्ट गारो हिल्स
	69.	जयंतिया हिल्स
मिजोरम	70.	आइजोल
	71.	लुंगलेई+लुंगलिट
	72.	कोलासिब+मामिट
नागालैंड	73.	दिमापुर
सिक्किम	74.	गंगटोक
त्रिपुरा	75.	अगरतला
	76.	धलाई
	77.	नार्थ त्रिपुरा
	78.	साउथ त्रिपुरा

1	2	3
हरियाणा	79.	रोहतक
	80.	कुरुक्षेत्र
	81.	सोनीपत
	82.	हिसार
	83.	फतेहबाद
हिमाचल प्रदेश	84.	शिमला
	85.	धर्मशाला
	86.	किन्नौर
जम्मू और कश्मीर	87.	उधमपुर
	88.	लेह
	89.	अनन्तनाग
	90.	डोडा
	91.	बारामूला
मध्य प्रदेश	92.	बालघाट
	93.	रीवा
	94.	सागर
	95.	इन्दौर
	96.	झबुआ
	97.	ग्वालियर
	98.	राजगढ़
	99.	उज्जैन
	100.	सतना
	101.	खरगांव

1	2	3
	102.	खंडवा
	103.	अगार
	104.	अलोट (रतलाम)
	105.	जवाद
	106.	देवास
	107.	मंदसौर
	108.	दमोह
	109.	शिवपुर
	110.	झिंदवाड़ा
	111.	गुना
	112.	विदिशा
	113.	सिंहोर
	114.	जबलपुर
पंजाब	115.	पटियाला
	116.	संगरूर
	117.	फिरोजपुर
	118.	भटिंडा
	119.	होशियारपुर
	120.	मोंगा
	121.	नवाशहर
उत्तर प्रदेश	122.	गोरखपुर
	123.	मऊ
	124.	गोंडा

1	2	3	1	2	3
	125.	वाराणसी		148.	हरिद्वार
	126.	आगरा		149.	अल्मोड़ा
	127.	मेरठ		150.	बागेश्वर
	128.	इलाहाबाद		151.	नैनीताल
	129.	बलिया	आंध्र प्रदेश	152.	विशाखापट्टनम
	130.	झांसी		153.	अनन्तपुर
	131.	फरुर्खाबाद		154.	करीमनगर
	132.	पीलीभीत		155.	श्रीकाकुलम
	133.	अम्बेडकर नगर		156.	ईस्ट गोदावरी
	134.	रायबरेली		157.	नालगोंडा
	135.	मुजफ्फरनगर		158.	कुरुनूल
	136.	मथुरा		159.	चित्तूर
	137.	महराजगंज		160.	नेल्लौर
	138.	जौनपुर		161.	विजयनगरम
	139.	हरदोई		162.	प्रकाशम
	140.	देवरिया		163.	कुड्डाप्पा
	141.	रामपुर		164.	वारंगल
	142.	शहरनपुर		165.	महबूबनगर
	143.	मुरादाबाद	कर्नाटक	166.	बेल्लारी
	144.	आजमगढ़		167.	बेलगाम
	145.	अलीगढ़		168.	मंगलौर
	146.	बुलंदशहर		169.	तुमकुर
उत्तराखंड	147.	टेहरी-गढ़वाल		170.	गुलबर्गा

1	2	3
	171.	मांडिया
	172.	विदर
	173.	कोलार
केरल	174.	कोझीकोड
	175.	त्रिसूर
	176.	तिरुवनन्तपुरम
तमिलनाडु	177.	वेल्लौर
	178.	थुथुकुडी
	179.	मदुरई
	180.	सलेम
	181.	विरुद्धनगर
	182.	कन्याकुमारी
	183.	पेरम्बलूर
दादरा और नगर हवेली	184.	सिलवासा
दमन और दीव	185.	दीव
पुदुचेरी	186.	पुदुचेरी
	187.	कराईकल
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	188.	पोर्टब्लेयर
	189.	निकोबार
गोवा	190.	पणजी
गुजरात	191.	सूरत
	192.	जामनगर

1	2	3
	193.	अहमदाबाद
	194.	वाड़ौदरा
	195.	राजकोट
	196.	भावनगर
	197.	सुरेन्द्रनगर
	198.	नाडियाड
	199.	जूनागढ़
	200.	बनासकंठा
	201.	साबरकंठा
महाराष्ट्र	202.	कोल्हापुर
	203.	बुल्ढाना
	204.	वर्धा
	205.	लातूर
	206.	औरंगाबाद
	207.	सिंधुदुर्ग
	208.	दादर/माहिम
	209.	गोंडिया
	210.	अमरावती
राजस्थान	211.	भरतपुर
	212.	भीलवाड़ा
	213.	अजमेर
	214.	जोधपुर
	215.	उदयपुर

1	2	3
	216.	झुनझुनू
	217.	बीकानेर
	218.	जैसलमेर
	219.	टोंक
	220.	जालौर
	221.	पाली

विवरण-II

(क) विगत तीन वर्षों के लिए नि:शक्तजन अधिनियम के कार्यान्वियन संबंधी योजना (सिप्डा) के अंतर्गत निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति पर समेकित सूचना

(राशि रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	बिहार	16,37,814	46,54,000	57,62,975
2.	झारखंड	—	17,20,000	—
3.	ओडिशा	3,75,880	—	8,92,617
4.	अरुणाचल प्रदेश	19,65,031	11,62,858	11,80,318
5.	असम	26,28,842	25,57,032	22,30,674
6.	मणिपुर	23,35,545	11,82,000	11,50,455
7.	मेघालय	13,47,139	—	4,04,673
8.	मिजोरम	7,13,627	—	—
9.	त्रिपुरा	6,54,587	28,11,954	—
10.	हरियाणा	4,60,770	—	—
11.	जम्मू और कश्मीर	6,07,000	7,12,333	—
12.	मध्य प्रदेश	—	30,85,492	16,25,434
13.	पंजाब	10,40,715	—	—
14.	उत्तर प्रदेश	11,05,897	1,27,47,382	34,40,000
15.	आंध्र प्रदेश	—	1,54,80,000	17,20,000
16.	कर्नाटक	—	17,20,000	—
17.	महाराष्ट्र	9,10,500	17,20,000	18,40,876
18.	पश्चिम बंगाल	—	—	34,40,000
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12,14,000	—	—
20.	उत्तराखंड	9,64,000	—	—
21.	गुजरात	—	—	34,40,000
22.	पुदुचेरी	—	—	15,66,107
23.	राजस्थान	—	—	34,33,476
	कुल	1,79,61,347	4,95,53,051	3,21,27,605

(ख) विगत तीन वर्षों के लिए दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत डीडीआरसी को निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति पर समेकित सूचना

(राशि रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	3,72,900	6,46,699	9,98,505

1	2	3	4	5
2.	उत्तर प्रदेश	14,400	12,22,090	5,56,487
3.	गुजरात	1,73,200	15,53,781	4,26,123
4.	मध्य प्रदेश	59,649	16,93,389	4,99,530
5.	पंजाब	3,13,200	3,76,800	5,89,680
6.	बिहार	–	3,56,400	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	4,17,699	–
8.	राजस्थान	–	4,03,991	8,06,110
9.	पश्चिम बंगाल	–	11,15,544	13,61,512
10.	तमिलनाडु	–	5,25,915	–
11.	ओडिशा	–	3,53,762	–
12.	उत्तराखंड	12,13,800	11,55,600	8,96,400
13.	असम	–	2,28,683	5,58,424
14.	छत्तीसगढ़	–	–	–
15.	मणिपुर	–	–	–
16.	हरियाणा	–	–	–
17.	कर्नाटक	–	–	2,76,660
	कुल	21,47,149	1,00,50,353	69,69,431

[अनुवाद]

28 303--05

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु विनियामक निकाय

1492. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यान्वयनाधीन राजमार्ग परियोजनाओं की कार्य निष्पादनता के आंकलन के लिए उचित तंत्र तैयार या स्वतंत्र विनियामक निकाय स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या न्यायालयों ने ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पथकर लगाने के तर्क पर प्रश्नचिह्न लगाया है जो निर्माणाधीन/विस्ताराधीन हैं या राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही में सुधार करने में असफल ठेकेदारों हेतु पथकर निरस्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में पथकर शुल्क को तार्किक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) परिवहन, पर्यटन और पर्यटन से संबंधित विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में सड़क और राजमार्गों पर जन सुरक्षा की रक्षा करने, प्रयोक्ताओं और अन्य हितधारियों के हितों की रक्षा करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष अन्य पक्ष पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने आदि के संबंध में अंतरालों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक का गठन करने के लिए प्रस्ताव किया है। मामले की मंत्रालय में जांच की गई थी परंतु प्रस्तावित स्वतंत्र विनियामक के गठन के मुद्दे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) यातायात भीड़भाड़ और रियायतग्राही की तरफ से निष्क्रियता की वजह से, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.09.2012 को दिल्ली-गुड़गांव निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (पथकर) परियोजना के अंतर्गत किमी. 24 पर स्थित टोल प्लाजा (3 टोल प्लाजाओं में से) पर 00.00 बजे से पथकर संग्रहण रोक दिया था। बाद में, माननीय न्यायालय ने 28.09.2012 (सायं 7.00 बजे) से व्यस्त घंटों (प्रातः 8.30 बजे से 10.00 तक और सायं 5.30 बजे से 7.00 तक) को छोड़कर पथकर संग्रहण की अनुमति दी थी और बाद में दिनांक 09.10.2012 (सायं 5.30 बजे) से सभी घंटों के लिए पथकर संग्रहण की अनुमति दी थी। दिनांक 19.09.2012 को राज्य सरकार और

रियायतग्राही के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं थीं और किमी. 24 पर स्थित टोल प्लाजा भीड़भाड़ कम करने के लिए उपाय सुझाए गए थे। इसके अलावा, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 और इसके पश्चात् जारी की गई उत्तरवर्ती अधिसूचनाओं की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला एक और कोर्ट केस लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा दिनांक 14.06.2011 को प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना पर स्टे ले लिया गया था जिसे 12.07.2011 को वैकेट कर दिया गया था और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के अंतर्गत जारी की गई शुल्क अधिसूचना के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है।

(ङ) सरकार ने देश में प्रयोक्ता शुल्क को तर्कसंगत बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 को संशोधित करके राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2011 को अधिसूचित करके, सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 1997 से राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 में ट्रांजिट करने के लिए ट्रांजिशन योजना शुरू की है।

[हिन्दी]

305-06

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु योजनाएं

1493. श्री सज्जन वर्मा :
श्री शिवकुमार उदासी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित किसी योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। हालांकि, यह मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज/स्थानीय निकायों आदि के माध्यम से निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात् आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि) को पूरा करने के लिए वृद्धजन समेकित कार्यक्रम की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य सरकारों को मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित की जा रही परियोजनाओं का प्रतिवर्ष निरीक्षण करना होगा और अनुदान जारी करने के लिए संगठन सहायता अनुदान प्रस्ताव सहित निरीक्षण रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके साथ-साथ, एनजीओ को अनुदान, अन्य बातों के साथ-साथ, संतोषजनक निरीक्षण लेखा-परीक्षित खातों और पिछले वर्ष के लिए जारी अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः "वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई)" को कार्यान्वित कर रहा है। देश भर में 21 राज्यों के चयनित 100 जिलों और 8 प्रादेशिक जरा-चिकित्सा संस्थानों में प्रतिभागी राज्य के साथ 80:20 की दर पर लागत अंशदान के आधार पर (8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों पर व्यय को हटाकर) यह कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन आंतरिक रूप से सतत् आधार पर किया जा रहा है।

306-07

हथियारों की कमी

1494. श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में हथियारों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सशस्त्र सेनाओं के मनोबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) सेना के वर्षों पुराने हथियारों को समय पर उन्नयित और नए हथियार प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) भारतीय सेना के लिए गोला-बारुद तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति वार्षिक अधिप्राप्ति योजना के अनुसार निरंतर रूप से की जाती है। सेना की क्षमता-विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए एक सुगठित आयोजना प्रक्रिया विद्यमान है। सशस्त्र सेनाएं किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए संक्रियात्मक दृष्टि से तैयारी की स्थिति में रहती हैं।

[अनुवाद]

307

रक्षा परियोजनाओं में विलंब का प्रभाव

1495. श्री अनंत कुमार :
श्री अजय कुमार :
डॉ. भोला सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है कि सरकार के पास निर्णय लंबित होने के कारण हथियारों के आधुनिकीकरण की कुछ परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महत्वपूर्ण उपकरणों और आधुनिकीकरण हेतु निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में विलंब को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) ने डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों (हथियारों सहित) में संभावित विलम्ब के बारे में रक्षा मंत्रालय में संबंधित पक्षों को अक्तूबर, 2012 में एक पत्र लिखा है।

इस विलंब की संभावना उस मामले में है जिस प्लेटफार्म पर आधारित प्रणालियां बदल जाती हैं। यह विलंब दोनों तरह की परियोजनाओं में होगा अर्थात् चल रही परियोजनाओं (जो विकास के काफी अग्रिम चरणों में हैं) के साथ-साथ उन प्रणालियों के मामले में है जहां विकास कार्य पूरा हो चुका है और संबंधित पक्षों द्वारा उत्पादन एजेंसियों को आर्डर दिये जा चुके हैं।

(ग) चूंकि डीआरडीओ द्वारा यह पत्र हाल ही में लिखा गया है, अतः सरकार संबंधित पक्षों, विकासात्मक और उत्पादन एजेंसियों के विचार लेने के उपरांत उचित निर्णय करेगी।

[हिन्दी]

308

पेड़ों को काटे जाने पर रोक

1496. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के आस-पास के घने वनों को विकास के नाम पर काटा जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में पर्यावरण असंतुलन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में पर्यावरण आपदाओं को रोकने एवं वन कटाई को रोकने के मद्देनजर सरकार का निकट भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा कोई अध्ययन कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों के आस-पास के घने वनों को विकास के नाम पर काटा जा रहा है।

(ग) से (ङ) सरकार ने हाल ही में पर्यावरण आपदाओं एवं वन कटाई को रोकने के मद्देनजर पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा कोई देशव्यापी अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, वन अपवर्तन के मामलों में और जिन मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित है, में सामान्यतः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना विशिष्ट अध्ययन कराए जाते हैं जोकि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं और उपशमन उपायों के संबंध में सुझाव देते हैं।

308-09

[अनुवाद]

एसईजेड की निगरानी

1497. श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के कार्यकरण में नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के उदाहरण रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने के लिए सभी एसईजेड इकाइयों में इकाई अनुमोदन समितियां गठित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे पर्याप्त विनियामक उपाय क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) एसईजेडों की स्थापना तथा उनका कार्यसंचालन एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित होता है। प्रत्येक जोन के लिए गठित अनुमोदन समितियां जिनमें सीमाशुल्क, आयकर, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, संबंधित विकास आयुक्तों की अध्यक्षता में एसईजेड इकाइयों के निष्पादन की निगरानी करती हैं। ऐसी निगरानी में वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर), त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट (क्यूपीआर) और एसईजेड इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किराया वसूली के ब्यौरों की संवीक्षा शामिल है। स्कीम की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहने अथवा इसके प्रावधानों का उल्लंघन होने की स्थिति में विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

नालंदा में आयुध कारखाना

1498. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालंदा में आयुध कारखाने में कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या है तथा संपूर्ण संयंत्र को चालू नहीं करने के कारण हुई हानि की जिम्मेदारी किसकी है;

(घ) संपूर्ण संयंत्र के कार्य नहीं करने के कारण हुई हानि की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। बिहार के नालंदा में आयुध निर्माणी स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ख) नाइट्रो सेल्युलस संयंत्र को चालू करने/सल्फ्यूरिक एसिड सांध्रण/नाइट्रिक एसिड सांध्रण संयंत्र को स्थापित करने का कार्य चल रहा है। आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्य बाइ-माड्यूलर चार्ज प्रणाली (बीएमसीएम) के लिए स्वयं ही उप-संयंत्रों की अधिप्राप्ति की योजना बना रहा है।

(ग) और (घ) मैसर्स आईएमआई, इजराइल के साथ हुई संविदा के अनुसार मुख्य बाइ-माड्यूलर चार्ज प्रणाली (बीएमसीएस) संयंत्र को शुरू करने के लिए लक्षित दिनांक सितम्बर, 2011 था। तथापि, अवैध परितोषण से संबंधित विक्रेताओं के कदाचार के कारण मैसर्स इजराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज (आईएमआई) के खिलाफ मई, 2009 में सीबीआई जांच शुरू हुई थी।

(ङ) मैसर्स आईएमआई को रक्षा मंत्रालय के साथ अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए किसी प्रकार के व्यापार करने हेतु विवर्जित कर दिया गया है। फर्म को भुगतान किए गए कतिपय अग्रिमों की वसूली कर ली गई है तथा लागू संविदा एवं नियमों के अनुसार विक्रेता द्वारा जमा की गई कुछ बैंक गारंटियों को जब्त कर लिया गया है।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूरी संबंधी सतर्कता समितियां

1499. **श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला :**
श्री बी.वाई राघवेन्द्र :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के तहत अपने हिस्से की राशि को जारी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में बंधुआ मजदूरों की पहचान करने में बंधुआ मजदूर संबंधी सतर्कत्ता समितियों के गठन व कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने तथा उन्हें पुनर्वासित करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। पहचान किए गए एवं मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संपोषित योजना स्कीम मई, 1978 से प्रचालन में है। इस योजना के अंतर्गत अति बंधुआ श्रमिक 20,000/- रुपये की दर से पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।

(ग) और (घ) 31.03.2012 तक बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास के लिए केन्द्र संपोषित योजना स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:—

राज्य का नाम	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
1	2
आंध्र प्रदेश	865.30
अरुणाचल प्रदेश	568.48
बिहार	548.98
छतीसगढ़	81.20
गुजरात	1.01
हरियाणा	5.23
झारखंड	19.60
कर्नाटक	1585.48
केरल	15.56
मध्य प्रदेश	169.90
महाराष्ट्र	10.10
ओडिशा	941.73
पंजाब	8.80
राजस्थान	74.92
तमिलनाडु	1661.94
उत्तर प्रदेश	994.63
उत्तराखंड	0.50
पश्चिम बंगाल	27.26
कुल	7580.62

(ङ) बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकारों को जिला एवं उपमंडल स्तर पर सतर्कत्ता समितियों के गठन का अधिदेश दिया गया है। सतर्कता समिति अन्य बातों के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेटों को परामर्श देती है ताकि अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा सके। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर कहती रही है।

3/2-13

एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की स्थापना

1500. श्री नामा नागेश्वर राव :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

(एनएचडीपी) चरण-पांच के तहत देशभर में एक्सप्रेसवे बनाने के मास्टर प्लान तैयार व लागू करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था और भूमि अधिग्रहण तथा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने की योजना बनायी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई देरी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के खराब कार्य निष्पादन को देखते हुए देश में एक्सप्रेसवे के विकास में तेजी लाने के लिए एक नई कंपनी-नेशनल एक्सप्रेसवे एंड कनेक्टिविटी कॉर्पोरेशन (एनईएक्ससीओआर) की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कंपनी द्वारा कौन-सी एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक्सप्रेसमार्गों के निर्माण के लिए एक मास्टर परियोजना बनाना और बाद में भूमि अधिग्रहण करना प्रस्तावित था। भारतीय एक्सप्रेसमार्ग प्राधिकरण की स्थापना के लिए मंत्रालय द्वारा विचार हेतु भी प्रस्ताव था, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 4 लेने वाले खंडों को केवल 6 लेन का बनाने की अनुमति है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत केवल 1,000 किमी. लंबाई के लिए एक्सप्रेसमार्गों का निर्माण अधिदेशित है।

(ग) प्रायः एक्सप्रेसमार्गों का प्रमुख भाग ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में पड़ता है और इस प्रकार संरेखण को अंतिम रूप देने के लिए, भूमि अधिग्रहण और अन्य संबद्ध मुद्दों के लिए राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों से समन्वय अपेक्षित है।

(घ) जी, हां, एक्सप्रेसमार्गों के लिए योजना को संवर्द्धित करने के उद्देश्य से, सरकार ने नेशनल एक्सप्रेसवे एंड कनेक्टिविटी कॉर्पोरेशन (एनईएक्ससीओआर) के गठन के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है।

(ङ) इस एंटिटी [नेशनल एक्सप्रेसवे एंड कनेक्टिविटी कॉर्पोरेशन (एनईएक्ससीओआर)] की स्थापना योजना स्तर पर है, इसलिए, इस स्तर पर कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

एकीकृत विद्युत करघा क्षेत्र विकास स्कीम (आईएसपीएसडी)

314-20

1501. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए एकीकृत विद्युत करघा क्षेत्र विकास स्कीम (आईएसपीएसडी) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत करघा सेवा केन्द्र चलाने के लिए इस स्कीम को आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईएसपीएसडी को चलाने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) इस मंत्रालय और साथ ही वस्त्र अनुसंधान संघों/विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) में मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए एकीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (आईएसपीएसडी) के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) विगत 4 वर्षों के दौरान पीएससी को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं। यह सूचित किया जाता है कि यहां कोई राज्य-वार निधि का आबंटन नहीं होता है। आईएसपीएसडी के अधीन गत 4 वर्षों के दौरान आबंटित निधि इस प्रकार है:—

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटित निधि
2008-09	8.33
2009-10	8.28
2010-11	11.10
2011-12	6.93

(ग) 11वीं योजना के लिए 41.35 करोड़ रु. की तुलना में 12वीं योजना में आईएसपीएसडी के लिए 60,00 करोड़ रु. की बढ़ी हुई राशि प्रदान की जा रही है।

विवरण

पिछले 4 वर्षों के दौरान विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	स्थान	प्रबंधन एजेंसी	राज्य	वर्ष (रु.)			
				2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इचलकरंजी	बिटरा	महाराष्ट्र	2700335	0	400000	0
2.	माधवनगर	बिटरा		0	0	400000	0
3.	शोलापुर	बिटरा		0	0	0	0
4.	भिवंडी-I	ससमीरा		3994000	0	1500000	0
5.	भिवंडी-II	ससमीरा		0	0	0	0
6.	मालेगांव	वस्त्र आयुक्त		1248000	200000	676600	75178
	कुल			7942335	200000	2976600	75178
7.	करुर	सिटरा	तमिलनाडु	0	1150000	0	0
8.	कोमारपाल्लयम	सिटरा		0	0	0	0
9.	पल्लाडम	सिटरा		2500000	750000	0	0
10.	सालेम	सिटरा		0	1150000	7247000	0
11.	राजपाल्लयम	सिटरा		0	0	0	0
12.	सोमनूर	सिटरा		0	0	0	0
13.	थिरूचनगोड	सिटरा		0	0	0	0
14.	इरोड्	वस्त्र आयुक्त		2700335	0	24384	382500
	कुल			5200335	3050000	7271384	382500
15.	अहमदाबाद	अटीरा	गुजरात	1248000	0	0	0
16.	धोलका	अटीरा		1248000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	पांडेसारा	मंतरा		0	0	3473000	0
18.	सनचिन	मंतरा		0	0	1748000	0
19.	सूरत	वस्त्र आयुक्त		900000	0	22650	94500
20.	उमेरगांव	वस्त्र आयुक्त		0	0	67000	0
	कुल			3396000	0	5310650	94500
21.	बंगलूरु	केएसपीडीसी	कर्नाटक	2148000	1150000	0	0
22.	डोडाबालापुर	केएसपीडीसी		0	0	0	0
23.	गडग-बेटागिरी	केएसपीडीसी		0	0	0	0
24.	बेलगांव	केएसपीडीसी		1248000	2481000	46000	0
	कुल			3396000	3631000	46000	0
25.	हैदराबाद	वस्त्र आयुक्त	आंध्र प्रदेश	1248000	581107	0	0
26.	नगरी	वस्त्र आयुक्त		0	142034	0	0
	कुल			1248000	723141	0	0
27.	कन्नूर	वस्त्र आयुक्त	केरल	0	0	0	76320
28.	गोरखपुर	निटरा	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
29.	कानपुर	निटरा		0	0	0	0
30.	मेरठ	निटरा		0	0	0	0
31.	टांडा	निटरा		0	0	0	0
32.	माओनाथ भंजन	वस्त्र आयुक्त		0	0	0	0
	कुल			0	0	0	0
33.	इंदौर	अटीरा	मध्य प्रदेश	0	850000	775000	0
34.	जबलपुर	एपीएसपीसीएफ		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	बुरहानपुर	वस्त्र आयुक्त		1248000	406560	0	382500
	कुल			1248000	1256560	775000	382500
36.	भीलवाड़ा	निटरा	राजस्थान	0	1000000	0	0
37.	किशनगढ़	अटीरा		3948335	0	0	0
	ज्वजंस			3948335	1000000	0	0
38.	लुधियाना	निटरा	पंजाब	1248000	0	0	0
39.	अमृतसर	वस्त्र आयुक्त		0	0	0	0
	कुल			1248000	0	0	0
40.	पानीपत	निटरा	हरियाणा	0	5000000	0	0
41.	रानाघाट	वस्त्र आयुक्त	पश्चिम बंगाल	1248000	0	0	0
42.	कटक	वस्त्र आयुक्त	ओडिशा	0	0	0	0
43.	भागलपुर	वस्त्र आयुक्त	बिहार	1248000	0	0	0
44.	गुवाहाटी	इजिरा	असम	0	0	2322500	0
	कुल-योग			301,23,005	148,60,701	187,02,134	10,10,998

319-22

वस्त्र क्षेत्र के लिए निधि

1502. डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री सी. राजेन्द्रन :
चौधरी लाल सिंह :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री सोमेन मित्रा :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उत्पादों की घरेलू/वैश्विक मांग में कमी और सूत/धागे के उच्च मूल्यों, त्रुटिपूर्णविद्युत आपूर्ति तथा हाल की वैश्विक मंदी के कारण वस्त्र उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कामगार बेरोजगार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वस्त्र उद्योग एवं इसमें कार्यरत कामगारों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देशभर में बंद पड़ी वस्त्र मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इन मिलों को पुनरुजीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं साथ ही क्या

रोजगार विहीन हुए इन कामगारों के पुनर्वास की कोई कार्ययोजना/स्कीम है;

(घ) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं इन कामगारों को निधि प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित/उपयोग में लायी गयी निधि का ब्यौरा क्या है साथ ही इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(च) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि स्कीम (टीडब्ल्यूआरएफएस) के तहत वस्त्र कामगारों के विकास/उन्नयन के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और इस स्कीम के ततहत विशेषकर कर्नाटक सहित राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) वस्त्र उद्योग में 2011-12 में मुख्यतया वैश्विक आर्थिक मंदी और आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कपास बाजार में मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण गिरावट आई है। 2012-13 में इस स्थिति में सुधार आया है जब पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर के दौरान यार्न और फैब्रिक दोनों में उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी है।

(ख) सरकार ने घाटा उठा रही वस्त्र इकाइयों की सहायता करने के लिए मई, 2012 में 35,000 करोड़ रुपए के एक ऋण पुनर्गठन पैकेज का अनुमोदन किया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अंतर्गत बैंक द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर प्रशासित किया जाएगा। हथकरघा क्षेत्र में जो वस्त्र उद्योग का अत्यधिक कमजोर घटक है, उसके लिए नवंबर, 2011 में 3,884 करोड़ रुपए की ऋण माफी और पुनर्गठन पैकेज की घोषणा की गई।

(ग) देश में इस समय 568 वस्त्र मिलें बंद हैं जिनमें आंध्र प्रदेश में 34 मिलें, गुजरात में 44 मिलें, हरियाणा में 41 मिलें, कर्नाटक में 31 मिलें, महाराष्ट्र में 65 मिलें, उत्तर प्रदेश में 49 मिलें और तमिलनाडु में 177 मिलें शामिल हैं। सरकार वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजनाएं नहीं चलाती है।

(घ) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र और कामगारों के विकास के लिए 12वीं योजना में 25,931 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। 11वीं योजना में यह परिव्यय 14,000 करोड़ रुपए था।

(ङ) सरकार ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 में 8486 करोड़ रुपए के योजना आबंटन का उपयोग किया है। चालू वर्ष 2012-13 में 7000 करोड़ रुपए का बजट प्राकलन आबंटित किया गया है।

(च) टीडब्ल्यूआरएफएस एक गैर-आयोजना योजना है और आबंटन उस वर्ष की मांग पर आधारित होते हैं। 2010-11 में 2854 कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए 12.28 करोड़ रुपए की राशि और 2011-12 में 470 कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए 4.70 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। इसमें से कर्नाटक में 2010-11 में 658 कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए 3.34 करोड़ रुपए और 2011-12 में 294 कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए 0.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

कंपनियों द्वारा बकायों का भुगतान नहीं किया जाना

322-

1503. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री खगेन दास :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड का परिसमापन कर दिया गया है और इनके कर्मचारियों को अब तक उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) कंपनी की परिसम्पत्ति के सरकारी प्रबंधन से इसकी वसूली करने के लिए परिसमापक द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या बहुत सारी संयंत्र मशीनरी को कबाड़ के रूप में बेच दिया गया है जिससे कि कर्मचारी इन परिसम्पत्तियों से अपनी बकाया हिस्सेदारी लेने से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कर्मचारियों के दावों को निपटाने के लिए सरकार व परिसमापक द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ङ) चूंकि विषय-वस्तु कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय से संबंधित है, सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

323-24

श्रम कानूनों में लचीलापन

1504. **श्री के. सुधाकरण :**
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री एम. आनंदन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने टिप्पणी की है कि भारत को मांग पैटर्न में बदलाव से निपटने के लिए कंपनियों को लचीलापन प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या श्रम कानूनों में लचीलापन नहीं होने के कारण संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक कामगारों की हिस्सेदारी बढ़ गयी है; और

(घ) यदि हां, तो देश में कामगारों और उद्योगों की सहायता करने के लिए इंडियन कांट्रेक्ट लेबर एक्ट, 1970 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट, 2013: जॉब्स में सुझाव दिया है कि भारत को नौकरियों तथा श्रम सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट उन श्रम कानूनों के क्षमता ''स्थिरांक'' के भीतर बने रहने की आवश्यकता पर बल देती है जहां श्रम नीतियां अधिक कठोर नहीं हैं और विशेषकर शहरों तथा वैश्विक बाजारों से जुड़े क्रियाकलापों में अधिक वेतन वाला नियोजन संभव हो पाता है। भारत में प्रतिवर्ष कामकाजी जनसंख्या में 7 मिलियन लोगों की वृद्धि से शहरी विकास की तेज गति तथा श्रमिकों का बढ़ता हुआ लचीलापन और अधिक उत्पादक गतिविधियों में रोजगारों के सृजन का मुख्य आधार बन गए हैं जिससे सतत् विकास हुआ है और गरीबी में कमी आई है। इसलिए, भारत के लिए उन्नति को बढ़ावा देने हेतु वांछित क्रियाकलापों में कस्बों का निर्माण, सामान्यत: लचीलेपन को अनुमति देकर तथा शासन में सुधार लाकर और विशेषकर उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों में श्रम कानूनों में सुधार करना शामिल होगा।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय को सामान्यत: कामकाजी वर्ग तथा विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का निर्माण करने वाले लोगों के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा को पूरा महत्व देते हुए आर्थिक उन्नति की उच्च दर प्राप्त करने में अनुकूल कार्य परिवेश बनाने का अधिदेश है। तद्नुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतनीकरण करता है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) श्रम कानूनों में लचीलापन नहीं होने के कारण संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक कामगारों की हिस्सेदारी बढ़ाने का कोई प्रमाण नहीं है। तथापि, मंत्रालय श्रम कानूनों की सतत् प्रक्रिया के रूप में समीक्ष्ज्ञा करता है तथा देश के कामगारों तथा उद्योगों की सहायता के लिए आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन करता है।

324-25

आईएफएस की संवर्ग समीक्षा में विलंब

1505. **डॉ. संजय जायसवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) की आवधिक संवर्ग समीक्षा में विलंब हो रहा है जिसके कारण देश में भारतीय वन सेवा में गंभीर गत्यावरोध हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा संशोधित संवर्ग संख्या के निर्धारण के छह महीने के बाद भी कुछ राज्यों ने उच्च ग्रेडों में रिक्तियों को नहीं भरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जारी आईएफएस संवर्ग नियमों और अनुदेशों के अनुसार सरकार के पास निहित अधिकारों के तहत क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4(2) के

तहत संवर्ग समीक्षाएं की जाती हैं। इन प्रस्तावों पर कार्यवाही करने में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई दृष्टांत मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) उक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कॉटन मिलों का पंजीकरण

1506. **श्री वरुण गांधी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सूत जिनिंग एवं प्रैसिंग इकाइयों को वस्त्र आयोग के पास पंजीकृत किया जाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आदेशों का अनुपालन करने वाली इकाइयों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उन इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। वस्त्र आयुक्त के पास कपास जिनिंग एवं प्रैसिंग इकाइयों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए किसी अधिनियम और नियम के अधीन कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

लचीली स्टाफिंग फॉर्मेट

1507. **श्री एम.आई. शानवास : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्यों में लगे ठेके के कामगारों की कुल संख्या और प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने फ्लैक्सी स्टाफिंग, जो ठेका रोजगार का एक रूप है और जो खुदरा, दूरसंचार, निर्माण, भेषज, आथित्य और कृषि सहित कई क्षेत्रों में मौजूद हैं, में विसंगतियों को नोट किया है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि में फ्लैक्सी स्टाफिंग के कारण उत्पन्न हो रहे विभिन्न मुद्दों की भी जांच की है जब ऐसे स्टाफिंग पैटर्न का उपयोग उपभोक्ता उन्मुख सेवा उद्योगों में किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो लचीली स्टाफिंग फॉर्मेटों के प्रचलन के संबंध में कराये जा रहे अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में केन्द्रीय सरकार ही समुचित सरकार है। गैर-सरकारी क्षेत्र की निजी कंपनियां तथा असंगठित क्षेत्र राज्य क्षेत्र में आते हैं। इस संबंध में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों की नौकरियों में लगे ठेका कामगारों के केन्द्रीय आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, ठेका कामगारों को हर क्षेत्र में लगाया जा रहा हैं वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार देश में ठेका कामगारों की अनुमानित संख्या लगभग 36 मिलियन है। इनमें से ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत लाइसेंसधारी ठेकेदारों के कुल अनुमानित ठेका श्रमिक लगभग 6 मिलियन हैं।

(ख) से (ङ) ठेका कामगारों के सभी मुद्दे ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत निपटाए जाते हैं और इसका कोई राज्य-वार सीमांकन नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ठेका कामगारों के सामाजिक सुरक्षा पहलू क्रमश: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। बशर्ते कि जिन प्रतिष्ठानों में आउटसोर्स कामगार कार्यरत हैं, वे उक्त अधिनियमों के अंतर्गत शामिल हों।

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के प्रसंगवश सरकार ने विशेषत: कृषि क्षेत्र में फ्लैक्सी स्टाफिंग के दृष्टिकोण से न तो उक्त अधिनियम की समीक्षा की है और न ही लचीले स्टाफिंग फॉर्मेट को व्यवहार में लाने से संबंधित कोई अध्ययन कराया है।

पीपीपी के तहत पोत निर्माण बोर्ड

1508. **श्री सी. राजेन्द्रन : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु सहित देशभर में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत पोत निर्माण यार्डों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे यार्डों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इससे देश में अतिरिक्त रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) निजी निवेशकों ने देश में शिपयार्ड स्थापित किए हैं। पश्चिम तट पर, पीपावाव शिपयार्ड में बड़े आकार के कच्चे तेल के वाहक (वीएलसीसी) सहित बड़े पोतों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता है। पूर्वी तट पर, मै. एल एंड टी ने चेन्नै के निकट एक बड़ा शिपयार्ड निर्मित किया है। इन शिपयार्डों में से किसी ने भी इक्विटी अथवा अनुदान अथवा ऋण के रूप में भारत सरकार की हिस्सेदारी नहीं मांगी है।

(ग) पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग एक असेम्बली उद्योग है, जो न केवल कोर शिपयार्ड में रोजगार सृजित करता है बल्कि शिपयार्ड के आस-पास स्थापित अनुषंगी उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करता है। वर्ष 2007 में किए गए अध्ययन में, इससे रोजगार 6 गुणा बढ़ने का अनुमान लगाया गया, जिसका अभिप्राय है कि किसी शिपयार्ड में नियोजित हरेक व्यक्ति के अनुपात में अनुषंगी और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में 6 नई नौकरियां सृजित होती हैं।

[हिन्दी]

327-30

कामगारों के लिए एनजीओ को सहायता

1509. **श्री कपिल मुनि करवारिया :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में कामगारों के लाभ के लिए परियोजनाएं शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश): (क) और (ख) बाल श्रमिकों के उन्मूलन तथा पुनर्वास और महिला श्रमिकों में जागरुकता सृजन हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) और सहायता अनुदान (जीआईए) योजना कार्यान्वित कर रहा है। एनसीएलपी योजना के अंतर्गत 267 जिलों में लगभग 7311 बाल श्रम विशेष विद्यालय चल रहे हैं जिनके लिए जिलाधीश की अध्यक्षता वाली एनसीएलपी परियोजना समिति को निधियां जारी की जाती हैं जो बाद में बाल श्रम विशेष विद्यालयों को निधियां आवंटित करती है। जहां एनसीएलपी योजना नहीं चल रही है, जीआईए योजना कार्यान्वित की जाती है। जीआईए योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रम विशेष विद्यालय चलाने के लिए सीधे गैर-सरकारी संगठनों को निधियां जारी की जाती हैं।

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला श्रमिकों के लिए भी सहायता अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कामकाजी महिलाओं को संगठित करने, अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षित करने, कामकाजी महिलाओं को कानूनी सहायता के संबंध में जागरुकता सृजन अभियान चलाने तथा महिला श्रमिकों की समस्याओं के बारे में समाज में और अधिक जागरुकता लाने के लिए सेमिनार एवं कार्यशालायें आयोजित करने के लिए परियोजना लागत के 75% तक की वित्तीय सहायता गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई जाती है।

गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों के लिए जीआईए योजना के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

(1) **एनसीएलपी योजना के अंतर्गत जारी निधियां**

वर्ष	सभांवित आवंटित बजट (करोड़ रु.)	वित्तीय सहायता (करोड़ रु.)	योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता (करोड़ रु.) कॉलम (3) में से
2009-10	92.63	92.37	16.27
2010-11	135.00	92.57	17.73
2011-12	143.00	142.66	16.00

(2) सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

वर्ष	संभावित आवंटित बजट (करोड़ रु.)	वित्तीय सहायता (करोड़ रु.)	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओज की संख्या	योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एनजीओज को वित्तीय सहायता (लाख रु.) कॉलम (3) में से	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के एनजीओज की संख्या
2009-10	1.00	1.00	30	24.35	9
2010-11	1.00	0.88	20	4.20	2
2011-12	1.00	0.74	18	7.79	3

विवरण-II

महिला श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान योजना में दी गई वित्तीय सहायता

वर्ष	स्वीकृत निधियां (लाख रु.)	जारी निधियां (लाख रु.)	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओज की संख्या
2009-10	46.00	15.03	20
2010-11	75.00*	13.51	21
2011-12	68.00*	15.28	39

*श्रम और रोजगार मंत्रालय के महिला प्रकोष्ठ एवं योजना एकक का सामूहिक आवंटन।

गत तीन वर्षों के दौरान महिला श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किसी भी एनजीओ द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई थी।

जूट उत्पादों का उत्पादन और बिक्री

1510. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय :**
श्री पुलीन बिहारी बासके :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जूट के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के हाल के निर्देश से जूट के थैले के उपयोग में कमी के कारण देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है;

(घ) क्या जूट मिल मालिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश में जूट उत्पादकों से जूट खरीदने पर सहमत नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जूट उत्पादकों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा देश में जूट उत्पादकों को एमएसपी प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उन जूट मिलों का राज्य-वार, मिल-वार ब्यौरा क्या है जिनका गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आधुनिकीकरण किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) सरकार देश में पटसन का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं:–

(i) भारत सरकार ने 355.55 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ पटसन उद्योग के समग्र विकास और पटसन क्षेत्र के संवर्धन के लिए एक मुख्य पहल के रूप में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) आरंभ किया है। इस जैटीएम के अधीन पटसन क्षेत्र के समग्र संवर्धन के लिए लघु मिशन-I, II, III और IV के अधीन अनेक योजनाएं चल रही हैं। लघु मिशन-I का उद्देश्य उत्पादन और गुणवत्ता सुधारने के लिए पटसन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ बनाना है। लघु मिशन-II का लक्ष्य उत्पादन और फसल कटाई पश्चात् उन्नत प्रौद्योगिकी और एग्रोनोमिक प्रक्रियाओं का अंतरण करना है। लघु मिशन-III के अधीन सभी पटसन उत्पादक राज्यों को कच्ची पटसन की बाजार लिंकेज प्रदान किया जाता है। लघु मिशन-IV में पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण, कौशल उन्नयन, बाजार संवर्धन एवं निर्यातों के लिए प्रावधान हैं जो कच्ची पटसन की मांग बढ़ाने में सहायता करते हैं।

(ii) किसानों को अधिक पटसन उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कच्ची पटसन और मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हर वर्ष निर्धारित किया जाता है।

(iii) सरकार पटसन का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग), 1987 के अधीन पटसन में खाद्यान्नों और चीनी की कुछ प्रतिशतता में अनिवार्य पैकेज प्रदान करती है।

(ख) और (ग) पटसन बोरों के उत्पादन की क्षमता और पटसन उद्योग के बेहतर कार्य रिकॉर्ड को देखते हुए, अन्य बातों के अलावा, वस्त्र मंत्रालय ने प्रावधान किया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन का कम से कम 90% और चीनी के उत्पादन का 40% पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा। पटसन उद्योग इस दिशा में किसी कठिनाई का सामना नहीं कर रहा है।

(घ) और (ङ) पटसन मिल मालिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पटसन उत्पादकों से पटसन खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। मिल मालिक बाजार मूल्यों के अनुसार उत्पादकों और साथ ही अन्य पार्टियों से कच्ची पटसन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कच्ची पटसन उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से कच्ची पटसन के लिए समर्थन मूल्य अभियान चलाता है।

(च) भारतीय पटसन निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन कच्ची पटसन की खरीद में वृद्धि करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि आपात बिक्री द्वारा पटसन उत्पादकों को नुकसान न हो और उनके द्वारा कच्ची पटसन की जो भी मात्रा अथवा गुणवत्ता प्रस्तुत की जाए, विभिन्न पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में स्थित 171 विभागीय केन्द्रों द्वारा एमएसपी पर खरीदी जाए।

(छ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एनजेएमसी) के अधीन निम्नलिखित 3 पटसन मिलों के लिए पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरंभ किया है:–

(i) खारदाह (पश्चिम बंगाल)

(ii) किन्नीसन (पश्चिम बंगाल)

(iii) आरबीएचएम (बिहार)

'पटसन मिलों में आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन-पूंजीगत सब्सिडी योजना के अंतर्गत', पटसन विविधीकृत उत्पादों का विनिर्माण करने वाली पटसन मिलों/इकाइयों में आधुनिकीकरण तथा/अथवा उन्नयन करने के लिए सब्सिडी जारी की जाती है। इसके प्रारंभ (1 मार्च, 2007) से पूरे भारत में 297 दावे निपटाए गए हैं और 363.09 करोड़ रु. के आधुनिकीकरण के लिए निवेश में से 73.74 करोड़ रु. की सब्सिडी जारी की गई हैं। निवेश का लगभग 75.93% स्पिनिंग/वाइंडिंग की तैयारी प्रक्रिया हेतु मिल साइड मशीनरी के लिए है। निवेश का 17.74% विनिर्माण की वीविंग से फिनिशिंग प्रक्रियाओं के लिए है। शेष 6.33% सामग्री हैंडलिंग एवं अन्य विविध मशीनरी के लिए था। लाभभोगियों की राज्य-वार स्थिति – पश्चिम बंगाल 67 इकाइयां, आंध्र प्रदेश 16 इकाइयां, बिहार 2 इकाइया, हरियाणा 3 इकाइयां, छत्तीसगढ़ 1 इकाई, केरल 1 इकाई, ओडिशा 2 इकाइयां, गुजरात 1 इकाई तथा पूर्वोत्तर (असम) 6 इकाइयां हैं।

[अनुवाद]

333

नौसेना बेस का विस्तार

1511. **डॉ. संजीव गणेश नाईक :**
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के करवार में नौसेना बेस के विस्तार का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भारतीय कंपनी द्वारा कठोर पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) करवार नौसेना बेस में आधारभूत संरचना के संवर्धन का प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन है। आवश्यक आधारभूत संरचना सहित बेस के संवर्धन की योजना सामरिक चिंताओं तथा संक्रियात्मक तैयारियों के अनुरूप है और पात्रता मानदंड तद्नुसार बनाए गए हैं। कोई भी भारतीय फर्म अभिरुचि अभिव्यक्ति के लिए जारी वैश्विक नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट वित्तीय सामर्थ्य, ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन में अनुभव अथवा अपेक्षित विशेषज्ञता की संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

[हिन्दी]

333-48

विदेशी निवेश के मानदंड

1512. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्री यशवंत लागुरी :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री पी.आर. नटराजन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश के लिए अपनाए जाने वाले मानकों/मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने दक्षिण एशियाई देश, विशेषकर बांग्लादेश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया में एफडीआई की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने एफडीआई पर राज्यों से विचार मांगे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो एकल ब्रांड-बहु ब्रांड खुदरा में व्यापार कर रहे हैं तथा प्रत्येक में उनके निवेश का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के नियम तथा प्रक्रिया का विवरण 10 अप्रैल, 2012 को जारी '2012 का परिपत्र 1 – समेकित एफडीआई नीति' में दिया गया है जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही एफडीआई लागू कानूनों/क्षेत्रगत नियमों/विनियमों/सुरक्षा संबंधी शर्तों के अध्यधीन है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घरेलू निवेश के लिए पूरक एवं संपूरक का कार्य करता है। घरेलू कंपनियों को संपूरक पूंजी तक बेहतर पहुंच तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों; वैश्विक प्रबंधकीय प्रथाओं के बारे में जानकारी और वैश्विक बाजारों में शामिल होने के अवसर द्वारा एफडीआई के जरिए लाभ होता है।

(ख) और (ग) कोई अनिवासी व्यक्ति एफडीआई नीति के अनुसार भारत में निवेश कर सकता है। बांग्लादेश का कोई नागरिक अथवा बांग्लादेश में निगमित कम्पनी सरकार के माध्यम से ही निवेश कर सकती है। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक अथवा पाकिस्तान में निगमित कोई कम्पनी रक्षा, अंतरिक्ष तथा आणविक ऊर्जा और विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध क्षेत्रों/गतिविधियों को छोड़कर सरकार के अनुमोदन से ही निवेश कर सकती है।

(घ) ऊपर उल्लिखित '2012 का परिपत्र 1 – समेकित एफडीआई नीति' में शामिल मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार प्रिंट मीडिया में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन एफडीआई की अनुमति है जो निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई की अधिकतम सीमा/इक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
6.2.8	**प्रिंट मीडिया**		
6.2.8.1	समाचार पत्र तथा समाचार व वर्तमान घटनाओं से जुड़ी आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26% (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/एफआईआई द्वारा निवेश)	सरकारी
6.2.8.2	समाचार और सामयिकी छापने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन	26% (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/एफआईआई द्वारा निवेश)	सरकारी
6.2.8.2.1	**अन्य शर्तें**		
	(i) इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजनार्थ "पत्रिका" ऐसे आवधिक प्रकाशन के रूप में परिभाषित होगा जो रोज़मर्रा के आधार पर नहीं निकाली जाती हैं तथा जिसमें लोक समाचार अथवा लोक समाचारों पर टिप्पणियां होती हैं। (ii) समाचार और सामयिकी प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए विदेशी निवेश भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन होगा।		
6.2.8.3	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं/ विशेषज्ञता पत्रिकाओं/आवधिकों का प्रकाशन/मुद्रण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों तथा लागू कानूनी ढांचे के अनुपालन के अध्यधीन होगा।	100%	सरकारी
6.2.8.4	विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी
6.2.8.4.1	**अन्य शर्तें**		
	(i) एफडीआई, मूल विदेशी समाचारपत्रों के मालिक द्वारा की जानी चाहिए, जिसका प्रतिकृति अंक भारत में निकाला जाना प्रस्तावित है। (ii) विदेशी समाचारपत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में निगमित अथवा पंजीकृत किसी कम्पनी द्वारा किया जा सकता है। (iii) विदेशी समाचारपत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 31.3.2006 को जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी समाचारपत्र के प्रतिकृति अंक के प्रकाशन और समाचार एवं समसामयिक विषयों वाले समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु दिशा-निर्देशों के अध्यधीन होगा।		

(ङ) और (च) एफडीआई नीति भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। तथापि, संगत क्षेत्रों के लिए एफडीआई नीति बनाते समय संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया जाता है और उनके विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

(छ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा वर्ष 2006 से सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए अनुमोदित प्रस्ताव प्रस्तावित निवेश के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

एफआईपीबी द्वारा वर्ष 2006 में सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए प्रस्तावित निवेश सहित अनुमोदित प्रस्ताव

क्र. सं.	आवेदक का नाम (ii) विदेशी निवेशक	अनुमोदित विदेशी इक्विटी भागीदारी प्रतिशत में तथा प्रस्तावित निवेश
1	2	3
1.	(i) मै. मोजा शूज, नई दिल्ली	20%
	(ii) मै. तानो इंडिया प्राइवेट इक्विटी, मॉरिशस	2200.00 लाख रुपए
2.	(i) मै. एल.वी. ट्रेडिंग इंडिया, मुंबई	51%
	(ii) मै. लुईस वेटो मलेटियर फ्रांस	2650.00 लाख रुपए
3.	मै. लाडरो कॉमर्सियल एस.ए., स्पेन	26%
		585.00 लाख रुपए
4.	(i) मै. फन फैशन इंडिया प्रा.लि.	51%
	(ii) मै. फेंडी इंटरनेशनल एस.ए., फ्रांस	10.30 लाख रुपए
5.	(i) मै. डामरो फर्नीचर प्रा.लि., चेन्नई	51%
	(ii) मै. दमरो एक्सपोर्ट प्रा.लि., श्रीलंका	17.17 लाख रुपए
6.	(i) मै. रीनो ग्रगिओ अरजेनटेरी	51%
	(ii) मै. रीनो ग्रगिओ अरजेनटेरी, एस.पी.ए., इटली	(राशि नहीं बताई गई)
7.	(i) मितसुई ऑटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी.वी., नीदरलैंड	51%
	(ii) मितसुई ऑटोमोटिव इन्वेस्टमेंट, नीदरलैंड	102.00 लाख रुपए
8.	(i) मै. इरमेनगील्डो जेजना होल्डीटाल्टा, इटली	51%
	(ii) मै. इरमेनगील्डो जेजना होल्डीडाल्टा एस.पी.ए., इटली	153.00 लाख रुपए
9.	(i) मै. इटामिन्ट, बेलजियम	50.01%
	(ii) मै. इटामिन्ट, बेलजियम	100.00 लाख रुपए
10.	(i) मै. ली कूपर इंटरनेशनल लि.	50%
	(ii) मै. ली कूपर इंटरनेशनल लि., यूके	810.00 लाख रुपए

1		2	3
11.	(i)	मै. फेबइंडिया ओवरसीज प्रा.लि.	51%
	(ii)	मै. फेबइंडिया इंक, यूएसए	127.50 लाख रुपए
	(iii)	मै. डब्ल्यूसीपी मॉरिशस होल्डिंग्स, मॉरिशस	
12.	(i)	मै. सोकोमेक एस.ए.	50%
	(ii)	मै. सोकोमेक एस.ए., फ्रांस	(राशि नहीं बताई गई)
13.	(i)	मै. ग्रोटो एस.पी.ए., इटली	50%
	(ii)	मै. ग्रोटो एस.पी.ए., इटली	1850.00 लाख रुपए
14.	(i)	मै. महतानी फैशन्स प्रा.लि.	51%
	(ii)	मै. सिन रोंग प्रा.लि., सिंगापुर	5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
15.	(i)	मै. वाह लूइन इलेक्ट्रॉनिक टूल्स कं.लि., चीन	51%
	(ii)	मै. वाह लूइन इलेक्ट्रॉनिक टूल्स कं.लि., चीन	102.00 लाख रुपए
16.	(i)	मै. सिगनेचर किचन्स इंडिया प्रा.लि.	32%
	(ii)	मै. सिगनेचर किचन्स, कुआलालंपुर, मलेशिया	38.40 लाख रुपए
17.	(i)	मै. क्रिस्चन डायोर ट्रेडिंग इंडिया प्रा.लि., मुंबई	51%
	(ii)	मै. क्रिस्चन डायोर कुटोर, पेरिस, फ्रांस	250.00 लाख रुपए
18.	(i)	मै. फोरएवर न्यू अपरेल्स प्रा.लि., नई दिल्ली	51%
	(ii)	मै. फोरएवर न्यू क्लोद्स प्रा.लि., ऑस्ट्रेलिया	51.00 लाख रुपए
19.	(i)	मै. खन्ना स्पेसिलिटी रिटेल डिस्ट्रीबूटर्स प्रा.लि., नई दिल्ली	51%
	(ii)	मै. हरमेस इंटरनेशनल फ्रांस	458.15 लाख रुपए
20.	(i)	मै. ट्रिओ स्पोर्टस वियर प्रा.लि.	33.3%
	(ii)	मै. ट्रिओ सलेक्शन इंक, कनाडा	4,00,000 अमेरिकी डॉलर
21.	(i)	मै. टोड्स रिटेल इंडिया प्रा.लि.	51%
	(ii)	मै. टोड्स हांग-कांग लि., हांग-कांग	570.00 लाख रुपए
22.	(i)	मै. डीजल फैशन इंडिया अरविंद प्रा.लि., अहमदाबाद	51%
	(ii)	मै. डीजल इंटरनेशनल बी.वी., नीदरलैंड	927,628 यूरो
23.	(i)	मै. डोइस एण्ड गब्बाना, इटली	51%
	(ii)	मै. डोइस एण्ड गब्बाना, मिलान, इटली	3650.00 लाख रुपए

1		2	3
24.	(i)	मै. एल.ए. सोवरेन बाइसिकल प्रा.लि.	51%
	(ii)	मै. एल.ए. बाइसिकल (थाइलैंड)	89.25 लाख रुपए
	(iii)	मै. इंडस ट्रेडिंग कं., थाइलैंड	
25.	(i)	मै. क्रिस्टल बाल फैशन्स प्रा.लि., नई दिल्ली	50%
	(ii)	मै. रेन डेरही, फ्रांस	150.00 लाख रुपए
26.	(i)	मै. क्रोक्स इंक., यूएसए	51%
	(ii)	मै. क्रोक्स एशिया प्रा.लि., सिंगापुर	204.00 लाख रुपए
27.	(i)	मै. रिचमंड सर्विसिस बी.वी.	51%
	(ii)	मै. रिचमंड सर्विस बी.वी. एम्स्टरडम, नीदरलैंड	50,000 अमेरिकी डॉलर
28.	(i)	मै. पावर प्लेट इंडिया प्रा.लि., एन	50%
	(ii)	मै. पावर प्लेट इंडिया होल्डिंग लि., मॉरिशस	50.00 लाख रुपए
29.	(i)	मै. जोरजियो अरमानी होल्डिंग बी.वी., एन	51%
	(ii)	मै. जोरजियो अरमानी होल्डिंग बी.वी., नीदरलैंड	102.00 लाख रुपए
30.	(i)	मै. जियोर्डानो फैशन्स (आई) प्रा.लि.	50.09%
	(ii)	मै. जियोर्डानो फैशन्स प्रा.लि., मॉरिशस	509.00 लाख रुपए
31.	(i)	मै. पियर्ल यूरोप, नीदरलैंड	50%
	(ii)	मै. पियर्ल यूरोप, नीदरलैंड	(राशि नहीं बताई गई)
32.	(i)	मै. मार्कस एंड स्पेन्सर पीएलसी यूके	51%
	(ii)	मै. मार्कस एंड स्पेन्सर पीएलसी यूके	51,000/- रुपए
33.	(i)	मै. हालमार्क ग्रुप लि., यूके	51%
	(ii)	मै. हालमार्क ग्रुप लि., यूके	50,000 अमेरिकी डॉलर
34.	(i)	मै. पिकूयाड्रो एस.पी.ए., इटली	51%
	(ii)	मै. पिकूयाड्रो एस.पी.ए., इटली	153.00 लाख रुपए
35.	(i)	मै. फेरागामों इंटरनेशनल बी.वी.	51%
	(ii)	मै. फेरागामों इंटरनेशनल बी.वी., नीदरलैंड	3000.00 लाख रुपए
36.	(i)	मै. आरन किचन वर्ल्ड प्रा.लि., चेन्नई	49%
	(ii)	मै. आरन किचन वर्ल्ड, इटली	245.00 लाख रुपए

1		2	3
37.	(i)	मै. सीलियो इंटरनेशनल, बेलजियम	50.01%
	(ii)	मै. सीलियो इंटरनेशनल, बेलजियम	1200.00 लाख रुपए
38.	(i)	मै. एस. ओलिवर ब्रंड फ्रियर, जर्मनी	50%
	(ii)	मै. एस. ओलिवर ब्रंड फ्रियर, जर्मनी	5 मिलियन अमेरिकी डॉलर
39.	(i)	मै. लुइस व्यूटोन, फ्रांस	100%
	(ii)	मै. लुईस व्यूटोन, फ्रांस	1.5 बिलियन रुपए
40.	(i)	मै. दोरल कैपिटल एस.ए. लग्जेमबर्ग	51%
	(ii)	मै. दोरल कैपिटल एस.ए. लग्जेमबर्ग	229.50 लाख रुपए
41.	(i)	मै. रिलायंस पॉल और शार्क फैशन्स प्रा.लि.	50%
	(ii)	मै. डी.ए.एम.ए. एस.पी.ए., इटली	1,00,000 अमेरिकी डॉलर
42.	(i)	मै. टॉय वाच इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, मुंबई	51%
	(ii)	मै. कूल टॉय वाच एस.आर.एल., इटली	25.50 लाख रुपए
43.	(i)	मै. ऑस्ट्रिया पूमा ऑस्ट्रिया	51%
	(ii)	मै. ऑस्ट्रिया पूमा ऑस्ट्रिया	76.50 लाख रुपए
44.	(i)	मै. लेरेस फैशन्स (इंडिया) प्रा.लि., नई दिल्ली (फार्मली वियर इंटरनेशनल)	40%
	(ii)	मै. लेरोस मॉडेन गंभ, नीदरलैंड	1680.00 लाख रुपए
45.	(i)	मै. पोल्ट्रोना फ्रो एस.पी.ए. फ्रो, इटली	50%
	(ii)	मै. पोल्ट्रोना फ्रो एस.पी.ए. फ्रो, इटली	2150.00 लाख रुपए
46.	(i)	मै. इंडो प्राइम विजुअल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.	50%
	(ii)	मै. इंडो इंटरनेशनल एस.ए., स्पेन	17.00 लाख रुपए
47.	(i)	मै. नोकिया कॉर्पोरेशन, फिनलैंड	51%
	(ii)	मै. नोकिया कॉर्पोरेशन, फिनलैंड	25.50 लाख रुपए
48.	(i)	मै. दमस एलएलसी, दुबई, यूएई	51%
	(ii)	मै. दमस एलएलसी, दुबई, यूएई	18000.00 लाख रुपए
49.	(i)	मै. ओवेस एस.पी.ए., इटली	51%
	(ii)	मै. ओवेस एस.पी.ए., इटली	(राशि बताई नहीं गई)

1		2	3
50.	(i)	मै. इंडस्ट्रिया डे डिसेनो टेक्सटाइल सोसीदाद एनोमिना (इंडिटेक्स एस.ए.)	51%
	(ii)	मै. इंडस्ट्रिया डे डिसेनो टेक्सटाइल सोसीदाद एनोमिना (स्पेन)	2358.75 लाख रुपए
51.	(i)	मै. एल ओसिटेन सिंगापुर प्रा.लि.	51%
	(ii)	मै. एल ओसिटेन सिंगापुर प्रा.लि., सिंगापुर	(राशि बताई नहीं गई)
52.	(i)	मै. फैम एस.पी.ए., इटली	49%
	(ii)	मै. फैम एस.पी.ए., इटली	24.50 लाख रुपए
53.	(i)	मै. लग्जरी गुड्स रिटेल लि.	51%
	(ii)	मै. गुच्ची ग्रुप एन.वी., नीदरलैंड	104.55 लाख रुपए
54.	(i)	मै. बरबरी इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि., यूके	51%
	(ii)	मै. बरबरी इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि., यूके	1672.55 लाख रुपए
55.	(i)	मै. मदर केयर यूके लि., यूके	30%
	(ii)	मै. मदर केयर यूके लि., यूके	2587.50 लाख रुपए
56.	(i)	मै. अर्ली लर्निंग सेंटर लि.	30%
	(ii)	मै. अर्ली लर्निंग सेंटर लि., यूके	475.00 लाख रुपए
57.	(i)	मै. वर्व हियरिंग सिस्टम ए.जी., स्विट्जरलैंड	51%
	(ii)	मै. वर्व हियरिंग सिस्टम ए.जी., स्विट्जरलैंड	11.22 लाख रुपए
58.	(i)	मिस्टर मैटियो बासो, मिस्टर डेनियल सेसारो, मिसिज बीट्रिस बासो, इटली	49%
	(ii)	मिस्टर मैटियो बासो, मिस्टर डेनियल सेसारो, मिसिज बीट्रिस बासो, इटली	49.00 लाख रुपए
59.	(i)	मै. सीएंडजी क्लार्क इंटरनेशनल लि.	50%
	(ii)	मै. सीएंडजी क्लार्क इंटरनेशनल लि., यूके	1900.00 लाख रुपए
60.		मै. डेल्सी एस.ए., फ्रांस	51% 450.00 लाख रुपए
61.		मै. क्रिश्चियन लोबोटिन एस.ए., फ्रांस	51% 255.00 लाख रुपए

1	2	3
62.	मै. टाइमेक्स गार्मेंट्स प्रा.लि., श्रीलंका	50%
		50.00 लाख रुपए
63.	मै. कनाली होल्डिंग एस.ए.	51%
		765.00 लाख रुपए
64.	(i) मै. पावर्स इंग्लैंड लि.	100%
	(ii) मै. पावर्स फोरसाइट स्मार्ट वेंचर्स लि.	20 मिलियन अमरीकी डॉलर
65.	(i) मै. ब्रुक्स ब्रदर्स ग्रुप इंक, यूएसए	51%
		622.20 लाख रुपए
66.	(i) मै. दमियानी इंडिया प्रा.लि.	51%
	(ii) मै. दमियानी इंटरनेशनल, हालैंड	35.70 लाख रुपए

[अनुवाद]

हवाई दुर्घटनाओं का पता लगाना

1513. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हवाई दुर्घटनाओं का पता लगाने में कठिनाई का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई पीढ़ी की अनुसंधान तथा बचाव प्रणालियों की खरीद का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असैनिक वायुयानों के लिए नई अनुसंधान तथा बचाव प्रणालियों की खरीद का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए नई पीढ़ी के खोज एवं बचाव उपस्करों की अधिप्राप्ति हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

(घ) से (च) सिविलियन विमानों के लिए नई अनुसंधान तथा बचाव प्रणालियों की अधिप्राप्ति का रक्षा मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण खोज एवं बचाव कार्यों के लिए तीनों सेनाओं, राज्य प्रशासन तथा अन्य संसाधन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

खरीद संबंधी व्यय

1514. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री प्रदीप माझी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी खरीद पर व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आईएफ द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मांगी गई निधि और उन्हें आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आईएएफ का अपने वायु युद्धक क्षमता को संवर्धित करने के लिए मिडियम मल्टी रोल कॉम्बेट एयरक्राफ्ट प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आईएएफ ने ऐसे प्रापण के लिए कोई वाणिज्यिक बातचीत शुरू की है; और

(छ) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायु सेना का बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान पूंजीगत अधिग्रहणों पर व्यय करने का प्रस्ताव है जिनमें सुखोई-30 एमके I, हल्के युद्धक विमान, मध्यम बहु-भूमिका वाले युद्धक विमान, बड़ा भारवाहक विमान, आक्रामक हेलिकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर, मध्यम लिफ्ट हेलिकॉप्टर तथा अन्यों के साथ-साथ विभिन्न प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों जैसे नए रक्षा साजों-सामान शामिल करना निहित है।

(ग) निधियों का आवंटन विशिष्टतया प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए किया जाता है न कि संपूर्ण योजनावधि के लिए। भारतीय वायु सेना ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 36,950 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग की थी तथा इसके प्रति 30,514.45 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी।

(घ) से (छ) जी, हां। 126 मध्यम बहु-भूमिका वाले युद्धक विमानों की अधिप्राप्ति का प्रस्ताव इस समय मै. दलास्ट एवियेशन, फ्रांस, जो एल-I विक्रेता के रूप में सामने आया है, के साथ संविदा वार्ता चरण में है।

रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला

1515. श्री प्रेम दास राय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूस्खलन से बचने के लिए उपकरण विकसित करने में रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इन विकसित प्रणालियों का उपयोग करने की योजना का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला, रक्षा भू-भाग अनुसंधान प्रयोगशाला (डीटीआरएल) ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आठ राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप भूस्खलन जोखिम अनुक्षेत्र वर्गीकरण तथा भूस्खलन जोखिम प्रबंधन मानचित्रों की एक एटलस तैयार की है। सीमा सड़क संगठन को निम्नलिखित मानचित्र दिए गए हैं क्योंकि यह कार्य उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

(I) भू-भाग संबंधी सूचना तथा भूस्खलन – सिक्किम का हिस्सा: 26 अक्तूबर, 2004 को सौंपा गया।

(II) भू-भाग संबंधी सूचना तथा भूस्खलन – उत्तर-पूर्व भारत: 06 जून, 2007 को सौंपा गया।

(ग) सीमा सड़क संगठन ने रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को सूचित किया है कि वे बेहतर समझ तथा उपचारात्मक उपाए तैयार करने के लिए मानचित्रों का वितरण सबको करना चाहते हैं। यह भी सूचित किया गया है कि डीटीआरएल द्वारा सिक्किम के लिए तैयार की गई एटलस का अध्ययन किया गया है और इसे भूस्खलनों की मॉनीटरी करने तथा प्रदेश में नए मार्गों तथा पंक्तिबंधन की योजना में अत्यधिक लाभदायक पाया गया है।

[हिन्दी]

ईएसआई अस्पतालों में कर्मचारी

1516. श्री विश्व मोहन कुमार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ईएसआईसी वर्तमान अवसंरचना के संवर्धन और पात्र लाभार्थियों की अधिकतम संख्या को जोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्ययोजना तैयार करती है;

(ग) यदि हां, तो बिहार सहित देश में खोले जाने वाले ऐसे अस्पतालों/दवाखानों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए जारी और खर्च की गई कुल राशि कितनी है; और

(ङ) ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों तथा औषधालयों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 43,449 है। इनमें से 2,994 तथा 265 कर्मचारी क्रमश: उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों तथा औषधालयों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कुल 19 अस्पतालों तथा 20 औषधालय स्थापित किए जाने की योजना है। तथापि, बिहार में कोई अस्पताल/औषधालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) अंकलेश्वर, गुजरात तथा तिरुनेलवेल्ली, तमिलनाडु में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के लिए कुल 149 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अन्य प्रस्तावित अस्पताल योजना के विभिन्न चरणों में हैं।

(ङ) जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों के रिक्त पदों को भरने का संबंध है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इस प्रयोजनार्थ नियमित भर्तियां करता रहता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकारों से उनके द्वारा चालित अस्पतालों एवं औषधालयों में रिक्तियों को भरने का अनुरोध करता रहा है।

राज्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में विशेषज्ञों/अति विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकार के अनुरोध पर नियमित नियुक्तियां किए जाने तक सीधे अंश-कालिक विशेषज्ञों/अति विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहा है।

[अनुवाद] 352-60

मादक पदार्थ के दुरुपयोग संबंधी सर्वेक्षण

1517. श्री एम. आनंदन :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मादक पदार्थ के दुरुपयोग संबंधी कोई सर्वेक्षण किया है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मादक पदार्थ के दुरुपयोग की समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के समन्वित प्रयासों सहित इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों के माध्यम से जागरुकता अभियान शुरू करने सहित इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लत छुड़ाने के लिए कितने सामाजिक/सरकारी संगठनों/एनजीओ का गठन किया गया है;

(च) यदि हां, तो मद्यपान और नशीले पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने की केन्द्रीय स्कीम के तहत इन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें मादक पदार्थ की लत छुड़ाने-सह-पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए निधि की मांग की गई है; और

(ज) यदि हां, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवा एवं अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के सहयोग से वर्ष 2000-01 में देश में नशीली दवा दुरुपयोग पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कवराया था। यह रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग 732 लाख व्यक्ति मद्यपान और नशीली दवाओं के आदी हैं। तथापि, प्रतिदर्श आकार देश की जनसंख्या की तुलना में लघु (केवल 40,697 पुरुष) है, अनुमानों को केवल सांकेतिक रूप में लिया जाना उत्तम होगा। चूंकि अब पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है इसलिए एनएसएसओ से तीन राज्यों यथा पंजाब, महाराष्ट्र और मणिपुर में प्रतिदर्श डिजाइन और राष्ट्रीय सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण तंत्रों की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए एक उन्नत प्रायोगिक सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) नशीली दवा दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की एक केन्द्रीय सेक्टर योजना कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय, और राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय का, मद्यपान और नशीली दवा दुरुपयोग के कुप्रभावों के बारे में जागरुकता सृजन अभियान चलाने के लिए सहयोग भी लिया है। एनवाईकेएस ने स्वयं सेवकों के अपने नेटवर्क के माध्यम से पंजाब और मणिपुर के 3750 गांवों में युवाओं के बीच घर-घर जाकर अभियान, दीवार लिखाई, कैंडल मार्च, पोस्टर अभियानों, नुक्कड़ नाटकों इत्यादि के माध्यम से जागरुकता सृजित की है। एनबीबी ने 12 से 16 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के बीच स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पोस्टर बनाने, सृजनात्मक लेखन, व्याख्यान, रैली, नुक्कड़-नाटक इत्यादि जैसे कार्यकलापों की शृंखलाएं आयोजित की हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने जागरुकता सृजन के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप निष्पादित किए है:—

- 26 जून, को प्रत्येक वर्ष, अर्थात् अवैध व्यापार तथा नशीली दवा प्रतिकार अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से राष्ट्रीय नशीली दवा जागरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा जागरुकता का प्रसार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। राज्य सरकारों से भी इस दिवस को समुचित रूप से मनाने का अनुरोध किया जाता है।

- राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अन्य सहयोगी भागीदारों के सहयोग से विद्यालयों और महाविद्यालयों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ङ) से (ज) मंत्रालय की मद्यपान और नशीले पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, कार्यान्वियन एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, नेहरु युवा केन्द्र संगठन इत्यादि को राज्य स्तर सहायता अनुदान समिति की अनुशंसा के आधार परर व्यसनी समेकित पुनर्वास केन्द्रों के संचालन और रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए निधियां निर्मुक्त नहीं की जाती हैं तथापि चालू परियोजनाओं की संख्या, विगत वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नशीली पदार्थ (ड्रग) दुरुपयोग की समस्या के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सैद्धांतिक आवंटन किए जाते हैं तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वियन एजेंसियों के प्रस्ताव भेजने संबंधी अनुरोध के साथ संसूचित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सूचना देते हुए पात्र संगठनों को सीधे निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां, निर्मुक्त निधियां और सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित, निर्मुक्त धनराशि तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सैद्धांतिक आवंटन	निर्मुक्त धनराशि	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	निर्मुक्त धनराशि	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	निर्मुक्त धनराशि	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सैद्धांतिक आवंटन	निर्मुक्त धनराशि	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
		2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	140	76.82	9	190	133.63	16	190	156.81	18	200	36.73	6
2.	बिहार	130	47.19	5	150	105.37	10	140	150.11	12	150	20.90	2
3.	छत्तीसगढ़	30	12.66	2	30	7.80	2	30	35.61	2	30	9.42	1
4.	गोवा	10	8.89	1	15	7.50	1	15	10.46	1	15	3.52	1
5.	गुजरात	50	37.21	4	50	22.66	3	40	55.46	3	50	0.00	0
6.	हरियाणा	150	90.76	10	200	98.34	13	200	92.26	11	150	19.84	3
7.	हिमाचल प्रदेश	30	14.19	4	50	4.35	1	50	37.37	3	40	8.15	1
8.	जम्मू और कश्मीर	20	8.89	1	20	0.00	0	20	20.00	1	20	0.00	0
9.	झारखंड	10	0	0	10	1.40	1	15	4.91	2	30	6.00	1
10.	कर्नाटक	250	274.67	26	290	246.50	27	270	270.28	29	270	7.76	1
11.	केरल	190	176.44	20	220	190.73	21	200	164.10	21	200	50.09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	मध्य प्रदेश	170	66.28	8	215	38.60	5	210	143.73	15	210	31.50	4
13.	महाराष्ट्र	410	327	39	410	398.35	45	410	401.09	40	420	68.49	13
14.	ओडिशा	210	233.74	26	250	226.18	27	240	260.55	27	250	14.67	2
15.	पंजाब	130	53.4	11	210	283.12	14	300	151.04	14	245	55.91	
16.	राजस्थान	110	64.32	8	180	124.65	13	170	103.80	12	170	39.36	6
17.	तमिलनाडु	230	279	24	290	253.12	23	290	234.70	27	290	6.50	1
18.	उत्तर प्रदेश	410	61	10	410	188.85	22	400	264.77	26	400	159.25	25
19.	उत्तराखंड	40	31.26	4	50	43.38	4	50	30.16	3	40	10.40	1
20.	पश्चिम बंगाल	130	65.09	7	200	62.42	6	200	161.76	11	190	16.65	3
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	0	0	10	0.00	0	10	0.00	0	5	0.00	0
22.	चंडीगढ़	10	0.77	1	10	0.00	0	10	0.00	0	5	0.00	0
23.	दादरा और नगर हवेली	10	0	0	10	0.00	0	10	0.00	0	5	0.00	0
24.	दिल्ली	90	60.55	7	100	80.91	9	100	140.03	11	100	1.20	1
25.	दमन और दीव	10	0	0	10	0.00	0	10	0.00	0	5	0.00	0
26.	लक्षद्वीप	10	0	0	10	0.00	0	10	0.00	0	5	0.00	0
27.	पुदुचेरी	10	0	0	10	0.00	0	10	0.00	0	5	0.00	0
	कुल (आरओसी)	3000	1990.13	227	3600	2517.86	263	3600	2889.00	291	3500	566.34	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	22	9.32	1	20	9.78	1	15	9.95	1	10	0.00	0
2.	असम	70	25.07	3	90	33.55	5	80	128.86	16	115	0.00	0
3.	मणिपुर	200	172.39	19	180	238.76	19	240	250.45	21	205	97.34	13
4.	मेघालय	22	6.35	2	30	11.25	1	20	20.06	2	20	3.84	1
5.	मिजोरम	100	43.77	6	90	65.75	7	70	145.80	10	90	83.62	11
6.	नागालैंड	60	21.94	3	65	48.97	5	55	74.99	6	45	26.78	4
7.	त्रिपुरा	15	0	0	15	0.00	0	10	0.00	0	5	0.00	0
8.	सिक्किम	11	9.95	1	10	4.98	1	10	14.93	1	10	0.00	0
	कुल (एनई)	500	288.79	35	500	413.04	39	500	645.04	57	500	211.58	29
	कुल	3500	2278.92	262	4100	2930.90	302	4100	3533.45	348	4000	777.92	109

[हिन्दी]

पर्यावरण संरक्षण

1518. श्री भूदेव चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देशभर में पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक शस्त्र उद्योग को रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो देश में शस्त्रों के उपयोग के कारण जान-माल की हानि को रोकने, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और प्रदूषण से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

बीओटी पद्धति के अंतर्गत सड़कों पर टॉल

1519. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, संचालन एवं अंतरण (बीओटी) की पद्धति के अंतर्गत निर्मित सड़कों के लिए यात्रियों को 20 वर्षों तक या सहमति के अनुसार पथकर का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसी सड़क पर पथकर के संग्रह के संबंध में विनिर्धारित की गयी दूरी कितनी है;

(ग) क्या यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने कोई तंत्र बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल — सरकारी वित्त पोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क निरंतर वसूल किया जाना है। तथापि रियायत अवधि के पूरा होने पर पूंजीगत लागत की वसूली के उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर और संग्रहण निर्धारण) नियम, 2008 द्वितीय संशोधन के पश्चात् शुल्क की दर 40% तक कम कर दी जाएगी। समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर और संग्रहण निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 8 के अनुसार दो टोल प्लाजाओं के बीच की दूरी निर्धारित की गई है। तथापि राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियम, 1997 में दो शुल्क प्लाजाओं के बीच की दूरी का कोई प्रावधान नहीं है। आगे किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुल्क प्लाजाओं के स्थान का निर्धारण किसी विशेष प्लाजा की स्थापना के समय लागू शुल्क नियमों के प्रावधानों के मापदंडों, सरकार से मिलने वाले इष्टतम राजस्व संग्रहण, सड़क प्रयोक्ताओं और स्थानीय निवासियों को कम से कम होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड पर शुल्क प्लाजा के स्थान निर्धारण में भूमि की उपलब्धता, राजमार्ग भूमिति और राजमार्ग के पथांतरण आदि भी निर्णायक घटक होते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण के कार्यान्वयन के लिए योजना बनाई है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के लिए निर्यात नीति

1520. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों की दीर्घावधि स्थिर एवं पूर्वानुमेय निर्यात-आयात नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कृषकों संबंधी अस्थिर कृषि निर्यात नीति के प्रभाव तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि निर्यात-आयात नीति में अस्थिरता को दूर करने के लिए भूमंडलीय बाजार में स्थायी ताकत

बनाने में भारत की मदद करने के लिए चुनिंदा कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु न्यूनतम परिमाण स्तर की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार को विभिन्न कृषि उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध उठाने के अनुरोध संबंधी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) कार्यनीतिक भंडार सहित बफर स्टॉक की अपेक्षा के अतिरिक्त बेशी स्टॉक, खाद्य सुरक्षा की चिंता, राजनयिक/मानवीय विचार; अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति; आयातक देशों में गुणवत्ता संबंधी मानक; व्यापार की जा रही किस्मों और कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता; उपजकर्त्ताओं के लिए लाभकारी कीमतों एवं आम आदमी के लिए उचित कीमतों पर कृषि उत्पादों की उपलब्धता के बीच संतुलन की आवश्यकता आदि सहित विभिन्न कारकों पर कृषि उत्पादों का निर्यात निर्भर करता है। कृषि वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के संबंध में निर्णय लेते समय सरकार द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां। सरकार को विभिन्न कृषि उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के अनुरोध के साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों सहित कई निवेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुई मांगों तथा घरेलू बाजार में कई कृषि उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता के मद्देनजर सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत गेहूं, गैर-बासमती चावल, स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) और सम्पूर्ण दूग्ध पाउडर (डब्ल्यूएमपी) के निर्यात की अनुमति दी है। सरकार ने उसी अवधि के दौरान कुछ प्रतिबंधों के साथ चीनी और केजिन के निर्यात की भी अनुमति दी है। 5 किग्रा. तक के छोटे उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमत मात्रा में भी वृद्धि की गई है।

363-64

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर पथकर

1521. श्री तूफानी सरोज : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उन टॉल प्लाजा का ब्यौरा क्या है जहां टॉल संग्रह किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को उन टॉल प्लाजा पर पथकर संग्रह के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हों जिन्हें स्थायी रूप से बंद किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) वर्तमान में, 7 टोल-प्लाजाओं पर पथकर वसूली की जा रही है:-

(i) 29/30 किमी. पर डासना।

(ii) 326 किमी. पर शाहजहांपुर पुल।

(iii) 409 किमी. पर सीतापुर पुल।

(iv) 60 किमी. पर काली नदी।

(v) 88.50 किमी. पर ब्रिजघाट

(vi) 122 किमी. जोया।

(vii) 155-156 किमी. मुरादाबाद बाइपास (बीओटी रियायतग्राही)।

(ख) से (घ) काली नदी के लिए दो शिकायतें प्राप्त हुई थी, एक 2011 में, और दूसरी 2012 में। तथापि, उन शिकायतों का कोई कानूनी आधार नहीं था। रारा-24 पर 60 किमी. पर स्थित पुल के लिए काली नदी टॉल प्लाजा पर पथकर संग्रहण बंद कर दिया गया है, क्योंकि 58 किमी. से 93 किमी. (हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर) के चार लेन खंड के लिए रारा 24 पर 88.500 किमी. में ब्रिजघाट पर नया टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 88.500 किमी. में नया टोल शुरू करने से 60.00 किमी. पर काली नदी के टोल का अधिव्यापन हो रहा था।

[अनुवाद] 364-66

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

1522. श्री यशवंत लागुरी :
श्री एस. अलागिरी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कंपनियों ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) शीर्ष के अंतर्गत धनराशि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में इन कंपनियों द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत आवंटित एवं उपयोग की गयी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किन नोडल एजेंसियों के माध्यम से इन राशियों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) चालू परियोजनाओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राशि के उपयोग में दुर्विनियोजन एवं अनियमितताओं के मामलों का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन सी सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनियां नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर कार्यों के लिए निधियों का आवंटन कर रहे हैं। गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन कंपनियों द्वारा सीएसआर के तहत आबंटित और प्रयुक्त की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत् है:—

(लाख रुपए)

वर्ष	सेल		आरआईएनएल	
	आबंटित निधियां	प्रयुक्त निधियां	आबंटित निधियां	प्रयुक्त निधियां
1	2	3	4	5
2009-10	8000	7879.44	900	937
2010-11	9400	6895.27	1540	1173
2011-12	6400	6125.00	1200	1062
2012-13	4200	1833.00 (सितंबर, 2012 तक)	750 अक्तूबर, 2012 तक)	727

सीएसआर स्कीम के तहत निधियों का आवंटन राज्य-वार किया जाता है।

(ग) सीएसआर निधि का उपयोग विभिन्न नोडल एजेंसियों यथा सरकारी विभाग, पीएसयू, एनजीओ इत्यादि के जरिए विभिन्न परियोजनाएं आरंभ करने के लिए किया जाता है।

(घ) सीएसआर स्कीम के तहत परियोजनाएं सामान्यतः डीपीई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आरंभ की जाती हैं। सीएसआर के तहत क्रियान्वित परियोजनाएं जलापूर्ति प्रबंध, स्कूल भवनों का निर्माण, स्कूलों में शैक्षिक सामग्रियों की आपूर्ति, विद्युत सुविधा, सौर प्रकाश व्यवस्था प्रणाली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई सुविधाएं, सफाई एवं जन स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत सुविधा, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने इत्यादि से संबंधित होते हैं। कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कुछेक पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कुछ सीएसआर कार्य सतत् प्रकृति के हैं। ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार इत्यादि में स्थित हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-72ए पर चार लेन की सुरंग

1523. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दात की देवी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-72ए (नया रारा सं. 307) पर 34 किलोमीटर पर वर्तमान सुरंग से लगती नयी चार लेन की सुरंग को मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

367-68

पत्तनों का आधुनिकीकण

1524. श्री धनंजय सिंह :
श्री पी.के. बिजू :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न उपायों और ऐसी परियोजनाओं पर अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक स्वायत्ता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए इन पत्तनों के निगमीकरण (कॉर्पोरिटाइज़) करने तथा उन्हें कंपनियों में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार नए पत्तन बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (ग) सरकार ने महापत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए उपाय आरंभ किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है:—

(i) नए घाटों/टर्मिनलों का निर्माण

(ii) घाटों के लिए विभिन्न परियोजनाओं का विस्तार/उन्नयन

(iii) नए और आधुनिक कार्गो संभलाई उपकरणों का संस्थापन

(iv) स्वचालित पत्तन संचालनों को स्वाचालित करने के लिए कम्प्यूटर सहायतार्थ प्रणालियां

(v) जलयानों के सुचारु संचालन के लिए जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) का संस्थापन

(vi) वेब आधारित पत्तन समुदाय प्रणाली का कार्यान्वयन

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान क्षमता विस्तार की 34 महत्वपूर्ण परियोजनाएं सौंप दी गई हैं। महापत्तनों के निगमीकरण के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक-एक महापत्तन निर्मित किए जाने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

368-69

आयुध निर्माणी

1525. श्री राकेश सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयुध निर्माणियों में आधुनिक मशीनें एवं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जबलपुर स्थित खमारिया आयुध निर्माणी में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। उपयोगकर्त्ता की आवश्यकता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि पर 11वीं योजा में 2953 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जबलपुर स्थित खामरिया आयुध निर्माणी का आधुनिकीकरण किया गया है। इसके लिए 11वीं योजना में 33.18 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार

1526. **श्री रमाशंकर राजभर** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्कूलों में कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त स्कीम को पूरे देश में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ङ) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान कराने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, ''वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास'' नामक योजना निम्न कार्यों हेतु तैयार की गई है:—

(i) 34 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) तथा 68 कौशल विकास केन्द्रों (एसडीसीज़) की स्थापना; तथा

(ii) विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानीय युवाओं को दीर्घकालिक, अल्पकालिक तथा अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में तीन वर्ष का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

जिससे देश में नक्सल प्रभावित 34 जिलों में युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि की जा सके।

योजना तथा जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

योजना तथा जारी की गयी निधि

योजना का नाम : ''वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास''

योजना की लागत: 241.65 करोड़ रु.

अवधि: 29 मार्च, 2010 से 31 मार्च, 2014

शामिल किया गया क्षेत्र: निम्नानुसार 9 राज्यों में 34 जिले:

क्र. सं.	राज्य	सं.	नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1	खम्माम
2.	बिहार	6	जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, अरवल
3.	छत्तीसगढ़	7	दांतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, राजनंदगांव, बीजापुर, नारायणपुर
4.	झारखंड	10	चतरा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहारडागा, गुमला, लातेहर, हजारीबाग
5.	मध्य प्रदेश	1	बालघाट
6.	महाराष्ट्र	2	गढ़चिरोली के, गोंडिया
7.	ओडिशा	5	गजपति, मलकानगिरी, रायगड़, देवगढ़, सम्बलपुर
8.	उत्तर प्रदेश	1	सोनभद्र
9.	पश्चिम बंगाल	1	पश्चिम मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र)
	योग	34	

उद्देश्य:

— प्रत्येक जिले में एक आईटीआई एवं दो कौशल विकास केन्द्रों (एसडीसीज) की स्थापना करना।

– दीर्घकालिक, अल्पकालिक एवं अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मांग प्रेरित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।

घटक:

(i) निम्न हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- प्रति 30 जिलों की दर से दीर्घकालिक प्रशिक्षण में 1000 युवा
- प्रति 120 जिलों की दर से अल्पकालिक प्रशिक्षण में 4000 युवा
- प्रति 10 जिलों की दर से अनुदेशक प्रशिक्षण में 340 युवाओं को प्रशिक्षण देना।

(ii) निम्न हेतु अतिरिक्त अवसंरचना सृजित की जाएगी:–

- प्रति जिले में एक आईटीआई की दर से 34 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईज)
- प्रति जिले में दो एसडीसीज की दर से 68 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसीज)

उपलब्धियां:

– नीचे दी गई तालिका के अनुसार नौ राज्यों में 8657.03 लाख रु. की राशि का केंदीय अंशदान किया गया है।

क्र. सं.	राज्य	अब तक जारी की गई निधि (लाख रुपए)								
		2011-12			2012-13			योग		
		कौशल प्रशिक्षण	आईटीआईज और एसडीसीज	योग	कौशल प्रशिक्षण	आईटीआईज और एसडीसीज	योग	कौशल प्रशिक्षण	आईटीआईज और एसडीसीज	योग
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	355.84	355.84	0.00	355.84	355.84
2.	बिहार	0.00	376.77	376.77	0	319.15	319.15	0.00	695.92	695.92
3.	छत्तीसगढ़	0.00	1881.12	1881.12	0	281.73	281.73	0.00	2162.85	2162.85
4.	झारखंड	81.83	1587.17	1669.00	108.44	242.81	351.25	190.27	1829.98	2020.25
5.	मध्य प्रदेश	29.32	257.75	287.07	9.73	45.32	55.05	39.05	303.07	342.12
6.	महाराष्ट्र	58.64	511.80	570.44	19.5	90.63	110.13	78.14	602.43	680.57
7.	ओडिशा	100.16	1372.45	1472.61	48.74	187.93	236.67	148.90	1560.38	1709.28
8.	उत्तर प्रदेश	29.32	269.64	298.96	9.74	39.83	49.57	39.06	309.47	348.53
9.	पश्चिम बंगाल	29.32	256.90	286.22	9.74	45.71	55.45	39.06	302.61	341.67
	योग	328.59	6513.60	6842.19	205.89	1608.95	1814.84	534.48	8122.55	8657.03

— नीचे दी गई तालिका के अनुसार विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 6 राज्यों में कुल 1964 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है/प्रशिक्षण ले रहे हैं:—

क्र. सं.	राज्य	जिलों की कुल संख्या	प्रस्तावित		कौशल प्रशिक्षण पा रहे व्यक्ति			
			एसडीसी	आईटीआई	दीर्घ कालिक	अल्प कालिक	अनुदेशक	योग
1.	आंध्र प्रदेश	1	2	1	0	0	0	0
2.	बिहार	6	0	3	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	7	14	7	0	0	0	0
4.	झारखंड	10	18	9	170	436	60	666
5.	मध्य प्रदेश	1	2	1	30	120	10	160
6.	महाराष्ट्र	2	4	2	60	240	20	320
7.	ओडिशा	5	10	5	150	330	18	498
8.	उत्तर प्रदेश	1	2	1	30	120	10	160
9.	पश्चिम बंगाल	1	2	1	30	120	10	160
	योग	34	54	30	470	1366	128	*1964*

प्लास्टिक कचरे का निपटान

1527. **श्री महाबल मिश्रा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरे को डाला जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेषकर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों में प्लास्टिक कचरे के डाले जाने के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं तथा उक्त अध्ययन में उल्लिखित खामियां क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा किए गए एक आकलन के आधार पर यह पाया गया है कि प्रतिदिन देश में लगभग 15,722 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। ऐसे प्लास्टिक कचरे के अनुचित ढंग से एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान के कारण दिल्ली सहित शहरों/कस्बों में प्लास्टिक कचरा आम तौर पर बिखरा/दिखता रहता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक अध्ययन कराया है और 2010 में ''दिल्ली में हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरे का आकलन और इसका प्रबंधन'' नामक शीर्षक से इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस अध्ययन से निम्नलिखित बातें प्रकाश में आई हैं:—

(i) दिल्ली में तीन मुख्य रेलवे स्टेशनों पर प्रतिदिन 6758 किग्रा. प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। दिल्ली में देशीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा 4130 किग्रा. प्रतिदिन है।

(ii) रेलवे स्टेशनों में प्रति व्यक्ति लगभग 9 ग्राम/दिन और

हवाई अड्डों पर प्रति व्यक्ति 69 ग्राम/दिन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है।

(iii) दिल्ली में हवाई अड्डों पर प्लास्टिक कचरे सहित ठोस अपशिष्ट के एकत्रण की व्यवस्था जहां निजी संविदाकारों के माध्यम से की जा रही है, वहीं रेलवे स्टेशनों पर केवल पीईटी बोतलों, प्लेटों, चम्मचों, टम्बलरों इत्यादि जैसे मूल्य-वर्धित प्लास्टिक कचरे का एकत्रण असंघटित क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों से एकत्रित न किए जाने वाला बहुपरतीय और धातु निर्मित थैलियों जैसे गैर-पुनर्चक्रमणी प्लास्टिक कचरा बिखरा रहता है।

सीपीसीबी ने दिल्ली में रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर प्लास्टिक अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए रेलवे और हवाई अड्डा प्राधिकरणों को इस अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों के बारे में संसूचित किया है।

375-76

[अनुवाद]

गैर-सरकारी ठेकेदारों पर प्रतिबंध

1528. **डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना उन निजी ठेकेदारों को काम देने पर प्रतिबंध लगाने की है जो प्राइवेट पार्टियों को सामाजिक समारोहों के लिए उच्च दरों पर देने के लिए रक्षा स्थलों का प्रयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्थानों का इस्तेमाल केवल रक्षा कर्मियों एवं उनके निकट परिवारों को ही करने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) प्राइवेट पार्टियों को संविदा देने के लिए अपनाए जा रहे मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार की योजना पड़ोसी देशों से खतरे के मद्देनजर विशेषकर सीमावर्ती एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निजी ठेकेदारों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आईआईटीएफ में अन्य देश

376

1529. **श्रीमती जे. हेलन डेविडसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2012 में भाग लेने वाले अन्य देशों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापार बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2012 में छब्बीस देशों ने भाग लिया।

(ख) से (घ) पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी भागीदारों की संख्या में वृद्धि हुई है। व्यवसाय दिवसों के दौरान भी आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई। तथापि, व्यापार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

376-77

[हिन्दी]

ढाड़ी जाति को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करना

1530. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाड़ी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति सूची में दुसाध की उप-जाति के रूप में पंजीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों की इस सूची में इस जाति को एक स्वतंत्र जाति के रूप में पंजीकृत करने के लिए बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) समय-समय पर यथा-संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में बिहार राज्य के संबंध में क्रम संख्या 11 पर दुसाध, धारी, धरही जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। हालांकि, ढाड़ी जाति उक्त प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी पोत संचालक

1531. **डॉ. बलीराम :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न पत्तनों/बंदरगाहों पर विभिन्न प्राइवेट लि. कंपनियां अपने पोतों का संचालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पोतों द्वारा किस प्रकार का परिवहन किया जा रहा है;

(ग) क्या विभिन्न पोत परिवहन कंपनियों को उनकी देय सब्सिडी नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पोत परिवहन कंपनियों को कब तक देय सब्सिडी का भुगतान किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पोत विभिन्न प्रकार के सामान्य कार्गो, कंटेनरों, कच्चे तेल, ब्रेक बल्क और ड्राई बल्क उत्पादों आदि का संवहन करते हैं। इसके अलावा, भारतीय पोतों को महापत्तनों, गैर-महापत्तनों के साथ-साथ अपतटीय क्षेत्र, अर्थात् ऑयल फील्ड कार्य, अनुसंधान कार्य आदि में समर्थन सेवाएं प्रदान करने में भी लगाया जाता है साथ ही यात्री पोतों को यात्रियों को लाने ले जाने में लगाया जाता है।

(ग) से (ङ) नौवहन कंपनियां किसी सब्सिडी की पात्र नहीं हैं।

[अनुवाद]

ग्रांड ट्रंक रोड पर अतिक्रमण

1532. **श्री अजय कुमार :**
डॉ. भोला सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में ग्रांड ट्रंक रोड पर कई स्थानों पर अतिक्रमण संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को भीड़-भाड़ से मुक्त रखने के लिए कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार है; और

(घ) उक्त राजमार्ग को भीड़-भाड़ से मुक्त रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) गाजियाबाद जिले में ग्रांड ट्रंक सड़क पर किसी अतिक्रमण से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दादरी के स्कूल के सामने सरकारी भूमि का अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिली थी।

(ग) संबंधित राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्गों को बाधा रहित रखने के लिए उत्तरदायी है।

(घ) यातायात जाम कम करने के लिए गाजियाबाद से कानपुर की ग्रांड ट्रंक सड़क की क्षमता का विस्तार किया गया है।

[हिन्दी]

एनएमडीसी में अनियमितताएं

1533. श्री के.डी. देशमुख : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) में अनियमितताओं एवं नियमों की उपेक्षा के कारण भारी घाटा होने के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) एनएमडीसी के चूककर्त्ता अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एनएमडीसी द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) एनएमडीसी लिमिटेड में अनियमितताओं से संबंधित जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी समग्र रूप से जांच की जाती है और यदि आवश्यकता होती है तो उन्हें सुधारात्मक उपायों सहित उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है। हाल ही में एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह-अयस्क की कीमतों की मॉडिलिटीज़ से संबंधित अपनी निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा टिप्पणियों का प्रारुप तैयार किया गया है। इन टिप्पणियों से संबंधित आवश्यक स्पष्टीकरण कैग को प्रदान किए जा चुके हैं। कैग से कोई अतिरिक्त टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

[अनुवाद]

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम

1534. चौधरी लाल सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के लिए विनिर्धारित राशि का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उपलब्धि के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुनील सुरेश) : (क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका नीतियां बनाने, मानकों एवं मानदंडों की स्थापना करने, संबंधन प्रदान करने, अखिल भारती व्यवसाय परीक्षाएं (एआईटीटी) एवं प्रमाणीकरण आयोजित करने, अखिल भारतीय कौशल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने, इत्यादि में है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उपर्युक्त गतिविधियों को करने के लिए उत्तरदायी है जिनके लिए उसे सीटीएस के लिए गैर-योजना स्कीमों के तहत निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रदान की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत के दौरान समूचे देश में सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) की कुल संख्या 9.54 लाख की सीट क्षमता के साथ 6906 थी जो 25.09.2012 की स्थिति के अनुसार 14.54 लाख की सीट क्षमता के साथ बढ़कर 10,341 हो गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सीट क्षमता में वृद्धि के रूप में योजना के तहत उपलब्धियों के राज्य-वार परिणाम संलग्न विवरण-II, III, IV, V एवं VI में दिए गए हैं।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2006-07 में 5114 से दोगुनी होकर 2012 में 10,341 हो गई है। इसी तरह, सीट क्षमता भी 7.42 लाख से दोगुनी होकर 14.54 लाख हो गई है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने समूचे देश में आईटीआईज में प्रशिक्षण अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने एवं नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया है:—

(i) घरेलू वित्तपोषण के माध्यम से 100 आईटीआईज का उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में उन्नयन

(ii) विश्व बैंक की सहायता के माध्यम से 400 आईटीआईज का उन्नयन

(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 आईटीआईज का उन्नयन

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वर्ष 2011 में भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा किया गया था। अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि उपर्युक्त योजनाओं के तहत उन्नत आईटीआईज में नियोजन 81% के स्तर से बढ़कर 99% हो गया है।

सीटीएस के तहत शामिल सभी व्यवसायों की पाठ्यचर्या का संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से हाल ही में संशोधन किया गया है।

आईटीआईज के दैनंदिन कार्यकलापों में उद्योग की सक्रिय भागीदारी के लिए सभी सरकारी आईटीआईज में संस्थान प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के लिए निर्धारित निधि

(हजार रु.)

गैर-योजना स्कीमें

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2009-10 बजट अनुमान	2010-11 बजट अनुमान	2011-12 बजट अनुमान	2012-13 बजट अनुमान
1.	व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद्	2180	2180	3045	3654
2.	उत्तरोत्तर व्यवसाय परीक्षण	7912	7410	7150	7615
3.	आईटीआईज हेतु अखिल भारतीय कौशल प्रतिस्पर्धाएं	700	700	700	700
	कुल-शिल्पकारों का प्रशिक्षण	10792	10290	10895	11969

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (2012-13) के लिए सीट क्षमता के साथ सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) की संख्या

वित्त वर्ष	आईटीआईज की संख्या			सीट क्षमता			वृद्धि	
	सरकारी आईटीआईज	निजी आईटीआईज	कुल आईटीआईज	सरकारी आईटीआईज	निजी आईटीआईज	कुल	आईटीआईज	सीट क्षमता
2009-10	2133	5906	8039	432006	683622	1115628	1133	161744
2010-11	2217	6583	8800	457794	769038	1226832	761	111204
2011-12	2244	7203	9447	472738	862750	1335488	647	108656
2012-13 30.09.2012) की स्थिति के अनुसार	2271	8070	10341	486386	967406	1453792	894	118304

विवरण-III

01.04.2010 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता के साथ सरकारी एवं निजी आईटीआईज/आईटीसीज की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र. केंद्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र.सं./ औ.प्र. केंद्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	2	968	0	0	2	968
2.	दिल्ली	16	11132	57	4140	73	15272
3.	हरियाणा	82	20824	85	9128	167	29952
4.	हिमाचल प्रदेश	70	8260	82	7004	152	15264
5.	जम्मू और कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6.	पंजाब	94	19316	153	15008	247	34324
7.	राजस्थान	114	13264	668	76671	782	89935
8.	उत्तर प्रदेश	300	31500	564	63886	864	95386
9.	उत्तराखंड	59	6395	29	2534	88	8929
	उप-योग	774	115746	1639	178481	2413	294227
	दक्षिणी क्षेत्र						
10.	आंध्र प्रदेश	109	22510	506	97644	615	120154
11.	कर्नाटक	150	25682	1046	78814	1196	104496
12.	केरल	36	15916	482	52890	518	68806
13.	लक्षद्वीप	1	96	0		1	96
14.	पुदुचेरी	6	1352	9	508	15	1860
15.	तमिलनाडु	60	21832	627	62590	687	84422
	उप-योग	362	87388	2670	292446	3032	379834

1	2	3	4	5	6	7	8
			पूर्वी क्षेत्र				
16.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	0	0	5	512
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273	0	0	1	273
18.	असम	28	5696	3	80	31	5776
19.	बिहार	34	11433	225	32569	259	44002
20.	झारखंड	20	4672	95	24232	115	28904
21.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
22.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24.	नागालैंड	8	944	0	0	8	944
25.	ओडिशा	26	8464	495	84100	521	92564
26.	सिक्किम	2	516	0	0	2	516
27.	त्रिपुरा	8	944	0	0	8	944
28.	पश्चिम बंगाल	51	12700	22	1320	73	14020
	उप-योग	196	47610	842	142621	1038	190231
			पश्चिमी क्षेत्र				
29.	छत्तीसगढ़	87	10224	29	3376	116	13600
30.	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
31.	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
32.	गोवा	10	3264	4	380	14	3644
33.	गुजरात	153	56172	350	20744	503	76916
34.	मध्य प्रदेश	160	24862	75	9954	235	34816

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	महाराष्ट्र	388	86124	297	35620	685	121744
	उप-योग	801	181262	755	70074	1556	251336
	कुल योग	2133	432006	5906	683622	8039	1115628

विवरण-IV

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता के साथ सरकारी एवं निजी आईटीआईज/आईटीसीज की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र. केंद्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र.सं./ औ.प्र. केंद्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	2	968	0	0	2	968
2.	दिल्ली	16	11132	57	4204	73	15336
3.	हरियाणा	84	21928	95	10072	179	32000
4.	हिमाचल प्रदेश	71	9828	114	9292	185	19120
5.	जम्मू और कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6.	पंजाब	95	19908	184	20160	279	40068
7.	राजस्थान	114	14064	682	79839	796	93903
8.	उत्तर प्रदेश	312	32348	714	81038	1026	113386
9.	उत्तराखंड	59	6523	31	2838	90	9361
	उप-योग	790	120786	1878	207553	2668	328339
	दक्षिणी क्षेत्र						
10.	आंध्र प्रदेश	137	24686	509	100084	646	124770
11.	कर्नाटक	163	27090	1171	90638	1334	117728

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	केरल	38	16284	485	53402	523	69686
13.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
14.	पुदुचेरी	8	1416	9	508	17	1924
15.	तमिलनाडु	60	22168	637	64014	697	86182
	उप-योग	407	91740	2811	308646	3218	400386
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	0	0	5	512
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273	0	0	1	273
18.	असम	30	5744	4	208	34	5952
19.	बिहार	34	11433	354	50041	388	61474
20.	झारखंड	20	4672	113	28072	133	32744
21.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
22.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24.	नागालैंड	8	944	0	0	8	944
25.	ओडिशा	26	9984	562	94644	588	104628
26.	सिक्किम	4	580	0	0	4	580
27.	त्रिपुरा	8	1088	0	0	8	1088
28.	पश्चिम बंगाल	51	12716	25	1896	76	14612
	उप-कुल	200	49402	1060	175181	1260	224583
	पश्चिमी क्षेत्र						
29.	छत्तीसगढ़	90	10992	46	5120	136	16112

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
31.	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
32.	गोवा	10	3264	4	380	14	3644
33.	गुजरात	154	56940	376	22280	530	79220
34.	मध्य प्रदेश	173	25518	85	10962	258	36480
35.	महाराष्ट्र	390	98536	323	38916	713	137452
	उप-योग	820	195866	834	77658	1654	273524
	कुल योग	2217	457794	6583	769038	8800	1226832

विवरण-V

24.02.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता के साथ सरकारी एवं निजी आईटीआईज/आईटीसीज की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र.सं.	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	2	968	0	0	2	968
2.	दिल्ली	16	11132	59	4332	75	15464
3.	हरियाणा	85	22696	96	10376	181	33072
4.	हिमाचल प्रदेश	73	10132	118	10364	191	20496
5.	जम्मू और कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6.	पंजाब	97	20292	243	28784	340	49076
7.	राजस्थान	114	14128	682	79823	796	93951
8.	उत्तर प्रदेश	314	32364	936	114990	1250	147354

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	उत्तराखंड	59	6555	38	3974	97	10529
	उप-योग	797	122354	2173	252753	2970	375107
	दक्षिणी क्षेत्र						
10.	आंध्र प्रदेश	141	25982	536	107796	677	133778
11.	कर्नाटक	174	28962	1234	96654	1408	125616
12.	केरल	40	16444	489	53786	529	70230
13.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
14.	पुदुचेरी	8	1432	9	508	17	1940
15.	तमिलनाडु	60	22488	646	66958	706	89446
	उप-योग	424	95404	2914	325702	3338	421106
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	1	96	6	608
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273	0	0	1	273
18.	असम	30	5744	4	208	34	5952
19.	बिहार	34	11433	459	67689	493	79122
20.	झारखंड	20	4672	138	31160	158	35832
21.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
22.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24.	नागालैंड	8	944	0	0	8	944
25.	ओडिशा	27	9984	570	95060	597	105044
26.	सिक्किम	4	580	0	0	4	580

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	त्रिपुरा	8	1088	0	0	8	1088
28.	पश्चिम बंगाल	51	13452	38	3352	89	16804
	उप-योग	201	50138	1212	197885	1413	248023
	पश्चिमी क्षेत्र						
29.	छत्तीसगढ़	90	10992	46	5216	136	16208
30.	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
31.	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
32.	गोवा	10	3264	4	380	14	3644
33.	गुजरात	156	57436	383	22792	539	80228
34.	मध्य प्रदेश	173	25806	106	13170	279	38976
35.	महाराष्ट्र	390	106728	365	44852	755	151580
	उप-योग	822	204842	904	86410	1726	291252
	कुल योग	2244	472738	7203	862750	9447	1335488

विवरण-VI

25.09.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता के साथ सरकारी एवं निजी आईटीआईज/आईटीसीज की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र.सं.	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	2	968	0	0	2	968
2.	दिल्ली	16	11132	62	4860	78	15992

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हरियाणा	89	23720	105	11400	194	35120
4.	हिमाचल प्रदेश	75	11572	122	11244	197	22816
5.	जम्मू और कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6.	पंजाब	98	21044	248	31712	346	52756
7.	राजस्थान	115	15568	725	89103	840	104671
8.	उत्तर प्रदेश	315	32428	1377	159598	1692	192026
9.	उत्तराखंड	59	7083	48	4790	107	11873
	उप-योग	806	127602	2688	312817	3494	440419
	दक्षिणी क्षेत्र						
10.	आंध्र प्रदेश	148	28286	581	116788	729	145074
11.	कर्नाटक	179	30594	1285	101550	1464	132144
12.	केरल	40	16460	492	54042	532	70502
13.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
14.	पुदुचेरी	8	1432	9	508	17	1940
15.	तमिलनाडु	61	23288	651	67790	712	91078
	उप-योग	437	100156	3018	340678	3455	440834
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	1	96	6	608
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273	0	0	1	273
18.	असम	30	5776	4	208	34	5984
19.	बिहार	34	11433	557	78825	591	90258
20.	झारखंड	20	4672	157	34248	177	38920
21.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24.	नागालैंड	8	944	0	0	8	944
25.	ओडिशा	28	11200	588	98884	616	110084
26.	सिक्किम	4	580	0	0	4	580
27.	त्रिपुरा	8	1120	0	0	8	1120
28.	पश्चिम बंगाल	52	13580	51	5416	103	18996
	उप-योग	203	51546	1360	217997	1563	269543
	पश्चिमी क्षेत्र						
29.	छत्तीसगढ़	92	11104	50	5632	142	16736
30.	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
31.	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
32.	गोवा	10	3264	4	380	14	3644
33.	गुजरात	157	57596	391	23688	548	81284
34.	मध्य प्रदेश	173	25966	173	19154	346	45120
35.	महाराष्ट्र	390	108536	386	47060	776	155596
	उप-योग	825	207082	1004	95914	1829	302996
	कुल योग	2271	486386	8070	967406	10341	1453792

राजमार्ग परियोजनाएं

1535. **श्री दुष्यंत सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कार्यान्वियनाधीन राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा व्ययित एवं उपयोग की गयी धनराशियों का इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत निर्मित राजमार्गों पर लगने वाले पथकर की सीमा के बारे में निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियां विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल कार्य) अनुरक्षण एवं मरम्मत, स्थायी पुल शुल्क निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क तथा वामपंथी उग्रवाद में प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निधियां देश के पूर्वोत्तर भाग में सड़कों के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी आबंटित की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और व्यय/जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। इन योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। पथकर का संग्रहण शाश्वत आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पथकर) विधि के अंतर्गत निर्मित राजमार्ग परियोजनाओं पर पथकर का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा रियायत अवधि तक किया जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग (मूलकार्य) के अंतर्गत आबंटन और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	342.48	342.48	248.41	248.41	110.00	119.36	189.47	51.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
3.	असम	205.62	205.62	173.76	173.76	210.00	197.04	225.22	7.93
4.	बिहार	238.00	238.00	194.98	194.98	227.00	231.25	296.41	58.33
5.	चंडीगढ़	2.95	2.95	8.81	8.81	1.00	0.81	2.80	0.49
6.	छत्तीसगढ़	77.62	77.62	51.64	51.64	50.00	50.36	69.33	25.03
7.	दिल्ली	17.21	17.21	52.58	52.58	6.50	5.70	1.42	0.10
8.	गोवा	33.16	33.16	30.14	30.14	5.00	4.79	23.26	0.21
9.	गुजरात	146.05	146.05	110.94	110.94	90.00	88.82	139.74	37.41
10.	हरियाणा	152.16	152.16	143.69	143.69	100.00	98.16	56.96	20.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	हिमाचल प्रदेश	80.46	80.46	95.72	95.72	110.00	121.15	188.50	31.12
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	117.90	117.90	112.70	112.70	92.00	97.14	113.64	37.34
14.	कर्नाटक	301.61	301.61	274.01	274.01	315.00	302.27	296.27	117.34
15.	केरल	118.34	118.34	85.45	85.45	156.00	147.35	166.58	9.55
16.	मध्य प्रदेश	132.18	132.18	106.39	106.39	78.00	76.07	108.06	11.34
17.	महाराष्ट्र	321.34	321.34	246.42	246.42	266.00	276.60	211.41	100.12
18.	मणिपुर	19.65	19.65	63.88	63.88	50.00	47.09	61.61	12.43
19.	मेघालय	61.54	61.54	79.08	79.08	83.50	82.76	101.76	9.98
20.	मिजोरम	5.52	5.52	24.23	24.23	40.00	40.81	107.51	7.17
21.	नागालैंड	30.46	30.46	26.94	26.94	21.00	19.63	85.15	2.40
22.	ओडिशा	333.00	333.00	230.58	230.58	287.00	272.75	208.45	78.11
23.	पुदुचेरी	9.22	9.22	3.93	3.93	4.50	4.73	8.93	3.61
24.	पंजाब	187.32	187.32	111.86	111.86	110.00	112.74	111.26	36.95
25.	राजस्थान	140.07	140.07	147.30	147.30	110.00	110.47	196.79	54.93
26.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	तमिलनाडु	165.40	165.40	179.61	179.61	156.00	157.67	180.64	102.06
28.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	उत्तर प्रदेश	425.38	425.38	430.90	430.90	300.00	294.94	350.67	136.40
30.	उत्तराखंड	153.58	153.58	128.93	128.93	80.00	48.81	80.69	42.86
31.	पश्चिम बंगाल	147.00	147.00	120.61	120.61	292.00	282.93	177.76	97.24
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	1.89	1.89	2.13	2.13	38.37	1.00

विवरण-II

अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत आबंटन और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	56.25	61.32	67.06	64.14	53.68	18.52	109.24	0.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.91	0.90	26.53	27.07	21.41	0.00	56.30	0.00
3.	असम	78.85	64.45	111.36	99.04	46.07	22.25	100.41	0.54
4.	बिहार	69.51	50.70	93.84	79.06	70.42	28.35	64.97	13.80
5.	चंडीगढ़	0.75	0.67	0.66	0.31	0.68	0.34	1.08	0.00
6.	छत्तीसगढ़	33.40	31.94	22.66	22.66	23.24	5.66	64.54	2.20
7.	दिल्ली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	1.65	0.00
8.	गोवा	5.35	4.89	4.85	1.66	10.58	0.73	12.39	0.03
9.	गुजरात	43.03	41.67	82.74	82.21	62.41	50.06	76.90	27.94
10.	हरियाणा	18.97	18.61	30.06	28.15	16.47	13.22	18.89	7.61
11.	हिमाचल प्रदेश	31.37	26.43	22.25	21.69	24.79	16.27	83.78	21.51
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	28.97	17.51	33.20	32.92	17.08	1.79	53.23	1.97
14.	कर्नाटक	64.76	60.57	77.61	61.43	42.82	24.32	116.04	17.07
15.	केरल	28.50	32.60	52.08	41.88	24.85	1.90	56.99	6.73
16.	मध्य प्रदेश	57.15	54.30	45.39	43.30	19.09	5.67	60.85	10.27
17.	महाराष्ट्र	66.98	62.24	104.40	99.50	82.98	48.44	117.02	4.04
18.	मणिपुर	7.24	7.57	18.68	17.46	16.61	0.04	16.65	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	मेघालय	14.78	13.01	48.92	44.93	27.18	6.32	31.09	1.60
20.	मिजोरम	3.58	2.22	39.69	37.44	18.23	2.81	42.97	2.55
21.	नागालैंड	12.30	9.31	14.57	12.77	14.80	9.66	29.86	0.00
22.	ओडिशा	59.50	61.83	80.77	80.77	34.00	12.90	94.86	26.74
23.	पुदुचेरी	1.63	0.89	3.46	1.65	1.27	0.00	2.80	1.63
24.	पंजाब	23.00	26.86	21.38	16.13	19.36	11.84	39.95	8.19
25.	राजस्थान	76.53	48.39	85.72	77.30	65.16	31.01	127.60	22.64
26.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	तमिलनाडु	32.62	36.47	54.36	53.91	38.16	21.72	66.47	25.74
28.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	उत्तर प्रदेश	73.93	84.83	97.50	97.11	99.68	44.71	129.69	7.04
30.	उत्तराखंड	25.31	21.64	73.59	59.45	52.12	17.72	62.76	7.64
31.	पश्चिम बंगाल	27.15	27.43	57.65	54.75	22.89	7.45	54.74	0.64
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	10.20	0.00

विवरण-III

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	413.45	591.00	636.00	636.00	398.94	44.00	689.29	379.00
2.	असम	203.78	67.00	388.00	388.00	342.99	314.00	336.20	144.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
3.	बिहार	1293.43	744.00	417.00	417.00	2053.90	231.00	2777.12	244.00
4.	छत्तीसगढ़	375.72	203.00	189.00	189.00	604.97	259.00	1163.85	47.00
5.	गुजरात	459.24	421.00	66.00	66.00	403.00	0.00	918.82	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	32.44	0.00
7.	कर्नाटक	381.97	380.00	264.00	264.00	1331.45	1079.00	530.19	329.00
8.	केरल	852.88	2289.00	2355.00	2355.00	982.49	631.00	200.53	88.00
9.	मध्य प्रदेश	2009.42	1798.00	2785.00	2785.00	868.56	0.00	2572.7	0.00
10.	महाराष्ट्र	795.34	484.00	1911.00	1911.00	2830.01	2830.00	1701.65	1207.00
11.	मणिपुर	13.05	0.00	0.00	0.00	7.67	0.00	26.6	0.00
12.	मेघालय	79.95	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	137.5	0.00
13.	ओडिशा	207.27	70.00	13.00	13.00	627.72	19.00	675.88	44.00
14.	पंजाब	211.90	117.00	314.00	314.00	510.66	449.00	43.50	0.00
15.	राजस्थान	376.64	16.00	1.00	1.00	963.34	646.00	1368.87	458.00
16.	तमिलनाडु	185.44	300.00	252.00	252.00	236.76	232.00	0.00	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	874.00	782.00	2165.00	2165.00	2485.57	2485.00	1200.98	556.00
18.	उत्तराखंड	266.53	733.00	190.00	190.00	346.27	291.00	330.92	312.00

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित योजना के अंतर्गत राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

1.	आंध्र प्रदेश	124.43	124.43	271.00	289.47	350.00	107.03
2.	बिहार	169.93	169.93	200.00	205.00	198.00	68.28
3.	छत्तीसगढ़	163.46	163.47	260.00*	264.96	300.00*	120.73
4.	झारखंड	38.60	38.60	115.00*	110.00	200.00*	70.15
5.	मध्य प्रदेश	19.50	19.51	35.00	28.79	66.00	5.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
6.	महाराष्ट्र			86.26	86.26	135.00	105.12	180.00	23.38
7.	ओडिशा			102.83	102.83	160.00	147.79	244.00	53.08
8.	उत्तर प्रदेश			13.04	13.05	24.00	16.30	12.00	00
	एसएआरडीपी-एनई#	1200	667.60	1500	1046.71	1950	1939.98	2000	703.02

*ये निधियां, जनजातीय उप-योजना स्कीम के अंतर्गत आबंटित की गई थी।

#इस स्कीम के लिए आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

विवरण-IV

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान उपार्जित निधियों और केंद्रीय सड़क निधि में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	148.91	175.05	170.33	172.20	191.06	187.65	196.09	32.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.38	18.44	35.42	35.72	40.24	55.36	41.49	0.00
3.	असम	35.05	32.87	38.91	45.47	44.42	33.53	46.02	17.06
4.	बिहार	46.28	50.49	53.61	48.30	62.00	20.17	64.61	20.72
5.	छत्तीसगढ़	58.43	22.19	66.39	64.99	74.97	46.31	77.30	0.00
6.	गोवा	5.87	2.82	6.19	17.02	6.60	0.00	6.57	1.10
7.	गुजरात	107.48	0.00	119.81	208.03	135.00	132.58	139.42	0.00
8.	हरियाणा	47.55	18.16	55.36	50.57	66.17	64.99	67.56	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	24.81	12.06	27.48	17.44	31.22	26.04	32.19	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	86.81	86.81	96.97	97.79	110.59	108.61	113.58	0.00
11.	झारखंड	39.44	32.64	44.13	40.88	50.56	16.28	52.14	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	105.84	120.30	118.45	96.01	133.67	131.28	138.29	0.00
13.	केरल	36.54	49.27	40.26	80.49	45.29	0.00	46.47	7.75
14.	मध्य प्रदेश	133.63	45.76	152.33	281.58	173.02	233.87	179.55	0.00
15.	महाराष्ट्र	174.92	72.97	199.75	256.82	225.57	0.00	234.63	39.11
16.	मणिपुर	8.90	2.20	10.07	5.28	11.43	5.84	11.56	5.95
17.	मेघालय	10.40	3.04	11.81	16.76	13.41	16.50	13.83	0.00
18.	मिजोरम	8.20	6.73	9.29	3.10	10.55	6.90	10.88	0.00
19.	नागालैंड	6.61	4.63	7.35	2.17	8.57	11.53	8.84	0.00
20.	ओडिशा	70.56	70.56	79.74	91.50	91.46	110.47	94.53	0.00
21.	पंजाब	48.69	68.69	50.71	80.35	57.82	105.32	57.36	31.86
22.	राजस्थान	158.91	158.91	117.30	178.79	201.16	196.92	207.43	56.69
23.	सिक्किम	2.99	3.41	3.48	2.48	3.96	4.05	4.08	0.00
24.	तमिलनाडु	93.98	54.89	109.16	203.01	123.78	160.10	128.77	21.46
25.	त्रिपुरा	4.62	5.27	5.22	7.95	5.94	9.81	6.12	0.00
26.	उत्तराखंड	25.74	8.01	28.84	34.49	33.19	0.00	34.01	34.01
27.	उत्तर प्रदेश	140.65	161.07	157.93	189.87	180.28	177.06	184.76	184.76
28.	पश्चिम बंगाल	53.02	53.02	59.23	67.51	66.62	63.33	68.92	34.46
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.50	1.21	3.94	2.18	4.47	1.32	4.61	0.00
30.	चंडीगढ़	3.75	3.19	4.23	0.00	4.81	1.57	4.95	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	1.75	0.32	1.98	0.00	2.25	0.00	2.32	0.00
32.	दमन और दीव	1.33	0.00	1.50	0.00	1.70	0.00	1.75	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	दिल्ली	51.78	0.00	58.40	58.40	66.32	0.00	68.39	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.15	0.00	0.16	0.00	0.17	0.00
35.	पुदुचेरी	8.11	0.00	9.15	3.14	10.39	0.00	10.72	1.79

विवरण-V

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क-संपर्क योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.10.2012 तक)	
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	9.55	9.55	10.27	10.27	46.27	41.29	15.73	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.90	11.36	4.70	4.70	9.61	5.00	0.00	0
3.	असम	1.62	1.00	2.23	2.23	0.47	0.99	0.00	0
4.	बिहार	6.44	3.36	0.00	0.00	0.27	0.00	5.86	0
5.	छत्तीसगढ़	1.97	0.00	3.50	3.50	1.32	0.89	0.00	0
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7.	गुजरात	16.98	0.00	22.62	22.62	8.60	0.00	15.06	0
8.	हरियाणा	6.99	0.00	0.00	0.00	22.73	8.70	0.00	0
9.	हिमाचल प्रदेश	8.37	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	12.95	12.95	13.06	12.77	0.00	0
11.	झारखंड	14.13	6.36	17.91	17.91	6.85	6.26	7.66	0
12.	कर्नाटक	10.27	9.06	14.95	14.95	9.66	5.65	0.00	0
13.	केरल	11.34	10.84	0.85	0.85	4.44	4.44	4.13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	6.07	0.00	41.28	41.28	15.27	0.00	11.61	0
15.	महाराष्ट्र	2.57	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0
16.	मणिपुर	4.80	2.80	3.51	3.51	4.70	0.00	0.00	0
17.	मेघालय	1.07	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0
18.	मिजोरम	2.85	0.00	4.21	4.21	1.74	5.65	0.00	0
19.	नागालैंड	4.75	1.50	29.58	29.58	15.97	11.43	0.00	0
20.	ओडिशा	14.87	10.20	5.00	5.00	0.59	0.00	5.63	0
21.	पंजाब	4.05	8.68	5.54	5.54	0.47	0.00	0.00	0
22.	राजस्थान	5.57	0.00	6.68	6.68	13.61	9.08	25.16	14.98
23.	सिक्किम	9.32	9.00	13.96	13.96	12.48	12.13	0.00	0
24.	तमिलनाडु	13.64	12.39	4.00	4.00	19.35	16.27	10.48	0
25.	त्रिपुरा	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
26.	उत्तराखंड	5.59	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0
27.	उत्तर प्रदेश	6.15	6.15	4.48	4.48	13.39	33.19	18.47	0
28.	पश्चिम बंगाल	1.49	2.10	0.00	0.00	2.16	0.00	8.07	0
संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00	5.00	0
30.	चंडीगढ़	0.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.72	1.00	1.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
33.	दिल्ली	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

419-44

इको-क्लबों को धनराशि का प्रावधान

1536. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री रामकिशुन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इको-क्लब चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्लबों को राष्ट्रीय ग्रीन क्लब कार्यक्रम या किसी अन्य स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार इको-क्लबों की संख्या को दर्शाती सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है और स्थार-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी, हां। इन इको-क्लबों को पर्यावरण और वन मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित कॉर्पस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) राष्ट्रीय हरित कॉर्पस कार्यक्रम के तहत प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

इको-क्लबों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	इको-क्लब
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5750
2.	असम (पूर्वोत्तर)	5207
3.	बिहार	8871
4.	छत्तीसगढ़	4000
5.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	1796
6.	हरियाणा	5250
7.	हिमाचल प्रदेश	3000
8.	झारखंड	2842
9.	केरल	3500
10.	मध्य प्रदेश	12500
11.	महाराष्ट्र	8905
12.	मणिपुर (पूर्वोत्तर)	1750
13.	मिजोरम (पूर्वोत्तर)	1235
14.	नागालैंड (पूर्वोत्तर)	2280
15.	ओडिशा	7500
16.	पंजाब	5000
17.	राजस्थान	8250
18.	तमिलनाडु	8000
19.	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)	750
20.	पश्चिम बंगाल	3912
	कुल	100298

विवरण-II

इको-क्लबों की स्थान-वार संख्या

राज्य — आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	अदिलाबाद	250

1	2	3
2.	निजामाबाद	250
3.	मेढक	250
4.	करीमनगर	250
5.	वारंगल	250
6.	नालगौंडा	250
7.	हैदराबाद	250
8.	रंगा रेड्डी	250
9.	खम्माम	250
10.	महबूबनगर	250
11.	कुरनूल	250
12.	अंनतपुर	250
13.	कडप्पा	250
14.	चित्तूर	250
15.	नेल्लौर	250
16.	प्रकासम	250
17.	गुंटूर	250
18.	कृष्णा	250
19.	पश्चिम गोदावरी	250
20.	पूर्व गोदावरी	250
21.	विशाखापत्तनम	250
22.	विजयानगरम	250
23.	अर्नाकुलम	250
	कुल	5750

राज्य — असम

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	कोकराझार	100
2.	बारपेटा	250
3.	कामरूप (मेट्रो)	250
4.	मोरीगांव	250
5.	नौगांव	100
6.	जोरहट	250
7.	गोलाघाट	250
8.	तिनसुकिया	248
9.	डिब्रूगढ़	250
10.	दारांगे	250
11.	सोनीतपुर	250
12.	धेमाजी	250
13.	हेलाकंडी	250
14.	एन.सी. हिल्स	250
15.	कर्बी-एंगलोंग	250
16.	गोलपाडा	100
17.	करीमगंज	126
18.	धुबरी	102
19.	लखीमपुर	250
20.	नलबारी	250

1	2	3
21.	सिवसागर	140
22.	बोंगाईगांव	141
23.	कछार	250
24.	कामरूप (ग्रामीण)	100
25.	उडलगुड़ी	100
26.	बॅक्सा	100
27.	चिराग	100
	कुल	5207

राज्य – बिहार

क्र. सं.	जिले का नाम	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	पटना	250
2.	नालंदा	250
3.	बक्सर	250
4.	कैमूर	250
5.	रोहतास	250
6.	भोजपुर	151
7.	गया	250
8.	जहानाबाद	250
9.	नवादा	203
10.	अरवल	250
11.	औरंगाबाद	250
12.	शेखपुरा	101
13.	मुंगेर	250
14.	लखीसराय	250
15.	जमुई	250
16.	बेगुसराय	250
17.	खगड़िया	250
18.	भागलपुर	250
19.	बांका	250
20.	पुरनिया	250
21.	कटीहार	250
22.	अररिया	213
23.	किशनगंज	250
24.	सहरसा	150
25.	सुपौल	250
26.	मधेपुरा	250
27.	मधुबनी	250
28.	शिवहर	250
29.	दरभंगा	250
30.	समस्तीपुर	151
31.	मुजफ्फरपुर	250
32.	सीतामढ़ी	250
33.	पूर्वी चंपारण	250
34.	पश्चिम चंपारण	250
35.	वैशाली	250

1	2	3
36.	सिवान	250
37.	गोपालगंज	250
38.	सारन	152
	कुल	8871

राज्य — छत्तीसगढ़

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	रायपुर	250
2.	दुर्ग	250
3.	कबीरधाम	250
4.	राजनंदगांव	250
5.	कोरबा	250
6.	जांजगीर चम्पा	250
7.	रायगढ़	250
8.	अम्बिकापुर	250
9.	कोरिया	250
10.	जसपुर	250
11.	धमतरी	250
12.	महासमुन्द	250
13.	बिलासपुर	250
14.	जगदलपुर	250
15.	दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा	250
16.	उत्तर बस्तर कनकोर	250
	कुल	4000

राज्य — दिल्ली

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1.	पूर्व	200
2.	पूर्वोत्तर	175
3.	उत्तर	148
4.	पश्चिमोत्तर	243
5.	पश्चिम	247
6.	दक्षिण	230
7.	दक्षिण पश्चिम	220
8.	नई दिल्ली	192
9.	सेन्ट्रल	141
	कुल	1796

राज्य — हरियाणा

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला	250
2.	भिवानी	250
3.	फरीदाबाद	250

1	2	3
4.	फतेहाबाद	250
5.	गुड़गांव	250
6.	हिसार	250
7.	झज्जर	250
8.	जींद	250
9.	करनाल	250
10.	कैथल	250
11.	कुरुक्षेत्र	250
12.	महेन्द्रगढ़	250
13.	मेवात	250
14.	पानीपत	250
15.	पलवल	250
16.	पंचकुला	250
17.	रोहतक	250
18.	रेवाड़ी	250
19.	सोनीपत	250
20.	सिरसा	250
21.	यमुनानगर	250
	कुल	5250

राज्य — हिमाचल प्रदेश

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	बिलासपुर	250
2.	चम्बा	250
3.	हमीरपुर	250
4.	कांगड़ा	250
5.	कुल्लु	250
6.	एल एंड एस	250
7.	मंडी	250
8.	सिरमोर	250
9.	सोलन	250
10.	ऊना	250
11.	किन्नौर	250
12.	शिमला	250
	कुल	3000

राज्य — झारखंड

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	रांची	150
2.	पश्चिम सिंहभूम	150
3.	चतरा	100
4.	धनबाद	142
5.	जामताड़ा	150
6.	पाकुड़	100
7.	दुमका	150
8.	गुमला	150

1	2	3
9.	सराईकेला खरसांवा	सूची प्राप्त नहीं हुई
10.	लातेहार	100
11.	बोकारो	150
12.	देवघर	100
13.	पलामू	150
14.	साहिबगंज	150
15.	हजारीबाग	150
16.	गोड्डा	150
17.	सिमडेगा	100
18.	गढ़वा	150
19.	गिरिडीह	150
20.	पूर्व सिंहभूम	150
21.	कोडरमा	150
22.	लोहरदगा	100
23.	रामगढ़	नया जिला
24.	खूंटी	नया जिला
	कुल	2842

राज्य — केरल

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	तिरुअनंतपुरम	250
2.	कोल्लम	250
3.	कोट्टायम	250
4.	अलपुझा	250
5.	पथनमथिट्टा	250
6.	एर्नाकुलम	250
7.	इदुकी	250
8.	त्रिशुर	250
9.	पलक्कड	250
10.	कोझीकोड	250
11.	वायानाड	250
12.	मालापुरम	250
13.	कन्नूर	250
14.	कासरगोड	250
	कुल	3500

राज्य — मध्य प्रदेश

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	अनूपपुर	250
2.	अलीराजपुर	250
3.	अशोक नगर	250
4.	बडवानी	250
5.	बालाघाट	250
6.	बेतुल	250

1	2	3
7.	भिंड	250
8.	भोपाल	250
9.	बुरहानपुर	250
10.	छत्तरपुर	250
11.	छिंदवाड़ा	250
12.	दमोह	250
13.	दतिया	250
14.	देवास	250
15.	धार	250
16.	दिनदोरी	250
17.	ग्वालियर	250
18.	गुना	250
19.	हारदा	250
20.	होशांगाबाद	250
21.	इंदौर	250
22.	जबलपुर	250
23.	झबुआ	250
24.	कटनी	250
25.	खंडवा	250
26.	खारगॉन	250
27.	मनडला	250
28.	मंदसौर	250
29.	मुरैना	250
30.	नरसिंहपुर	250
31.	नीमच	250
32.	पन्ना	250
33.	रायसेन	250
34.	राजगढ़	250
35.	रतलाम	250
36.	रीवा	250
37.	सागर	250
38.	सतना	250
39.	सेहोर	250
40.	सिओनी	250
41.	शहडोल	250
42.	शजपुर	250
43.	शीवपुर	250
44.	शिवपुरी	250
45.	सीधी	250
46.	सिंगरौली	250
47.	टिकमगढ़	250
48.	उज्जैन	250
49.	उमरिया	250
50.	विदिशा	250
	कुल	12500

राज्य — महाराष्ट्र

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	नागपुर	250
2.	वरधा	250
3.	चन्द्रपुर	250
4.	भदारा	250
5.	गढ़चिरौली	250
6.	गोंडिया	250
7.	अमरावती	250
8.	अकोला	250
9.	यवतमाल	250
10.	बुलधाना	250
11.	वसीम	250
12.	औरंगाबाद	250
13.	जलना	250
14.	हिंगोली	196
15.	बीड	250
16.	परभनी	250
17.	लातुर	250
18.	उस्मानाबाद	250
19.	नांदेड	250
20.	नासिक	250
21.	जलगांव	250
22.	धुले	250
23.	नंदुरवार	250
24.	पुणे	250
25.	अहमदनगर	250
26.	सोलापुर	250
27.	कोल्हापुर	250
28.	सांगली	250
29.	सतारा	250
30.	रत्नागिरि	250
31.	सिंधुदुर्ग	209
32.	मुंबई (नार्थ)	250
33.	मुंबई (साउथ)	250
34.	मुंबई (वेस्ट)	250
35.	थाणे	250
36.	रायगढ़	250
	कुल	8905

राज्य — मणिपुर

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	बिष्णुपुर	200
2.	चंदेल	200
3.	चुराचंदपुर	200

1	2	3
4.	इम्फाल वेस्ट	200
5.	इम्फाल ईस्ट	200
6.	तमेंगलोंग	200
7.	उखरूल	200
8.	थोउबल	200
9.	सेनापती	150
	कुल	1750

राज्य — मिजोरम

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1.	सेरचिप	90
2.	चम्फाई	121
3.	लवंगतलई	153
4.	ममीत	92
5.	कोलासीह	178
6.	लंगलेई	169
7.	सईया	79
8.	आईजोल	353
	कुल	1235

राज्य — नागालैंड

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	दिमापुर	250
2.	पेरेन	174
3.	कोहिमा	227
4.	फेक	193
5.	जुनेहबोटो	238
6.	मुकोकचंग	250
7.	लोंगलोंग	148
8.	किफीर	218
9.	वोखा	176
10.	मोन	201
11.	तुएनसांग	205
	कुल	2280

राज्य — ओडिशा

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	अंगुल	250
2.	बालासौर	250
3.	भद्रक	250
4.	बारगढ़	250
5.	बोलांगिर	250
6.	बाउध	250
7.	कटक	250
8.	देवगढ़	250

1	2	3
9.	ढेंकनाल	250
10.	गंजम	250
11.	गजपति	250
12.	जगतसिंहपुर	250
13.	झारसुगुड़ा	250
14.	जाजपुर	250
15.	कंडामल	250
16.	कालाहांडी	250
17.	खुरदा	250
18.	कोरापुट	250
19.	केन्द्रपाड़ा	250
20.	क्योंझर	250
21.	मलकानगिरि	250
22.	मयूरभंज	250
23.	नौपाडा	250
24.	नयागढ़	250
25.	नबरंगपुर	250
26.	पुरी	250
27.	रायगड़ा	250
28.	सम्बलपुर	250
29.	सोनपुर	250
30.	सुंदरगढ़	250
	कुल	7500

राज्य — पंजाब

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1.	अमृतसर	250
2.	बरनाला	250
3.	भटिंडा	250
4.	फरीदकोट	250
5.	फतेहागढ़ साहिब	250
6.	फीरोजपुर	250
7.	गुरदासपुर	250
8.	होशियारपुर	250
9.	जालंधर	250
10.	कपुरथला	250
11.	मनसा	250
12.	मोगा	250
13.	मुक्तसर	250
14.	नवाशहर	250
15.	पटियाला	250
16.	रोपड़	250
17.	संगरूर	250
18.	एसएएस	250
19.	तरन तारन	250
	कुल	5000

राज्य — राजस्थान

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	250
2.	भीलवाडा	250
3.	नागौर	250
4.	टोंक	250
5.	बीकानेर	250
6.	चुरू	250
7.	हनुमानगढ़	250
8.	झुनझुनू	250
9.	श्री गंगानगर	250
10.	भरतपुर	250
11.	धौलपुर	250
12.	करौली	250
13.	सवाई माधोपुर	250
14.	अलवर	250
15.	दोसा	250
16.	जयपुर	250
17.	सीकर	250
18.	बाड़मेर	250
19.	जैसलमेर	250
20.	जालौर	250
21.	जोधपुर	250
22.	पाली	250
23.	सिरोही	250
24.	बरन	250
25.	बूंदी	250
26.	झालावाड़	250
27.	कोटा	250
28.	बांसवाड़ा	250
29.	चित्तौड़गढ़	250
30.	प्रतापगढ़	250
31.	डुंगरपुर	250
32.	राजसमंद	250
33.	उदयपुर	250
	कुल	8250

राज्य — तमिलनाडु

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1	2	3
1.	चेन्नई	250
2.	कुड्डालौर	250
3.	कोयंबटूर	250
4.	धर्मापुरी	250

1	2	3
5.	डिंडीगुल	250
6.	एरोड	250
7.	करूर	250
8.	कांचीपुरम	250
9.	कन्याकुमारी	250
10.	कृष्णागिरि	250
11.	मदुरै	250
12.	नागापट्टनम	250
13.	नामाक्कल	250
14.	नीलगिरिज	250
15.	पुदुक्कोटाई	250
16.	पेरमबलूर	250
17.	रामानाथपुरम	250
18.	सेलम	250
19.	सिवागंगई	250
20.	तनजावुर	250
21.	थिरूवलूर	250
22.	थिरूनेलवेली	250
23.	थुथूकूडी	250
24.	थेनी	250
25.	थिरूवारू	250
26.	त्रिची	250
27.	थिरूवाननमलई	250
28.	वेल्लौर	250
29.	विलुपूरम	250
30.	विरधुनगर	250
	कुल	7500

नए बने जिले

1.	अरियालूर	250
2.	थिरूपुर	250
	कुल	500

क. राज्य — त्रिपुरा

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला-वार मौजूदा ईको-क्लब
1.	वेस्ट त्रिपुरा	250
2.	साउथ त्रिपुरा	141
3.	धलाई जिला	66
4.	नॉर्थ त्रिपुरा	143
	कुल	600

ख. राज्य — त्रिपुरा

क्र. सं.	जिले का नाम	नए स्कूलों के लिए प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1.	साउथ त्रिपुरा	59
2.	धलाई त्रिपुरा	34
3.	नार्थ त्रिपुरा	57
	कुल	150
	(क+ख)	750

राज्य — पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य नोडल अभिकरण द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इको-क्लबों की संख्या
1.	बांकुरा	248	248
2.	बिरभूम	240	240
3.	बर्धवान	413	250
4.	कूच बिहार	138	138
5.	दक्षिण दिनाजपुर	141	141
6.	दार्जिलिंग	171	171
7.	हुगली	236	250
8.	हावड़ा	231	231
9.	जलपाईगुडी	150	150
10.	कोलकाता	364	250
11.	मालदा	153	153
12.	मुर्शिदाबाद	236	236
13.	नदिया	213	213
14.	नार्थ 24 परगना	540	250
15.	पश्चिम मेदीनीपुर	319	250
16.	पूर्व मेदीनीपुर	286	250
17.	पुरुलिया	130	130
18.	साउथ 24 परगना	330	250
19.	उत्तर दिनाजपुर	111	111
	कुल	4750	3912

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य	राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	15697500
2.	असम (पूर्वोत्तर)	14102125
3.	बिहार	24283875
4.	छत्तीसगढ़	10911500
5.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	4950750
6.	हरियाणा	14300000
7.	हिमाचल प्रदेश	8107976
8.	झारखंड	3507481
9.	केरल	9555000
10.	मध्य प्रदेश	34125000
11.	महाराष्ट्र	23714781
12.	मणिपुर (पूर्वोत्तर)	4780000
13.	मिजोरम (पूर्वोत्तर)	3451875
14.	नागालैंड (पूर्वोत्तर)	6273125
15.	ओडिशा	20193734
16.	पंजाब	13650000
17.	राजस्थान	22522154
18.	तमिलनाडु	21744654
19.	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)	2055000
20.	पश्चिम बंगाल	10767750
	कुल	268694280

रडार स्थापित किया जाना

1537. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटवर्ती क्षेत्रों में 'कोस्टल स्टेटिक रडार' स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे रडारों को स्थापित करने के लिए आवंटित राशि एवं उसमें संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे रडारों को स्थापित करने का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) अनुमोदित तटीय रडार स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस परियोजना हेतु संविदा 601,75,89,745/- रु. की कुल लागत पर मै. बीईएल, बंगलूरु के साथ की गई है जिसमें 2 वर्षों की वारंटी अवधि के पूरे होने पर 10 वर्षों के लिए सर्व समाहित वार्षिक रखरखाव संविदा (एआईएएमसी) भी शामिल है।

(घ) इस परियोजना का कार्यान्वयन मार्च, 2013 तक किया जाना परिकल्पित है।

विवरण

अनुमोदित रडार स्टेशन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	रडार स्टेशनों की संख्या चरण-I
1	2	3
1.	गुजरात	06
2.	दमन और दीव	02
3.	महाराष्ट्र	05
4.	गोवा	01
5.	कर्नाटक	02
6.	केरल	04
7.	लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपसमूह	06
8.	तमिलनाडु	06
9.	पुदुचेरी	01
10.	आंध्र प्रदेश	06
11.	ओडिशा	02
12.	पश्चिम बंगाल	01
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	04
	कुल	46

ठेका कामगारों की छंटनी

1538. श्री बसुदेव आचार्य : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र सहित देश के कई भागों में भारी संख्या में छंटनी किए जा रहे ठेका कामगारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कामगारों की छंटनी से ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निगमों विशेषकर उपर्युक्त ताप विद्युत केन्द्र के संदर्भ में, जो ठेका श्रम अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) जी, हां। तथापि, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र का संबंध है, परियोजना के पूरा होने के पश्चात्, उक्त ठेका कामगारों को कार्य से हटा दिया गया था।

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के क्षेत्रीय कार्यालयों को दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र के संबंध में ठेका कामगारों को हटाये जाने के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

केन्द्रीय क्षेत्र में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को इस अधिनियम, के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों को प्रवर्तित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। पीड़ित कामगार, अपनी समस्याएं, यदि कोई हों, श्रम कानूनों के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी के समक्ष उठा सकते हैं।

447-52

एनसीएलपी के लिए मानदंड

1539. **श्री वैजयंत पांडा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत जिलों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कौन से मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजना में शामिल जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ओडिशा के छह जिलों (भद्रक, कंधमाल, बौध, केन्द्रपाड़ा, पुरी और जगतिंगपुर) सहित देश में किसी अन्य जिले जो अभी उक्त परियोजना के अंतर्गत नहीं हैं को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) भारत सरकार बाल श्रमिकों की अधिक सघनता वाले क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 271 जिलों की तुलना में 266 जिलों में चालू है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अंतर्गत नये जिले को शामिल करने के लिए, राज्य सरकार जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करती है। राज्य सरकार से जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले 9-14 वर्ष के आयु समूह में पता लगाये गये बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु संचालित किए जाने वाले अपेक्षित विशेष विद्यालयों की संख्या सहित ठोस कार्य योजना के साथ विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, मंत्रालय प्रस्ताव की जांच करता है और पता लगाये गये बाल श्रमिकों की संख्या के आधार पर जिले में श्रम और रोज़गार मंत्री के अनुमोदन से तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 271 स्वीकृत जिलों की समग्र सीमा के भीतर विशेष विद्यालयों की स्वीकृति देता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 21 भारत – यूएस (इंडस) जिला परियोजनाएं जो पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग (यूएसडीओएल) द्वारा 5 राज्यों अर्थात् दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से वित्तपोषित थीं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) में संविलयित कर दी गई है। इस समय, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना देश में 20 राज्यों के 266 जिलों में लागू है। एनसीएलपी जिलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार किसी जिले को एनसीएलपी योजना के अंतर्गत शामिल करने पर राज्य सरकार से विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ सिफारिशें प्राप्त होने के उपरांत ही विचार करती है। ओडिशा सरकार से भद्रक, कंधामल, बौध, पुरी और जगतसिंहपुर जिलों के संबंध में एनसीएलपी में शामिल किए जाने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

जिन जिलों में विशेष विद्यालय चल रहे हैं, उनकी सूची

क्र. सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डपा, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, खम्मम, नेल्लूर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, प. गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद और कृष्णा।
2.	असम	3	नॉगांव, कामरूप और लखीमपुर।
3.	बिहार	24	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर।
4.	छत्तीसगढ़	7	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर और कोरबा।
5.	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, भुज, बनासकांठा, दाहोद, बडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट।
6.	हरियाणा	3	गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत।
7.	जम्मू और कश्मीर	2	श्रीनगर और ऊधमपुर।
8.	झारखंड	8	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, प. सिंहभूम (चाईबासा), गुमला, पलामू और हजारीबाग।
9.	कर्नाटक	15	बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलूरु ग्रामीण, बंगलूरु शहरी, बेलगाम, कोप्पल, दावणगिरि, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार और मांड्या।
10.	मध्य प्रदेश	21	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), रायगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगौन), झाबुआ, दमोह, सागर, जबलपुर, सतना और कटनी।

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	15	सोलापुर, थाणे, सांगली, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गौंदिया और मुम्बई उप-नगर।
12.	नागालैंड	1	दीमापुर
13.	ओडिशा	24	अंगुल, बालासोर, बरगढ़, बलांगीर, कटक, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुडा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाडा, रायगड़, सम्बलपुर, सोनपुर, जजपुर, क्योनझार, केन्द्रापाड़ा, खुर्दा, नयागढ़ और सुंदरगढ़।
14.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर।
15.	राजस्थान	27	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर और बाड़मेर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा, बरान।
16.	तमिलनाडु	17	चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, वेल्लोर, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, एरोड, डिन्डीगल, थेनी, कांचीपुरम, तिरुवनमल्लाई, तिरुवल्लूर, नाम्मकल, और विरुधुनगर।
17.	उत्तर प्रदेश	47	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोन्डा, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नौज, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, कौशाम्बी, बांदा, गाजियाबाद, जोनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, एटा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद।
18.	उत्तराखंड	1	देहरादून
19.	पश्चिम बंगाल	18	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर।
20.	दिल्ली	1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
	कुल	266	

पटाखों से ध्वनि प्रदूषण

1540. श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री एम. आनंदन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध पटाखों का उनके ध्वनि स्तर सीमा संबंधी आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तत्संबंधी परिणाम क्या है; और

(ग) देश में पटाखा निर्माताओं द्वारा ध्वनि स्तर सीमाओं के कठोर अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने पटाखों के ध्वनि स्तर की मॉनीटरी की है। रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2010-11 के दौरान दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में कई पटाखा निर्माता, निर्माण स्तर पर पटाखों के लिए निर्धारित ध्वनि स्तर मानदंडों को पूरा करने में असफल रहे हैं। सरकार ने पटाखों के लिए ध्वनि मानदंड अधिसूचित किए हैं तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां पटाखों के ध्वनि स्तरों की मॉनीटरी कर रहे हैं।

[हिन्दी]

रक्षा समझौते

1541. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ सरकार ने रक्षा समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) समझौते के अनुसार भारत को इन देशों द्वारा किन रक्षा सामग्रियों की आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सहयोगिता पर अंतर सरकारी करार कोरिया गणतंत्र, इक्वेडोर, मंगोलिया, स्पेन तथा थाइलैंड के साथ हुए हैं। ये समझौते सामर्थ्यकारी, ढांचागत करार किस्म के हैं तथा इनमें किसी प्रकार की रक्षा सामग्री की आपूर्ति निहित नहीं है।

अति आधुनिक उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना

1542. **डॉ. भोला सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अति आधुनिक उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय वस्तुओं के आयात हेतु शुल्क ऋण का लाभ प्रदान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विदेश व्यापार नीति में "अति आधुनिक उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन योजना" नाम से कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा उत्पादन

1543. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उत्पादों को अभी भी हथकरघा उद्योग द्वारा अनन्य रूप से उत्पादन के लिए आरक्षित रखा गया है तथा ये हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के

दौरान हथकरघा उद्योग द्वारा अनन्य रूप से उत्पादन के लिए आरक्षित उत्पादों के नाम क्या हैं तथा उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ समन्वय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या विद्युतकरघा उत्पाद जो बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते हैं और सस्ते होते हैं, ने पूरे देश में बहुत से हथकरघा बुनकरों की आजीविका को प्रभावित किया है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समग्र रूप से क्या कार्य योजना बनाई गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) हथकरघों द्वारा अनन्य रूप से उत्पादन किए जाने के लिए वस्त्र की 11 मदें आरक्षित की गई हैं। कुछ तकनीकी विशिष्टताओं के साथ ये 11 मदें हैं:– (1) साड़ी, (2) धोती, (3) तौलिया, गम्छा और अंगवस्त्रम, (4) लुंगी, (5) खेस, बैडशीट, बेडकवर, काउंटरपैन, फर्निशिंग (टैपस्ट्री, अपहोलस्ट्री सहित), (6) जामक्कलम दरी या डुरेट, (7) ड्रेस मैटिरियल, (8) बैरक ब्लैंकेट, कम्बल या कम्बली, (9) शॉल, लोई, मफलर, पंखी आदि, (10) वूलन ट्वीड, (11) चादर, मेखला/फनेक।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें, अपने-अपने राज्यों में हथकरघा आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। भारत सरकार, राज्यों के साथ समन्वय करती है और अधिनियम का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए राज्य स्तर पर प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान 2,78,276 विद्युतकरघों का निरीक्षण किया गया था और अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कारण 29 प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई थीं। चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2012 तक 1,47,014 विद्युतकरघों का निरीक्षण किया गया है और अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कारण 63 प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।

(ङ) और (च) विद्युतकरघों की तुलना में हथकरघों के सामने आ रही प्रौद्योगिकी कठिनाइयों और कम उत्पादकता के कारण विद्युतकरघों और मिल क्षेत्र में हथकरघा बनुकरों को मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के बारे में सरकार को जानकारी है। हथकरघा क्षेत्र के समग्र और संपूर्ण विकास के लिए भारत सरकार निम्नलिखित 5 योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:–

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(iii) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(iv) मिल गेट कीमत योजना

(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

सरकार ने भी हथकरघा क्षेत्र के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए ऋण के बंद पड़े अवसरों को खोलने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की ऋण माफी के लिए वित्तीय पैकेज का अनुमोदन किया है। इसमें दिनांक 31 मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के अतिदेय ऋणों और ब्याज की एकबारगी माफी शामिल है।

(ii) हथकरघा बुनकरों को रियायती ऋण मिले, इसके लिए सरकार ने बुनकर क्रेडिट कार्ड का अनुमोदन किया है और प्रति बुनकर 4200/- रुपये मार्जिन राशि की सहायता, 3% ब्याज परिदान प्रदान कर रही है तथा सीजीटीएमएसई द्वारा ऐसे ऋण को ऋण गारंटी प्रदान की जा रही है।

(iii) विद्युतकरघों और मिल गेट के साथ मुकाबला करने के उद्देश्य से हथकरघा बुनकरों को सस्ता यार्न प्रदान करने के लिए सरकार, हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी सोसाइटियों को कॉटन और सिल्क यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी प्रदान कर रही है। 457-58

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए विशेष सुविधा पैकेज

1544. **श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से देश के अनुसूचित

जाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सुविधा पैकेज के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास अनुमोदन के लिए स्वीकृत/अनुमोदित/लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक लंबित परियोजनाओं की स्वीकृति की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (घ) इस प्रकार के कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 1000 गांवों के समेकित विकास के लिए 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित प्रायोगिक योजना आरंभ की है। इस समय, इस योजना का उद्देश्य इन गांवों का समेकित विकास सुनिश्चित करना है:–

(i) प्रारम्भ में, मौजूदा केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के सम्मिलित कार्यान्वियन के माध्यम से; और

(ii) चयनित गांवों की इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औसतन 20 लाख रुपए प्रति गांव की दर से 'अंतर-पूर्ति' केन्द्रीय सहायता के माध्यम से, जिसे उक्त (i) के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है।

इस समय, यह योजना 5 राज्यों नामत: असम (100 गांव), बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु (225 गांव प्रत्येक) में कार्यान्वित की जा रही है।

अंतर-पूर्ति' घटक के कारण पूर्ण अनुमत केन्द्रीय सहायता राज्यों को निर्मुक्त कर दी गई है। निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए)
1	2	3
1.	असम	20.100
2.	बिहार	45.225
3.	हिमाचल प्रदेश	45.225
4.	राजस्थान	45.225
5.	तमिलनाडु	45.225
	कुल	201.000

इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को तीन वर्ष के भीतर प्राप्त किए जाने की उम्मीद है।

वन भूमि का अधिग्रहण

458

1545. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वन भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किसानों की वनों से लगी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जिसके परिणामत: देश के किसानों में अत्यधिक असंतोष है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कानून में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय की किसानों के कृषि योग्य भूमियों जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन है और जिनका निपटारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, के अधिग्रहण में कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

458-59

रक्षा प्रौद्योगिकी

1546. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिसाइल, मटैरियल्स, नौसेना, प्रणाली, एडवांस कम्प्यूटिंग, सिमुलेशन और लाइफ सांइसेस में कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सुपर पावर देशों की नौसेना प्रणाली, एडवांस कम्प्यूटिंग और मिसाइल के क्षेत्र के समतुल्य इस क्षेत्र में सुपर प्रौद्योगिकी हेतु कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने प्रणोदन, नेवीगेशन, नियंत्रण रक्षा निर्देश, विशेष सामग्रियों, सिमुलेशन तकनीक, बायो-डिफेंस रेडारों, सोनारों, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति प्रणालियों, प्रणोदक तथा विस्फोटकों, लेसर गाइरों, जीवन रक्षक प्रणालियों आदि जो मिसाइलों, सामग्रियों, नौसेना प्रणालियों शस्त्रास्त्रों, एयरों प्रणालियों, जीवन विज्ञान प्रणालियों, युद्धक वाहनों, आदि के विकास में अपेक्षित है; के क्षेत्र में बहुत-सी आधुनिक/नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है ताकि खतरे की अवधारणाओं तथा सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न हथियार प्रणालियों/प्लेटफार्मों में इनका इस्तेमाल किया जा सके।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन राष्ट्रीय खतरे की अवधारणा तथा हमारे शत्रुओं की योजनाओं और क्षमताओं से संबंधित ऊपर उल्लिखित सभी क्षेत्रों में नवीनतम/भावी प्रौद्योगिकी के विकास में सदैव कार्यरत रहा है। सुपर-पावर देशों की प्रौद्योगिकी क्षमताओं को हमारे विकास के संदर्भ में देखा जाता है।

[हिन्दी] 459-61

समुद्री अपरदन को रोकना

1547. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वैश्विक तापन के परिणामतः समुद्र/समुद्री तटों के अपरदन की दृष्टि से तटीय क्षेत्र ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अपरदन को रोकने के लिए कोई योजना शुरू की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) वैज्ञानिक अध्ययनों और संगत मूल्यांकनों से वैश्विक तापन और समुद्री स्तर के बढ़ने से संभाव्य प्रभावों के कारण तटरेखाओं और समुद्री तटों को होने वाले संभव खतरों की पुष्टि होती है। समुद्री स्तर के बढ़ने के मुख्य प्रभावों में तटीय अपरदन, ताजे जल मार्गों में खारे जल का प्रवेश, और समुद्र से बाढ़ की वृद्धि शामिल है।

(ख) भारत में तटीय क्षेत्रों की अतिसंवेदनशील स्थिति सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है। सरकार, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुकूलन कार्रवाईयों का समन्वयन करते समय क्षरण के विज्ञान-आधारित मूल्यांकनों के माध्यम से इस मुद्दे का निराकरण करने के लिए प्रयास कर रही है।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ किए गए भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क (आईएनसीसीए) ने "4x4 मूल्यांकन-2030 हेतु सेक्टोरल और क्षेत्रीय मूल्यांकन" के माध्यम से इस समस्या का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया। अन्य बातों के साथ-साथ, यह रिपोर्ट तापमान में अनुमानित वृद्धि के प्रभावों वृष्टिपात की पद्धति, चक्रवात, तूफानी लहरें और तटीय क्षेत्रों में समुद्री स्तर की बढ़ोत्तरी का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट के अनुसार तटीय पट्टी में वृष्टिपात का परिवर्तन 1970 के संबंध में 6-8% तक दर्शाया गया है। मौजूदा डाटा पर आधारित मूल्यांकन दर्शाते हैं कि भारतीय तट पर समुद्री स्तर लगभग 1.3 एमएम/वर्ष की औसत दर से बढ़ता जा रहा है।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने तटीय क्षेत्रों में मछुवारे लोक समुदायों की आजीविकाओं को सुरक्षित करने, पारिस्थितिकी का परिरक्षण करने और तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 में अधिसूचित की है।

इसके अलावा, सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से समुद्री स्तर बढ़ोत्तरी और अन्य मानदंडों जैसे तटरेखा परिवर्तन, ज्वार-भाटा और लहर को ध्यान में रखते हुए देश के तटीय क्षेत्रों के साथ खतरनाक रेखा की मैपिंग करने के लिए "एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना" संबंधी एक परियोजना प्रारंभ की है।

भारत सरकार, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना

(एनएपीसीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत् पर्यावास मिशन भी क्रियान्वित कर रही है जिसमें तटीय जोन के प्रबंधन हेतु गतिविधियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद

1548. **श्री खगेन दास : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के औद्योगिक विवादों, हड़तालों, तालाबंदियों का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान बढ़ रहे औद्योगिक विवादों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उद्योग, सरकार और कामगारों के बीच समन्वय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) देश में उद्योगों के सही ढंग से चलने के लिए और श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	हड़ताल	तालाबंदी	कुल
2008	240	181	421
2009 (अनंतिम)	205	186	391
2010 (अनंतिम)	261	168	429
2011 (अनंतिम)	189	84	273
2012 (अनंतिम) (जनवरी से सितम्बर तक)	164	18	182

कंपनी-वार औद्योगिक विवाद संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते। उपर्युक्त आंकड़े औद्योगिक विवादों में बढ़ोत्तरी का रुझान नहीं दर्शाते।

(ग) से (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 समुचित सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु हस्तक्षेप, मध्यस्थता और सुलह को सुकर बनाता है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सुलह अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप, मध्यस्थता करने और औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु कदम उठाते हैं। सुलह की अफसलता की प्राप्ति की स्थिति में, संबंधित समुचित सरकार विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित करने के बारे में अपना दृष्टिकोण अपनाती है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में, सरकार विवाद का समाधान करने के लिए समुचित स्तर पर हस्तक्षेप भी कर सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय हिंसामुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने और औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए हितधारकों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श भी करता है।

समुद्री विकास परियोजना

1549. **श्री एम.के. राघवन :**
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्रियान्वयन किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एनएमडीपी के अंतर्गत विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बेपुर और मंगलोर पत्तन सहित केरल और तमिलनाडु के किसी पत्तन को चिह्नित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में परियोजना-वार अपेक्षित निधि और उनके जारी करने सहित परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन सीधे या सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो निजी भागीदारों को चिह्नित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम (एनएमडीपी) सरकार द्वारा 2005-12 की अवधि के लिए महापत्तनों के विकास हेतु तैयार किया गया था। महापत्तन

क्षेत्र के लिए 275 परियोजनाएं निर्धारित की गईं थीं और नौवहन क्षेत्र के लिए 111 परियोजनाएं निर्धारित की गईं थीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, नवमंगलूर पत्तन में, एनएमडीपी के अंतर्गत 389.41 करोड़ रु. की लागत पर 5 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 394.85 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 03 परियोजनाएं चल रही हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। गैर-सरकारी भागीदारों का चुनाव प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से किया जाता है।

गरीब लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा

1550. **श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के अत्यंत गरीब और पददलित वर्गों को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर उत्थान करने की किसी योजना की परिकल्पना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड की 'मल' जाति इस मान्यता के लिए हकदार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) एक जाति आदि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्देशन संविधान के अनुच्छेद 341 प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस संबंध में अपनाए जाने वाले मानदंड अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा से होने वाला अत्यधिक सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन है। जून, 1999 में सरकार द्वारा अनुमोदित तौर तरीकों (जून, 2002 में यथा संशोधित) के अनुसार, अनुसूचित जातियों की सूची में किसी सुधार का प्रस्ताव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाना तथा इस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की सहमति होना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) झारखंड सरकार ने दिनांक 28.9.2012 के अपने पत्र के तहत मल (मल क्षेत्रीय) जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अनुमोदित तौर तरीकों के अनुसार उक्त प्रस्ताव को टिप्पणियों हेतु 15.10.2012 की आरजीआई के पास भेजा गया है।

प्लेसमेंट एजेंसियां

1551. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री हरीश चौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेईमान प्लेसमेंट एजेंसियों के भ्रामक विज्ञापनों को संज्ञान में लिया है जो देश में निर्दोष बेरोजगार युवाओं के शोषण में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार के द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं। फिर भी, शिकायतें, यदि कोई हों, तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा उनके द्वारा निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध संगत कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। उन बेइमान निजी प्लेसमेंट एजेंसियों, जो अनाचार और कपटपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हैं, के बारे में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती है।

तथापि, रोजगार चाहने वालों के हित की सुरक्षा के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने के लिए 30.10.2003 को दिशा-निर्देश जारी किए। निजी प्लेसमेंट एजेंसियों तथा विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों के ध्यानाकर्षण/भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। घरेलू कामगार प्रदान करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण हेतु भी राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने का परामर्श दिया गया है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करना

1552. **श्री उमाशंकर सिंह :**

श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया गया है या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भिन्न-भिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की मूल न्यूनतम दरों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आंतरायिक अवधि में न्यूनतम मजदूरी को मुद्रास्फीति से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने परिवर्ती महंगाई भत्ते (वीडीए) की प्रणाली अंगीकार की है जिसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी में औद्योगिक कामगारों के लिए औद्योगिक मूल्य सूचकांक में बढ़ोत्तरी के आधार पर संशोधन/बढ़ोत्तरी की जाती है। सामान्य तौर पर परिवर्ती महंगाई भत्ते को एक वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाघ रिजर्व

1553. **श्री के. जयप्रकाश हेगड़े :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को देश में 'कुद्रमुख नेशनल पार्क' को 'भद्र टाइगर रिजर्व' के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत कुद्रमुख नेशनल पार्क को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। वर्ष 2007 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार ने पहले ही भद्र बाघ रिजर्व को अधिसूचित कर दिया है।

हरित क्षेत्रों का संरक्षण

1554. **श्री महेश जोशी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से राज्य में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्रों के विस्तार के लिए 'हरित ऋण योजना' के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क का अवैध निर्यात

1555. **श्री अब्दुल रहमान :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लौह अयस्क के अवैध निर्यात के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अवैध रूप से निर्यातित लौह अयस्क की मूल्य-वार मात्रा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) यद्यपि विशेष रूप से लौह अयस्क के संबंध में गैर-कानूनी खनन की घटनाएं हुई हैं तथापि ऐसे कार्यकलापों के परिणामस्वरूप कथित रूप से निर्यातित अयस्क की मात्रा के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के

नियम 45 के अंतर्गत सरकार ने खनिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्ट, अंतिम प्रयोक्ताओं और निर्यातकों के लिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के साथ पंजीकृत होना और खनिजों के समुचित, सटीक लेखांकन हेतु समस्त सौदों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया है। समस्त लौह अयस्क खानों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली 29 मार्च, 2012 से शुरू हो गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खनिजों का लेन-देन केवल पंजीकृत व्यक्तियों के जरिए हो, राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे केवल आईबीएम में पंजीकृत व्यक्तियों को ही खनिजों के लेन-देन हेतु पारगमन पत्र जारी करें। इस प्रकार यह प्रणाली निर्यातों सहित खनिज सौदों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में पूर्णत: सक्षम है।

राज्य स्तर पर अधिक सख्त विनियामक तंत्र और कर्नाटक में उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू प्रतिबंधों के साथ गैर-कानूनी खनन के मुद्दे का प्रभावशाली ढंग से समाधान हो रहा है। वर्ष 2010-11 में 97.66 मिलियन टन निर्यात की तुलना में लौह अयस्क निर्यात वर्ष 2011-12 में गिरकर 61.74 मिलियन टन के स्तर पर आ गया है। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) में अनंतिम रूप से 14.44 मिलियन टन निर्यात होने का अनुमान है।

[हिन्दी] 467-68

बोकारो इस्पात संयंत्र

1556. श्री पूर्णमासी राम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की तारीख क्या है;

(ख) इस्पात संयंत्रों विशेषरूप से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण झारखंड में विस्थापित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) कितने लोगों को क्षतिपूर्ति तथा रोजगार दिया गया है तथा लंबित मामलों की संख्या क्या है;

(घ) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र का विचार अप्रयुक्त भूमि को उसके मूल भू-स्वामियों को लौटाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लौटाए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति क्या है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 29 जनवरी, 1964 को बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहीत की जाती है। पुनर्वास/क्षतिपूर्ति और विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अन्य मुद्दे संबंधित राज्य सरकार की भूमि एवं पुनर्वास नीतियों के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाते हैं।

वर्ष 1972 के दौरान बीएसएल की स्थापना के समय विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या 6019 थी। तथापि, परिवारों में विभाजन के कारण निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास ने विस्थापित परिवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी की और दिनांक 31.5.1988 की स्थिति के अनुसार विस्थापित परिवारों की संख्या 13309 थी। बीएसएल ने अभी तक 16000 से अधिक विस्थापित परिवारों को रोजगार प्रदान कर दिया है जो संयंत्र की स्थापना के समय विस्थापित परिवारों की संख्या से अधिक हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार विनियमित किया जा रहा है और जिसके तहत अन्य बातें समान होने पर रोजगार हेतु विस्थापित व्यक्तियों पर विचार करके उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का कोई भी मामला, जो अर्हता मानदंड को पूरा करता हो, लंबित नहीं है।

(घ) से (च) बोकारो स्टील प्लांट के पास किसी भी प्रकार की अधिशेष भूमि नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट को उपलब्ध भूमि का उपयोग वर्तमान प्लांट, टाउनशिप और संबंधित सुविधाओं सहित इसकी चल रही विस्तार परियोजनाओं में किया गया है और भावी विस्तार योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

[अनुवाद] 468-70

विशेष विद्यालयों में शिक्षकों को मानदेय में वृद्धि

1557. श्री पी.टी. थॉमस : क्या सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में ऐसे विद्यालयों को जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जी, हां।

(ख) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों सहित दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए मानदेय की बढ़ोत्तरी हेतु अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति 2 अगस्त, 2012 को गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 16.11.2012 को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) डीडीआरएस के अंतर्गत मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों के संबंध में निर्मुक्त अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डीडीआरएस के अंतर्गत मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों के एिल विशेष विद्यालयों के लिए निर्मुक्त अनुदानों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यय (लाख रुपए)		
		2010-11	2011-12	2012-13 (29.11.2012 के स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1195.06	1360.91	249.98
2.	असम	34.81	35.20	—
3.	बिहार	—	49.86	9.01
4.	छत्तीसगढ़	—	13.05	2.72
5.	दिल्ली	24.57	8.82	7.54
6.	गुजरात	81.74	10.06	3.72
7.	हरियाणा	63.52	47.55	25.04
8.	हिमाचल प्रदेश	05.07	6.72	1.00
9.	कर्नाटक	293.39	298.40	—
10.	केरल	722.48	784.07	74.31
11.	मध्य प्रदेश	61.89	120.12	11.85
12.	महाराष्ट्र	38.71	5.40	—
13.	मणिपुर	151.42	86.82	4.90
14.	मेघालय	13.80	7.16	—
15.	मिजोरम	31.18	14.83	—
16.	ओडिशा	160.31	217.76	0.73
17.	पंजाब	74.82	35.44	2.87
18.	राजस्थान	89.03	18.04	1.60
19.	तमिलनाडु	92.31	152.93	40.54
20.	त्रिपुरा	1.19	4.60	—
21.	उत्तर प्रदेश	128.35	176.31	40.38
22.	उत्तराखंड	47.06	24.02	2.49
23.	पश्चिम बंगाल	338.15	319.92	38.27
	कुल	3648.86	3797.99	516.95

[हिन्दी]

471-82

महाराष्ट्र में 4/6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

1558. **श्री दत्ता मेघे : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य से गुजरने वाले राजमार्गों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य में ऐसे राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जहां मरम्मत और चार लेन/छह लेन बनाए जाने का कार्य चल रहा है;

(ख) क्या इन कार्यों को निजी कंपनियों द्वारा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों/ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ये कंपनियां इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर वसूल करती रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रगति पर मरम्मत कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 4/6 लेन बनाने के कार्यों का ब्यौरा, टोल प्लाजाओं की अवस्थिति और पथकर संग्रहण शुरू करने की तारीख सहित निजी कंपनियों, जिन्होंने इन कार्यों को शुरू किया है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

महाराष्ट्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

रारा सं.	विवरण	लंबाई किमी.
1	2	3
3	मुंबई—आगरा	388
4	थाणे (मुंबई)—चेन्नै	409
4बी	पलासपे—जेएनपीटी	27
6	सूरत-कोलकाता	797
7	वाराणसी-कन्याकुमारी	270
8	दिल्ली-मुम्बई	121
9	पुणे—हैदराबाद	353
13	शोलापुर—मंगलौर	30
16	निजामाबाद—जगदलपुर	57
17	पनवेल—कोचीन	475
50	नासिक—पुणे	208
69	नागपुर—ओबेदुल्लागंज	59
204	कोल्हापुर—रत्नागिरी	126
211	धुले—शोलापुर	453
222	रारा-3 (निकट कल्याण)—अहमद नगर पाचेगांव (रारा-211) मालेगांव-परभनी-नादेंड़ से महाराष्ट्र सीमा तक	615
360	रारा-3 (छंदवाड़) से गुजरात राज्य में गंददेवी तक	66
	कुल लंबाई	4453 किमी.

विवरण-II

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे मरम्मत कार्य

क्र. सं.	श्रेणी	संख्या	लागत करोड़ रु.
1.	सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य	21	236.69
2.	आवधिक नवीकरण के अंतर्गत कार्य	7	45.69
	कुल	28	282.38

विवरण-III

महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयनाधीन 4/6 लेन परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	4/6 लेन	रियायतग्राही/ठेकेदार/पथकर संग्रहण एजेंसी का नाम	पथकर प्लाजा अवस्थिति	पथकर वसूली प्रारंभ होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	रारा-17 पर जरप से पतरा देवी किमी. 0/00 से 21/500	4	मै. एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्वर लि. नागपुर	कोई पथकर संग्रहीत नहीं किया जा रहा है।	—
2.	रारा-9 पर पुणे होडापसर सिटी लिमिट किमी. 8/800 से 14/00	4	मै. मनीशा कंस्ट्रक्शन खेड, महाराष्ट्र	कोई पथकर संग्रहीत नहीं किया जा रहा है।	—
3.	रारा-6 पर किमी. 5/500 से 8/00 तक 4 लेन बनाना	4	मै. पी.एम.ए. कंस्ट्रक्शन नागपुर, महाराष्ट्र	कोई पथकर संग्रहीत नहीं किया जा रहा है।	—
4.	रारा-3 पर वडापे — गोंडे (किमी. 539.50 — किमी. 440.00)	4	मै. मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे लि., मुंबई	(1) घोटी पर किमी. 455/485	29.05.2010
				(2) अर्जुनाली पर किमी. 532.690	02.09.2011
5.	रारा-3 पर पिंपलगांव — नासिक — गोंडे (किमी 380.000 से किमी. 440.000)	6	मै. पिंपलगांव नासिक गोंडे टोलवेज लि. नासिक	पिंपलगांव (बी), किमी. 390/450	02.10.2012
6.	रारा-3 पर धुले-पिंपलगांव (किमी. 265.00 — किमी. 380.00)	4	मै. इरकॉन — सोमा टोलवेज प्रा. लि. नई दिल्ली	(1) चंदवाड पर किमी. 356/690	25.10.2009
				(2) लेलिंग पर किमी. 268/600	15.04.52010
7.	रारा-3 का मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा — धुले खंड (किमी. 168/500 — किमी. 265/000)	4	मै. धुले पालेसनेर टोलवेज लि. मुंबई	(1) शिरपुर फाटा किमी. 203/400	11.02.2012
				(2) सोनगिर धुले (सरवाड़) किमी. 236/800	

1	2	3	4	5	6
8.	रारा-4 के पुणे – सतारा खंड के किमी. 725 से किमी. 865.350 तक डीबीएफओटी आधार पर 6 लेन का बनाना	6	मै. पीएस टोल रोड प्रा.लि.	(1) अनेवाड़ी टोल प्लाजा (2) खेडशिवापुर टोल प्लाजा	01.10.2010
9.	रारा-4 के पुणे – शोलापुर खंड के किमी. 40 से किमी. 144/400 तक डीबीएफओटी आधार पर 4 लेन का बनाना	4	मै. पुणे शोलापुर एक्सप्रेसवेज प्रा. लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–
10.	रारा-6 के नागपुर – कोंधली खंड के किमी. 9.200 से किमी. 50.000 तक को 4 लेन बनाना	4	मै. बालाजी टोलवेज प्रा.लि.	गोंडखैरी पर किमी. 20/400	22.09.2011
11.	रारा-6 के कोंधली से तालेगांव खंड के किमी. 50 से 100 को 4 लेन बनाना।	4	मै. ओरिएंटल पाथवेज प्रा.लि.	करंजा पर किमी. 76/130	24.04.2008
12.	रारा-6 के तालेगांव – अमरावती खंड के किमी. 100.000 से 166.725 को 4 लेन बनाना	4	मै. आईआरबी तालेगांव अमरावती टोलवेज प्रा.लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–
13.	रारा-6 के अमरावती बाइपास खंड का निर्माण	4	मै. इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन कं. उल्हासनगर (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पथकर संग्रहण)	(1) राहतगांव पर किमी. 151/100 (2) बडनेरा किमी. 166/100	15.02.2004
14.	रारा-6 का अमरावती – जलगांव जिला सीमा किमी. 166.725 से 441.000 खंड	4	मै. एल एंड टी ईस्ट वेस्ट टोलवेज लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–
15.	रारा-6 का जलगांव जिला सीमा से महाराष्ट्र/ गुजरात सीमा खंड	4	मै. एल एंड टी ईस्ट वेस्ट टोलवेज लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–
16.	रारा-6 के नागपुर – वैनगंग ापुल खंड को 4 लेन का बनाना	4	मै. वैनगंगा एक्सप्रेसवेज प्रा.लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–

1	2	3	4	5	6
17.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा से वैनगंगापुल तक को 4 लेन का बनाना	4	मै. अशोका हाइवेज (भंडारा) लि.	टोल प्लाजा किमी. 449.26 (निकट शेंदूर वाफा गांव)	21.10.2010
18.	रारा-7 के नागरपुर-हैदराबाद खंड एनएस-29 (महाराष्ट्र) बुल्टीबोरी आरओबी किमी. 22.865 से किमी. 24.650 तक	4	मै. जेएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	लागू नहीं होता।	–
19.	रारा-7 के नागपुर-हैदराबाद खंड एनएस-22 (महाराष्ट्र) बोरखेड़ी-जाम किमी. 36.600 से किमी. 64.000 तक	4	मै. जेएसआर-केसीएल (सं. उ.)	कोई पथकर संग्रहण प्रगति पर नहीं है।	–
20.	रारा-7 के किमी. 58/800 पर वगाधी नाला पर पुल का निर्माण	4	मै. बोर्ले बिल्डकॉन प्रा.लि. (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पथकर संग्रहण)	वगाधी पर किमी. 58/800 (वगाधी नाला पर पुल के लिए)	07.02.2002
21.	रारा-7 के नागपुर-हैदराबाद खंड एनएस-59 (महाराष्ट्र) जाम से वाडनेर किमी. 64.000 से 94.000 तक	4	मै. आईआरबी प्रा.लि.	कोई पथकर संग्रहण प्रगति पर नहीं है।	–
22.	एनएस-59-ए (महाराष्ट्र) – हिंगनघाट आरओबी	4	मै. के. वेंकट राजू इंजीनियर्स एंड कांट्रैक्टर्स	लागू नहीं होता।	–
23.	रारा-7 के नागपुर – हैदराबाद खंड के एनएस-60 (महाराष्ट्र) वाडनेर से देवधारी किमी. 94.000 से किमी. 123.000 तक	4	मै. रोमन टारमेट लि.	कोई पथकर संग्रहण प्रगति पर नहीं है।	–
24.	रारा-7 के एनएस-61 देवधारी से केलापुर किमी. 123.00 से 153.00 तक	4	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रा.लि. (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पथकर संग्रहण)	केलापुर पर किमी. 150/00	30.04.2012

1	2	3	4	5	6
25.	रारा-7 के नागपुर – हैदराबाद खंड के एनएस-62 (महाराष्ट्र) केलापुर से पिंपलखुट्टी किमी. 153.000 से किमी. 175.000 तक	4	मै. प्रसाद-एमकेएस कंस्ट्रो (सं.उ.)	कोई पथकर संग्रहण प्रगति पर नहीं है।	–
26.	एनएस-62-ए (महाराष्ट्र) – पिंपलखुट्टी आरओबी	4	मै. के. वेंकट राजू इंजीनियर्स एंड कांट्रैक्टर्स	लागू नहीं होता।	–
27.	नागपुर-हैदराबाद खंड के किमी. 14.000 से किमी. 36.600 सहित रारा-7 के मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा – नागपुर खंड के कांपटी – कांहन और नागपुर बाइपास के किमी. 689.000 किमी. 723.000 तक को 4 लेन का बनाना।	4	मै. ओरिएंटल नागपुर बाइपास प्रा.लि.	(1) नागपुर बाइपास के किमी. 2.00 पर चेक टोल प्लाजा	11.07.2012
				(2) कांपटी – कांहन बाइपास के किमी. 2.00 पर चेक टोल प्लाजा	
				(3) मानसर टोल प्लाजा पर किमी. 690.600	
				(4) बोरखेड़ी टोल प्लाजा पर किमी. 35.600	10.11.2012
28.	महाराष्ट्र में नागपुर – सावनेर-पंडुरना – बेतुल किमी. 3.000 से किमी. 59.300 तक और मध्य प्रदेश में किमी. 137.000 से किमी. 257.000 तक को 4 लेन का बनाना।	4	मै. ओरिएंटल नागपुर बेतुल हाइवे प्रा.लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–
29.	पनवेल में इंदापुर किमी. 0.000 से किमी. 84.000 तक को 4 लेन का बनाना।	4	मै. सुप्रीम पनवेल इंदापुर टोलवे प्रा.लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–
30.	महाराष्ट्र राज्य में रारा-4बी के किमी. 5.000 से किमी. 26.987 तक और किमी. 0.000	4	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपर्स प्रा.लि.	(1) किमी. 13.050 (चिर्ले टोल प्लाजा)	11.08.2005

1	2	3	4	5	6
	से किमी. 4.440 तक और रारा-4 के किमी. 106.000 से किमी. 109.500 तक के लिए जेएनपीटी पैकेज-I		(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पथकर संग्रहण)	(2) किमी. 23.250 (करंजडे टोल प्लाजा)	11.08.2005
31.	महाराष्ट्र राज्य में पनवेल क्रीक पर नए 6 लेन के पुल के निर्माण सहित राज्यीय राजमार्ग-54 के किमी. 6/400 से 14/550 तक और अमरा मार्ग के किमी. 0/000 से 6/202 तक में चौड़ीकरण/सुधार के लिए जेएनपीटी पैकेज-II	4	मै. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि. (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पथकर संग्रहण)	किमी. 9/100 (टोल प्लाजा निकट दास्तान गांव)	25.11.2010
32.	पुणे – शोलापुर के किमी. 144.000 से 249.000 तक (पैकेज-II) को 4 लेन का बनाना।	4	मै. पुणे शोलापुर रोड डेवलपमेंट कं. लि.	पथकर संग्रहण अभी शुरू किया जाना है।	–

[अनुवाद]

काली सूची में डाले गए एनजीओ की सूची

1519. **श्री शिवकुमार उदासी :**
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसूचना ब्यूरो (आईबी), केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) और ईडी के परामर्श से काली सूची में डाले गए एनजीओ की कोई सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के समन्वय से संदेहास्पद एनजीओ के धन प्रेषण की निगरानी के लिए विभिन्न आसूचना एजेंसियों के अधिकारियों को लेकर एक उप-समूह का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) आसूचना ब्यूरो (आईबी), केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के परामर्श से मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाले गए ऐसे किसी गैर-सरकारी संगठन की सूची तैयार नहीं की गई है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ऐसे किसी उप-समूह का गठन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनएच-65 को पुनः बनाना

1560. **श्री राम सिंह कस्वां :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों को संज्ञान में लिया है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और जिन पर वाहन नहीं चलाया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गोथायन और लाडनु के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को पुनः बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 का हरियाणा की सीमा से सालासर तक मरम्मत करने और वहां एक बाइपास ओर रेल उपरि पुल बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। इसके लिए, चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 (अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 1539.20 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाले 157 प्रस्ताव तथा अनुरक्षण और मरम्मत के अंतर्गत 708.14 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाले 190 प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान, 7.81 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 36.50 किमी. की कुल लंबाई के लिए रारा-65 के गोथायन और लाडनू खंड के चयनित खंडों में आवधिक नवीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए थे। इनमें से, 34.70 किमी. पर कार्य पूरा हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, 8.24 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 23.00 किमी. की कुल लंबाई के लिए रारा-65 के उपरोक्त खंड में आवधिक नवीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। ये सभी कार्य मार्च, 2013 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(ङ) और (च) चुरू-रतन नगर और राजगढ़ पर बाइपासों तथा चुरू, दुधवा खाड़ा और राजगढ़ में रेल उपरि पुलों के निर्माण सहित रारा-65 का हरियाणा सीमा से सालासर खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। चयनित निविदाकर्ताओं को कार्य सौंपने का पत्र जारी कर दिया गया है। परियोजना को निर्धारित तारीख से 2½ वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

ईएसआई अस्पतालों को सौंपना

1561. श्री सुरेश कलमाडी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में ईएसआई योजना के सभी कार्यों सहित 14 कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों और सभी सेवा औषधालयों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कब तक उक्त प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से कर्मचारी राज्य बीमा योजना को ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की शर्तों और निबंधनों के अनुसार नहीं था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) को ग्रहण करने संबंधी अंतिम निर्णय समझौता ज्ञापन (एमओयू) और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत कर्मचारियों के संविलयन की शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप देने के उपरांत ही लिया जा सकता है।

बाल और बंधुआ मजदूरी

1562. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिन्हित बाल श्रमिकों बौर बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में बचाए और पुनर्वास किए गए बाल और बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बाल और बंधुआ श्रम की प्रथा के विरुद्ध कोई प्रचार और विशेष अभियान शुरू किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में बाल और बंधुआ श्रम का उन्मूलन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) एनएसएसओ सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार कामकाजी बच्चों और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत पहचान किए गए, छुड़ाए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) बंधुआ मजदूरों से संबंधित मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय ने जन हित मुकदमेंबाजी के रूप में लिया है और उच्चतम न्यायालय आवधिक आधार पर ताजा सर्वेक्षण करने और समय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सतर्कता समिति की रचना, बंधुआ मजदूरों का पता लगाने हेतु स्थानीय निकायों से सहयोग तथा पुनर्वास पैकेज को बढ़ाने आदि जैसे बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबंध के उचित कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक निवेश देता रहा है। सरकार इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निदेशों को कार्यान्वित कर रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से छुड़ाए गए, पुनर्वासित किए गए और मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) से (छ) सरकार बाल श्रम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रबल बहुसूत्री कार्यनीति अपना रही है। इसमें सांविधिक और विधायी उपाय, मुक्ति और पुनर्वास, सामाजिक संरक्षा के साथ ही साथ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में पटाखा उद्योग में जोखिमकारी कारखानों सहित 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में किसी बच्चे को नियोजित करता है जिसमें बच्चों का नियोजन बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है, वह कारावास अथवा जुर्माने से दंडित किए जाने का भागी है। सरकार बाल श्रम परियोजना स्कीम को भी 1988 से कार्यान्वित करती आ रही है। यह योजना प्रथम दृष्टांत में जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान संकेंद्रण सहित क्रमिक अप्रोच अंगीकार करने का प्रयास करती है। परियोजना के अंतर्गत, कार्य से छुड़ाए गए/हटा लिए गए बच्चे विशेष विद्यालयों में नामांकित किए जाते हैं, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाए जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय केन्द्र में और जिलास्तर पर इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम की बुराइयों के विरुद्ध जागरुकता सृजन अभियान और बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित अभियान चलाता है। जहां तक बंधुआ श्रमिकों का संबंध है, मंत्रालय बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 कार्यान्वित कर रहा है। अधिनियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को बंधित श्रम पद्धति के अंतर्गत अथवा उसके अनुसरण में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है और न ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बंधित श्रम अथवा अन्य रूप का बलात श्रम करने को बाध्य कर सकता है। जब कभी बंधित श्रम का पता चलता है, ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास हेतु पहचान की जाती है। सरकार 1978 से बंधुआ श्रम पुनर्वास योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/- रुपये की दर से पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है जो केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है।

विवरण-I

एनएसएस 66वें दौर (2009-10) के दौरान रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण पर आधारित बाल श्रमिकों से संबंधित आंकड़े

क्र. सं.	अखिल भारत मुख्य राज्य	आयु समूह 5-14			
		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	88156	110191	20767	15548
2.	असम	144655	31909	11833	757
3.	बिहार	224292	38665	11017	2548
4.	छत्तीसगढ़	3669	7321	636	0
5.	दिल्ली	—	—	18576	0
6.	गुजरात	150487	207973	15945	16282
7.	हरियाणा	22664	17471	28073	3988
8.	हिमाचल प्रदेश	2300	2942	2156	0

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	11274	16872	1139	0
10.	झारखंड	63684	14661	4123	0
11.	कर्नाटक	89796	113429	20793	2479
12.	केरल	1182	0	0	1583
13.	मध्य प्रदेश	91454	32812	57688	9063
14.	महाराष्ट्र	66370	127996	54230	12077
15.	ओडिशा	54390	38288	36522	5363
16.	पंजाब	16802	6433	15664	9937
17.	राजस्थान	93055	261871	43184	7826
18.	तमिलनाडु	0	13880	3471	0
19.	उत्तराखंड	14810	7239	3219	2103
20.	उत्तर प्रदेश	1012294	546320	147820	68899
21.	पश्चिम बंगाल	357265	134657	31946	27716
	अखिल भारत	2511101	1727271	546897	198602

31.03.2012 तक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत पता लगाए गए, छुड़ाए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या

राज्य का नाम	बंधुआ श्रमिकों की संख्या		
	पता लगाए गए और छुड़ाए गए	पुनर्वासित किए गए	प्रदान की गई केंद्रीय सहायता (लाख रुपये)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	38,141	31,687	865.30
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2,992	568.48
बिहार	15,395	14,577	548.98
छत्तीसगढ़	812	812	81.20
गुजरात	64	64	1.01
हरियाणा	594	92	5.23
झारखंड	196	196	19.60
कर्नाटक	63,510	57,258	1,585.48
केरल	823	710	15.56
मध्य प्रदेश	13,317	12,392	169.90

1	2	3	4
महाराष्ट्र	1,404	1,325	10.10
ओडिशा	50,413	47,285	941.73
पंजाब	88	88	8.80
राजस्थान	7,513	6,356	74.92
तमिलनाडु	65,573	65,573	1,661.944
उत्तर प्रदेश	32,437	32,437	994.63
उत्तराखंड	5	5	0.50
पश्चिम बंगाल	344	344	27.26
कुल	2,94,155*	2,74,193	7,580.62

*19962 बंधुआ श्रमिक पुनर्वास हेतु उपलब्ध नहीं हैं या तो वे दिवंगत हो गए हैं अथवा अपना पता छोड़े वगैर स्थान छोड़कर चले गए।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से छुड़ाए गए, पुनर्वासित किए गए और मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	मुख्य धारा में लाए गए बच्चों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 सितम्बर 2012 तक
1	2	3	4	5	6
1.	असम	3,685	274	227	10,749
2.	आंध्र प्रदेश	13,689	1,858	13,202	6,949
3.	बिहार	7,998	8,552	19,673	968
4.	छत्तीसगढ़	1,063	5,164	4,914	2,004
5.	गुजरात	1,437	2,129	609	494
6.	हरियाणा	1,354	1,293	1,895	1,722
7.	जम्मू और कश्मीर	कोई नहीं	43	184	132
8.	झारखंड	1,816	1,015	2,216	1,989
9.	कर्नाटक	3,217	135	3,761	722
10.	महाराष्ट्र	5,150	5,113	4,532	2,335

1	2	3	4	5	6
11.	मध्य प्रदेश	9,692	13,344	17,589	4,700
12.	ओडिशा	10,585	14,416	13,196	10,209
13.	पंजाब	1,023	123	168	0
14.	राजस्थान	12,326	4,415	1,020	0
15.	तमिलनाडु	6,321	6,325	5,127	3,405
16.	उत्तर प्रदेश	40,297	28,243	29,947	3,021
17.	पश्चिम बंगाल	13,187	2,215	7,456	3,117
	कुल	1,32,840	9,4657	125,716	53,416

493-96

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में नि:शक्तों को रोजगार

1563. श्री घनश्याम अनुरागी :
कुमारी मौसम नूर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शारीरिक रूप से नि:शक्त बेरोजगार युवाओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा शारीरिक रूप से नि:शक्त लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर किसी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन व्यक्तियों को किस प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ के नि:शक्तों के अधिकार संबंधी कनवेंशन के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जनगणना, 2001 के अनुसार, देश में बेरोजगार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 15-59 आयु समूह में 60,54,299 है। तथापि, शारीरिक रूप से विकलांग बेरोजगार युवाओं के संबंध में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु 01.04.2008 से एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार निजी क्षेत्र में 01.04.2008 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के लिए जिनका मासिक वेतन 25,000 रुपए तक हैं के लिए तीन वर्षों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, 505 (30.06.2012 तक) और 954 (31.07.2012 तक) विकलांग व्यक्तियों को क्रमश: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर कर लिया गया है।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदानों के साथ-साथ विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) मौजूदा विधानों और योजनाओं की समीक्षा, अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप उनको लाने के लिए की जाती है।

विवरण

प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदानों के साथ-साथ विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्य

(करोड़ रुपए)

	यंत्र/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप)		दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)		नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना (सिप्डा)	
	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय
2009-10	79.00	67.35	76.00	61.56	20.00	10.84
2010-11	100.00	69.68	120.00	82.26	100.00	50.41
2011-12	100.00	75.99	120.00	86.28	100.00	34.90

[अनुवाद] 495-96

राष्ट्रीय राजमार्ग 8ङ और 8घ को चौड़ा बनाना

1564. श्री हरिन पाठक :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग 8ङ को छह लेन का बनाए जाने को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 8घ के जेतपुर-सोमनाथ खंड को चार लेन में बदलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस राजमार्ग पर वाहनों के भारी यातायात को देखते हुए इसे चार लेन का बनाया जाना पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निकट भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 8घ को छह लेन का बनाए जाने की कोई योजना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) रारा-8ई की 492 किमी. लंबाई में से 22 किमी. को 4 लेन का बनाए जाने की जैतपुर-सोमनाथ परियोजना के अंतर्गत 4 लेन का बनाए जाने के लिए अनुमोदित कर दिया है। शेष लंबाई अर्थात् गडु के द्वारका (210 किमी.) और भावनगर से वेरावल (260 किमी.) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत क्रमश: पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन चौड़ीकरण और 4 लेन का बनाए जाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) रारा-8डी के जैतपुर-सोमनाथ खंड का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है जो कि रारा-8डी के विकास में वर्तमान यातायात अनुमानों के अनुसार पर्याप्त है।

[हिन्दी] 496-502

सीमा सड़क संगठन का कार्य-निष्पादन

1565. श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माण/सुधार हेतु सीमा सड़कों का पता लगाने के लिए मार्गनिदेश क्या है;

(ख) सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी सड़कों का निर्माण/सुधार किया;

(ग) उक्त अवधि में इन परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई/उपयोग में लाई गई;

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की तुलना में इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा किए जाने हेतु नियत समय-सारिणी क्या है तथा इस बारे में बीआरओ ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सीमा सड़कों की पहचान, सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसी विभिन्न एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर और सामरिक पहलुओं, आवश्यकताओं और देश के सामरिक सीमा क्षेत्रों के संचार संपर्क की दृष्टि से सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ख) विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) दीर्घकालिक संदर्शी योजना (एलटीपीपी)-I के तहत 119 सड़कों और एलटीपीपी-II के तहत 258 सड़कों की पहचान की गई है। सीमाओं तक जाने वाली इन सड़कों का वर्ष 2022 तक निर्माण/सुधार किए जाने का कार्यक्रम है। 73 सड़कों की सामरिक सीमा सड़कों के रूप में पहचान की गई हैं जिनमें से 17 सड़कों को पूरा किया जा चुका है, 37 सड़कों को 2013 तक तथा शेष 19 को 2016 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। सीमा सड़क संगठन ने सामरिक परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

- वन तथा वन्य जीवन निपटान परियोजनाओं में तेजी लाना।
- सामरिक सड़कों के लिए उपस्कर के विशिष्ट रिजर्व सृजित करने के लिए 2010-11 में 100 करोड़ रुपए हेतु उपस्कर बैंक की स्वीकृति।
- वर्ष के प्रारंभ में बजट में सुनिश्चित निधि का प्रावधान करना।
- वाहन/उपस्कर/संयंत्रों की अधिप्राप्ति के लिए निधियों का अभिवर्धित आबंटन।
- अभिवर्धित वायु प्रयासों की उपलब्धता।
- सामरिक सड़क निर्माण पर बल देने के लिए अधिक यूनिटों (परियोजना तथा कार्य बलों) को शामिल करना।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत और उपयोग में लाई गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	संस्वीकृत और उपयोग में लाई गई राशि (करोड़ रु.)							
	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	संस्वीकृत	उपयोग में लाई गई	संस्वीकृत	उपयोग में लाई गई	संस्वीकृत	उपयोग में लाई गई	संस्वीकृत	उपयोग में लाई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू और कश्मीर (लद्दाख क्षेत्र सहित)	1207.36	1139.07	1405.10	1422.90	1372.29	992.73	1150.21	544.81
उत्तराखंड	420.25	396.62	528.69	430.35	407.84	264.82	349.41	90.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	401.18	397.31	566.06	532.33	427.98	202.04	366.33	135.80
सिक्किम और पश्चिम बंगाल	182.80	176.23	209.72	195.02	210.96	147.96	190.90	45.92
अरुणाचल प्रदेश	592.48	562.38	699.46	429.67	574.69	394.09	764.47	155.90
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश (एनएच-16)	149.40	118.00	52.40	49.70	6.37	3.12	00	00
राजस्थान और पंजाब	237.84	235.24	252.81	214.21	232.86	143.17	191.55	99.35
असम	99.29	98.79	142.18	128.73	268.87	198.08	284.75	129.35
नागालैंड	99.31	77.10	114.89	100.29	101.03	86.67	121.85	55.36
मणिपुर	188.19	199.54	209.99	184.25	195.98	159.06	119.28	38.13
त्रिपुरा और मेघालय	124.23	117.44	155.97	117.41	242.48	110.99	216.73	38.78
मिजोरम	88.88	83.87	95.10	83.96	191.03	72.39	78.67	19.67
कुल	3791.21	3601.58	4432.36	3888.82	4232.38	2775.12	3834.14	1354.02

विवरण-II

सीमा सड़क संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में निर्मित राज्य-वार सड़कें

राज्य का नाम	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)		
	निर्माणाधीन सड़कों की सख्या	पूरी की गई विरचना (कि.मी.)	पूरी की गई ऊपरी सतह (कि.मी.)	निर्माणाधीन सड़कों की सख्या	पूरी की गई विरचना (कि.मी.)	पूरी की गई ऊपरी सतह (कि.मी.)	निर्माणाधीन सड़कों की सख्या	पूरी की गई विरचना (कि.मी.)	पूरी की गई ऊपरी सतह (कि.मी.)	निर्माणाधीन सड़कों की सख्या	पूरी की गई विरचना (कि.मी.)	पूरी की गई ऊपरी सतह (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र	63	531.58	912.96	64	685.80	640.24	62	808.34	630.38	99	304.78	473.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तराखंड	8	138.8	256.75	9	195.3	165.40	10	193.50	128.95	13	97.04	45.18
हिमाचल प्रदेश	9	125.56	128.63	10	76.57	142.90	10	75.02	95.28	9	71.66	58.70
सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	11	69.81	43.18	10	86.00	40.01	10	63.03	46.20	16	30.55	24.25
अरुणाचल प्रदेश	57	128.93	425.58	55	149.41	428.47	58	337.74	461.53	43	67.87	110.44
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश	1	17.68	133.75	1	1.52	44.00	0	0.28	4.50	0	0	0
राजस्थान और पंजाब	27	205.00	705.75	30	209.3	707.63	28	181.08	561.11	13	81.73	447.69
असम	6	183.28	70.00	6	150.04	78.00	5	177.98	92.11	16	94.54	77.1
नागालैंड	6	89.09	100.16	5	133.12	63.32	5	47.00	59.34	5	55.60	44.66
मणिपुर	6	40.2	100.17	6	38.155	63.33	5	72.83	45.76	5	25.54	23.03
त्रिपुरा और मेघालय	5	25.07	107.53	4	21.67	69.42	3	11.47	39.44	5	2.11	13.17
मिजोरम	9	40.02	190.64	8	38.155	69.27	7	87.38	162.32	9	10.52	12.21
कुल	208	1595.02	3175.10	208	1785.04	2511.99	203	2055.65	2327.12	233	831.43	1330.38

केन्द्रीय सड़क निधि

1566. **श्री रमेश बैस :**
श्री निशिकांत दुबे :
श्री राजू शेट्टी
श्री सज्जन वर्मा :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री समीर भुजबल :
श्री हरि मांझी :
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के तहत राज्य-वार प्राप्त और जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां आबंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) उक्त अवधि में मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए/अनुमोदित किए गए;

(ग) सीआरएफ के तहत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में अनुमोदित सड़कों/किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इन सड़कों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है और उक्त अवधि में उक्त स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों ने कितनी राशि का उपयोग किया;

(घ) उक्त अवधि में अस्वीकृत किए गए/लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सभी लंबित प्रस्ताव कब तक पूरे हो जाने की संभावना है;

(ङ) उक्त अवधि में योजना के तहत निधियों के आबंटन के बारे में प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या राज्य सरकारें उनके लाभार्थ सड़क परियोजनाएं पूरी करने और उक्त योजना के तहत अधिक राशि जारी करने के बारे में लागतार मांग करती रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को निधियों का वितरण 30 प्रतिशत ईंधन खपत के आधार पर और 70 प्रतिशत राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां राज्यों को उनसे प्राप्त होने वाले उपभोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर जारी की जाती हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत उपार्जित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों सहित केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) निधियों के आवंटन में कोई विलंब नहीं हुआ है। केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की सूची को निधियों की समग्र उपलब्धता तथा कार्यों के अध्यधीन केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़क) नियमावली, 2007 के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। तथापि, अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं की कुल लागत वर्ष, जिसमें योजनाएं किसी राज्य के संबंध में संस्वीकृत की जाती हैं, मैं कभी भी सामान्यत: वार्षिक उपार्जन के दोगुना से अधिक नहीं होगी।

विवरण-I

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान उपार्जित निधियों और केंद्रीय सड़क निधि में से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (तक 31.10.12)	
		उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी	उपार्जन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	148.91	175.05	170.33	172.20	191.06	187.65	196.09	32.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.38	18.44	35.42	35.72	40.42	55.36	41.49	0.00
3.	असम	35.05	32.87	38.91	45.47	44.42	33.53	46.02	17.06
4.	बिहार	46.28	50.49	53.61	48.30	62.00	20.17	64.61	20.72
5.	छत्तीसगढ़	58.43	22.19	66.39	64.99	74.97	46.31	77.30	0.00
6.	गोवा	5.87	2.82	6.19	17.02	6.60	0.00	6.57	1.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	107.48	0.00	119.81	208.03	135.00	132.58	139.42	0.00
8.	हरियाणा	47.55	18.16	55.36	50.57	66.17	64.99	67.56	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	24.81	12.06	27.48	17.44	31.22	26.04	32.19	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	86.81	86.81	96.97	97.79	110.59	108.61	113.58	0.00
11.	झारखंड	39.44	32.64	44.13	40.88	50.56	16.28	52.14	0.00
12.	कर्नाटक	105.84	120.30	118.45	96.01	133.67	131.28	138.29	0.00
13.	केरल	36.54	49.27	40.26	80.49	45.29	0.00	46.47	7.75
14.	मध्य प्रदेश	133.63	45.76	152.33	281.58	173.02	233.87	179.55	0.00
15.	महाराष्ट्र	174.92	72.97	199.75	256.82	225.57	0.00	234.63	39.11
16.	मणिपुर	8.90	2.20	10.07	5.28	11.43	5.84	11.56	5.95
17.	मेघालय	10.40	3.04	11.81	16.76	13.41	16.50	13.83	0.00
18.	मिजोरम	8.20	6.73	9.29	3.10	10.55	6.90	10.88	0.00
19.	नागालैंड	6.61	4.63	7.35	2.17	8.57	11.53	8.84	0.00
20.	ओडिशा	70.56	70.56	79.74	91.50	91.46	110.47	94.53	0.00
21.	पंजाब	48.69	68.69	50.71	80.35	57.82	105.32	57.36	31.86
22.	राजस्थान	158.91	158.91	117.30	178.79	201.16	196.92	207.43	56.69
23.	सिक्किम	2.99	3.41	3.48	2.48	3.96	4.05	4.08	0.00
24.	तमिलनाडु	93.98	54.89	109.16	203.01	123.78	160.10	128.77	21.46
25.	त्रिपुरा	4.62	5.27	5.22	7.95	5.94	9.81	6.12	0.00
26.	उत्तराखंड	25.74	8.01	28.84	34.49	33.19	0.00	34.01	34.01
27.	उत्तर प्रदेश	140.65	161.07	157.93	189.87	180.28	177.06	184.76	184.76
28.	पश्चिम बंगाल	53.02	53.02	59.23	67.51	66.62	63.33	68.92	34.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.50	1.21	3.94	2.18	4.47	1.32	4.61	0.00
30. चंडीगढ़	3.75	3.19	4.23	0.00	4.81	1.57	4.95	0.00
31. दादरा और नगर हवेली	1.75	0.32	1.98	0.00	2.25	0.00	2.32	0.00
32. दमन और दीव	1.33	0.00	1.50	0.00	1.70	0.00	1.75	0.00
33. दिल्ली	51.78	0.00	58.40	58.40	66.32	0.00	68.39	0.00
34. लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.15	0.00	0.16	0.00	0.17	0.00
35. पुदुचेरी	8.11	0.00	9.15	3.14	10.39	0.00	10.72	1.79

विवरण-II

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान प्राप्त और केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (तक 31.10.12)	
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	373	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	0	0	10	10	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	8	3
4.	बिहार	0	0	0	0	7	7	0	0
5.	छत्तीसगढ़	23	3	9	7	27	0	0	0
6.	गोवा	0	0	1	1	0	0	3	0
7.	गुजरात	58	12	42	36	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हरियाणा	15	15	1	1	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	5	5	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	8	8	11	11	0	0	0	0
11.	झारखंड	1	1	1	1	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	6	6	14	14	0	0	17	0
13.	केरल	9	9	17	16	108	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	60	60	62	62	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	46	46	57	57	388	0	0	0
16.	मणिपुर	3	3	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	8	8	0	0	0	0	1	1
18.	मिजोरम	7	7	0	0	1	1	0	0
19.	नागालैंड	0	0	1	1	0	0	1	0
20.	ओडिशा	10	3	18	8	11	0	0	0
21.	पंजाब	15	11	10	10	0	0	0	0
22.	राजस्थान	72	65	100	32	0	0	3	0
23.	सिक्किम	6	4	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	107	16	60	17	75	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	1	1	1	1	0	0
26.	उत्तराखंड	0	0	11	11	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	18	18	25	25	16	16	22	0
28.	पश्चिम बंगाल	11	5	0	0	3	0	3	2
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	0	0	2	2	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	14	14	0	0	1	1	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	5	5	0	0	0	0	0	0

[अनुवाद]

511-22

वन भूमि का अन्य उपयोग

1567. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :**
श्री निशिकांत दुबे :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास कार्यों के लिए वन भूमि के डाइवर्जन हेतु सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य-वार सरकार को ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) उक्त अवधि में कितने प्रस्ताव अनुमोदित/अस्वीकृत किए गए और लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) विकासात्मक उद्देश्यों सहित गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

(ख) और (ग) वर्ष 2010, 2011 और 2012 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित/अस्वीकृत और विचाराधीन परियोजनाओं के ब्यौरे सहित केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं:—

100 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्तावों में विस्तृत स्थल निरीक्षण अपेक्षित है। प्राप्त प्रस्ताव प्रायः सभी दृष्टि से पूर्ण नहीं होते हैं और केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों से और अधिक ब्यौरे/दस्तावेज मंगाने पड़ते हैं। ये प्रस्तावों के लंबित होने के मुख्य कारण हैं।

(घ) वन भूमि के अपवर्तन हेतु प्रस्तावों पर पर्यावरण और वन मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है और तत्पश्चात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित वन सलाहकार समिति द्वारा उस पर विचार किया जाता है। यह मंत्रालय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निर्णय लेता है। मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रस्तावों में शामिल 100 हैक्टेयर अथवा इससे अधिक वन भूमि का भी विस्तार से निरीक्षण किया जाता है। मंत्रालय, सभी दृष्टि से पूर्ण परियोजनाओं की प्राप्ति होने पर वन स्वीकृति हेतु परियोजनाओं पर विचार करने के लिए तुरंत कार्रवाई करता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	भारत सरकार के विचाराधीन	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित	बंद/निरस्त/वापस की गई/वापस ली गई	प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 2010			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	2	1	—	4
2.	आंध्र प्रदेश	25	2	6	1	34
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	2	3	—	19
4.	बिहार	12	1	1	—	14
5.	चंडीगढ़	—	—	1	2	3
6.	छत्तीसगढ़	17	—	2	1	20
7.	दादरा और नगर हवेली	1	—	2	—	3
8.	दिल्ली	2	—	1	—	3
9.	गोवा	3	—	2	—	5
10.	गुजरात	75	1	12	—	88
11.	हरियाणा	236	10	45	—	291
12.	हिमाचल प्रदेश	144	4	44	4	196
13.	झारखंड	38	3	15	—	56
14.	कर्नाटक	22	2	4	9	37
15.	केरल	2	—	1	1	4
16.	मध्य प्रदेश	28	1	14	3	46
17.	महाराष्ट्र	37	2	9	2	50

1	2	3	4	5	6	7
18.	मणिपुर	4	—	4	—	8
19.	मेघालय	2	—	—	—	2
20.	मिजोरम	1	—	1	—	2
21.	ओडिशा	19	1	2	2	24
22.	पंजाब	254	9	67	5	335
23.	राजस्थान	22	—	5	4	31
24.	सिक्किम	21	—	—	—	21
25.	तमिलनाडु	10	—	1	2	13
26.	त्रिपुरा	6	—	5	—	11
27.	उत्तर प्रदेश	143	5	6	7	161
28.	उत्तराखंड	242	3	4	84	333
29.	पश्चिम बंगाल	9	—	—	2	11
	कुल	1390	48	258	129	1825

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	भारत सरकार के विचाराधीन	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित	बंद/निरस्त/वापस की गई/वापस ली गई	प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
			वर्ष 2011			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	—	—	—	3
2.	आंध्र प्रदेश	24	6	10	5	45
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	2	5	—	20

1	2	3	4	5	6	7
4.	असम	2	—	2	—	4
5.	बिहार	26	7	8	1	42
6.	चंडीगढ़	4	—	1	—	5
7.	छत्तीसगढ़	7	7	9	2	25
8.	दादरा और नगर हवेली	7	3	1	—	11
9.	दिल्ली	1	—	—	—	1
10.	गोवा	—	—	—	1	1
11.	गुजरात	83	20	31	—	134
12.	हरियाणा	295	17	97	1	410
13.	हिमाचल प्रदेश	84	7	64	3	158
14.	झारखंड	8	3	4	2	17
15.	कर्नाटक	14	11	4	6	35
16.	केरल	4	1	3	—	8
17.	मध्य प्रदेश	32	9	26	3	70
18.	महाराष्ट्र	57	4	14	2	77
19.	मणिपुर	—	2	—	—	2
20.	मिजोरम	1	1	—	—	2
21.	ओडिशा	16	4	3	—	23
22.	पंजाब	253	10	119	—	382
23.	राजस्थान	14	2	5	3	24
24.	सिक्किम	9	1	—	—	10
25.	तमिलनाडु	7	1	1	—	9
26.	त्रिपुरा	1	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7
27.	उत्तर प्रदेश	114	6	11	6	137
28.	उत्तराखंड	94	5	8	101	208
29.	पश्चिम बंगाल	4	—	—	—	4
	कुल	1177	129	426	136	1868

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	भारत सरकार के विचाराधीन	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित	बंद/निरस्त/वापस की गई/वापस ली गई	प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ष 2012					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	1	—	4
2.	आंध्र प्रदेश	7	8	10	1	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	4	5	—	9
4.	असम	—	—	1	—	1
5.	बिहार	7	3	9	—	19
6.	छत्तीसगढ़	3	14	1	—	18
7.	दादरा और नगर हवेली	—	1	2	—	3
8.	गुजरात	17	42	5	—	64
9.	हरियाणा	46	21	15	—	102
10.	हिमाचल प्रदेश	20	24	30	—	74
11.	झारखंड	14	5	7	—	26
12.	कर्नाटक	7	4	9	—	20

1	2	3	4	5	6	7
13.	केरल	—	—	2	—	2
14.	मध्य प्रदेश	2	18	10	—	30
15.	महाराष्ट्र	13	22	3	—	38
16.	मणिपुर	—	—	1	—	1
17.	मेघालय	—	1	—	—	1
18.	मिजोरम	—	2	1	—	3
19.	ओडिशा	2	7	—	—	9
20.	पंजाब	16	23	14	—	53
21.	राजस्थान	3	4	2	—	9
22.	तमिलनाडु	3	4	—	—	7
23.	त्रिपुरा	8	15	9	—	32
24.	उत्तर प्रदेश	2	3	7	6	18
25.	पश्चिम बंगाल	1	1	—	—	2
	कुल	193	227	144	6	570

521-23

क्षेत्रीय समुचित आर्थिक भागीदारी

1568. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री के. सुधाकरन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व का सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक अर्थात् क्षेत्रीय समुचित आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) जिसमें आशियान राष्ट्रों के साथ-साथ तीन बड़े विनिर्माण महारथियों नामत: चीन, जापान और कोरिया शामिल होगा, गठित करने हेतु बातचीत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और भारतीयों के लिए सदस्य देशों में रोजगार सृजन सहित इससे अन्य क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं;

(ग) इस उपक्रम में शामिल होने वाले अन्य देशों के ब्यौरे क्या हैं और भारत औपचारिक रूप से इसमें कब तक शामिल हो सकता है;

(घ) क्या सरकार का इस समूह में शामिल होते समय आयात शुल्क को कम करने जैसे अन्य उपाय भी करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया में घरेलू कंपनियों के हितो की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) भारत ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित आसियान के सदस्य देशों के साथ विस्तृत आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) हेतु वार्ताएं करने का निर्णय लिया है।

(ख) सातवें पूर्वी एशिया शिखरवार्ता के दौरान दिनांक 20 नवम्बर, 2012 को कम्बोडिया के नोम पेन्ह में आरसीईपी का औपचारिक शुभारम्भ किया गया। आरसीईपी वार्ताओं के पूरा होने के बाद ही इससे होने वाले लाभ स्पष्ट होंगे।

(ग) सभी दस आसियान सदस्य देश और आसियान मुक्त व्यापार करार भागीदार अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ने वार्ताओं में भाग लेने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) ऐसे समूह के सृजन हेतु वार्ताओं का उद्देश्य वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश तथा परस्पर सहमत अन्य क्षेत्रों के बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। ऐसी वार्ताओं में घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा करने का हमारा सदैव प्रयास रहा है। 523-24

राज्यीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जाना

1569. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यीय राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों की कुल कितनी लंबाई है;

(ख) क्या सरकार का सभी जिलों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए राज्यीय राजमार्गों के चार लेन का बनाने हेतु एक व्यापक योजना शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या समय-सीमा नियत की है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार इस कार्य में निजी निवेश पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास हेतु एक विशेष पैकेज देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय सड़कों का विकास और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों को सौपा गया है।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यीय राजमार्गों और अन्य लोक निर्माण विभाग सड़कों की कुल लंबाई क्रमशः 1,63,898 किमी. और 10,05,327 किमी. है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास जाति, संप्रदाय और धर्म को ध्यान में रखे बिना किया जाता है। तथापि, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान आदिवासी उप-योजना के अधीन 500 करोड़ रु. के बजट परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 524-46

निधियों का उपयोग नहीं किया जाना

1570. श्री रुद्रमाधव राय :
श्री भक्त चरण दास :
श्री मुरारी लाल सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में कितने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य-वार सरकार से सहायता मिल रही है;

(ख) विगत तीन वर्षों में इन एनजीओ को छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संगठनों द्वारा किए गए कार्यों पर निगरानी करने और उसकी समीक्षा करने तथा उनके द्वारा धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) गैर-सरकारी संगठनों

की संख्या का और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें आवंटित राशियों का राज्य-वार, योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियों का सही उपयोग निम्नलिखित तरीकों से सुनिश्चित करता है:–

(i) वर्ष के दौरान एनजीओ को नया/अनुवर्ती अनुदान पिछले स्वीकृत अनुदान जो देय बन गए हैं के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्त पर ही जारी किया जाता है।

(ii) योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों में उनके दौरों के दौरान की जाती है।

(iii) मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों के उचित उपयोग की जांच करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है।

(iv) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का मॉनीटर करने की आशा की जाती है।

(v) किसी एनजीओ द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन सिद्ध होने पर मंत्रालय एनजीओ को वर्जित करने की कार्रवाई शुरू करता है।

Madamji

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और योजना-वार वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों की संख्या

(i) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17	114.71	18	163.1	14	123.50
2.	बिहार	1	6.32	0	0	0	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0.00
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0.00
5.	गुजरात	16	39.75	8	13.18	16	81.83
6.	हरियाणा	4	17.34	3	17.62	4	34.11
7.	हिमाचल प्रदेश	1	3.14	1	12.84	2	6.53
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	25.71	1	11.00
9.	झारखंड	0	0	0	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	16	150.6	26	359.99	21	251.30
11.	केरल	1	1.37	1	2.04	1	2.86
12.	मध्य प्रदेश	4	31.15	20	126.75	21	69.04
13.	महाराष्ट्र	20	194.08	43	560.1	35	315.85
14.	ओडिशा	22	155.59	28	392.61	21	240.88
15.	पंजाब	0	0	0	0	0	0.00
16.	राजस्थान	16	100.19	41	300.81	14	101.31
17.	तमिलनाडु	0	0	1	7.79	0	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	14	107.09	34	401.5	22	183.21
19.	उत्तराखंड	1	5.16	4	18.19	4	36.35
20.	पश्चिम बंगाल	5	63.66	6	93.98	6	76.81
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0.00
22.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0.00
24.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0.00
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8	80.68	25	334.02	22	329.37
26.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.00
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0.00
29.	असम	3	18.68	10	66.79	6	28.15
30.	मणिपुर	6	33.28	9	43.16	8	41.59
31.	मेघालय	0	0	0	0	0	0.00
32.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0.00
34.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0.00
35.	त्रिपुरा	0	0	1	3.11	1	1.71
	कुल योग	155	1122.8	280	2943.3	219	1935.40

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां
1.	असम	1	0.01	5	0.11	5	0.12
2.	बिहार	—	—	1	0.01	—	—
3.	गुजरात	3	0.08	2	0.05	2	0.02
4.	हरियाणा	1	0.02	3	0.11	1	0.05
5.	मध्य प्रदेश	2	0.02	6	0.20	—	—
6.	महाराष्ट्र	16	0.44	11	0.27	11	0.27
7.	मणिपुर	—	—	15	0.38	17	0.46
8.	ओडिशा	1	0.05	4	0.08	2	0.04
9.	राजस्थान	9	0.22	—	0.05	—	—
10.	उत्तराखंड	—	—	1	0.07	—	—
11.	उत्तर प्रदेश	5	0.12	5	0.10	—	—
12.	पश्चिम बंगाल	—	—	1	—	1	0.04
13.	दिल्ली	—	—	6	0.21	1	0.02
	कुल	38	0.96	60	1.65	40	1.02

(iii) वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	125	454.26	79	423.82	92	478.74
2.	बिहार	1	4.88	2	1.73	1	2.44
3.	छत्तीसगढ़	2	5.08	3	7.76	2	9.03
4.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.	हरियाणा	22	74.40	13	56.73	11	50.73
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	1	9.51	2	4.99
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	झारखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	कर्नाटक	48	213.10	35	233.40	37	237.03
11.	केरल	0	0.00	2	21.07	2	6.90
12.	मध्य प्रदेश	5	13.20	3	7.25	2	14.79
13.	महाराष्ट्र	17	47.07	26	99.05	21	133.32
14.	ओडिशा	96	330.19	44	355.50	41	356.90
15.	पंजाब	8	17.47	6	15.87	8	31.62
16.	राजस्थान	6	16.66	5	14.89	3	8.89
17.	तमिलनाडु	68	260.32	47	263.80	45	242.14
18.	उत्तर प्रदेश	31	87.09	19	118.68	13	39.29
19.	उत्तराखंड	0	0.00	2	12.01	2	5.87
20.	पश्चिम बंगाल	57	205.04	26	142.82	22	141.43

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	लक्षद्वीप	3	17.88	3	25.29	3	18.76
27.	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	1	1.49	0	0.00
29.	असम	29	94.58	15	102.32	13	77.48
30.	मणिपुर	36	118.74	24	140.73	24	121.67
31.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32.	मिजोरम	2	1.29	0	0.00	1	6.18
33.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	त्रिपुरा	3	10.85	3	13.75	3	10.81
	कुल	559	1972.10	359	2067.47	348	1999.01

(iv) मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9	76.82	13	133.63	15	156.80

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	5	47.19	9	105.37	12	150.10
3.	छत्तीसगढ़	2	12.66	2	7.80	2	35.61
4.	गोवा	1	8.89	1	7.50	1	10.46
5.	गुजरात	2	37.21	1	22.66	2	55.45
6.	हरियाणा	7	90.76	7	98.34	7	92.26
7.	हिमाचल प्रदेश	3	14.19	1	4.35	2	37.36
8.	जम्मू और कश्मीर	1	8.89	0	0.00	1	20.00
9.	झारखंड	0	0	1	1.40	2	4.90
10.	कर्नाटक	20	274.67	21	246.50	23	270.28
11.	केरल	18	176.44	19	190.73	19	164.10
12.	मध्य प्रदेश	7	66.28	5	38.60	15	143.72
13.	महाराष्ट्र	37	327	41	398.35	38	401.86
14.	ओडिशा	20	233.74	21	226.18	24	260.54
15.	पंजाब	8	53.4	10	283.12	14	151.04
16.	राजस्थान	6	64.32	9	124.65	7	103.79
17.	तमिलनाडु	21	279	23	253.12	26	234.55
18.	उत्तर प्रदेश	9	61	21	188.85	24	264.77
19.	उत्तराखंड	3	31.26	3	43.38	3	30.16
20.	पश्चिम बंगाल	7	65.09	5	62.42	9	160.75
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0	0.00
22.	चंडीगढ़	1	0.77	0	0.00	0	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0.00	0	0.00
24.	दिल्ली	6	60.55	6	80.91	8	140.43

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	दमन और दीव	0	0	0	0.00	0	0.00
26.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0	0.00
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0.00	0	0.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	1	9.32	1	9.78	1	9.95
29.	असम	3	25.07	4	33.55	15	128.86
30.	मणिपुर	18	172.39	18	238.76	19	250.45
31.	मेघालय	2	6.35	1	11.25	2	20.06
32.	मिजोरम	4	43.77	6	65.75	8	145.79
33.	नागालैंड	3	21.94	5	48.97	5	74.99
34.	त्रिपुरा	0	0	0	0.00	0	0.00
35.	सिक्किम	1	9.95	1	4.98	1	14.92
	कुल	225	2278.92	255	2930.90	305	3533.95

(v) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	43.00	—	—	1	126.00
2.	बिहार	3	16.99	2	41.00	5	77.25
3.	छत्तीसगढ़	1	7.50	—	—	—	—
4.	गोवा	—	—	—	—	1	3.00
5.	गुजरात	4	49.45	3	101.70	3	103.80
6.	हरियाणा	2	5.00	3	14.00	2	8.50

1.	2	3	4	5	6	7	8
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	1	4.00	—	—
9.	झारखंड	—	—	1	17.00	—	—
10.	कर्नाटक	1	6.00	1	21.00	1	31.00
11.	केरल	—	—	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2	3.00	1	6.71	—	—
13.	महाराष्ट्र	8	111.25	9	179.34	6	115.75
14.	ओडिशा	5	100.75	5	198.79	5	124.00
15.	पंजाब	2	5.50	2	8.33	3	21.88
16.	राजस्थान	1	331.83	2	309.00	2	302.00
17.	तमिलनाडु	3	58.09	2	98.00	4	94.36
18.	उत्तर प्रदेश	14	156.65	11	333.01	12	280.67
19.	उत्तराखंड	1	3.75	3	14.00	4	23.00
20.	पश्चिम बंगाल	2	21.55	4	46.36	2	23.33
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
22.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
23.	दादरा और नगर हवेली	—	—	1	3.00	1	3.00
24.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	91.10	2	19.00	2	16.65
26.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
27.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—
28.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	असम	7	317.50	8	337.48	10	180.25
30.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
31.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
32.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
33.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
34.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
35.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
	कुल	*59	1328.91	*58	1751.72	*63	1534.44

*कुछ गैर-सरकारी संगठन एक से अधिक राज्य में कार्यरत हैं।

(vi) दीन दयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12	
		एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां	एनजीओ की संख्या	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	80	15.87	94	20.64	117	25.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.07	1	0.03	1	0.10
3.	असम	12	0.87	15	1.85	22	1.74
4.	बिहार	7	0.45	7	1.01	19	1.38
5.	चंडीगढ़	1	0.10	0	0.00	1	0.00
6.	छत्तीसगढ़	6	0.32	4	0.20	9	0.55
7.	दिल्ली	17	1.70	13	2.50	2	1.89
8.	गोवा	2	0.18	1	0.14	2	0.00
9.	गुजरात	8	0.57	8	0.51	15	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हरियाणा	9	0.78	11	1.08	20	1.59
11.	हिमाचल प्रदेश	2	0.18	5	0.52	5	0.38
12.	जम्मू और कश्मीर	2	0.07	3	0.22	4	0.16
13.	झारखंड	1	0.12	2	0.24	2	0.00
14.	कर्नाटक	44	8.57	58	10.58	75	11.47
15.	केरल	38	3.87	49	7.90	60	10.06
16.	मध्य प्रदेश	16	1.00	20	1.76	28	1.59
17.	महाराष्ट्र	14	1.51	19	2.18	21	2.29
18.	मणिपुर	13	1.30	14	3.06	15	1.91
19.	मेघालय	4	0.26	5	0.74	5	0.64
20.	मिजोरम	1	0.07	2	0.40	2	0.22
21.	ओडिशा	32	4.49	35	5.91	41	6.05
22.	पंजाब	4	0.35	12	1.30	15	0.97
23.	राजस्थान	17	1.69	21	1.79	25	1.44
24.	तमिलनाडु	32	3.66	40	4.21	62	4.05
25.	त्रिपुरा	2	0.21	2	0.06	2	0.11
26.	उत्तर प्रदेश	45	7.19	46	6.12	68	5.97
27.	उत्तराखंड	5	0.54	11	1.33	10	0.64
28.	पश्चिम बंगाल	29	5.43	31	5.92	49	5.44
29.	पुदुचेरी	1	0.13	1	0.07	1	0.12
30.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—
32.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
34.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—
35.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
	कुल	445	61.55	530	82.27	698	86.27

पूर्व सैनिकों की शिकायतें

1571. श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री पी. लिंगम :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व-सैनिकों की एक पद एक पेंशन, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य मांगों को ध्यान में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व-सैनिकों की शिकायतों के समाधान हेतु कोई राशि नियत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रक्षा कार्मिकों के वेतन तथा पेंशन संबंधी शिकायतों की जांच करने हेतु फिर एक समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के विचाराधीन विषय क्या-क्या हैं; और

(च) उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर सकती है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों और उनकी एसोसिएशनों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के वेतन एवं पेंशन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में जुलाई, 2012 में एक समिति का गठन किया। समिति ने पेंशन संबंधी मामलों पर दिनांक 17.08.2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) से संबंधित हैं जिसमें पेंशन में अंतर को कम करना, परिवार पेंशन में वृद्धि, दोहरी परिवार पेंशन और सशस्त्र सेना के कार्मिकों के मानसिक/शारीरिक रूप से अशक्त पुत्र/पुत्री का विवाह होने पर परिवार पेंशन शामिल हैं। उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वियन से प्रतिवर्ष 2300 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा जिससे 13 लाख पेंशनभोगियों को लाभ प्राप्त होगा। 2300 करोड़ रुपए की उपर्युक्त राशि को बजटीय आबंटन में से ही पूरा किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रैसवे

1572. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रैसवे प्रचालक डीएस कंस्ट्रक्शन पथकर सड़क विवाद पर न्यायालय से बाहर समझौते के बारे में सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं/समझौता हुआ है;

(ग) क्या उक्त समझौते के अनुरूप लिए गए निर्णय पर कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रियायतग्राहियों और उदारदाताओं के बीच माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.9.2012 को सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और सहमति ज्ञापन का संगत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) से (ङ) रियायतग्राही को, सहमति ज्ञापन में उल्लिखित निर्णयों को अभी क्रियान्वित करना है जबकि उसने पक्का वादा किया था कि जनसाधारण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्य विभिन्न उपायों के अतिरिक्त जनवरी, 2013 तक सड़कों को चिन्हित करने और सड़क संकेत लगाने सहित राजमार्गों के अतिरिक्त कार्यों को अपने खर्चें पर निष्पादित करेगा और उन्हें पूरा करेगा, जैसा कि विवरण में भी उल्लिखित है। रियायतग्राही द्वारा यथाशीघ्र कार्यान्वियन के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस मामले को देख रहा है।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रियायतग्राहियों और उधारदाताओं के बीच सहमति ज्ञापन

सहमति ज्ञापन के मुख्य बिन्दु निम्नलिखितानुसार हैं:–

(i) पहले स्थानीय यातायात के लिए रियायत प्राप्त करने हेतु रोज के आने जाने वाले लोग (रुटीन प्लायर्स) प्रति माह 60 फेरे लगाने के लिए ई-टैग लेने हेतु एकमुश्त 1500 रु. की राशि का भुगतान करते थे। अब यदि वे ई-टैग की लागत का भुगतान किए बिना महीने में मात्र 40 फेरे ही लगाते हैं तो भी उन आने-जाने वालों (रूटीन प्लायर्स) को यह रियायत प्राप्त है। संशोधित योजना 15 दिनों के भीतर क्रियान्वित होनी है। स्थानीय वाहन चालक व्यक्तिगत वाहन के लिए 50 प्रतिशत, और वाणिज्यिक वाहन के लिए 33 प्रतिशत रियायत प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थानीय यातायात के लिए मासिक पास की लागत 1/3 कम हो जाएगी। इस प्रकार अधिक से अधिक यात्रियों (रूटीन प्लायर्स) को मासिक पास लेने और रियायत प्राप्त करने की सुविधा होगी जिससे पथकर प्लाजाओं पर नकदी लेन-देन कम होने से जाम कम करने में सहायता मिलेगी।

(ii) चार महीनों के भीतर न्यूनतम लागत पर सस्ती स्पर्श – कार्ड तकनीक भी शुरू की जाएगी ताकि पथकर चुंगियों पर नकदी लेन-देन कम किया जा सके।

(iii) पथकर प्लाजाओं पर जाम कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से, 24 किमी. पर अतिरिक्त 11 लेन और 42 किमी. पर अतिरिक्त 4 लेनों की व्यवस्था की जाएगी। शीघ्र निपटान के लिए हस्त-चालित उपकरणों का भी प्रयोग किया जाएगा।

(iv) यातायात के सुरक्षित और सुचारू आवागमन के लिए परियोजना राजमार्ग पर प्रवेश/निकास स्थानों पर संशोधन किए जाएंगे।

(v) यातायात प्रबंधन में सुधार लाने के लिए निगरानी और सुरक्षा हेतु समस्त परियोजना राजमार्ग पर सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिसके साथ सभी कैमरा चित्रों को देखने के लिए वीडियो दीवार से सुसज्जित नियंत्रण कक्ष होगा।

(vi) आईडीएफसी और 4 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, 367 करोड़ रु. के ऋण को कम करते हुए परियोजना के 1203 करोड़ रु. के ऋण के लिए, वरिष्ठ उधारदाताओं के रूप में मान्यता दी गई है अर्थात् 367 करोड़ रु. रियायतग्राही द्वारा वरिष्ठ उधारदाताओं को वापस कर दिए जाएंगे। ऐसा जुलाई, 2009 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले अनुमत पुनर्वित्तपोषण के क्रम में किया जाएगा।

(vii) यदि रियायतग्राही सहमति ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई नहीं करता तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह कारण बताओं नोटिस देने के बाद रियायत करार को समाप्त कर दे।

[अनुवाद]

548-49

मानव जीवन पर ई-कचरे का प्रभाव

1573. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई-कचरे की बढ़ती मात्रा से देश में पर्यावरण और मानव जीवन को भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में मानव जीवन पर ई-कचरे के खतरनाक प्रभावों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) ई-अपशिष्ट अपने घटकों में विषैले संघटक अंतर्विष्ट किए जाने के लिए जाने जाते हैं, जिनका यदि उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाए, तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन और हथालन हेतु ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 1 मई, 2012 से लागू हुए हैं। ये नियम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले छः खतरनाक पदार्थों के लिए न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करते हैं। निर्माताओं से इन नियमों के लागू होने की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के भीतर निर्धारित सीमा तक खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कटौती प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

इन नियमों में विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) की अवधारणा को प्रतिष्ठापित किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत शामिल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं से वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक रूप से एकत्रण केन्द्रों की स्थापना करते हुए अथवा टेक बैक सिस्टम के माध्यम से अपने उत्पादों की समाप्ति की तिथि से सृजित ई-अपशिष्ट एकत्रित करना अपेक्षित है।

ई-अपशिष्ट को पंजीकृत अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्त्ता अथवा पुनः संस्करणकर्त्ता को भेजा जाना अथवा बेचा जाना अपेक्षित होगा जिनके पास पर्यावरणीय रूप से उत्तम सुविधाएं हों। ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रण केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) से प्राधिकृत और पंजीकृत सुविधाओं में ही किया जा सकता है।

दिनांक 1 मई, 2012 से नियमों के प्रभावी होने के पश्चात् 77 ई-अपशिष्ट विखंडन/पुनर्चक्रण सुविधाओं को विभिन्न एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा पंजीकरण की मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

550-52

निर्यात में कमी

1574. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अर्जुनराम मेघवाल :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री आनंदराव अडसुल :
प्रो. सौगत राय :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में निर्यात में काफी कमी आई है जिसके कारण व्यापार घाटे में बढ़ोत्तरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन ने भी चालू वर्ष के लिए वैश्विक व्यापार हेतु अपने अनुमान को संशोधित करके कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार व्यापार संवर्धन हेतु चलाई जा रही योजनाओं की आवधिक समीक्षा करती है और यदि हां, तो यह समीक्षा किस स्तर पर की गई है और सरकार द्वारा व्यापार में तेजी लाने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का किसी वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करने अथवा निर्यात में तेजी लाने हेतु कोई नई योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दर कम करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने घाटे को कम करने और देश के निर्यात में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान निर्यात की वृद्धि और व्यापार घाटे में मिश्रित रूझान रहा है। निर्यात और व्यापार घाटे का विवरण निम्नानुसार हैं:–

(अमेरिकी डॉलर बिलियन)

वर्ष	निर्यात	निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि (वर्ष-वार आधार पर)	व्यापार घाटा	व्यापार घाटे में प्रतिशत वृद्धि (वर्ष-वार आधार पर)
2009-10	178.8	-3.5	-109.6	-7.4
2010-11	251.1	40.5	-118.7	8.2
2011-12	306.0	21.8	-183.3	54.6
2012-13 (अप्रैल-अक्तूबर)	166.9@	-6.2	-110.2@	3.2

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कोलकाता

@अनंतिम वाई-ओ-वाई: वर्ष-वार आधार पर।

यूरोप में वैश्विक आर्थिक संकट, सार्वभौमिक ऋण संकट और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी ने हमारे निर्यात को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। आयात योग्य मदों की उच्च कीमतों और बढ़ी हुई मांग दोनों की वजह से आयात भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम, उर्वरकों, सोने, खाद्य तेल आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बढ़ रही है। उनकी मांग भी बढ़ गई है। इनसे आयातों का मूल्य उच्चतर हो गया हैं। परिणामस्वरूप, उपरोक्त उक्त अवधि में व्यापार घाटा बढ़ गया है।

(ख) सितम्बर, 2012 की प्रैस विज्ञप्ति में, डब्ल्यूटीओ ने विश्व व्यापार में 2012 के लिए 3.7 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत की गिरावट और 2013 के लिए 5.6 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार, अधोगामी संशोधन वैश्विक उत्पादन में मंदी और जारी यूरोपीय सार्वभौमिक संकट के कारण हुआ है जिससे कि इस क्षेत्र के विकास के प्रति विश्व व्यापार अति संवेदनशील हो गया है।

(ग) सरकार, महानिदेशक, विदेश व्यापार के स्तर पर नियमित अंतरालों पर निर्यात क्षेत्र के निष्पादन की पुनरीक्षा करती हैं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जब अपेक्षित हों, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उपचारात्मक उपाय करती है। विदेश व्यापार नीति की स्कीमों जैसे फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम और विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन स्कीमों का विवरण डीजीएफटी की वेबसाइट *www.dgft.gov.in* पर उपलब्ध है।

(घ) निर्यात निष्पादन और स्कीमों की पुनरीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) और (च) वाणिज्य विभाग के अनुरोध पर सरकार ने कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दिया है। अन्य कदम विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट के हिस्से के रूप में 5 जून, 2012 को घोषित उपाय/प्रोत्साहन के रूप में शामिल हैं।

राष्ट्रीय निवेश बोर्ड

1575. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री अजय कुमार :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विनिर्माण क्षेत्र की समग्र स्थिति की आवधिक समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय निवेश बोर्ड (एनआईबी)/विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड (एमआईपीबी) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन बोर्डों की स्थापना हेतु शीघ्र अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने झारखंड सहित अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवेश संवर्धन हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में कोई विशेष प्रावधान किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के इन क्षेत्रों में विनिर्माण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विनिर्माण उद्योग में एफडीआई को अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्योग में निवेश का अद्यतन प्रतिशत क्या है;

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय निवेश बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है। सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों से 1 जून, 2012 को एक विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड।

(ग) और (घ) सामान्यत: नीति में दिए गए प्रस्ताव क्षेत्र तटस्थ तथा स्थान तटस्थ हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित किसी भी क्षेत्र के लिए इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। जहां राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) महत्वपूर्ण साधन हैं, वहीं नीति में निहित प्रस्ताव संपूर्ण देश में विनिर्माण उद्योगों पर लागू हैं जिसमें ऐसी स्थितियां भी शामिल हैं जिनमें कहीं भी उद्योगों द्वारा खुद को समूहों (क्लस्टर) में व्यवस्थित कर स्व-विनियमन का मॉडल अपनाया जाता है। यह नीति राज्यों के साथ भागीदारी से औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। राज्य सरकारों को नीति में उपलब्ध कराए गए साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनआईएमजेड के लिए प्रस्ताव करना राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है।

(ङ) और (च) मौजूदा एफडीआई नीति दिनांक 10 अप्रैल, 2011 के '2012 का परिपत्र-1 — समेकित एफडीआई नीति' में दी गई है जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक पहुंच हेतु उपलब्ध है। उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6.2 के अनुसार, परिपत्र के पैरा 6 में दी गई मदों की सूची को छोड़कर (एफडीआई पर क्षेत्र-विशिष्ट शर्तें) विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। अध्याय 6 के तहत दी गई मदों के लिए एफडीआई की सीमाएं परिपत्र के निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित की गई हैं:—

क्र. सं.	पैराग्राफ	क्षेत्र/कार्यकलाप
1	2	3
1.	6.1 (ज)	तंबाकू अथवा तंबाकू विकल्पों से बनी सिगार, चेरूट, सिगारिलो तथा सिगरेटें
2.	6.2.5	सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों (एमएसई) में उत्पादन हेतु आरक्षित मदों का विनिर्माण
3.	6.2.6	रक्षा उद्योग (रक्षा संबंधी मदों के विनिर्माण सहित)

[अनुवाद]

पृथक विदेश सेवाएं

1576. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का अपनी स्वयं की विदेश सेवा गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह प्रस्ताव विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इन प्रत्येक मंत्रालयों ने इस पर क्या आपत्तियां उठाई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन मिशनों की पहचान कर ली है जहां विशेष व्यापार अधिकारी नियुक्त करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

555-59

वन आच्छादित क्षेत्र

1577. श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री महाबल मिश्रा :
श्री देवजी एम. पटेल :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में वन क्षेत्र के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में वन संरक्षण हेतु राज्य-वार प्रदत्त और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां। 'भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011' (आईएसएफआर, 2011) नाम से नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 07 फरवरी, 2012 को जारी की गई थी।

(ख) भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011 की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

- देश का वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र 78.29 मिलियन हैक्टेयर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 23.81% है। इसमें 2.76% वृक्षावरण क्षेत्र शासित है।
- देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र से 4000 मीटर की ऊंचाई से परे 183135 वर्ग किमी. क्षेत्र निकालने के बाद वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र 25.22% है चूंकि ये क्षेत्र वृक्ष वृद्धि में सहायक नहीं हैं।
- देश के पहाड़ी और जन-जातीय जिलों में वनावरण में पिछले आकलन की तुलना में वृक्ष क्षेत्र में क्रमश: 548 वर्ग किमी. और 679 वर्ग किमी. की कमी होने की सूचना है।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्य, देश के वन क्षेत्र का एक-चौथाई हैं। पिछले आकलन की तुलना में वनावरण क्षेत्र में 549 वर्ग किमी. की निवल कमी हुई है।
- इसी अवधि के दौरान मैन्ग्रोव क्षेत्र 23.34 वर्ग किमी. बढ़ा है।
- भारत के वनों और वनों के बाहर के वृक्षों का कुल बढ़ रहा भंडार 6047.15 मिलियन वन मीटर आकलित किया गया है जिसमें वनों के भीतर का 4498.73 मिलियन घन मीटर और वनों के बाहर का 1548.42 मिलियन घन मीटर शामिल है।
- देश में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 13.96 मिलियन हैक्टेयर आंका गया है।
- देश के वनों में कुल कार्बन भंडार 6663 मिलियन टन आंका गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वर्ष 1987 से देश के वनावरण क्षेत्र का वैज्ञानिक पद्धति से द्विवार्षिक आधार पर आवधिक आकलन करता रहा है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011 का अद्यतन संस्करण वन आच्छादित क्षेत्र के मानचित्रण के बारहवें चक्र से संबंधित है। आईएसएफआर-2011 के अनुसार, वन आच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है और 692,027 वर्ग किलोमीटर है।

वन आच्छादित क्षेत्र के श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में वनों के संरक्षण हेतु वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण (आईएफएसएस), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआईएम) के अंतर्गत जारी की गई निधियों और किए गए व्यय के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-II, III और IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 के अनुसार भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वनावरण क्षेत्र

(क्षेत्र वर्ग किमी.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	वर्ष 2011 में वनावरण क्षेत्र				एसएफआर 09 से वास्तविक परिवर्तन*
		अत्यधिक घने वन	मध्यम घने वन	खुले वन	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	275069	850	26242	19297	46389	-281
अरुणाचल प्रदेश	83743	20868	31519	15023	67410	-74
असम	78438	1444	11404	14825	27673	-19
बिहार	94163	231	3280	3334	6845	41
छत्तीसगढ़	135191	4163	34911	16600	55674	-4
दिल्ली	1483	7	49	120	176	0
गोवा	3702	543	585	1091	2219	7
गुजरात	196022	376	5231	9012	14619	-1
हरियाणा	44212	27	457	1124	1608	14
हिमाचल प्रदेश	55673	3224	6381	5074	14679	11
जम्मू और कश्मीर	222236	4140	8760	9639	22539	2
झारखंड	79714	2590	9917	10470	22977	83
कर्नाटक	191791	1777	20179	14238	36194	4
केरल	38863	1442	9394	6464	17300	-24
मध्य प्रदेश	308245	6640	34986	36074	77700	0
महाराष्ट्र	307713	8736	20815	21095	50646	-4

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	22327	730	6151	10209	17090	-190
मेघालय	22429	433	9775	7067	17275	-46
मिजोरम	21081	134	6086	12897	19117	-66
नागालैंड	16579	1293	4931	7094	13318	-146
ओडिशा	155707	7060	21366	20477	48903	48
पंजाब	50362	0	736	1028	1764	100
राजस्थान	342239	72	4448	11567	16087	51
सिक्किम	7096	500	2161	698	3359	0
तमिलनाडु	130058	2948	10321	10356	23625	74
त्रिपुरा	10486	109	4686	3182	7977	-8
उत्तर प्रदेश	240928	1626	4559	8153	14338	-3
उत्तराखंड	53483	4762	14167	5567	24496	1
पश्चिम बंगाल	88752	2984	4646	5365	12995	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8249	3761	2416	547	6724	62
चंडीगढ़	114	1	10	6	17	0
दादरा और नगर हवेली	491	0	114	97	211	0
दमन और दीव	112	0	0.62	5.53	6	0
लक्षद्वीप	32	0	17.18	9.88	27	1
पुदुचेरी	480	0	35.37	14.69	50	0
कुल योग	3287263	83471	320736	287820	692027	-367

*उपरोक्त तालिका में परिवर्तन व्याख्यात्मक परिवर्तनों को शामिल करने के बाद वर्ष 2009 के आकलन की तुलना में क्षेत्र में हुए परिवर्तन को दर्शाता है।

विवरण-II

देश में वनों के संरक्षण के लिए वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण के अंतर्गत राज्य-वार प्रदत्त और व्यय की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10 जारी	2010-11 जारी	2011-12 जारी	2012-13 (दिनांक 21.11.2012 तक) जारी	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	136.94	0.00	0.00	136.94
2.	बिहार	117.45	118.77	82.41	0.00	318.63
3.	छत्तीसगढ़	460.07	368.33	430.41	398.03	1656.84
4.	गोवा	24.57	25.00	10.97	7.51	68.05
5.	गुजरात	501.81	429.83	348.23	164.12	1443.99
6.	हरियाणा	69.56	101.70	75.72	75.10	322.08
7.	हिमाचल प्रदेश	282.00	287.71	246.49	226.12	1042.32
8.	जम्मू और कश्मीर	135.00	0.00	0.00	209.86	344.86
9.	झारखंड	260.14	150.95	341.00	80.71	832.80
10.	कर्नाटक	252.15	205.61	348.64	281.60	1088.00
11.	केरल	490.99	257.16	144.64	40.98	933.77
12.	मध्य प्रदेश	715.03	379.69	697.65	709.21	2501.58
13.	महाराष्ट्र	459.20	262.38	373.51	0.00	1095.09
14.	ओडिशा	122.46	229.54	133.03	149.79	634.82
15.	पंजाब	74.13	76.49	0.00	0.00	150.62
16.	राजस्थान	149.98	103.76	161.15	184.30	599.19
17.	तमिलनाडु	0.00	143.99	245.48	141.00	530.47
18.	उत्तर प्रदेश	181.92	213.72	140.00	99.93	635.57

1	2	3	4	5	6	7
19.	उत्तराखंड	317.20	134.57	229.95	342.62	1024.34
20.	पश्चिम बंगाल	262.36	173.12	50.86	71.09	557.43
	योग	4876.00	3799.26	4060.14	3181.97	15917.37
पूर्वोत्तर और सिक्किम						
1.	असम	360.02	202.65	246.64	0	809.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	314.40	325.67	261.15	0	901.22
3.	मणिपुर	198.42	168.21	328.58	117.51	812.72
4.	मेघालय	165.62	121.64	161.26	144.64	593.16
5.	मिजोरम	300.63	349.79	253.17	213.11	1116.70
6.	नागालैंड	274.05	183.51	346.97	0	804.53
7.	सिक्किम	286.43	259.33	288.61	0	834.37
8.	त्रिपुरा	138.15	188.81	60.59	323.88	711.43
	योग	2037.72	1799.61	1946.97	799.14	6583.44
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.00	26.22	30.36	5.49	74.07
2.	चंडीगढ़	0.00	60.26	34.46	0	94.72
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0	0.00
4.	दमन और दीव	8.00	0.00	0.00	0	8.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0	0.00
6.	नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0	0.00
7.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	योग	20.00	86.48	64.82	5.49	176.79
	कुल योग	6933.72	5685.35	6071.930	3986.60	22677.60

विवरण-III

देश में वनों के संरक्षण के लिए 'राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम' के अंतर्गत राज्य-वार प्रदत्त और व्यय की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिनांक 1.10.12 तक)
1	2	3	4	5	5
1.	आंध्र प्रदेश	11.03	10.48	15.15	2.71
2.	बिहार	7.74	5.48	6.92	0.00
3.	छत्तीसगढ़	25.12	33.25	24.74	6.17
4.	गोवा	0.00	0	0.00	0.00
5.	गुजरात	24.44	29.43	27.00	10.51
6.	हरियाणा	20.57	24.20	12.28	3.84
7.	हिमाचल प्रदेश	3.59	3.45	3.50	1.72
8.	जम्मू और कश्मीर	9.81	3.99	6.89	0.00
9.	झारखंड	21.06	8.73	10.42	4.69
10.	कर्नाटक	11.95	8.12	12.92	4.81
11.	केरल	4.02	7.54	2.04	5.64
12.	मध्य प्रदेश	22.53	30.39	21.43	0.00
13.	महाराष्ट्र	20.53	16.17	28.51	9.12
14.	ओडिशा	8.82	11.20	7.30	3.10
15.	पंजाब	3.01	0	0.46	0.76
16.	राजस्थान	10.67	4.94	6.23	1.88
17.	तमिलनाडु	7.98	7.21	3.08	1.70
18.	उत्तर प्रदेश	30.20	21.33	26.23	6.81

1	2	3	4	5	5
19.	उत्तराखंड	7.00	4.47	6.61	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	3.11	4.12	6.29	1.87
	योग (अन्य राज्य)	253.17	234.50	228.00	65.33
21.	अरुणाचल प्रदेश	2.37	5.52	0.00	1.66
22.	असम	14.48	6.08	7.95	1.47
23.	मणिपुर	5.93	10.37	12.74	2.60
24.	मेघालय	2.21	8.79	4.31	1.94
25.	मिजोरम	17.27	12.21	13.44	3.22
26.	नागालैंड	10.67	10.11	11.69	4.46
27.	सिक्किम	8.86	11.99	11.18	0.00
28.	त्रिपुरा	3.20	10.43	13.69	2.46
	योग (पूर्वोत्तर राज्य)	65.00	75.49	75.00	17.81
	कुल योग	318.17	309.99	303.00	83.14

विवरण-IV

देश में वनों के संरक्षण के लिए 'हरित भारत मिशन' के अंतर्गत राज्य-वार प्रदत्त और व्यय की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	राज्य द्वारा प्रस्तावित निधियां	जारी की गई निधियां
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	730.20	405.77
2.	झारखंड	156.50	147.00
3.	केरल	300.00	194.60
4.	तमिलनाडु	98.15	72.15
5.	गुजरात	178.67	133.80
6.	राजस्थान	770.00	275.25
7.	हिमाचल प्रदेश	600.00	126.50
8.	जम्मू और कश्मीर	66.00	64.00
9.	ओडिशा	245.50	107.50
10.	पंजाब	185.00	125.50

1	2	3	4
11.	हरियाणा	517.00	357.00
12.	छत्तीसगढ़	3902.00	972.00
13.	असम	580.00	130.00
14.	आंध्र प्रदेश	1488.00	89.53
15.	मणिपुर	80.00	40.50
16.	नागालैंड	185.00	141.50
17.	त्रिपुरा	475.00	350.50
18.	कर्नाटक	267.00	267.45
19.	मध्य प्रदेश	19208.00	823.50
20.	उत्तर प्रदेश	375.50	119.50
21.	झारखंड	813.75	51.00
	योग	31221.27	4994.55

पत्तनों की क्षमता 569-70

1578. श्री संजय दिना पाटील :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में पांचवर्षीय योजना के अंत तक देश में पत्तनों की क्षमता को बढ़ाकर 1000 मिलियन टन से अधिक करने अथवा पांच वर्षों में क्षमता को दुगना करने हेतु नियत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्षमता में कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अंत में पत्तनों की मूल्यांकित क्षमता, 1234.48 मिलियन टन थी। मौजूदा पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अंत में लक्षित पत्तन क्षमता, 2686.66 मिलियन टन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

570-82

पेटेंट की जांच

1579. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री आधि शंकर :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन शास्त्र, बायोटेक्नालॉजी, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रथम जांच रिपोर्ट समय पर जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में हर्बल दवाओं के लिए दिए गए पेटेंट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि में कोई पेटेंट रद्द किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) विभिन्न पेटेंट जांच कार्यालयों में लंबित आवेदनों के बैकलॉग का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उक्त बैकलॉग दूर करने और आवेदनों के शीघ्र तथा समय पर निपटान हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) आवेदक द्वारा जांच हेतु अनुरोध दायर करने के बाद ही पेटेंट आवेदनों के संबंध में प्रथम जांच रिपोर्ट (एफईआर) जारी करता है।

सीजीपीडीटीएम के कार्यालय द्वारा रसायन शास्त्र, बायोटेक्नालॉजी

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (अब तक) के दौरान जारी प्रथम जांच रिपोर्टें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) हर्बल औषधियों के लिए वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (अब तक) के दौरान प्रदान किए गए पेटेंटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (अब तक) के दौरान रद्द किए गए पेटेंटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) विभिन्न पेटेंट जांच कार्यालयों में लंबित आवेदनों के बैकलॉग का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

सरकार ने 248 पेटेंट जांचकर्त्ताओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें से 151 जांचकर्त्ताओं ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में, पेटेंट आवेदनों पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलों के जरिए की जाती है जिससे पेटेंट आवेदनों की जांच तथा अंतिम निपटान में तेजी आई है तथा पारदर्शिता भी बढ़ी है।

विवरण-I

2009-10 से 2012-13 (आज की तारीख तक) के वर्षों के दौरान जारी प्रथम जांच रिपोर्ट

खोज क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आज की तारीख तक)
बायोटेक्नालॉजी	910	1203	1024	855
रसायन शास्त्र	2356	4145	4405	2538
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	1527	2972	2967	1617
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	1370	2905	2637	1326
कुल	6163	11225	11033	6336

विवरण-II

2009-10 से 2012-13 के वर्षों के दौरान हर्बल दवाओं के लिए दिए गए पेटेंट (आज की तारीख तक)

क्र. सं.	आवेदन संख्या	पेटेंट संख्या	दायर करने की तारीख	खोज का शीर्षक	अनुमति की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	543/डीइएल/2003	233817	31.03.2003	अंड्रोग्राफीस पैनीसुलाटा से अंड्रोग्राफोलिडस को अलग करने के लिए एक उन्नत प्रक्रिया	09.04.2009
2.	699/एमयूएम/2005	234048	13.06.2005	हड्डियों की असामान्य स्थितियों के उपचार के लिए नवीन हर्बल उत्पाद और उसको बनाने की प्रक्रिया	01.05.2009

1	2	3	4	5	6
3.	2141/डीईएल/1997	235108	31.07.1997	हेपेटाइटिस ए से जी के सिवाए अन्य वायरस संक्रमणों के उपचार में उपयोगी एक नवीन सह-क्रियाशील पॉलीहर्बल संघटन और ऐसा संघटन बनाने की प्रक्रिया	25.06.2009
4.	1145/एमयूएम/2004	236637	27.10.2004	मुंह अथवा अंत:शिरा में डाले जा सकने योग्य आयुर्वेदिक साँप विष रोधी दवा तैयार करने की एक प्रक्रिया	13.11.2009
5.	1261/डीईएलएनपी/2005	236752	31.03.2005	अल्जाइमर हालत में याददशत वर्धक के रूप में नवीन हर्बल संयोजन	19.11.2009
6.	923/एमयूएम/2006	237191	13.06.2006	त्वचा रोग के उपचार के लिए हर्बल संयोजन	09.12.2009
7.	924/एमयूएम/2006	237192	13.06.2006	मधुमेह के उपचार के लिए हर्बल संयोजन	09.12.2009
8.	107/एमयूएमएनपी/2007	238006	23.01.2007	प्रौटस्टिक हाईपरप्लासिया और प्रौस्टटाईटिस के इलाज के लिए एक औषधीय संयोजन	18.01.2010
9.	603/एमयूएम/2004	238212	28.05.2004	पीने के लिए तैयार सफेद मूसली हर्बल संयोजन और उसको तैयार करने की प्रक्रिया	25.01.2010
10.	1255/डीईएल/2002	238258	13.12.2002	अथ्रोसलेरोसिस और हाईपरलिपीडिमिया की रोकथाम के लिए उपयोगी पोलिहर्बल उत्पाद और उसको तैयार करने की प्रक्रिया	27.01.2010
11.	377/डीईएलएनपी/2004	238309	20.02.2004	मस्तिष्क टॉनिक के रूप में नवीन सिनर्जिस्टिक हर्बल संयोजन और उसको तैयार करने की विधि	28.01.2010
12.	127/केओएलएनपी/2006	238845	16.01.2006	एक गैर-विषाक्त मुकोसाल निस्संक्रामक संयोजन	24.02.2010
13.	3219/डीईएलएनपी/2006	239346	05.06.2006	एक सिनर्जिस्टिक ज्वरनाशी संयोजन और उसको तैयार करने के लिए प्रक्रिया	16.03.2010
14.	91/डीईएल/2004	239789	19.01.2004	"इयूफोर्बिया प्रौस्टराटा पौधे के सत्व वाले औषधीय संयोजन को तैयार करने की प्रक्रिया"	31.03.2010
15.	1286/डीईएलएनपी/2005	240358	31.03.2005	पारंपरिक देशी ज्ञान पर एक मधुमेह रोधी के रूप में उपयोगी नवीन हर्बल फार्मूलेशन का विकास	05.05.2010

1	2	3	4	5	6
16.	1028/डीईएल/2004	240420	04.06.2004	"तैलीय त्वचा के लिए उपयुक्त चेहरे की हर्बल क्रीम फार्मूलेशन"	10.05.2010
17.	1330/डीईएल/2004	240422	19.07.2004	"एचआईवी के इलाज के लिए एक हर्बल संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	10.05.2010
18.	595/डीईएल/2004	240828	24.03.2004	भारतीय उष्ण प्रदेशीय अमेरिकी लता (हेमिडेस्मस इंडिकस.आर.बीआर.) की जड़ों से एंटीऑक्सीडेंट मुरब्बा तैयार करने की प्रक्रिया	03.06.2010
19.	101/डीईएल/2005	241184	17.01.2005	"एक हर्बल नमकीन चाय पाउडर और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	23.06.2010
20.	2226/डीईएल/2004	241827	08.11.2004	ड्रग्स/न्यूट्रास्टयूटिकल्स की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए संयोजन	27.07.2010
21.	135/डीईएल/2003	242387	18.02.2003	मधुमेह के रोगियों के लिए स्वास्थ्य संरक्षात्मक और प्रोत्साहक न्यूट्रास्यूटिकल्स हर्बल फार्मूलेशन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	25.08.2010
22.	6010/डीईएलएनपी/2005	242467	22.12.2005	"रूमेठी गठिया के बेहतर इलाज के लिए एक संयोजन"	27.08.2010
23.	2159/एमयूएम/2006	242722	29.12.2006	शरीर के वजन घटाने के लिए संयोजन तथा विधि	07.09.2010
24.	922/एमयूएम/2006	243835	13.06.2006	जोड़ों और हड्डियों से दर्द से राहत के लिए हर्बल संयोजन और उसकी विधि	09.11.2010
25.	3875/डीईएलएनपी/2006	243848	05.07.2006	मोटापे और संबद्ध उपापचयी सिंड्रोम के इलाज के लिए फार्मूलेशन	09.11.2010
26.	542/डीईएल/2004	243944	22.03.2004	"एचआईवी/एड्स के उपचार में उपयोगी एक औषधीय संयोजन"	11.11.2010
27.	816/डीईएल/2004	244027	30.04.2004	"जानवर विशेष रूप से सांप के काटने और जलांतक की प्रारंभिक अवस्था के उपचार के लिए एक सिनर्जिस्टिक हर्बल संयोजन"	15.11.2010

1	2	3	4	5	6
28.	582/डीईएल/2003	244034	08.04.2003	"ब्रोन्कियल अस्थमा रोधी हर्बल संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	15.11.2010
29.	717/डीईएल/2003	244133	21.05.2003	"एक सिनर्जिस्टिक हर्बल आयुर्वेदिक मरहम तैयार करने की प्रक्रिया"	19.11.2010
30.	833/डीईएल/2003	244136	23.06.2003	"मुराया कोइनिगी से मधुमेह रोधी सत्व तैयार करने की प्रक्रिया"	19.11.2010
31.	823/सीएएल/1999	244355	05.10.1999	उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए पोलीफार्मास्यूटिकल संयोजन	02.12.2010
32.	3501/डीईएलएनपी/2004	245725	09.11.2004	"पेट और अंतों के विकारों के लिए उपयोगी एक हर्बल संयोजन और उसकी प्रक्रिया"	31.01.2011
33.	115/केओएल/2008	246818	16.01.2008	रुमेटी गठिया के बेहतर इलाज के लिए एक फार्मास्यूटिकल संयोजन	16.03.2011
34.	233/एमयूएम/2003	247575	27.02.2003	त्वचा की देखभाल के लिए हर्बल संयोजन	25.04.2011
35.	858/डीईएल/2004	247615	11.05.2004	"वायरल हैपेटाइटिस के उपचार के लिए एक पोलीहर्बल संयोजन"	27.04.2011
36.	2504/डीईएल/2004	248560	16.12.2004	"तम्बाकू रोधी पदार्थ के तौर एक सिगरेट रोधी हर्बल संयोजन"	25.07.2011
37.	2507/डीईएल/2004	248784	16.12.2004	पौष्टिक हर्बल चॉकलेट का विकास और उसका प्रसंस्करण	24.08.2011
38.	478/एमयूएम/2006	249133	29.03.2006	ड्रमोफाईट के संक्रमण के उरपचार के लिए मुराया कोइनिगी की जड़ के सत्व वाला हर्बल संयोजन	03.10.2011
39.	215/डीईएल/2006	249180	25.01.2006	"नाजकुड्डाम के लिए प्रभावी एक हर्बल संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	10.10.2011
40.	218/डीईएल/2006	249186	25.01.2006	"सर्दी - जुकाम के लिए प्रभावी एक हर्बल संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	10.10.2011
41.	2128/एमयूएम/2006	249299	26.12.2006	गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए एक सिनर्जिस्टिक हर्बल संयोजन	17.10.2011

1	2	3	4	5	6
42.	216/डीईएल/2006	250700	25.01.2006	"गठिया के खिलाफ प्रभावी एक हर्बल संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	20.01.2012
43.	419/डीईएल/2002	250881	28.03.2002	"मोतियाबिंद की शुरुआत और उसके बढ़ने में देरी के लिए कुरकुमा लोंगा का एक नेत्रीय हर्बल फार्मूलेशन"	03.02.2012
44.	1862/डीईएल/2006	251453	21.08.2006	"कब्ज के लिए प्रभावी एक नवीन हर्बल संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	16.03.2012
45.	74/डीईएल/2006	251893	09.01.2006	"आरोक्सीलम इंडिकम से अल्सर रोधी के रूप में उपयोगी यौगिकों को अलग करने की प्रक्रिया"	16.04.2012
46.	3362/डीईएलएनपी/2007	251922	04.05.2007	"वनस्पति कच्ची सामग्री से प्राप्य एक वनस्पति औषधि पदार्थ"	17.04.2012
47.	1863/डीईएल/2006	252163	21.08.2006	"पेट में कृमि के लिए प्रभावी एक नवीन हर्बल संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	30.04.2012
48.	3127/डीईएल/2005	252316	23.11.2005	"एक हर्बल स्वास्थ्य फार्मूलेशन"	08.05.2012
49.	855/एमयूएम/2006	252567	01.06.2006	एक पोलीहर्बल संयोजन और उसके उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया	23.05.2012
50.	1241/डीईएल/1999	252596	16.09.1999	कुरकुमा प्रजातियों से कुरबुमिनोएड के निष्कर्षण की प्रक्रिया	23.05.2012

विवरण-III

2009-10 से 2012-13 के वर्षों के दौरान रद्द किए गए पेटेंटों का ब्यौरा (आज की तारीख तक)

आवेदन संख्या	खोज शीर्षक	पेटेंट संख्या	पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा जिसके तहत पेटेंट रद्द किया गया	वर्ष
1	2	3	4	5
941/सीएचइ/2003	कताई मशीनरी के लिए एक डबल एप्रन ड्राफ्टिंग सिस्टम के लिए एक एप्रन	207242	25(2)	2009

1	2	3	4	5
2279/डीईएल/2005	भवन उठाने की विधि	219053	25(2)	2011
1782/डीईएल/2004	विद्युत इंटरफेस यूनिट	197086	25(2)	2011
3044/सीएचइएनपी/2005	पोलीमराईजेशन इनजीशिएटर सिस्टम	229306	25(2)	2011
1076/सीएचइ/2007	एक सिनर्जिस्टिक आयुर्वेदिक/कार्यात्मक खाद्य जैवसक्रिय (सीआईएनसीएटीए) संयोजन और उसे तैयार करने की प्रक्रिया"	252093	मंत्रालय द्वारा	2012
382/एमयूएमएनपी/2005	एक भेषजीय संयोजन	211375	25(2)	2012

उपर्युक्त के अलावा न्यायिक आदेशों द्वारा पेटेंट रद्द किए गए, जिनसे संबंधित आंकड़े इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-IV

जांच के लिए अनुरोध प्राप्त होने के बाद जांच के लिए लंबित आवेदन

समूह	दिल्ली	कोलकाता	मुंबई	चेन्नई	संपूर्ण भारत
बायोटेक्नालॉजी	3234	1396	561	2157	7348
रसायन शास्त्र	11848	3772	2056	7283	24959
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	16562	8624	6457	17623	49266
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	13881	8639	4674	10748	37942
कुल	45525	22431	13748	37811	119515

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

1580. **श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री संजय भोई :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित देश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे और संस्थान/केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से इन प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने पर भी विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) नए संस्थान स्थापित करने अथवा वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण हेतु क्या समय-सीमा नियत की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है, को शामिल करते हुए देश में 10,341 (सरकारी 2271 एवं निजी 8070) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईज) हैं।

(ख) और (ग) "व्यावसायिक प्रशिक्षण" संविधान की समवर्ती सूची में है। केन्द्र सरकार नीति निर्माण, प्रशिक्षण मानकों एवं मानदंडों के निर्धारण, परीक्षा के आयोजन, प्रमाणीकरण आदि के लिए उत्तरदायी है जबकि नए आईटीआईज को खोलने सहित प्रशिक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, नए सरकारी एवं निजी आईटीआईज की स्थापना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु सहित देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक, निजी भागीदारी से 1500 नए आईटीआईज की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(घ) से (च) 11वीं योजना के दौरान सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन किया गया है:–

(i) घरेलू वित्तपोषण के माध्यम से 100 आईटीआईज का उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन। यह योजना मार्च, 2010 में बंद हो गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत 400 आईटीआईज का उन्नयन विश्व बैंक सहायता के साथ आरंभ किया गया है। योजना की समापन दिनांक दिसम्बर, 2012 है। राज्य-वार ब्यौरा संलगन विवरण-III में दिया गया है।

(iii) "सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआईज का उन्नयन" को विद्यमान सरकारी आईटीआईज के आधुनिकीकरण/उन्नयन के प्रयोजन से संचालित किया गया था। यह योजना मार्च, 2012 में समाप्त हो गई। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र.केन्द्र की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र.सं./ औ.प्र.केन्द्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	2	968	0	0	2	968
2.	दिल्ली	16	11132	62	4860	78	15992
3.	हरियाणा	89	23720	105	11400	194	35120
4.	हिमाचल प्रदेश	75	11572	122	11244	197	22816
5.	जम्मू और कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6.	पंजाब	98	21044	248	31712	346	52756

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	राजस्थान	115	15568	725	89103	840	104671
8.	उत्तर प्रदेश	315	32428	1377	159598	1692	192026
9.	उत्तराखंड	59	7083	48	4790	107	11873
	उप-योग	806	127602	2688	312817	3494	440419
	दक्षिणी क्षेत्र						
10.	आंध्र प्रदेश	148	28286	581	116788	729	145074
11.	कर्नाटक	179	30594	1285	101550	1464	132144
12.	केरल	40	16460	492	54042	532	70502
13.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
14.	पुदुचेरी	8	1432	9	508	17	1940
15.	तमिलनाडु	61	23288	651	67790	712	91078
	उप-योग	437	100156	3018	340678	3455	440834
	पूर्वी क्षेत्र						
16.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	1	96	6	608
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	273	0	0	1	273
18.	असम	30	5776	4	208	34	5984
19.	बिहार	34	11433	557	78825	591	90258
20.	झारखंड	20	4672	157	34248	177	38920
21.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
22.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24.	नागालैंड	8	944	0	0	8	944
25.	ओडिशा	28	11200	588	98884	616	110084

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	सिक्किम	4	580	0	0	4	580
27.	त्रिपुरा	8	1120	0	0	8	1120
28.	पश्चिम बंगाल	52	13580	51	5416	103	18996
	उप-योग	203	51546	1360	217997	1563	269543
	पश्चिमी क्षेत्र						
29.	छत्तीसगढ़	92	11104	50	5632	142	16736
30.	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
31.	दमन और दीव	2	388	0	0	2	388
32.	गोवा	10	3264	4	380	14	3644
33.	गुजरात	157	57596	391	23688	548	81284
34.	मध्य प्रदेश	173	25966	173	19154	346	45120
35.	महाराष्ट्र	390	108536	386	47060	776	155596
	उप-योग	825	207082	1004	95914	1829	302996
	कुल योग	2271	486386	8070	967406	10341	1453792

विवरण-II

घरेलू वित्तपोषण से "100 आईटीआईज का उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में उन्नयन" नामक योजना के तहत आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु शामिल किए गए आईटीआईज की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीओई के रूप में उन्नियत आईटीआईज की संख्या (घरेलू वित्तपोषण)*
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	2
6.	छत्तीसगढ़	4
7.	दमन और दीव	0

1	2	3
8.	दिल्ली	1
9.	गोवा	2
10.	गुजरात	8
11.	हरियाणा	5
12.	हिमाचल प्रदेश	3
13.	जम्मू और कश्मीर	0
14.	झारखंड	1
15.	कर्नाटक	6
16.	केरल	5
17.	लक्षद्वीप	0
18.	मध्य प्रदेश	8
19.	महाराष्ट्र	12
20.	मणिपुर	0
21.	मेघालय	0
22.	मिजोरम	0
23.	नागालैंड	0
24.	ओडिशा	2
25.	पुदुचेरी	1
26.	पंजाब	8
27.	राजस्थान	5
28.	सिक्किम	0
29.	तमिलनाडु	5
30.	त्रिपुरा	0
31.	उत्तर प्रदेश	10
32.	उत्तराखंड	3
33.	पश्चिम बंगाल	3
34.	चंडीगढ़	1
	योग	100

*यह योजना मार्च, 2010 में बंद हो गई।

विवरण-III

विश्व बैंक सहायताप्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) नामक योजना के तहत उन्नयन हेतु अभिनिर्धारित आईटीआईज की राज्य-वार संख्या*

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विश्व बैंक सहायताप्राप्त वीटीआईपी के तहत उन्नयन किए जा रहे आईटीआईज की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	7
5.	बिहार	8
6.	छत्तीसगढ़	18
7.	दमन और दीव	1
8.	दिल्ली	3
9.	गोवा	7
10.	गुजरात	29

1	2	3
11.	हरियाणा	16
12.	हिमाचल प्रदेश	11
13.	जम्मू और कश्मीर	10
14.	झारखंड	3
15.	कर्नाटक	30
16.	केरल	7
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश	28
19.	महाराष्ट्र	87
20.	मणिपुर	2
21.	मेघालय	1
22.	मिजोरम	1
23.	नागालैंड	1
24.	ओडिशा	9
25.	पुदुचेरी	1
26.	पंजाब	27
27.	राजस्थान	10
28.	सिक्किम	1
29.	तमिलनाडु	17
30.	त्रिपुरा	1
31.	उत्तर प्रदेश	16
32.	उत्तराखंड	10
33.	पश्चिम बंगाल	10
34.	चंडीगढ़	
	योग	400

*इस योजना की समापन तिथि दिसम्बर, 2012 है।

विवरण-IV

"सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआईज का उन्नयन" के तहत शामिल किए गए आईटीआईज का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए आईटीआईज				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					
2.	आंध्र प्रदेश	20	36	3	2	
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	01	1	1	

1	2	3	4	5	6	7
4.	असम	06	05	5	—	1
5.	बिहार	04	04	2	1	2
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	01	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	12	10	15	4	1
8.	दादरा और नगर हवेली	—	01	—	—	—
9.	दमन और दीव	—	—	—	—	—
10.	दिल्ली	—	02	1	5	1
11.	गोवा	—	—	1	—	—
12.	गुजरात	19	22	25	1	24
13.	हरियाणा	13	13	10	12	4
14.	हिमाचल प्रदेश	09	11	10	2	1
15.	जम्मू और कश्मीर	06	05	4	7	12
16.	झारखंड	02	02	2	—	2
17.	कर्नाटक	26	26	23	1	—
18.	केरल	05	05	10	4	2
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	21	16	19	1	17
21.	महाराष्ट्र	62	55	60	29	44
22.	मणिपुर	—	—	—	—	—
23.	मेघालय	—	—	—	1	—
24.	मिजोरम	—	02	—	—	—
25.	नागालैंड	—	01	1	—	5
26.	ओडिशा	04	03	5	1	1

1	2	3	4	5	6	7
27.	पुदुचेरी	—	—	1	2	1
28.	पंजाब	20	19	22	7	8
29.	राजस्थान	17	15	22	24	27
30.	सिक्किम	—	—	—	—	—
31.	तमिलनाडु	12	05	11	2	2
32.	त्रिपुरा	01	01	1	4	—
33.	उत्तर प्रदेश	25	18	32	5	35
34.	उत्तराखंड	10	10	9	—	14
35.	पश्चिम बंगाल	04	12	5	4	3
	योग	300	300	300	120	207
	सकल योग			1227		

#यह योजना मार्च, 2012 में समाप्त हो गई।

[हिन्दी] dn 595-98

पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक

1581. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पेड़ों की कटाई के बारे में कोई प्रावधान बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में इन प्रावधानों का राज्य-वार कितनी बार उल्लंघन किया गया;

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में इन उल्लंघनों के विरुद्ध सरकार ने राज्य-वार क्या कार्रवाई की;

(ङ) क्या सरकार ने इन नियमों के अनुपालन की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई सरकारी नीति के अनुसार अनुमोदित प्रबंधन/कार्य योजनाओं के अनुरुप की जाती है। देश के वन क्षेत्रों में पेड़ों की अप्राधिकृत कटाई भारतीय वन अधिनियम, 1927 (राज्य संशोधनों सहित) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती है। वनेतर क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित पृथक राज्य अधिनियमों द्वारा विनियमित होती हैं।

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में देश के वन क्षेत्रों में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) उल्लंघन किये जाने पर भारतीय वन

अधिनियम, 1927 और संगत राज्य अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसमें अपराध का अभियोजन और प्रशमन, अवैध रूप से काटी गई सामग्री और अपराध में प्रयुक्त वाहन, औज़ार और अन्य वस्तुओं को जब्त करना शामिल है। वन के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण वनों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इसलिए उल्लंघन के मामलों में की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस मंत्रालय के स्तर पर एकत्रित नहीं किये जाते हैं। वनेतर क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई संबंधी विनियमों के उल्लंघनों के बारे में सूचना भी इस मंत्रालय के स्तर पर एकत्रित नहीं की ज़ाती है।

विवरण

अवैध रूप से काटे गये पेड़ों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2.	गोवा	237	207	—	—
3.	गुजरात	39771	38207	29221	24307
4.	हरियाणा	0	0	0	0
5.	हिमाचल प्रदेश	2168	2691	1781	—
6.	झारखंड	192	114	—	—
7.	कर्नाटक	4077	2301	—	—
8.	मध्य प्रदेश	363731	326282	220355	19859
9.	महाराष्ट्र	186189	201144	166359	107228
10.	ओडिशा	65221	—	—	—
11.	राजस्थान	11662	9879	8930	6994
12.	उत्तराखंड	1380	1736	1282	1726
	योग	674391	582561	427928	160114
1	2	3	4	5	6
	पूर्वोत्तर राज्य				
13.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
14.	असम	0	0	0	0
15.	मेघालय	798	614	—	—
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	सिक्किम	0	0	0	0
	योग	798	614	0	0
	संघ राज्य क्षेत्र				
18.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	620	602	357	339
19.	चंडीगढ़	0	0	0	0
20.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
21.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0
	योग	620	602	357	339
	कुल योग	675809	583777	428285	160453

वृद्धाश्रमों का निर्माण

1582. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृद्धाश्रमों की स्थापना तथा उनके रख-रखाव हेतु राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में एनजीओ द्वारा वृद्धाश्रमों के निर्माण/रख-रखाव हेतु क्या मार्गनिर्देश नियत किए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे वृद्ध आश्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को राज्य-वार गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में कितनी राशि स्वीकृत की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) वृद्धाश्रमों की स्थापना/निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। मंत्रालय की वृद्धजन समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों और नेहरू युवा केन्द्र संगठन जैसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाओं को वृद्धाश्रमों के लिए संचालन और रखरखाव के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य स्तर सहायता अनुदान समिति की सिफारिश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान, निर्मुक्त धनराशि की तुलना में सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आईपीओपी की योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की संख्या				निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (30.11.12 की स्थिति के अनुसार)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (30.11.12 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	87	77	112	15	347.81	280.68	403.93	74.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	1	0	1.49	0	4.08
3.	असम	16	17	11	3	71.78	67.08	46.65	18.16
4.	बिहार	1	1	1	1	4.88	1.42	2.44	4.88
5.	छत्तीसगढ़	2	3	2	1	5.08	7.76	9.03	4.88
6.	हरियाणा	9	7	7	1	34.25	25.67	18.74	11.56
7.	हिमाचल प्रदेश	0	3	1	1	0	9.51	3.66	1.22
8.	कर्नाटक	45	48	50	3	207.86	216.36	208.75	15.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	केरल	0	6	2	0	0	16.03	5.72	0
10.	मध्य प्रदेश	5	2	4	0	9.23	6.13	14.79	7.72
11.	महाराष्ट्र	8	15	16	7	27.69	47.06	76.28	60.29
12.	मणिपुर	15	18	15	1	56.80	76.20	66.35	48.21
13.	ओडिशा	44	38	44	12	173.17	168.15	157.97	82.95
14.	पंजाब	4	2	5	1	9.29	3.76	9.98	5.79
15.	राजस्थान	4	4	2	0	11.77	13.48	7.48	0
16.	तमिलनाडु	54	49	42	3	220.70	207.60	178.85	12.76
17.	त्रिपुरा	3	3	4	0	10.85	13.75	10.81	0
18.	उत्तर प्रदेश	21	22	15	6	65.31	71.96	25.11	40.64
19.	उत्तराखंड	0	3	2	2	0	11.03	5.87	9.31
20.	पश्चिम बंगाल	27	18	26	3	111.41	86.35	84.90	27.98
	संघ राज्य क्षेत्र								
1.	दिल्ली	0	1	1	0	0	1.15	1.17	26.54
	कुल	345	338	362	61	1367.88	1332.62	1338.48	456.38

[अनुवाद]

601-06

यूरोपियन यूनियन के साथ कौशल विकास परियोजना

1583. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :**
श्री संजय भोई :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
कुमारी मौसम नूर :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, पश्चिम बंगाल सहित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के तहत चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में इनमें कितने छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(ख) क्या भारत और यूरोपीयन संघ (ईयू) कौशल विकास पर एक परियोजना शुरू करने पर सहमत हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या होंगे;

(घ) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों और राज्यों का पता लगा लिया है जहां ये परियोजनाएं शुरू की जाएंगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजना से प्रति वर्ष कितने लोगों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से श्रम और रोजगार मंत्रालय का लक्ष्य 100 मिलियन व्यक्तियों का है। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित तीन फ्लैगशिप योजनाओं के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना प्रस्तावित किया है:—

(i) शिल्पकार, प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

(ii) शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)

(iii) कौशल विकास पहल

योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारत और यूरोपियन संघ ने कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में सहायता हेतु फरवरी, 2012 में "भारत-ईयू कौशल विकास परियोजना" की शुरूआत की है। उपरोक्त परियोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

(i) कौशल विकास के क्षेत्र में नीति कार्यसूची के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) तथा अन्य संबद्ध संस्थानों की समय में वृद्धि करना।

(ii) भारत हेतु एक राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता ढांचे के विकास एवं अनुरक्षण में व्यापक प्रगति में योगदान देना।

(iii) प्रायोगिक आधार पर, राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर श्रम बाजार सूचना प्रणालियों एवं विश्लेषण पद्धतियों में वृद्धि करना।

(घ) और (ङ) सरकार ने परियोजना हेतु प्रथम प्रायोगिक के रूप में आटोमोटिव क्षेत्र की पहचान कर ली है। प्रथम वर्ष में, तीन पड़ोसी राज्यों यथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से बने समूह को परियोजना की शुरुआत करने के लिए चुना गया है।

(च) यह परियोजना देश के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास प्रणाली के व्यवस्थित सुधार में सहायता कर रही है। इसलिए, विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षत समस्त व्यक्ति इस परियोजना से लाभान्वित होंगे।

विवरण

देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रचार हेतु तीन मुख्य योजनाएं

1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस):

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल कामगारों का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1950 में आरंभ की गई। योजना का वित्तीय नियंत्रण वर्ष 1969 में राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। योजना का कार्यान्वयन समूचे देश में फैले सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। योजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:—

- आईटीआईज की संख्या : 10341 (सरकारी-2271 एवं निजी-8070)
- सीट क्षमता : 14.54 लाख
- व्यवसायों की संख्या : 127
- प्रशिक्षण की अवधि : 6 माह से 3 वर्ष

- प्रवेश अर्हता : 8वीं से 12वीं कक्षा
- आयु : 14 वर्ष एवं अधिक

2. शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस):

शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत, स्कूल छोड़ने वालों तथा आईटीआई पास करने वालों के लिए उद्योग में सेवाधीन शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना, उद्योग हेतु कुशल कामगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च, 1962 में आरंभ की गई:—

- शामिल प्रतिष्ठान : 27,000
- अवस्थित सीटें : 3.37 लाख
- व्यवसाय : 252
- पाठ्यक्रमों की अवधि : 8 माह से 4 वर्ष
- प्रवेश अर्हता : 8वीं से 12वीं कक्षा तथा आईटीआई उत्तीर्ण
- आयु (न्यूनतम) : 14 वर्ष

3. मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशलों (एमईएस) के माध्यम से कौशल विकास पहल योजना:

योजना मई, 2007 में आरंभ की गई। योजना में बहु-प्रवेश तथा बहु-निर्गम विकल्प, लोचशील वितरण कार्यक्रम और जीवनपर्यन्त सीखने की पेशकश की गई है। एमईएस "न्यूनतम कौशल सैट" है जो लाभप्रद रोजगार हेतु पर्याप्त है। पाठ्यचर्या में मृदु कौशलों को प्राप्त करने पर भी बल दिया गया है।

- आयु समूह : 14 वर्ष और उससे अधिक
- प्रवेश अर्हता : व्यवसाय की आवश्यकतानुसार 5वीं कक्षा और उससे अधिक
- 72 क्षेत्रों को शामिल करते हुए रोजगारपरक कौशलों हेतु मॉड्यूल्स : 1413
- आकलन के आयोजनार्थ पैनलबद्ध आकलन निकाय : 46
- आरंभ से प्रशिक्षित व्यक्ति : 14.34 लाख
- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपीज) की संख्या : 7125

605-08

पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों का विकास

1584. श्री तकाम संजय :
श्री वरूण गांधी :
श्री प्रेमदास राय :
श्री खगेन दास :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों के विकास/सुधार हेतु कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा राज्य-वार नियत

कदम और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त कार्यक्रम में विलंब के कारण समय तथा लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने उक्त कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है और यह कार्यक्रम कब तक पूरे हो जाने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31क के अलावा सिक्किम में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शुरू कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 1014 किमी. लंबाई की सड़कों के विकास/सुधार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम तैयार किया है। यह कार्यक्रम तीन भागों अर्थात् चरण 'क' जिसमें 4099 किमी. लंबाई शामिल है, सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज जिसमें 2319 किमी. लंबाई शामिल है, और चरण 'ख' जिसमें 3723 किमी. लंबाई शामिल है। सरकार ने अभी तक चरण-क के अंतर्गत 3325 किमी. लंबाई और सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत 2319 किमी. लंबाई के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और चरण-क के अंतर्गत शेष 774 किमी. लंबाई के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-ख को डीपीआर तैयार किए जाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। चरण-क के अंतर्गत शामिल सड़कों को मार्च, 2014 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज सड़कों को मार्च, 2015 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। निधियों का आबंटन संपूर्ण कार्यक्रम के लिए किया जाता है ना कि राज्य-वार। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में किया गया आबंटन इस प्रकार है:—

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2
2009-10	1200
2010-11	1500
2011-12	1950
2012-13	2000

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत 3733 किमी. लंबाई में से 919 किमी. सड़क लंबाई में अभी तक कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत कार्यक्रमों की धीमी प्रगति मुख्यत: भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण तथा संबंधित राज्य सरकार के विभागों द्वारा वन स्वीकृतियों में विलंब के कारण हुई है। इस विलंब के कारण परियोजनाओं की नियमित समीक्षाएं सरकार ने विभिन्न स्तरों पर की जा रही हैं ताकि परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जा सके और कार्यान्वयन के मुद्दों का समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में तीन परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों की स्थापना हाल ही में की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सड़कों का कार्य मार्च, 2017 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(च) जी, नहीं।

प्रदूषण के कारण रोग

1585. श्री सोमेन मित्रा :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री रतन सिंह :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण वाहन से निकलने वाला प्रदूषण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण से होने वाले विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो वायु प्रदूषण के कारण कितने प्रतिशत लोगों के बीमार होने का अनुमान है; और

(ङ) सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा इससे होने वाले रोगों को रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) दिल्ली और अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है। कुछ मरक-विज्ञान अध्ययनों के अनुसार, श्वसन-संबंधी और हृद्-वाहिका संबंधी बीमारियों के बढ़ने जैसे स्वास्थ्य प्रभावों को वायु प्रदूषण से जोड़ा जा सकता है। विभिन्न नगरों में प्रदूषण के कारण हुए श्वसन-संबंधी विकारों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में प्रदूषण के उपशमन हेतु व्यापक नीति का प्रतिपादन, उन्नत ऑटो-ईंधन की आपूर्ति, वाहनीय और औद्योगिक उत्सर्जन मानदंडों को सख्त बनाना, विशिष्ट उद्योगों हेतु अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, नगरीय एवं खतरनाक तथा जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, प्रमुख नगरों एवं अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वियन जन जागरुकता सृजन आदि शामिल हैं।

[हिन्दी] 609 - 11

वैश्विक तापन का प्रभाव

1586. **श्री नारायण सिंह अमलाबे :**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक तापन से भारत के सर्वाधिक प्रभावित होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वैश्विक तापन पर कोई विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोई अध्ययन या मूल्यांकन किया है तथा उन स्थानों की पहचान की है जिनके प्रभावित होने की संभावना है और कृषि क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वैश्विक तापन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) मई, 2012 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनएफसीसी) की प्रस्तुत भारत की राष्ट्रीय संसूचना के अंतर्गत भारतीय संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, सुभेद्यता और अनुकूलन के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन किये गए हैं। इन अध्ययनों में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान, समुद्र स्तर और वृष्टिपात पद्धतियों में परिवर्तन होने की बात कही गयी है जिसके जल संसाधन, कृषि, वनों, प्राकृतिक परि-प्रणालियों, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य ऊर्जा और अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।

(ग) और (घ) कृषि, पशुधन से मीथेन के उत्सर्जन, तटीय जोन, स्वास्थ्य, जल संसाधन, वन और प्राकृतिक पारि-प्रणाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में वर्ष 2007 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

(ङ) और (च) भारत के चार जलवायु संवेदी क्षेत्रों नामशः हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों नामशः कृषि, प्राकृतिक पारि-प्रणालियां एवं जैव-विविधता, जल और मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया है और पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में "जलवायु परिवर्तन एवं भारत: 4x4 आकलन – 2030 के दशक के लिए एक सेक्टोरल और क्षेत्रीय विश्लेषण" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में कृषि सहित चार क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया गया है और सरसों, मटर, टमाटर, प्याज, गेहूं, ज्वार, धान और लहसुन जैसी कुछ फसलों में नुकसान सहित कृषि उत्पादन में परिवर्तन की बदलती दर प्रक्षेपित की गई है।

(छ) सरकार ने दिनांक 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की है जिसमें सौर ऊर्जा, बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, सतत् पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली के अनुरक्षण, हरित भारत, दीर्घकालिक कृषि और जलवायु परिवर्तन

हेतु रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों की रूपरेखा दी गई है।

611-

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

1587. **श्री सतपाल महाराज :**
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों में खतरों को ध्यान में रखते हुए सरकार का अवसंरचना तथा नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ तीनों सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में तत्काल कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण हेतु चालू वर्ष के बजट में आवंटित बजट धनराशि तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ग) क्या धनराशि की उक्त कमी को ध्यान में रखकर रक्षा मंत्रालय ने सरकार से 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो देश की सीमाओं पर मंडराते खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) खतरे की अवधारणा, संक्रियात्मक आवश्यकता, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नौसेना और वायुसेना सहित सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 15 वर्षीय दीर्घावधिक एकीकृत संदर्शी योजना, पंचवर्षीय सेना पूंजी अधिग्रहण योजना और वार्षिक अधिग्रहण योजना पर आधारित है।

(ख) से (घ) बजटीय आवंटन सशस्त्र बलों द्वारा प्रस्तावित आवश्यकता के आधार पर किए गए हैं और इन्हें पर्याप्त पाया गया है। आवंटित निधियों के उपयोग और विभिन्न पूंजी अधिग्रहण योजनाओं के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त निधियों की मांग संशोधित अनुमान की अवस्था में की जाती है।

[अनुवाद] 611-12

गुजरात में तटरक्षक – केन्द्र

1588. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण गुजरात के दाहेज में तटरक्षक केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात राज्य में पहले से ही सात स्टेशन, एक जिला मुख्यालय, एक क्षेत्रीय मुख्यालय (आरएचक्यू) और एक वायु इंक्लेव हैं। इसके अतिरिक्त, पिपावव में एक और स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा 'हब और स्पोक' संकल्पना के तहत समुद्री पुलिस स्टेशनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें दाहेज में एक स्टेशन शामिल है। समुद्र में किसी भी आपातकालीन आवश्यकताओं की स्थिति में, दाहेज के 80 कि.मी. एनएम दक्षिण में स्थित दमन में वायु परिसम्पत्तियां भी उपलब्ध हैं।

612-13

यमुना जल में कीटनाशक

1589. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल रेफरेंस ट्रैस आर्गेनिक लैबोरेटरी तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ यमुना नदी के जल में मच्छररोधी युक्ति के रूप में प्रयुक्त खतरनाक कीटनाशक (लिंडेन) की भारी मात्रा पाए जाने के सिलसिले में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह प्रदूषण रोकने तथा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की जीवनरक्षा हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) नदियों का संरक्षण, केन्द्र और राज्य सरकारों का सतत् और सामूहिक प्रयास है। यह मंत्रालय वर्ष 1993 से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अंतर्गत चरणबद्ध रीति से वित्तीय सहायता प्रदान करके यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। वाईएपी के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्य, नालों के मलनिर्यास/अवरोधन और विपथन, मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी), निम्न लागत के स्वच्छता/समुदाय शौचालय परिसरों, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह आदि से संबंधित हैं। वाईएपी के चरण-I और II के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 नगरों में 40 मलजल शोधन संयंत्रों सहित कुल 296 स्कीमें पूर्ण की गई हैं और जून, 2012 के अंत तक कुल 1438.34 करोड़ रुपए (राज्य के हिस्से सहित) का व्यय किया गया है। वाईएपी के इन दोनों चरणों के अंतर्गत 902.25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के लिए वाईएपी चरण-III परियोजना को 1656 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 2011 में इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा के सोनीपत और पानीपत नगरों में यमुना नदी के प्रदूषण का उपशमन करने हेतु प्रारंभ किये गए कार्यों के लिए 217.87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जुलाई, 2012 में इस मंत्रालय द्वारा दो परियोजनाएं भी मंजूर की गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने स्वयं के बजटीय आबंटनों के अलावा, शहरी विकास मंत्रालय की जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) और यूआईडीएसएसएमटी) (छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम) जैसे अन्य केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत भी विभिन्न नगरों में मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना करने सहित मलनिर्यास अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है।

[हिन्दी]

भारत-ओमान रिफाइनरी

1590. **श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम-कानूनों का पालन न होने के संबंध में भारत-ओमान रिफाइनरी, बीना (मध्य प्रदेश) सहित कतिपय कंपनियों/उद्योगों का औचक निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में देखी गई अनियमितताओं तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सख्त श्रम-कानूनों के अभाव में ऐसी अनियमितताएं बढ़ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) जी, हां। भारत-ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना (मध्य प्रदेश) सहित समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। जनवरी से अक्तूबर, 2012 तक की अवधि के दौरान देश में किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i)	किए गए कुल निरीक्षण	:	26449
(ii)	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	:	228184
(iii)	न्यायालय में दाखिल की गई शिकायतों की संख्या	:	7483

भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में जनवरी से अक्तूबर, 2012 तक की अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा:—

(i)	किए गए कुल निरीक्षण	:	35
(ii)	अनियमितताओं की संख्या	:	603
(iii)	न्यायालय में दाखिल की गई शिकायतों की संख्या	:	31

अनियमितताएं ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

615-16

[अनुवाद]

चीन के साथ व्यापारिक-संबंध

1591. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों को सुलझाने हेतु हाल ही में कोई प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा उनका क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या भारत चीन से आयातित सामान पर विभिन्न रियायतें देता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या चीन भी भारत से वहां निर्यातित उत्पादों पर इसी प्रकार की रियायतें देता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो भारत द्वारा चीन से आयातित सामान पर रियायत देने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) आर्थिक संबंधों एवं व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह (जेईजी) सबसे बड़ा संस्थागत वार्तातंत्र है जो वर्ष 1988 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान संस्थापित हुआ। संयुक्त आर्थिक समूह की नवीं बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2012 को नई दिल्ली में मंत्री स्तर पर हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, व्यापार एवं निवेश सहित व्यापार डाटा समाधान "भारत-चीन व्यापार और आर्थिक सहयोग हेतु पंचवर्षीय विकास योजना" तथा "व्यापार सेवाओं में सहयोग" पर तीन संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया।

(ग) व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से, व्यापार वस्तुसमूह में विविधता लाने के लिए विनिर्मित वस्तुओं पर जोर दिया जा रहा है। हम बाजार पहुंच मुद्दों को भी उठा रहे हैं ताकि चीन के बाजार की गैर-टैरिफ बाधाओं से विभिन्न मंचों पर निपटा जा सके। मंत्री स्तर पर हमारे पास आर्थिक संबंधों, व्यापार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत चीन संयुक्त दल है जहां व्यापार संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से विचार किया जाता है। चीन बाजार में भारतीय उत्पादों के प्रदर्शन और चीनी कम्पनियों के साथ सम्पर्क बढ़ाने हेतु भारतीय निर्यातकों को मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। व्यापार मेलों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी से चीनी आयातकों को विविध भारतीय उत्पादों के बारे में जानकारी मिलती हैं बाजार पहुंच पहल (एमएआई)/बाजार विकास सहयोग (एमडीए) आदि स्कीमों के द्वारा व्यापार सह व्यापार संबंधों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(घ) से (च) भारत ने चीन उत्पादों के व्यापार संवर्धन हेतु कोई विशेष रियायतें प्रदान नहीं की हैं सिवाय उन उत्पादों के जिन्हें भारत द्वारा सभी डब्लयूटीओ सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है और वह उत्पाद जो बैंकॉक करार, अब एशिया पैसिफिक व्यापार करार (आप्टा), में हस्तारक्षरकर्ता के रूप में चीन को उपलब्ध हैं। भारत और चीन दोनों आप्टा के भागीदार देश हैं। आप्ता के गैर-अल्प विकसित देश (एलडीसी) सदस्यों को 570 टैरिफ लाइनों पर भारत द्वारा टैरिफ रियायत की पेशकश की गई है बदले में आप्टा के गैर-अल्प विकसित देश (एलडीसी) सदस्यों को 1697 टैरिफ लाइनों पर चीन ने भी रियायत प्रदान की है।

616-17

जलयान पर्यटन

1592. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर अभी जलयान-पर्यटन की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का तूतीकोरिन को भी जलयान-पर्यटन स्थलों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) क्रूज़ पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन का कार्य मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। महापत्तनों में से, क्रूज़ पोतों और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं और अवसंरचना चेन्नई, कोचीन, नवमंगलूर, मुरगांव, तूतीकोरिन और मुंबई में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। तूतीकोरिन में वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन पहले से ही एक क्रूज़ गंतव्य पत्तन है और इसमें क्रूज़ पोतों को घाट पर लगाने की सभी आवश्यक सुविधाएं और क्रूज़ पर्यटन के लिए अन्य संबंधित अवसंरचना मौजूद है।

617-18

श्रम प्रधान क्षेत्रक

1593. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम प्रधान क्षेत्रक में निवेश को बढ़ावा देने तथा मूल्य-संवर्धन हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) के विकास एवं संवर्धन हेतु केवीआईसी अधिनियम, 1956 नामक संसद के अधिनियम के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) स्थापित किया है।

केवीआई क्षेत्र 119.37 लाख व्यक्तियों (2011-12 के आंकड़े) को नियोजन उपलब्ध कराता है।

सरकार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के केवीआईसी के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार सृजन हेतु 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक क्रेडिट संबद्ध आर्थिक सहायता कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ठ श्रेणी के लाभार्थी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्रों इत्यादि से संबंधित लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% की मार्जिन मनी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान 3067.69 करोड़ रुपये की कुल मार्जिन मनी आर्थिक सहायता का प्रयोग करके पीएमईजीपी के अंतर्गत 1,64,283 परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराकर 16.06 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। पीएमईजीपी को 1238.00 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी आर्थिक सहायता आबंटन के साथ 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन हेतु जारी रखा गया है।

4 618-19

पथकर नीति की समीक्षा

1594. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राष्ट्रीय राजमार्गों तथा तीव्रगमन-पथों (एक्सप्रेस-वे) पर पथकर-प्रभार की समीक्षा की कोई एकसमान नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने थोक-मूल्य सूचकांक के सापेक्ष पथकर-दरों में बारंबार संशोधन करने की वर्तमान नीति के विरुद्ध सड़क मार्ग प्रयोक्ताओं के अक्सर विरोध की ओर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यथाशीघ्र यह बारंबार संशोधन करने की पद्धति समाप्त करने और वर्ष में एक बार ही इसमें संशोधन करने की नीति अपनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 5.12.2008 तक, एवं उसके उपरांत शुरू की गई परियोजनाओं के लिए समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 (दर एवं संग्रहण निर्धारण) को दिनांक 5.12.2008 को अधिसूचित किया है। 5.12.2008 से पहले पूरे किए गए खंडों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1997 (राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्थायी पुल/अस्थायी पुल मार्गों के प्रयोग किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण); राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1997 (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल — सरकारी वित्त पोषित परियोजना); और इन नियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख के बाद पूर्ण हुई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 के अनुसार शुल्क वसूल किया गया है। उपर्युक्त नियमों के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के भाग-7 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा पृथक रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचनाओं

के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जाता है। जिन मामलों में राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी विशेष खंड को राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार को सौंपा जाता है, वहां वे केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का पालन करते हैं।

(ग) और (घ) प्रयोक्ता शुल्क में संशोधन लागू शुल्क नियमों के अनुसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियम, 1997 के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए शुल्क में संशोधन प्रत्येक पांच वर्ष के उपरांत किया जाता है और समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियम, 2008 के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वार्षिक रूप से शुल्क में संशोधन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर चिलाकलूरिपेटा-विजयवाड़ा खंड का नवीनीकरण

1595. श्री एल. राजगोपाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर चिलाकलूरिपेटा-विजयवाड़ा खंड (83 किमी.) के नवीनीकरण कार्य में कोई विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विलम्ब के कारण उक्त परियोजना की लागत में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है तथा इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) रारा-5 के चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड को 6 लेन का बनाने का कार्य, पूरा करने की निर्धारित तारीख पर पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि इस परियोजना में विलंब के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण, धार्मिक ढांचों की बेदखली, जन सुविधाओं के हस्तांतरण में विलंब, रियायतग्राही द्वारा अल्प-संग्रहण, रेल उपरि पुल के अनुमोदन में विलंब, चिल्कालूरीपेट बाइपास के मुद्दे की वजह से 14.5 किमी. खंड का अधर में लटकना और आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित विवाद हैं। इस परियोजना को डिजाइन-निर्माण-वित्त पोषण-प्रचालन-हस्तांतरण (डीबीएफओटी) पैटर्न के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (पथकर) आधार पर निष्पादित किया जा रहा है और सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए कोई प्रत्यक्ष लागत मूल्य वृद्धि प्रभाव नहीं है। यह परियोजना मई, 2014 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

वस्त्र क्षेत्रक को राजसहायता

1596. श्री जोस के. मणि : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर अपने वस्त्र उद्योग को गलत ढंग से नई राजसहायता देने का आरोप लगाया है और भारत के साथ इस पर द्विपक्षीय चर्चा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तुर्की ने भी भारत द्वारा अपने वस्त्र उद्योग को गलत ढंग से राजसहायता देने पर ऐसा ही सरोकार व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत, राजसहायता और प्रतिसंतुलन के उपायों संबंधी विश्व व्यापार संगठन की समिति के अधिदेशानुसार राजसहायता का चरणबद्ध समापन करने के लिए बाध्य है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विश्व व्यापार संगठन नियमों के अंतर्गत भारत को उसके वस्त्र उद्योग में राजसहायता समाप्त करने के लिए क्या समयावधि दी गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) अक्तूबर, 2012 में आयोजित सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों (एससीएम) संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति की बैठक में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) ने तुर्की के साथ मिलकर हाल ही में भारत द्वारा इस क्षेत्र में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर लिए जाने के बावजूद भारत द्वारा वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में प्रदान की गई नई सब्सिडियों पर चिंता जताई है। अमेरिका ने इस संबंध में भारत के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श की मांग की है।

(ङ) और (च) सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 27.2 के प्रावधानों के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश, निर्यात सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं क्योंकि भारत का प्रतिव्यक्ति जीएनपी 1000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से कम है। एससीएम संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति द्वारा जारी परिगणना के अनुसार भारत वर्ष 1990 में डॉलर के मूल्य की तुलना में वर्ष 2010 में 926 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति जीएनपी पर पहुंच गया है।

इसके अलावा, एएससीएम के अनुच्छेद 27.5 के अनुबंध-VII के प्रावधानों के अनुसार कोई भी विकासशील देश, एक या अधिक उत्पादों

में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने पर ऐसे उत्पादों संबंधी निर्यात सब्सिडियों को 8 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए बाध्य होगा। किसी उत्पाद के संबंध में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की स्थिति तब बनती है जब किसी विकासशील सदस्य देश द्वारा उस उत्पाद के निर्यात का हिस्सा लगातार दो कैलेण्डर वर्षों तक उस उत्पाद के वैश्विक व्यापार में कम से कम 3.25% बना रहे। मार्च, 2010 में डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई परिगणना के अनुसार भारत ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में वर्ष 2005 तथा 2006 में 3.25% की सीमा पार कर ली है।

भारत ने एससीएम संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति से उत्पाद की परिभाषा और एएससीएम करार के तहत फेज-आउट अवधि के प्रथम वर्ष के मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है।

[हिन्दी] 621-22

इस्पात की मांग

1597. श्री राम सुन्दर दास :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री कादिर राणा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की मांग देश के इस्पात-संयंत्रों की वास्तविक उत्पादन क्षमता की तुलना में काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस्पात की कुल मांग, औसत उत्पादन-क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन और खपत क्या है;

(ग) देश में इस्पात के उत्पादन और आपूर्ति के बीच व्यवधानकारी कारक कौन से हैं तथा सरकार द्वारा देश में इस्पात की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विकसित देशों की तुलना में भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत काफी कम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की प्रति व्यक्ति मांग का अनुमान लगाने के लिए तथा इन क्षेत्रों में इस्पात मांग बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश को इस संबंध में विकसित देशों के बराबर लाने के लिहाज से देश में इस्पात की मांग एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय शुरू किए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 2011-12 के दौरान देश में 73.42 एमटी फिनिश्ड इस्पात के उत्पादन की तुलना में इसकी खपत 70.92 एमटी थी। अत: देश में इस्पात की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है।

(घ) देश में फिनिश्ड इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 59 कि.ग्रा. होने का अनुमान है। विकसित देशों की तुलना में भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कम होने के प्रमुख कारण उन देशों में विनिर्माण जैसी बड़ी अवसंरचनात्मक कार्यविधियों और इस्पात के अन्य एंड यूज सैगमेंटों में इस्पात का व्यापक उपयोग है जिसकी उनके तीव्र आर्थिक विकास/प्रगति द्वारा भी पुष्टि होती है।

(ङ) और (च) ग्रामीण भारत में इस्पात की खपत के पैटर्न और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया था। ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के मूल्यांकन पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मद्देनजर देश में इस्पात की खपत में वृद्धि करने और इसे व्यापक बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। इस्पात की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए मौजूदा इस्पात संयंत्रों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने के अलावा कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

[अनुवाद] 622-23

भुवनेश्वर-पुरी राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाया जाना

1598. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर-पुरी राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने संबंधी परियोजना शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) रारा-203 के 67.225 किमी. लंबे भुवनेश्वर-पुरी खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (पथकर) आधार पर मै. केएसएस-वालेचा कंसोर्सियम को सौंपा गया है। रियायत करार पर हस्ताक्षर 30.07.2010 को किए गए और कार्य 07.03.2011 को शुरू हुआ। 8.68 किमी. को 4 लेन का बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार भौतिक प्रगति 27.53% है। परियोजना सितंबर, 2013 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

एनजीआरबीए के लिए केन्द्रीय अंशदान बढ़ाना

1599. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर केन्द्रीय अंशदान बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) गंगा बेसिन राज्यों ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अंतर्गत विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में केंद्रीय योगदान को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित एनजीआरबीए की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि परियोजनाओं की लागत को केन्द्र और राज्यों के बीच 70:30 के अनुपात में बांटा जाएगा। इसके अलावा, एनजीआरबीए के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की प्रचालन और रख-रखाव (ओएंडएम) लागत को पांच वर्षों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच उसी अनुपात में बांटा जाएगा और तीन वर्ष समाप्त होने पर इसकी समीक्षा की जायेगी।

निजी कंपनियों द्वारा सड़क परियोजनाओं में निवेश

1600. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियां देश में सड़कों के निर्माण में निवेश करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सड़क-परियोजनाओं में निवेश करने के उपरांत निजी कंपनियां इसका संचालन किस प्रकार करेंगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) सड़क क्षेत्र में निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया 2011-12 तक बहुत अधिक थी लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान सड़क परियोजनाओं के लिए निविदाओं हेतु हाल में प्राप्त हुई प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। सड़कों की 7957 किमी. की रिकॉर्ड लंबाई सार्वजनिक निजी भागीदारी तंत्र के अंतर्गत वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान सुदृढ़ीकरण/उन्नयन तथा सुधार हेतु सौंपी गई थी और अनेक परियोजनाएं तो प्रीमियम पर भी सौंपी गई थीं। चालू वित्त वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने का मुख्य कारण है वित्त की उपलब्धता, ऋण तथा इक्विटी, दोनों का अभाव होना। कार्यान्वयन में विलंब के अन्य कारणों में शामिल हैं — भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पर्यावरण तथा वन स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति के समक्ष मामले को उठाए जाने सहित गहन अंतरमंत्रालयी परामर्श करके प्रक्रियागत अड़चनों तथा विलंब को न्यूनतम करने के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को संस्वीकृत किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव किसी राज्य सरकार से प्राप्त हुई हुआ है। तथापि, सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना जिनके लिए साध्यता अंतर वित्त पोषण की आवश्यकता है, के संबंध में राज्य सरकारों को अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

(ङ) बीओटी (पथकर) परियोजनाओं में, रियायतग्राही परियोजना रियायत अवधि के कार्यकाल के दौरान पथकर राजस्व का संग्रहण और उसे प्रतिधारित करने के लिए अधिकृत है। बीओटी (वार्षिक) परियोजनाओं के मामले में, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निविदा मानदंडों के अनुसार छमाही रूप से वार्षिक भुगतान किया जाता हैं सुपुर्दगी की

ईपीसी विधि के मामले में डेवलपर को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चरण-वार अग्रिम भुगतान किया जाता है।

625-27

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

1601. श्री इज्यराज सिंह :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है तथा इनकी राष्ट्रीय राजमार्ग-वार लम्बाई कितनी है;

(ख) इनमें से कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेन का बनाया गया है;

(ग) राज्य के उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जोड़ा गया है;

(घ) क्या उक्त निर्माण-कार्य में कोई विलंब हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य में कुल 30 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राजस्थान में इन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें से लगभग 17 किमी. रारा-3, 558 किमी. रारा-8, 231 किमी. रारा-11, 76 किमी. रारा-14, 548 किमी. रारा-76, 172 किमी. रारा-79 और 36 किमी. रारा-79ए, 148 किमी. रारा-12, 30 किमी. रारा-79 सहित चित्तौडगढ़ बायपास और रारा-76 तथा 43 किमी. स्वरूपगंज रारा-76 और रारा-14 सहित बकडिया खंड का 4 लेन में चौड़ीकरण किया गया है।

(ग) से (ङ) राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 76, 79 और 79ए औसतन 721.76 किमी. राजस्थान स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11ए, 11सी, 11, 12, 927ए, 162एक्स., 58, 148डी, 158 और 758 को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है।

विवरण

राजस्थान राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

क्र. सं.	रारा सं.	लम्बाई (किमी.)
1	2	3
1.	3	32
2.	3ए (नया)	66
3.	8	635
4.	11	531
5.	11ए	145
6.	11बी	180
7.	11सी	53
8.	12	400
9.	14	310
10.	15	906
11.	65	450
12.	65ए (नया)	224
13.	71बी	5
14.	76	480
15.	76ए (नया)	72
16.	76बी (नया)	160
17.	79	220
18.	79ए	35
19.	89	300

1	2	3
20.	90	100
21.	112	343
22.	113	200
23.	114	180
24.	116	80
25.	116ए (नया)	266
26.	158 (नया)	174
27.	162 विस्तार (नया)	250
28.	162ए (नया)	50
29.	709 विस्तार (नया)	60
30.	927ए (नया)	273

[अनुवाद]

अस्त्र-शस्त्रों की खरीद

1602. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्त्र-शस्त्रों की खरीद के संबंध में सरकार के कोई दिशा-निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) आगामी वर्षों में सरकार का कौन-कौन से अस्त्र-शस्त्र खरीदने का प्रस्ताव है तथा सेना को इनकी आपूर्ति कब तक कर दी जाएगी;

(घ) क्या निर्णय लंबित रहने के कारण अस्त्र-शस्त्र की खरीद प्रचलनबाह्य हो जाने का कोई मामला/उदाहरण सामने आया है; और

(ङ) उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा पूंजीगत अधिप्राप्तियों को रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुसार विनियमित किया जाता है। डीपीपी 31.12.2012 से शुरू की गई थी। डीपीपी को तब से 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 तथा 2011 में संशोधित किया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रचालनों में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता, उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा तथा लोक जवाबदेही का प्रयास करते हुए सशस्त्र सेनाओं को आवंटित बजटीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए मांगी गई क्षमताओं तथा निर्धारित समय-सीमा के संदर्भ में उनकी अनुमोदित आवश्यकताओं की शीघ्र अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना है।

(ग) और (घ) पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव रक्षा अधिप्राप्ति आयोजना प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में 15 वर्षीय दीर्घावधि एकीकृत संदर्शी योजना (एलटीआईपीपी), 5 वर्षीय सेना पूंजीगत अधिग्रहण योजना (एससीएपी) तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) शामिल हैं। प्रत्येक सेना की वार्षिक अधिग्रहण योजना पूंजीगत अधिग्रहण के लिए एक दो वर्षीय रोल-ऑन योजना होती है। तथा इसमें अनुमोदित 5 वर्षीय सेना पूंजीगत अधिग्रहण योजना के अंतर्गत योजनाएं शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलम्बों से बचने के लिए अधिप्राप्ति गतिविधियों हेतु वृहत समय-सीमा भी विनिर्दिष्ट करती है।

(ङ) अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डीपीपी को अद्यतन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों, सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकताओं तथा संबंधित पक्षों से प्राप्त फीडबैक के दौरान मिले अनुभव पर आधारित होती है।

राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान

1603. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन-एनआईडी) को उत्कृष्टता-केन्द्र का दर्जा देकर इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के समकक्ष करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. ज़गतरक्षकन) : (क) और (ख) डिजाइन से संबंधित सभी विषयों

में शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के प्रस्ताव की इस विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

बुनकरों द्वारा आत्महत्या

1604. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में बुनकर तथा उनके परिवार जन विभिन्न कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आत्महत्या की ऐसी घटनाओं रोकने के लिए सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बुनकरों के लिए वित्तीय तथा ऋण माफी पैकेज की घोषणा करने संबंधी क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार को छोड़कर किसी भी राज्य सरकार ने बुनकरों द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना नहीं दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि कई कारणों से जैसे कि पारिवारिक अशांति, यार्न की कीमतों में वृद्धि, वित्तीय तथा अन्य घरेलू समस्याओं के कारण चालू कलेंडर वर्ष अर्थात् 2012 में 45 बुनकरों ने आत्महत्या की है।

(ग) सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए ऋण के बंद पड़े अवसरों को खोलने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की ऋण माफी के लिए वित्तीय पैकेज का अनुमोदन किया है इसमें दिनांक 31 मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार पात्र हथकरघा सहकारी सोसाइटियों और व्यक्तिगत बुनकरों के अतिदेय ऋणों और ब्याज की एकबारगी माफी शामिल है। इसके अलावा, हथकरघा बुनकरों को रियायती ऋण मिले, इसके लिए सरकार ने बुनकर क्रेडिट कार्ड का अनुमोदन किया है और प्रति बुनकर 4200/- रुपये मार्जिन राशि सहायता, 3% ब्याज परिदान प्रदान कर रही है तथा सीजीटीएमएसई द्वारा ऐसे ऋण को ऋण गारंटी प्रदान की जा रही है। हथकरघा क्षेत्र के समग्र और संपूर्ण विकास के लिए भारत सरकार भी निम्नलिखित 5 योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:—

(i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(iii) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(iv) मिल गेट कीमत योजना

(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

[हिन्दी]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

1605. **श्री बलीराम जाधव :**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में भारतीय समुद्री उत्पाद यूरोपीय संघ के देशों और चीन को निर्यात किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या यूरोपीय संघ के कई देशों ने भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है/लगाने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन प्रतिबंधों के कारण भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्रक को कतिपय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या चीन ने भारत से समुद्री उत्पादों के वहां आयात पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के लिए भारत से समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात तथा यूरोपीय संघ एवं चीन को निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यूरोपीय संघ तथा चीन को हुआ मद-वार निर्यात का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) भारत से समुद्री उत्पादों के आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) और (च) चीन ने विशिष्ट रूप से भारत से आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। चीन गणतंत्र ने भारत सहित सभी देशों से समुद्री खाद्य आयात के संबंध में नए विनियम तैयार किए हैं। इन्हें एक्यूएसआईक्यू विनियम कहा जाता है। इस विनियम के अंतर्गत दिनांक 01.06.2012 से चीन को निर्यात हेतु उद्दिष्ट मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के खेपों के साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र होना चाहिए और इसलिए विदेशी उद्यम जो चीन को समुद्री खाद्य का निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें दिनांक 1 मई, 2013 तक या उससे पूर्व चीन के प्राधिकरणों के पास पंजीकरण कराना होगा।

विवरण-I

पिछले तीन साल के लिए यूरोपीय संघ और चीन को भारत से कुल निर्यात

(मा: मात्रा मी. टन; मू: मूल्य करोड़ रु.; $: मिलियन अमेरिकी डॉलर)

वर्ष	कुल निर्यात			यूरोपीय संघ			चीन		
	मा:	मू:	$	मा:	मू:	$	मा:	मू:	$
2009-10	678436	10048.52	2132.84	164800	3013.33	637.40	144290	1790.89	379.70
2010-11	813091	12901.47	2856.92	170963	3459.40	765.15	159147	1977.81	440.10
2011-12	862021	16597.23	3508.45	154221	3810.44	805.38	84515	1259.23	263.30
2012-13(*) (अप्रैल-सितम्बर)	351257	8050.21	1493.59	71174	1940.83	360.01	21516	435.70	81.00

(*)अनन्तिम

विवरण-II

यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पादों का मद-वार निर्यात

(मा: मात्रा मी. टन; मू: मूल्य करोड़ रु.; $: मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद		2009-10	2010-11	2011-12
1		2	3	4
प्रशीतित श्रिम्प	मा:	58601	57568	55845
	मू:	1618.54	1714.17	1967.52
	$:	342.17	379.00	415.47
प्रशीतित मत्स्य	मा:	10795	7839	8613
	मू:	148.22	108.89	118.97
	$:	31.36	24.16	25.13
प्रशीतित कट्ल फिश	मा:	40323	41610	32506
	मू:	660.25	884.86	883.63
	$:	139.42	195.53	186.16

1		2	3	4
प्रशीतित स्क्विड	मा:	35932	44549	36359
	मू:	366.45	526.62	562.51
	$:	77.86	116.74	119.91
सुखाई हुई मदें	मा:	290	354	314
	मू:	8.47	5.73	8.24
	$:	1.84	1.27	1.71
जीवित मदें	मा:	4	9	8
	मू:	0.92	1.11	1.00
	$:	0.19	0.24	0.21
शीतित मदें	मा:	1147	942	1027
	मू:	34.57	26.70	31.49
	$:	7.34	5.90	6.57
अन्य	मा:	17706	18092	19549
	मू:	175.94	191.32	237.09
	$:	37.22	42.31	50.22
कुल	मा:	164800	170963	154221
	मू:	3013.33	3459.40	3810.44
	$:	637.40	765.15	805.38

विवरण-III

चीन को समुद्री उत्पादों का मद-वार निर्यात

(मा: मात्रा मी. टन; मू: मूल्य करोड़ रु.; $: मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद		2009-10	2010-11	2011-12
1		2	3	4
प्रशीतित श्रिम्प	मा:	1785	2405	2426
	मू:	46.92	66.49	85.67
	$:	9.95	14.69	17.85
प्रशीतित मत्स्य	मा:	114209	132192	68005
	मू:	820.94	1148.47	706.75
	$:	173.90	255.87	147.53
प्रशीतित कट्ल फिश	मा:	8945	6118	1603
	मू:	98.18	70.78	33.70
	$:	20.76	15.77	7.04
प्रशीतित स्क्विड	मा:	8432	8919	3200
	मू:	63.06	79.93	45.56
	$:	13.39	17.66	9.86
सुखाई हुई मदें	मा:	2430	2353	1869
	मू:	650.92	496.94	261.02
	$:	138.13	110.65	54.80
जीवित मदें	मा:	3404	3135	2266
	मू:	62.36	62.65	52.85
	$:	13.20	13.81	11.16
शीतित मदें	मा:	903	962	944
	मू:	23.90	31.60	38.93
	$:	5.10	7.01	7.89
अन्य	मा:	4181	3063	4204
	मू:	24.62	20.95	34.74
	$:	5.26	4.65	7.18
कुल	मा:	144290	159147	84515
	मू:	1790.89	1977.81	1259.23
	$:	379.70	440.10	263.30

[अनुवाद]

रक्षा-तैयारी हेतु कृतक बल

1606. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारहवीं योजना अवधि में रक्षा-तैयारी की समीक्षा करने हेतु एक कृतक बल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए रक्षा तैयारी की पुनरीक्षा करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

बाल श्रम नीति

1607. **श्री एस. अलागिरी :**
श्री अजंनकुमार एम. यादव :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम नीति के अंतर्गत बाल श्रम की अधिक सघनता वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्रवाई की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) उक्त परिणाम पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार परियोजना आधारित कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम कार्यान्वित करती आ रही है। इस योजना में परियोजना के कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिए समाहर्ता/जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तर पर परियोजना समितियां स्थापित करने का प्रावधान है। परियोजना जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से काम से हटाने और उन्हें पुनर्वासित करने तथा अंततः उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने पर लक्षित है। योजना के अंतर्गत कार्य से मुक्त कराए गए/हटाए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाए जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है। यह योजना 266 जिलों में चालू है और 3.2 लाख बच्चों के नामांकन के साथ 7311 विशेष विद्यालय इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) एनसीएलपी योजना 1988 से लागू है। इस योजना का विशिष्ठ लक्ष्य, जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को छुड़ाने और उनके पुनर्वास के माध्यम से बाल श्रम को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत जोखिमकारी व्यवसाय में काम करने वाले बच्चों को पता लगाया जाता है, छुड़ाया जाता है और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाए जाने से पूर्व विशेष विद्यालयों में पुनर्वासित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छुड़ाए गए, पुनर्वासित किए गए और मुख्य धारा में लाए गए बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से बचाए गए, पुनर्वासित तथा मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	मुख्य धारा में लाए गए बच्चों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 सितम्बर, 2012 तक
1	2	3	4	5	6
1.	असम	3685	274	227	10749

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	13,689	1,858	13,202	6,949
3.	बिहार	7,998	8,552	19,673	968
4.	छत्तीसगढ़	1,063	5,164	4,914	2,004
5.	गुजरात	1,437	2,129	609	494
6.	हरियाणा	1,354	1,293	1,895	1,722
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	43	184	132
8.	झारखंड	1,816	1,015	2,216	1,989
9.	कर्नाटक	3,217	135	3,761	722
10.	महाराष्ट्र	5,150	5,113	4,532	2,335
11.	मध्य प्रदेश	9,692	13,344	17,589	4,700
12.	ओडिशा	10,585	14,416	13,196	10,209
13.	पंजाब	1,023	123	168	0
14.	राजस्थान		4,415	1,020	0
15.	तमिलनाडु	6,321	6,325	5,127	3,405
16.	उत्तर प्रदेश	40,297	28,243	29,947	3,021
17.	पश्चिम बंगाल	13,187	2,215	7,456	3,117
	कुल	1,32,840	94,657	125,716	53,416

ईपीएफ निपटान के लंबित मामले

1608. श्री ए. साई प्रताप :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि के कई मामलों का निपटान किया जाना बाकी है तथा इनके निपटान में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामले निपटान के लिए लंबित हैं तथा इनके निपटान में क्या बाधाएं आ रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे लंबित दावों के जल्द निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इसका क्या परिणाम निकला है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) 27.11.2012 (वर्ष 2012-13 के दौरान 01.04.2012 से 27.11.2012 तक) की स्थिति के अनुसार, निपटान हेतु प्राप्त हुए 100.22 लाख दावों में से, कुल 6.13 लाख दावे निपटान हेतु लंबित हैं।

लंबित मामलों के निपटान में पेश आई समस्याएं निम्नलिखित हैं:—

(i) अधूरे दावे (कोई बैंक खाता संख्या नहीं, अधूरा रोजगार ब्यौरा)

(ii) गलत दावे (गलत भविष्य निधि खाता संख्या)

(iii) अनधिप्रमाणित दावे

(iv) अहस्ताक्षरित दावे

(v) धन प्रेषण के लिहाज से नियोक्ता द्वारा चूक।

उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(7) में निहित उपबंधों के अनुसार, सही पाए गए सभी दावों को 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना होता है। अतः, किसी दिए गए समय पर, ताजा प्राप्ति 30 दिनों तक लंबित हो सकती है। वस्तुतः, कुल प्राप्तियों में से, 8.33% दावे इस वजह से लंबित हो सकते हैं जो पिछले 30 दिनों में प्राप्त हुए हों। अतः, किसी भी दिए गए समय पर, दावों का लंबन शून्य नहीं हो सकता। तथापि, जो दावे 30 दिनों के दौरान लंबित हैं, वे निपटान के उसी अथवा उत्तरवर्ती चक्र में निपटा दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) दावे बिना किसी गलती के प्रस्तुत करने हेतु सम्मिलित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का मार्गदर्शन मुद्रित पुस्तिका, संगोष्ठी एवं नियोक्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है।

(च) हाल ही में, दावों के लंबन को कम करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए:—

- नियोक्ताओं द्वारा विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करने हेतु इसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चलान-सह-विवरणी) का प्रावधान किया गया है। इससे सदस्यों के खातों को मासिक आधार पर अद्यतन करने की प्रक्रिया को तेज करना सुकर हुआ है।
- दावों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनइएफटी) शुरू किया गया है।
- निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- निपटान के अनुमोदन के चरणों को 3 से कम करके 2 कर दिया गया है।
- निपटान की निगरानी प्रभारी आरपीएफसी तथा मुख्यालय द्वारा की जा रही है।
- सभी क्षेत्र कार्यालयों को लंबन की स्थिति की समीक्षा करने और दावों को 30 दिनों के भीतर निपटाने के भरसक प्रयत्न करने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त प्रयासों के चलते, लंबन अनुपात को सामान्य 8.33% की तुलना में कम करके 6.11% तक ला दिया गया है।

640-41

वाहनों के लिए आरएफआई-डी टैग

1609. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में सभी प्रकार के वाहनों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआई-डी) टैग की व्यवस्था शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सभी मोटर-वाहनों के लिए ये टैग अनिवार्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या उद्देश्य है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) यानों की कतिपय श्रेणियों पर आरएफआई-डी टैग की संस्थापना हेतु प्रावधान किए जाने हेतु केन्द्रीय मोटन यान अधिनियम, 1989 में एक नया नियम 138ए अंत:स्थापित किए जाने के प्रस्ताव संबंधी एक अधिसूचना इस मंत्रालय द्वारा 3 अक्तूबर, 2012 को जारी की गई थी जिसमें जनता से मसौदा नियमावली

पर आपत्तियां एवं सुझाव 60 दिनों के अंदर दिए जाने का अनुरोध किया गया था।

एएसआईडीई योजना

1610. श्री रामसिंह राठवा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से निर्यात अवसंरचना और संबंधित कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) के अंतर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन प्रस्तावों के निपटान हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। वाणिज्य विभाग निर्यात विकास तथा वृद्धि के लिए समुचित अवसंरचना सृजित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता उपलब्ध कराए जाने के द्वारा राज्यों को उनके निर्यात प्रयासों में लगाने के उद्देश्य से "निर्यात अवसंरचना विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता" (एसाइड) नामक स्कीम चला रहा है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) स्कीम के अनुमोदित उद्देश्यों के अनुसार स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजना का अनुमोदन करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एसाइड के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई कुल सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एसाइड स्कीम के राज्य संघटकों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई वर्ष-वार सहायता

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (आज की तारीख के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20.41	31.21475	40.82	36.44
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.57	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	5.22	5.22	6.66	0.00
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
7.	दमन और दीव	2.42	2.42	0.00	0.00
8.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	गोवा	5.41	5.41	7.13	3.06
10.	गुजरात	59.57	59.57	55.28	64.00
11.	हरियाणा	14.68	34.68	20.85	21.10
12.	हिमाचल प्रदेश	5.70	5.70	5.10	5.27
13.	जम्मू और कश्मीर	5.51	5.51	0.00	0.00
14.	झारखंड	5.22	0.00	0.00	0.00
15.	कर्नाटक	39.54	70.34475	52.39	45.77
16.	केरल	9.26	9.26	18.52	16.62
17.	लक्षद्वीप	0.00	1.0173	0.00	0.00
18.	मध्य प्रदेश	14.06	14.06	22.16	19.40
19.	महाराष्ट्र	81.22	81.22	68.00	64.00
20.	ओडिशा	9.14	14.14	17.90	18.00
21.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	पंजाब	12.73	12.73	16.26	14.28
23.	राजस्थान	12.85	29.3907	24.42	21.58
24.	तमिलनाडु	49.10	49.10	67.27	29.885
25.	उत्तर प्रदेश	20.99	20.99	34.13	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	5.51	6.02	2.54
27.	पश्चिम बंगाल	19.09	29.89475	35.91	15.765
	कुल	392.69	487.38225	498.82	377.71

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.38	0.00	0.00
2.	असम	13.83	13.83	27.66	29.41
3.	मणिपुर	2.27	2.27	4.54	4.56
4.	मिजोरम	3.56	3.56	3.50	4.30
5.	मेघालय	9.17	9.17	9.44	11.61
6.	नागालैंड	2.20	2.20	3.63	1.815
7.	सिक्किम	2.20	2.20	2.69	2.70
8.	त्रिपुरा	8.01	8.01	10.04	10.25
	कुल	41.24	42.62	61.50	64.645
	कुल योग	433.93	530.00	560.32	442.355

अध्यक्ष महोदया : हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल के सम्मान में, मैं सभा कल 4 दिसम्बर, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित करती हूं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 04 दिसम्बर, 2012/13 अग्रहायण 1934(शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री यशवीर सिंह कुमारी सरोज पाण्डेय	121
2.	डॉ. थोकचोम मैन्या श्री भूपेन्द्र सिंह	122
3.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री दिनेश चन्द्र यादव	123
4.	कुमारी मौसम नूर श्री मधु गौड यास्खी	124
5.	श्री उदय सिंह श्री पी. लिंगम	125
6.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	126
7.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा श्री निखिल कुमार चौधरी	127
8.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	128
9.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी श्री सी.आर. पाटिल	219
10.	श्री निशिकांत दुबे श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	130
11.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	131
12.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री लक्ष्मण टुडु	132
13.	श्री एस.एस. रामासुब्बू श्री नलिन कुमार कटील	133
14.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	134
15.	श्री ए. गणेशमूर्ति श्री संजय भोई	135
16.	श्री महेन्द्र कुमार राय शेख सैदुल हक	136
17.	श्री जगदीश शर्मा श्री विलास मुत्तेमवार	137
18.	श्री जोस के. मणि श्री ताराचन्द भगोरा	138
19.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर श्री एंटो एंटोनी	139
20.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	1411, 1608
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1447, 1549, 1580
3.	श्री बसुदेव आचार्य	1538

1	2	3
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1492, 1513, 1574, 1575, 1576
5.	श्री आधि शंकर	1432, 1579
6.	श्री आनंदराव अडसुल	1492, 1513, 1575, 1576, 1574
7.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1473, 1491, 1586
8.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1401
9.	श्री हंसराज गं. अहीर	1451, 1520, 1591
10.	श्री बदरूद्दीन अजमल	1429
11.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	1586
12.	श्री एम. आनंदन	1504, 1517, 1540
13.	श्री अनंत कुमार	1495
14.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1543, 1572, 1574
15.	श्री सुरेश अंगड़ी	1502, 1504, 1517, 1540
16.	श्री घनश्याम अनुरागी	1563
17.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1544
18.	श्री कीर्ति आजाद	1427
19.	श्री गजानन ध. बाबर	1492, 1513, 1574, 1575, 1576
20.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1583
21.	श्री रमेश बैस	1566
22.	श्री कामेश्वर बैठा	1418
23.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1385, 1452
24.	डॉ. बलीराम	1531
25.	श्री पुलीन बिहारी बासके	1510
26.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1567

1	2	3
27.	श्री अवतार सिंह भडाना	1523
28.	श्री सुदर्शन भगत	1487
29.	श्री ताराचन्द भगोरा	1608
30.	श्री संजय भोई	1580, 1583
31.	श्री समीर भुजबल	1400, 1424, 1566
32.	श्री पी.के. बिजू	1524
33.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1395, 1594
34.	श्री हेमानंद बिसवाल	1497, 1577
35.	श्री सी. शिवासामी	1458
36.	श्री हरीश चौधरी	1421, 1551, 1581, 1601
37.	श्री जयंत चौधरी	1392
38.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1422, 1502, 1562
39.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1390, 1517
40.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1580, 1583
41.	श्री भूदेव चौधरी	1518
42.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1393, 1552, 1583, 1593
43.	श्री भक्त चरण दास	1485, 1570
44.	श्री खगेन दास	1503, 1548, 1584
45.	श्री राम सुन्दर दास	1399, 1597
46.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1571
47.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	1529
48.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1478
49.	श्री के.डी. देशमुख	1533

1	2	3
50.	श्रीमती रमा देवी	1421, 1487
51.	श्री के.पी. धनपालन	1448, 1488
52.	श्री संजय धोत्रे	1484
53.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1384, 1407, 1512, 1603
54.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1454
55.	श्री निशिकांत दुबे	1565, 1566, 1567
56.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1568, 1569
57.	श्रीमती मेनका गांधी	1386, 1485
58.	श्री वरूण गांधी	1506, 1584
59.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1568, 1569, 1580, 1583
60.	श्री एल. राजगोपाल	1396, 1543, 1595
61.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	1480, 1571
62.	श्री महेश्वर हजारी	1467, 1494, 1574
63.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	1553
64.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1413, 1487, 1562, 1573
65.	श्री बलीराम जाधव	1483, 1605
66.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	1488
67.	डॉ. संजय जायसवाल	1505
68.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1398, 1410, 1484, 1512
69.	श्री बद्रीराम जाखड़	1462, 1479
70.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1417, 1464
71.	श्री हरिभाऊ जावले	1469
72.	श्री महेश जोशी	1554

1	2	3
73.	श्री प्रहलाद जोशी	1420, 1433, 1497
74.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	1546
75.	श्री सुरेश कलमाडी	1561
76.	श्री पी. करुणाकरन	1501
77.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1399, 1491, 1509, 1597
78.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1417, 1470
79.	श्री राम सिंह कस्वां	1484, 1560
80.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1482
81.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1536
82.	श्री चंद्रकांत खैरे	1519, 1567
83.	श्री मधु कोड़ा	1439
84.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1387
85.	श्री विश्व मोहन कुमार	1516
86.	श्री अजय कुमार	1495, 1532, 1575
87.	श्री पी. कुमार	1397
88.	श्री यशवंत लागुरी	1512, 1522
89.	श्री पी. लिंगम	1571
90.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1468
91.	श्रीमती सुमित्रा महाराज	1461, 1485, 1571
92.	श्री सतपाल महाजन	1587
93.	श्री नरहरि महतो	1388, 1490, 1577
94.	श्री भर्तृहरि महताब	1484
95.	श्री प्रदीप माझी	1514, 1537

1	2	3
96.	श्री मंगनी लाल मंडल	1504, 1565
97.	श्री जोस के. मणि	1596
98.	श्री हरि मांझी	1566
99.	श्री दत्ता मेघे	1558
100.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1446, 1574
101.	श्री महाबल मिश्रा	1527, 1577
102.	श्री सोमेन मित्रा	1502, 1585
103.	श्री पी.सी. मोहन	1406, 1414
104.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1414, 1582
105.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1434, 1585, 1586
106.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1511, 1578, 1579
107.	श्री नामा नागेश्वर राव	1500
108.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	1550
109.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1385, 1591
110.	श्री संजय निरुपम	1475
111.	कुमारी मौसम नूर	1563, 1583
112.	श्री ओ.एस. मणियन	1426
113.	श्री पी.आर. नटराजन	1443, 1504, 1520
114.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1455, 1512
115.	श्री वैजयंत पांडा	1539, 1579
116.	श्री प्रबोध पांडा	1471, 1474, 1575
117.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1431
118.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1484, 1577

1	2	3
119.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1510
120.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1568, 1569
121.	श्री कमलेश पासवान	1420
122.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	1528
123.	श्री देवजी एम. पटेल	1435, 1577
124.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1438
125.	श्री बाल कुमार पटेल	1428
126.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1514, 1537
127.	श्री हरिन पाठक	1564
128.	श्री संजय दिना पाटील	1511, 1578
129.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1403, 1587, 1600
130.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1483
131.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1568, 1569
132.	श्रीमती कमला देवी पटले	1381
133.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1408, 1604
134.	श्री नित्यानंद प्रधान	1400, 1598
135.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1402, 1580, 1599
136.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	1406
137.	श्री एम.के. राघवन	1549
138.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	1456, 1499
139.	श्री अब्दुल रहमान	1555
140.	श्री प्रेम दास राय	1515, 1584
141.	श्री रमाशंकर राजभर	1526

1	2	3
142.	श्री सी. राजेन्द्रन	1502, 1508
143.	श्री एम.बी. राजेश	1436
144.	श्री पूर्णमासी राम	1484, 1556
145.	श्री रामकिशुन	1536
146.	श्री कादिर राणा	1441, 1484, 1487, 1597
147.	श्री निलेश नारायण राणे	1390
148.	श्री रायापति सांबासिवा राव	1407, 1412, 1609
149.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1479
150.	श्री रामसिंह राठवा	1415, 1610
151.	श्री अशोक कुमार रावत	1416
152.	श्री विष्णु पद राय	1437
153.	श्री रुद्रमाधव राय	1570, 1583
154.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1382, 1605
155.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1463
156.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	1440, 1512
157.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1443, 1453, 1500
158.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1388, 1577, 1578
159.	प्रो. सौगत राय	1574
160.	श्री एस. अलागिरी	1410, 1522, 1607
161.	श्री एस. सेम्मलई	1444
162.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1405, 1582, 1597, 1602
163.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1419
164.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1566, 1589

1	2	3
165.	श्री तकाम संजय	1584
166.	श्री तूफानी सरोज	1521
167.	श्री तथागत सत्पथी	1394
168.	श्री हमदुल्लाह सईद	1383, 1443, 1484, 1485, 1537
169.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1449, 1517, 1566
170.	श्री एस.आई. शानवास	1507
171.	श्री नीरज शेखर	1481, 1562
172.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1520, 1609
173.	श्री राजू शेट्टी	1472, 1566
174.	श्री एंटो एंटोनी	1486, 1571
175.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1423
176.	डॉ. भोला सिंह	1495, 1532, 1542
177.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1406, 1566, 1577, 1590
178.	श्री दुष्यंत सिंह	1535
179.	श्री गणेश सिंह	1489
180.	श्री इज्यराज सिंह	1404, 1581, 1601
181.	श्री जगदानंद सिंह	1476
182.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	1460
183.	श्री महाबली सिंह	1466
184.	श्री मुरारी लाल सिंह	1570
185.	श्री प्रवीण सिंह ऐरन	1457
186.	श्री राधा मोहन सिंह	1496
187.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1530
188.	श्री राकेश सिंह	1525

1	2	3
189.	श्री रतन सिंह	1398, 1585
190.	श्री सुशील कुमार सिंह	1503
191.	श्री यशवीर सिंह	1481, 1562
192.	चौधरी लाल सिंह	1502, 1534
193.	श्री धनंजय सिंह	1524
194.	श्री राधे मोहन सिंह	1430
195.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1543, 1572, 1574
196.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1484, 1573, 1585
197.	श्री उदय प्रताप सिंह	1477, 1566
198.	श्री उमाशंकर सिंह	1552
199.	श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	1499
200.	डॉ. संजय सिंह	1551
201.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1384, 1520, 1606
202.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1564
203.	श्री के. सुधाकरण	1504, 1568
204	श्री ई.जी. सुगावनम	1391, 1574, 1592
205.	श्री के. सुगुमार	1389, 1481
206.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1579
207.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1459, 1502
208.	श्री मानिक टैगोर	1465
209.	श्री लालजी टन्डन	1445
210.	श्री बिभू प्रसाद तराई	1474
211.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1545
212.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1417

1	2	3
213.	श्री आर. थामराईसेलवन	1425, 1543
214.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	1502
215.	श्री पी.टी. थॉमस	1557
216.	श्री मनोहर तिरकी	1388, 1490
217.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1502, 1547
218.	श्री शिवकुमार उदासी	1493, 1559
219.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1409, 1494, 1574
220.	श्री हर्ष वर्धन	1409, 1494, 1574
221.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1406, 1562, 1588
222.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1485
223.	श्री सज्जन वर्मा	1493, 1566
224.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1409, 1494, 1574
225.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1520
226.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1450, 1559
227.	श्री पी. विश्वनाथन	1442, 1443, 1481
228.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1541, 1586
229.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1582, 1607
230.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1513, 1574, 1575, 1576
231.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1572
232.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1484
233.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1498
234.	श्री मधु गौड यास्खी	1492, 1513, 1574, 1575
235.	योगी आदित्यनाथ	1491

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	123, 134, 135, 136
रक्षा	:	122, 125
पर्यावरण और वन	:	127, 132, 133, 140
श्रम और रोजगार	:	121, 128, 139
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	126, 137, 138
पोत परिवहन	:	129
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	124, 131
इस्पात	:	
वस्त्र	:	130.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1384, 1387, 1388, 1395, 1404, 1429, 1462, 1469, 1471, 1475, 1482, 1484, 1497, 1512, 1520, 1529, 1542, 1555, 1568, 1574, 1575, 1576, 1579, 1591, 1596, 1603, 1605, 1610
रक्षा	:	1383, 1389, 1390, 1392, 1394, 1396, 1397, 1403, 1407, 1409, 1411, 1422, 1430, 1432, 1433, 1437, 1440, 1447, 1454, 1455, 1457, 1463, 1465, 1470, 1481, 1494, 1495, 1498, 1511, 1513, 1514, 1515, 1525, 1528, 1537, 1541, 1546, 1565, 1571, 1587, 1588, 1602, 1606
पर्यावरण और वन	:	1381, 1391, 1400, 1402, 1405, 1408, 1410, 1412, 1413, 1416, 1424, 1439, 1445, 1446, 1448, 1456, 1459, 1468, 1473, 1478, 1485, 1487, 1496, 1505, 1518, 1527, 1536, 1540, 1545, 1547, 1553, 1554, 1567, 1573, 1577, 1581, 1585, 1586, 1589, 1599
श्रम और रोजगार	:	1385, 1386, 1414, 1420, 1423, 1434, 1460, 1474, 1477, 1479, 1480, 1486, 1488, 1499, 1503, 1504, 1507, 1509, 1516, 1526, 1534, 1538, 1539, 1548, 1551, 1552, 1561, 1562, 1580, 1583, 1590, 1593, 1607, 1608

सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1398, 1399, 1401, 1417, 1418, 1419, 1425, 1426, 1427, 1438, 1441, 1442, 1443, 1444, 1451, 1458, 1461, 1464, 1466, 1467, 1489, 1492, 1500, 1519, 1521, 1523, 1532, 1535, 1558, 1560, 1564, 1566, 1569, 1572, 1584, 1594, 1595, 1598, 1600, 1601, 1609
पोत परिवहन	:	1415, 1421, 1452, 1490, 1508, 1524, 1531, 1549, 1578, 1592
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1393, 1406, 1428, 1431, 1435, 1436, 1449, 1450, 1472, 1476, 1483, 1491, 1493, 1517, 1530, 1544, 1550, 1557, 1559, 1563, 1570, 1582
इस्पात	:	1453, 1522, 1533, 1556, 1597
वस्त्र	:	1382, 1501, 1502, 1506, 1510, 1543, 1604.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/29/7/2012 (एन०)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।